



भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

संघ सरकार (सिविल)
विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा
केन्द्रीय स्वायत्त निकाय
2024 की सं. 3

**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन**

मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

**संघ सरकार (सिविल)
विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा
केन्द्रीय स्वायत्त निकाय
2024 की सं. 3**

प्रतिवेदन को संसद में प्रस्तुत किया गया:

लोक सभा -
राज्य सभा -

विषय-सूची

विवरण	पैराग्राफ	पृष्ठ
प्राक्कथन		iii
विहंगावलोकन		v-viii
अध्याय-I: सामान्य जानकारी		
केन्द्रीय स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा	1.1	1
इस प्रतिवेदन के बारे में	1.2	1
विशिष्ट केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लेखाओं पर महत्वपूर्ण टिप्पणियां	1.3	2
अध्याय-II: आयुष मंत्रालय		
राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर		
राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर का कार्यकरण	2.1	3
अध्याय-III: संस्कृति मंत्रालय		
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल		
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल की कार्य पद्धति	3.1	25
अध्याय-IV: शिक्षा मंत्रालय		
नवोदय विद्यालय समिति, नोएडा		
नवोदय विद्यालय समिति, नोएडा की कार्य पद्धति	4.1	37
विश्व-भारती विश्वविद्यालय, शांतिनिकेतन		
विश्व-भारती विश्वविद्यालय में आंतरिक नियंत्रण	4.2	61
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में नियोक्ता के अंशदान पर आयकर की गैर-कटौती	4.3	91

विवरण	पैराग्राफ	पृष्ठ
भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पना तथा विनिर्माण संस्थान (आईआईआईटीडीएम), कर्नूल		
भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पना तथा विनिर्माण संस्थान, कर्नूल की गतिविधियां	4.4	93
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास		
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास-मंत्रालय प्रायोजित परियोजनाएं	4.5	130
अध्याय-V: मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय		
भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड		
भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड की कार्य पद्धति	5.1	137
परिशिष्ट	151 -173	
अनुलग्नक	175-194	

प्राक्कथन

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुतीकरण हेतु तैयार किया गया है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के विभिन्न प्रावधानों के अधीन केन्द्रीय स्वायत्त निकायों (सीएबी) के वित्तीय लेन-देनों की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामों को इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षित संगठन अलग-अलग विशेषता तथा अनुशासन वाले केन्द्रीय स्वायत्त निकायें हैं। ये संगठन जो नीतियों हेतु रूपरेखाएं तैयार करने से लेकर अनुसंधान करने तथा सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने आदि की विविध गतिविधियों में लगे हैं, को अनिवार्य रूप से सरकार से वित्तीय सहायता में से सार्वजनिक उपयोगिता की कुछ विनिर्दिष्ट सेवाएं करना अथवा सरकार के कुछ कार्यक्रमों एवं नीतियों को निष्पादित करना प्रत्याशित है।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले वर्ष 2021-22 के लिए लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए मामलों के साथ-साथ वे मामले हैं जो पिछले वर्षों में संज्ञान में आए थे। कुछ मामलों में मार्च 2022 के बाद के लेन-देन की लेखापरीक्षा के परिणामों का भी उल्लेख किया गया है।

इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सात विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा शामिल हैं।

विहंगावलोकन

प्रस्तावना

इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सामान्य और सामाजिक क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले विभिन्न सिविल मंत्रालयों/विभागों के केन्द्रीय स्वायत्त निकायों (सीएबी) के लेखाओं की लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए सात विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में शामिल कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

आयुष मंत्रालय

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर का कार्यकरण

शीर्ष निकायों अर्थात् सोसाइटी, शासी निकाय, प्रबंधन बोर्ड एवं कॉलेज परिषद की बैठकें निर्धारित मानदंडों के अनुसार आयोजित नहीं की गई थीं। 34 सरकारी अनुसंधान परियोजनाओं में से केवल नौ पूर्ण हुई जबकि 38 निजी परियोजनाओं में से 25 उसी अवधि 2017-22 में पूरी हुई। पंचकुला (हरियाणा) में अखिल भारतीय आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के निर्माण में देरी पाई गई; मार्च 2022 तक केवल 13 प्रतिशत भौतिक प्रगति प्राप्त की गई। वित्तीय प्रबंधन में मुद्दे जैसे कि जारी किया गया अधिक अग्रिम, उपार्जित ब्याज की गैर-वसूली, कार्य के गैर-निष्पादन हेतु ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई की शुरुआत न होना, उपकरण बेकार पड़े रहना, विभिन्न भवनों के लिए एनओसी प्राप्त नहीं होना तथा अग्निशमन यंत्रों की एएमसी का गैर-निष्पादन इत्यादि भी पाए गये थे।

(पैराग्राफ 2.1, पृष्ठ सं. 3)

संस्कृति मंत्रालय

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल की कार्य पद्धति

आईजीआरएमएस ने अपनी पूर्ण क्षमता से कार्यक्रमों और गतिविधियों से संबंधित लक्ष्यों को हासिल नहीं किया। इसकी इंडोर दीर्घाओं का रखरखाव अच्छी स्थिति में नहीं था। आगे,

35 गतिविधियों में लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी थी जबकि इन गतिविधियों में निधियों का पूर्ण उपयोग किया गया था। संग्रहालय ने प्रापण की गई केवल 26 प्रतिशत वस्तुओं को प्रदर्शित किया तथा शेष वस्तुएं व्यर्थ पड़ी थी। पांच वर्षों के दौरान मंत्रालय के साथ कोई संयुक्त समीक्षा नहीं की गई थी तथा कोई बाह्य या आंतरिक पीयर समीक्षा नहीं की गई थी। स्टाफ की कमी थी क्योंकि सभी संवर्गों में 118 पदों की कुल संस्वीकृत संख्या में से 36 पद (30.51 प्रतिशत) रिक्त थे जिसमें वर्ग ए संवर्ग में पांच रिक्ति (100 प्रतिशत) शामिल थीं।

(पैराग्राफ 3.1, पृष्ठ सं. 25)

नवोदय विद्यालय समिति, नोएडा

नवोदय विद्यालय समिति नोएडा की कार्य पद्धति

2007-2016 के दौरान संस्वीकृत ग्यारह जेएनवी को अभी भी अस्थायी कार्य स्थलों में भी नहीं खोला गया था। 1994-95 से 2020-21 के दौरान संस्वीकृत 14 जेएनवी हेतु स्थायी बिल्डिंगों का निर्माण शुरू नहीं किया गया था तथा वे लम्बे समय से अस्थायी कार्य स्थलों में कार्य कर रहे हैं। ₹98.41 लाख की विद्यालय विकास निधि 15 नमूना जांच किए गए जेएनवी में एकत्रित नहीं की गई थी। जेएनवी दार्जिलिंग में निर्माण में विलम्ब के कारण ₹36.93 करोड़ की भारी लागत वृद्धि थी। एनवीएस ने जेएनवी यू.एस.नगर में उस भूमि पर, जिसके लिए एनवीएस के पास कोई स्वामित्व अधिकार नहीं था, स्कूल बिल्डिंग का निर्माण किया। नमूना जांच किए गए जेएनवी को अवसंरचनात्मक सुविधाएं जैसे कि स्टाफ क्वार्टर, कक्षाएं, परिसर की दीवारें, शौचालय, ओवरहेड वाटर टैंक आदि प्रदान करने में कमियां थीं।

(पैराग्राफ 4.1, पृष्ठ सं. 37)

विश्व-भारती विश्वविद्यालय, शांतिनिकेतन

विश्व-भारती विश्वविद्यालय में आंतरिक नियंत्रण

विश्व-भारती विश्वविद्यालय में आंतरिक नियंत्रण तथा आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की एक समीक्षा ने विभिन्न क्षेत्रों जैसे नियुक्तियां एवं पदोन्नतियां, अनाधिकृत अनुपस्थिति के मामलों को निपटाना, प्रापण व निविदा प्रक्रियाएं, वित्तीय प्रबंधन आदि में कमजोरियां प्रकट की जिसका

परिणाम लागू नियमों एवं विनियमों के गैर-अनुपालन में हुआ। लेखापरीक्षा ने कई कार्यात्मक प्रभागों जैसे आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन कक्ष, केंद्रीय खरीद अनुभाग तथा अभियंता विभाग के कामकाज में कमियों को बताया। विश्वविद्यालय अभिप्रेत उद्देश्यों के लिए कई उच्च मूल्य वाली परिसम्पत्तियों एवं उपकरणों का उपयोग नहीं कर सका तथा स्वयं की परिसम्पत्तियों तथा संसाधनों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। विश्वविद्यालय की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली न तो स्वतंत्र थी और न ही अपने शासनादेश के अनुसार कार्य कर रही थी।

(पैराग्राफ 4.2, पृष्ठ सं. 61)

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में नियोक्ता के अंशदान पर आयकर की गैर-कटौती

विश्व-भारती विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में नियोक्ता के अंशदान पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) से संबंधित आयकर प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया था जिसका परिणाम ₹1.05 करोड़ की आयकर राशि की गैर-कटौती में हुआ।

(पैराग्राफ 4.3, पृष्ठ सं. 91)

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पना तथा विनिर्माण संस्थान, कर्नूल

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पना तथा विनिर्माण संस्थान, कर्नूल की गतिविधियां

डीपीआर प्रति छात्र निर्मित क्षेत्र पर निर्धारित मानकों के संबंध में असंगत था। संस्थान के पास अवसंरचना विकास हेतु उपयुक्त न्यूनतम अपेक्षित भूमि नहीं थी। छात्रावास निर्माण विलंबित था जो छात्रों के लिए तंग आवास का कारण बना। कैम्पस सुख सुविधाएं जैसे पेय जल, खेल सुविधाएं तथा परिवहन सुविधाओं के प्रावधानों में कमियां थीं। शैक्षणिक कार्यक्रमों तथा सीटों की परिकल्पित संख्या का सृजन नहीं किया गया था। संकाय पदों में रिक्तियां पाई गई थी तथा संकाय छात्र अनुपात निम्न था। मैकेनिकल तथा ईसीई विभागों में प्रयोगशाला उपकरण की उपलब्धता में कमियां पाई गई थी।

(पैराग्राफ 4.4, पृष्ठ सं. 93)

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास-मंत्रालय प्रायोजित परियोजनाएं

आईआईटीएम द्वारा बनाए गए वित्तीय प्रबंधन में कमियां थीं क्योंकि बकाया वापस नहीं किए गए थे तथा ब्याज उचित प्रकार से परिकल्पित नहीं किए गए थे। उपरिव्यय की परियोजना निधियों से संस्वीकृत राशि/दरों से अधिक कटौती की गई है। ₹259.68 लाख का किया गया व्यय निष्फल रहा क्योंकि परियोजना को समय पर पूरा नहीं किया जा सका था तथा उपयोग नहीं किया जा सका था। आईसीएंडएसआर द्वारा परियोजना/अनुसंधान परिणामों की प्रगति/समापन में कोई निगरानी नहीं की गई थी जो आईआईटीएम की बौद्धिक संपदा अधिकार नीति में निहित प्रावधानों के विरुद्ध है।

(पैराग्राफ 4.5, पृष्ठ सं. 130)

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड

भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड की कार्य पद्धति

जीव-जंतु कल्याण को बढ़ावा देने के लिए 1962 में स्थापित भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई) को यह सुनिश्चित करना है कि जीव-जंतु कल्याण कानूनों का सावधानी से पालन किया जाए तथा विभिन्न संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। पशु क्रूरता मामलों से संबंधित शिकायतों के पंजीकरण/निपटान के लिए प्रभावी तंत्र के साथ-साथ वित्तीय सहायता और कर्मचारियों की कमी एडब्ल्यूबीआई के कुशल काम-काज में बाधक के रूप में साबित हुई।

(पैराग्राफ 5.1, पृष्ठ सं. 137)

अध्याय-I: सामान्य जानकारी

प्रस्तावना

स्वायत्त निकाय एक विशिष्ट कानूनी अस्तित्व वाले निकाय या प्राधिकरण हैं और सरकार द्वारा संसद के अधिनियमों के माध्यम से स्थापित किए जाते हैं या विभिन्न केंद्रीय या राज्य/संघ शासित क्षेत्र, सोसायटी, ट्रस्ट आदि से संबंधित कानून या किसी अन्य तरीके से पंजीकृत होते हैं। ये निकाय या प्राधिकरण अपने दैनिक कामकाज में स्वतंत्र हैं और सरकार से दूरी बनाकर काम करते हैं, भले ही सामान्य निदेश और पर्यवेक्षण के मामलों में मंत्रालयों/विभागों का उन पर महत्वपूर्ण नियंत्रण होता है। हालांकि, समग्र जोर का निर्णय संबंधित मंत्रालय के दृष्टिकोण और नीति परिप्रेक्ष्य से लिया गया है, फिर भी उन्हें विशिष्ट कार्य या सरकार के विशिष्ट कार्यक्रमों या नीतियों को क्रियान्वित करने या सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं को साबित करने का काम सौंपा गया है।

1.1 केन्द्रीय स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा

संसद द्वारा बनाए गए विधि द्वारा या उसके तहत स्थापित निकायों तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा लेखापरीक्षा हेतु विशिष्ट प्रावधानों को शामिल करके निकायों को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) के अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के तहत सांविधिक रूप से लेखापरीक्षा करने हेतु लिया जाता है। अन्य संगठनों (निगमों या सोसाइटियों) की लेखापरीक्षा उक्त अधिनियम की धारा 20(1) के अधीन लोक हित में सीएजी को सौंपी गयी है। इन प्रावधानों के अधीन संचालित की गई लेखापरीक्षा की प्रकृति में वार्षिक लेखाओं के प्रमाणीकरण, अनुपालन लेखापरीक्षा के साथ-साथ निष्पादन लेखापरीक्षा है। इसके अलावा, केन्द्रीय स्वायत्त निकायों जो संघ सरकार से अनुदानों/ऋणों द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित हैं, उक्त अधिनियम की धारा 14(1) तथा 14(2) के प्रावधानों के अधीन सीएजी द्वारा उनकी लेखापरीक्षा की जाती है।

1.2 इस प्रतिवेदन के बारे में

इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सामान्य और सामाजिक क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले विभिन्न सिविल मंत्रालयों/विभागों के केन्द्रीय स्वायत्त निकायों (सीएबी) के

लेखाओं की लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए सात विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) शामिल हैं; जैसा कि नीचे बताया गया है:

मंत्रालय का नाम	सीएबी का नाम	विषय
1. आयुष मंत्रालय	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर का कार्यकरण
2. संस्कृति मंत्रालय	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल की कार्य पद्धति
3. शिक्षा मंत्रालय	नवोदय विद्यालय समिति, नोएडा	नवोदय विद्यालय समिति, नोएडा की कार्य पद्धति
4. शिक्षा मंत्रालय	विश्व-भारती विश्वविद्यालय, शांतिनिकेतन	विश्व भारती विश्वविद्यालय में आंतरिक नियंत्रण
5. शिक्षा मंत्रालय	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पना और विनिर्माण संस्थान, कर्नूल	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पना और विनिर्माण संस्थान, कर्नूल की गतिविधियाँ
6. शिक्षा मंत्रालय	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास-मंत्रालय प्रायोजित परियोजनाएँ
7. मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय	भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड	भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड की कार्य पद्धति

1.3 विशिष्ट केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लेखाओं पर महत्वपूर्ण टिप्पणियां

शिक्षा मंत्रालय, पहले मानव संसाधन मंत्रालय, (एमएचआरडी) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सीएबी के सिवाय सभी केन्द्रीय स्वायत्त निकायों को वित्त मंत्रालय (एमओएफ) द्वारा निर्धारित लेखाओं के मानक प्रारूप में अपने वार्षिक लेखाओं को तैयार करना अपेक्षित है। शिक्षा मंत्रालय (एमओई) ने अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सभी सीएबी के लिए लेखाओं का एक अलग प्रारूप निर्धारित किया है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) के अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) तथा 20(1) के तहत विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अधीन आने वाले केन्द्रीय स्वायत्त निकायों (सीएबी) के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएआर) तैयार किये जाते हैं। वर्ष 2021-22 के लिए निर्धारित प्रारूप तथा लेखांकन के वाणिज्यिक सिद्धांतों से विचलन पर कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां जैसा कि विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत आने वाले केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लेखाओं पर एसएआर में प्रदर्शित हैं, संलग्न हैं (परिशिष्ट-1)।

अध्याय-II: आयुष मंत्रालय

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर

2.1 राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर का कार्यकरण

शीर्ष निकायों अर्थात् सोसाइटी, शासी निकाय, प्रबंधन बोर्ड एवं कॉलेज परिषद की बैठकें निर्धारित मानदंडों के अनुसार आयोजित नहीं की गई थीं। 34 सरकारी अनुसंधान परियोजनाओं में से केवल नौ पूर्ण हुई जबकि 38 निजी परियोजनाओं में से 25 उसी अवधि 2017-22 में पूरी हुई। पंचकुला (हरियाणा) में अखिल भारतीय आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के निर्माण में देरी पाई गई; मार्च 2022 तक केवल 13 प्रतिशत भौतिक प्रगति प्राप्त की गई। वित्तीय प्रबंधन में मुद्दे जैसे कि जारी किया गया अधिक अग्रिम, उपार्जित ब्याज की गैर-वसूली, कार्य के गैर-निष्पादन हेतु ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई की शुरुआत न होना, उपकरण बेकार पड़े रहना, विभिन्न भवनों के लिए एनओसी प्राप्त नहीं होना तथा अग्निशमन यंत्रों की एएमसी का गैर-निष्पादन इत्यादि भी पाए गये थे।

2.1.1 प्रस्तावना

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (एनआईए), जयपुर आयुष मंत्रालय, भारत सरकार (जीओआई) के अधीन आयुर्वेद की संवृद्धि एवं विकास को बढ़ावा देने हेतु प्रमुख संस्थान है। शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान, मरीज की देखभाल तथा स्वास्थ्य देखभाल की आयुर्वेदिक प्रणाली में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लागू करने के उच्च मानकों को विकसित करने हेतु एक आदर्श संस्थान है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की सिफारिशों के आधार पर, शिक्षा मंत्रालय {पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी)} ने एनआईए को 9 नवम्बर 2020 को एक मानित विश्वविद्यालय के रूप में अधिसूचित किया।

2.1.2 संगठनात्मक व्यवस्था

संस्थान का शीर्ष निकाय एक सोसायटी है जिसकी अध्यक्षता आयुष मंत्रालय, जीओआई के मंत्री द्वारा की जाती है। प्रबंधन बोर्ड प्रबंधन का प्रमुख अंग एवं एनआईए का शीर्ष निष्पादन निकाय है। शैक्षणिक परिषद संस्थान की शैक्षणिक गतिविधियों को प्रबंधित करता है। कुलपति (पूर्व में निदेशक) संस्थान का मुख्य कार्यकारी है तथा वह संस्थान के सम्पूर्ण प्रबंधन हेतु उत्तरदायी है। मानित विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त करने के बाद स्थायी वित्त

समिति को वित्त समिति द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। बीस विभाग, विभागों के प्रमुखों के अधीन एनआईए में कार्य कर रहे हैं जो अपने संबंधित विभागों के दिन-प्रतिदिन के कार्यकरण हेतु उत्तरदायी हैं।

2.1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) का संचालन निम्न का आकलन करने के लिए किया गया था:

- (i) कि क्या एनआईए द्वारा आयुर्वेद एवं योग की सभी शाखाओं में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं अनुसंधान गतिविधियां प्रदान करते हुए आयुर्वेद एवं योग को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी प्रयास किए गए थे,
- (ii) कि क्या पर्याप्त अवसंरचना एवं चिकित्सा सुविधाएं विकसित की गईं एवं उनका उचित उपयोग आयुर्वेद अस्पताल एवं औषधालयों द्वारा जनता के लिए पर्याप्त गुणवत्तापूर्ण सेवाओं को प्रदान करने के लिए सुनिश्चित किया गया,
- (iii) कि क्या वित्तीय प्रबंधन की प्रभावी प्रणालियां नियमों का पालन करने के लिए मौजूद थीं तथा निधियों का उपयोग मितव्ययता से, कुशलतापूर्वक एवं प्रभावी ढंग से किया गया था।

2.1.4 लेखापरीक्षा मानदंड

एनआईए, जयपुर के कार्यकरण के निर्धारण हेतु उपयोग किए गए मानदंड में शामिल था:

एनआईए दस्तावेज: संस्थापन प्रलेख, नियम-विनियम एवं उपनियम, विज्ञान दस्तावेज, कार्यनीतिक वार्षिक योजना, एनआईए की वार्षिक कार्य योजना, एनआईए में प्राधिकारियों को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन, एनआईए सेवा नियमावली, 1982, अस्पताल स्टाफ आदि के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व पर नियम पुस्तक, सूचना, आयुष मंत्रालय द्वारा जारी शिक्षा एवं संचार (आईईसी) नीति, भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक (आईपीएचएस), भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 (आईएमसीसी), (स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम) विनियम, 2010, आईएमसीसी (आयुर्वेद कॉलेज एवं संलग्न अस्पतालों की न्यूनतम मानक आवश्यकता) विनियम 2016, आईएमसीसी (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा का

न्यूनतम मानक) संशोधन विनियम, 2016 आदि, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (सीसीआईएम) द्वारा जारी अनुदेश, औषधि तथा प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा प्रासंगिक नियमावली, 1945 एवं आदेश, यूजीसी (मानित विश्वविद्यालय) नियमावली 2019, सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 तथा वस्तुओं के प्रापण हेतु नियमपुस्तक, कार्यों के प्रापण हेतु नियम पुस्तक, परामर्श एवं अन्य सेवाओं के प्रापण हेतु नियम पुस्तक।

2.1.5 लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं पद्धति

एसएससीए ने 15 जून 2022 को निदेशक, एनआईए जयपुर एवं निदेशक, सीआरए-II, कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय) अहमदाबाद, शाखा कार्यालय जयपुर, राजस्थान के साथ बैठक शुरू की जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों, क्षेत्र एवं पद्धति पर चर्चा की गई। एसएससीए जुलाई 2022 से नवम्बर 2022 तक की अवधि के दौरान संचालित किया गया। 2017-18 से 2021-22 की अवधि के लिए आयुर्वेद अस्पताल एवं औषधालयों के अभिलेखों की एसएससीए के दौरान जांच की गई। 27 अप्रैल 2023 को आयोजित निर्गम सम्मेलन में ड्राफ्ट रिपोर्ट में शामिल किए गए लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा की गई।

2.1.6 लेखापरीक्षा नमूना

एसएससीए के दौरान, 20 विभागों में से 10 तथा चार अस्पतालों में से दो का चयन अभिलेखों की नमूना जांच हेतु उच्चतर मूल्य विधि एवं 'बिना प्रतिस्थापन विधि के आकार के अनुपात में यादृच्छिक संभाव्यता (पीपीएसडब्ल्यूओआर)' का प्रयोग करते हुए लेखापरीक्षा के लिए किया गया। आपातकालीन देखभाल यूनिट, ई-हॉस्पिटल सेवा एवं 10 चयनित विभागों की सभी 72 अनुसंधान परियोजनाओं का भी चयन विस्तृत जांच हेतु किया गया। इसके अतिरिक्त, आगरा रोड जयपुर में हर्बल गार्डन एनआईए पर डेमो हर्बल गार्डन, जयपुर कैंपस तथा आरोग्य मेला/कैम्पों का भी चयन एसएससीए में नमूना जांच हेतु किया गया।

2.1.7 बजट आबंटन एवं व्यय

2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान एनआईए जयपुर के सापेक्ष में वहां बजट आबंटन एवं व्यय निम्नवत थे:

(₹ लाख में)

विवरण	वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	कुल
बजट आबंटन		9580.50	11599.50	12198	12354	19455	65187
वास्तविक व्यय		9799.50	11940.50	11833	11944	19440.58	64957.58
अंतर आधिक्य (+)/बचत (-)		(+)219	(+)342	(-)365	(-)410	(-)14.42	(-)229.42

उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए बजट आवंटन एवं व्यय के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि:

- (i) 2017-18 से 2021-22 तक की अवधि के दौरान आवंटित बजट के सापेक्ष में पिछले वित्तीय वर्ष के वास्तविक निष्पादन की समीक्षा करने के लिए परिणाम बजट तैयार नहीं किया गया था।
- (ii) एनआईए में बजट नियंत्रण रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया गया था।

अप्रैल 2023 में एनआईए ने अपने उत्तर में बताया कि (i) मांग के सापेक्ष में कम संस्वीकृत अनुदान के कारण अधिक व्यय हुआ, (ii) परिणाम बजट वित्तीय वर्ष 2023-24 से तैयार किया जाएगा तथा (iii) भौतिक बजट नियंत्रण रजिस्टर का रखरखाव वर्ष 2023-24 के लिए किया जा रहा है। आयुष मंत्रालय ने एनआईए (नवम्बर 2023) के उत्तर का समर्थन किया।

2.1.8 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

एनआईए को आयुर्वेद एवं योग गतिविधियों के सक्रिय एवं सकारात्मक संवर्धन के कारण मानित विश्वविद्यालय के दर्जे से सम्मानित किया गया है। एनआईए एनएबीएच मान्यता प्राप्त करने वाला आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन संस्थानों में से एक है तथा आज तक मूल्यांकन के क्रमिक चक्रों के माध्यम से इसको बनाए रखा है। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एनआईए मार्च 2022 में अगले 5 वर्षों के लिए अपनी शैक्षणिक उत्कृष्टता हेतु एनएएसी 'ए' ग्रेड मान्यता प्राप्त करने वाला राष्ट्रीय संस्थान है। तथापि गुणवत्ता शिक्षा एवं अनुसंधान गतिविधियों को प्रदान करते हुए आयुर्वेद एवं योग के संवर्धन

से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां पायी गयी जिसकी चर्चा अनुवर्ती पैराग्राफों में की गई है।

2.1.9 निर्धारित मानदंडों के अनुसार शीर्ष निकायों की बैठक का गैर संचालन


विभिन्न समितियों/परिषदों (शीर्ष निकायों) का गठन विभिन्न उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए किया गया जैसा कि तालिका सं. 2.1 में विवरण दिया गया है। शासी निकाय को 2021-22 में समाप्त कर दिया गया जबकि सोसाइटी एवं प्रबंधन बोर्ड का गठन 2020-21 में किया गया था।

तालिका सं. 2.1: विभिन्न समिति/परिषदों (शीर्ष निकायों) का विवरण

शीर्ष निकाय	उद्देश्य	एक वर्ष में बैठकों के मानदंड
कॉलेज परिषद	शिक्षण, अनुसंधान, प्रशिक्षण, अनुसंधान गतिविधियों का समन्वय के मानकों के रखरखाव हेतु उत्तरदायी	4
शासी निकाय	वार्षिक रिपोर्ट, बजट, व्यय, पदों का सृजन एवं सेवा शर्तों का निर्धारण, नियुक्ति का अनुमोदन	1
सोसायटी*	मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण एवं संस्थान की सम्पूर्ण कार्य प्रणाली की उपेक्षा	1
प्रबंधन बोर्ड*	शैक्षणिक, प्रशासनिक, कार्मिक एवं वित्तीय मामलों को शामिल करते हुए एनआईए के नियमों को बनाने हेतु अंतिम निर्णय लेने वाली निकाय	4

2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान विभिन्न समितियों/परिषदों की बैठक के निर्धारित मानदंडों के सापेक्ष में कमियों का विवरण चार्ट सं. 2.1 में दिया गया है:

चार्ट सं. 2.1: विभिन्न समितियों/परिषदों की बैठकों के निर्धारित मानदंडों के सापेक्ष में कमियों का विवरण



* सोसायटी एवं प्रबंधन बोर्ड नवम्बर 2020 में मानित विश्वविद्यालय माने जाने का दर्जा प्राप्त करने के बाद अस्तित्व में आए।

चार्ट एनआईए की कार्यप्रणाली में पर्यवेक्षण की कमी को उजागर करता है। पर्यवेक्षण निकाय बैठकें आयोजित करने, निगरानी में महत्वपूर्ण अंतर को इंगित करने में असफल रहा। इसके अतिरिक्त, सोसाइटी, प्रबंधन बोर्ड, शासी निकाय, कॉलेज परिषद में निर्धारित मानदंडों के अनुसार बैठकों के आयोजन में 50 से 100 प्रतिशत की कमी हुई।

एनआईए ने अप्रैल 2023 में उत्तर दिया कि बैठक विभिन्न कारणों अर्थात् सोसाइटी एवं बीओएम इत्यादि के लिए भारत सरकार द्वारा सदस्यों के नामांकन में देरी के कारण आयोजित नहीं की जा सकी। आयुष मंत्रालय ने एनआईए (नवम्बर 2023) के उत्तर का समर्थन किया कि एनआईए ने नियमित रूप से कॉलेज परिषद की बैठकें आयोजित की हैं। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि निर्धारित मानदंडों के अनुसार, कॉलेज परिषद की बैठकें केवल वर्ष 2020-21 के दौरान आयोजित की गई थीं जबकि अन्य समितियों की बैठकें निर्धारित मानदंडों के अनुसार आयोजित नहीं की गई थीं। फिर भी, तथ्य यह है कि विभिन्न बैठकें नियमित आधार पर निर्धारित मानदंडों के अनुसार आयोजित नहीं की गई थीं।

2.1.10 अनुसंधान परियोजनाओं में पर्यवेक्षण की कमी

2.1.10.1 सरकारी अनुसंधान परियोजनाओं का गैर-समापन

पूर्ण हुई अनुसंधान परियोजनाओं की संख्या राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) द्वारा संस्थान की रैंकिंग के लिए मानकों में से एक है। यह पाया गया कि एनआईए द्वारा कोई भी लक्ष्य प्रत्येक विभाग द्वारा शुरू की जाने वाली अनुसंधान परियोजनाओं के लिए संस्वीकृति निर्धारित नहीं किया गया था। फिर भी, एनआईए ने 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान चयनित 10 विभागों में 72 अनुसंधान परियोजनाओं को शुरू किया जिसमें से 34 सरकारी परियोजनाएं थीं तथा शेष 38 निजी परियोजनाएं थीं।

यह पाया गया कि 34 सरकारी परियोजनाओं में से केवल नौ 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान पूरी की जा सकी जबकि 38 निजी परियोजनाओं में से 25 उसी अवधि में पूरी की गई थीं। आगे, तीन सरकारी परियोजनाएं निर्धारित समय पर पूरी नहीं की गई थीं। कोई भी सरकारी परियोजना पांच वर्षों की सम्पूर्ण अवधि के दौरान शल्य तंत्र एवं स्वस्थवृत्त के विभागों में संस्वीकृत नहीं की गई थी। इस प्रकार, दस विभागों द्वारा केवल नौ सरकारी परियोजनाएं पिछले पांच वर्षों में पूरी की गई थीं।

एनआईए ने अप्रैल 2023 में उत्तर दिया कि तीन परियोजनाओं की पूर्णता में देरी का कारण कोविड महामारी थी जिसने सम्पूर्ण कार्य परिदृश्य को बाधित किया। एनआईए ने आश्वासन दिया कि लंबित सरकारी परियोजनाएं कम समय-सीमा के अंदर ही पूर्णतः पूरी की जाएंगी। आयुष मंत्रालय ने एनआईए (नवम्बर 2023) के उत्तर का समर्थन किया।

2.1.10.2 अनुसंधान कार्यक्रमों का गैर-मूल्यांकन

आयुष मंत्रालय ने वैज्ञानिक सलाहकार समिति¹ (एसएसी) के गठन को अनुमोदित किया (फरवरी 2019) तथा तदनुसार एनआईए ने तीन वर्षों के लिए एसएसी को गठित किया

¹ आयुष मंत्रालय ने आदेश सं. आर-13011/11/2018-एनआईए, दिनांक 07 फरवरी 2019 में, 12 सदस्यों की वैज्ञानिक सलाहकार समिति गठित करने को अनुमोदित किया। निदेशक, एनआईए इस समिति में सदस्य-सचिव होंगे।

(फरवरी 2019)। एसएसी अनुसंधान कार्यक्रमों के वैज्ञानिक मूल्यांकन हेतु उत्तरदायी है तथा अनुसंधान नीति, अनुसंधान निदेशन तथा परियोजनाओं के लिए समय-सीमा का निर्णय करना था। एसएसी को अनुसंधान के नए क्षेत्रों को परिभाषित करना था तथा नए दवा विकास कार्यक्रमों या नए उपकरणों या अनुसंधान हेतु नई तकनीकियों की सलाह देना था। इस प्रकार, एसएसी की एक सलाहकार भूमिका थी। मानदंडों के अनुसार, एसएसी को वर्ष में दो बार बैठक करना अपेक्षित था लेकिन केवल एक ही बैठक तीन वर्षों की सम्पूर्ण अवधि के दौरान जुलाई 2019 में संचालित की गई थी।

एनआईए ने अप्रैल 2023 में उत्तर दिया कि बैठकें कोविड-19 के कारण आयोजित नहीं की जा सकी तथा कोविड अवधि के दौरान कोई भी नई परियोजना शुरू नहीं की गई थी और इसलिए एसएसी बैठकें कोविड-अवधि के दौरान आयोजित नहीं की गई थीं। आगे, एसएसी के तत्कालीन अध्यक्ष का 9 जनवरी 2021 को निधन हो गया था। फिर भी, हाल ही में मानित विश्वविद्यालय के रूप में संस्थान ने 10 अप्रैल 2023 को अपना स्वयं का एसएसी गठित किया है। आयुष मंत्रालय ने एनआईए (नवम्बर 2023) के उत्तर का समर्थन किया एवं आगे बताया कि एसएसी की परियोजना मूल्यांकन या निगरानी में भूमिका नहीं होती है। एनआईए के पास अनुसंधान प्रस्तावों सहित परियोजना मूल्यांकन, निर्धारण एवं अनुमोदनों का मजबूत तंत्र है। इस उद्देश्य के लिए कई अन्य निकाय जो परियोजनाओं का नियमित रूप से मूल्यांकन एवं निगरानी करते हैं। उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि अनुसंधान कार्यक्रमों के वैज्ञानिक मूल्यांकन के अलावा एसएसी की अनुसंधान के नए क्षेत्र, नए दवा विकास, नए उपकरण, अनुसंधान के लिए नई तकनीकी, अनुसंधान नीति एवं समय सीमा को निर्दिष्ट करने के लिए एक सलाहकारी भूमिका थी।

2.1.10.3 पीजी एवं पीएच.डी. विद्वानों के लिए कार्यशालाओं का गैर संचालन

स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) ने अपनी 53^{वीं} बैठक (05 जून 2017) में सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) प्रणाली पर एनआईए में केन्द्रीय प्रयोगशाला (सीएल) को प्रचालित करने की सिफारिश की। पीपीपी का निष्पादन अन्य बातों के साथ-साथ विशेषज्ञता के आदान-प्रदान को सक्षम बनाना, अनुसंधान गतिविधियों के लिए अतिरिक्त संसाधनों को जुटाना एवं प्रयोगशाला सेवाओं के क्षेत्र एवं पैमाने को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था। एक कार्य

आदेश में कृष्णा डायग्नोस्टिक प्रा.लि., जयपुर (ठेकेदार) को 16 अगस्त 2018 को जारी किया गया था। तदनुसार पांच वर्षों के लिए ठेकेदार के साथ एक अनुबंध पर प्रारम्भिक रूप से प्रयोगशाला को परिचालित करने के लिए हस्ताक्षर किए गए (17 सितम्बर 2018)। अनुबंध के खंड 27 के अनुसार, ठेकेदार रोग निदान एवं विकृति विज्ञान विभागों के पीजी एवं पीएचडी विद्वानों के लिए वर्ष में दो बार कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए बाध्य था जिनका उद्देश्य उनकी विशेष क्षमताओं को विकसित करना था।

यह पाया गया कि ठेकेदार द्वारा कोई भी कार्यशाला आयोजित नहीं की गई थी। इस प्रकार, विद्वानों में विशेष क्षमता को विकसित करने के लिए कार्यशालाओं को आयोजित करने के उद्देश्यों में से एक मुख्य उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सका। एनआईए ने अपने उत्तर में तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया कि यहां तक कि बार-बार अनुरोध के बाद भी ठेकेदार द्वारा कोई भी कार्यशाला का आयोजन नहीं किया गया। आयुष मंत्रालय ने एनआईए (नवम्बर 2023) के उत्तर का समर्थन किया और आगे बताया कि एनआईए ने सभी बकाया की वसूली कर ली है तथा ठेकेदार की सुरक्षा राशि जब्त कर ली है।

2.1.11 अवसंरचना एवं चिकित्सा सुविधाओं की पर्याप्तता

एनआईए के पास सभी आधुनिक सुविधाओं सहित एनएबीएच मान्यता प्राप्त 280 बिस्तर वाला अस्पताल था एवं वाल्ड सिटी के मुख्य बाजार क्षेत्र में ओपीडी सुविधाओं सहित 20 बिस्तरों का एक दूसरा अस्पताल भी था। अस्पताल में उत्कृष्ट सुविधाओं के कारण एनआईए को एनएबीएच मान्यता प्रदान की गई है। लेखापरीक्षा ने पर्याप्त अवसंरचना एवं चिकित्सा सुविधाओं से संबंधित मुद्दे पाये तथा एनआईए द्वारा चलाए जा रहे आयुर्वेद अस्पताल, फार्मसी एवं औषधालयों द्वारा जनता को पर्याप्त गुणवत्ता सेवाएं प्रदान करने के लिए उनके उचित उपयोग को सुनिश्चित किया जिनकी चर्चा अनुवर्ती पैराग्राफों में की गई है।

2.1.11.1 पंचकुला में संस्थान को स्थापित करने में विलम्ब

आयुष मंत्रालय ने पंचकुला, हरियाणा में अखिल भारतीय आयुर्वेद, योग एवं न्यूरोपैथी संस्थान को एनआईए, जयपुर के एक विस्तारण संस्थान के रूप में स्थापित करने हेतु एसएफसी (मार्च 2017) के प्रस्ताव को अनुमोदित किया (अप्रैल 2017)। भूमि पट्टे के आधार पर अप्रैल

2017 में ली गई थी। एक समझौता जुलाई 2018 एनआईए, जयपुर एवं मै. डबल्यूएपीसीओएस लिमिटेड (परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) के बीच ₹270.54 करोड़ की लागत पर परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाओं एवं निर्माण हेतु निष्पादित किया गया था। अनुबंध के परिशिष्ट ए के खंड 1.2 के अनुसार, पीएमसी शीघ्रता से सभी वैधानिक अनुमोदनों एवं मंजूरीयों को प्राप्त करने के लिए बाध्य था।

पीएमसी के साथ अनुबंध (जुलाई 2018) के अनुसार, कार्य अनुबंध करार पर हस्ताक्षर होने से या अग्रिम जुटाव जारी होने जो भी बाद में है, से 24 महीने के अंदर कार्य पूरा किया जाना था। एनआईए ने अगस्त 2018 में पीएमसी को अग्रिम जुटाव जारी किया, इसलिए कार्य अगस्त 2020 तक पूरा किया जाना था।

यह अवलोकन किया गया कि कार्य की भौतिक प्रगति मार्च 2022 तक अर्थात् यहां तक कि 43 महीने समाप्त होने के बाद भी केवल 13 प्रतिशत थी। अतः, कार्य अनुबंध में निर्दिष्ट की गई समय-सीमा के अंदर कार्य पूरा नहीं गया किया था। एनआईए ने कार्य के पूरा होने में देरी के लिए ठेकेदार पर जुर्माना नहीं लगाया।

जैसा कि एनआईए द्वारा बताए गए देरी के कारणों से यह स्पष्ट है कि देरी के लिए दोनों एनआईए एवं पीएमसी; एनआईए द्वारा संकल्पना योजना के अनुमोदन में देरी तथा पीएमसी द्वारा विभिन्न अनापत्ति प्रमाण-पत्रों (एनओसी) को प्राप्त करने में चुनौतियां उत्तरदायी थीं। संकल्पना योजना 20 नवम्बर 2018 को पीएमसी द्वारा अपने प्रारंभिक प्रस्तुतीकरण के 22 महीने के बाद 14 सितम्बर 2020 को एनआईए द्वारा अनुमोदित की गई। बाद में, पीएमसी ने 17 दिसंबर 2020 को अनुमानित लागत प्रस्तुत की जो कि विचारणीय है कि इसने 16 जुलाई 2018 को अनुबंध करार पर हस्ताक्षर होने के बाद 28 महीने लिए। आगे, यह भी स्पष्ट है कि पीएमसी ने रक्षा मंत्रालय (18 जनवरी 2020) से एनओसी, हरियाणा सरकार (13 जुलाई 2021) से विद्युत एनओसी, वन मंजूरी (13 अक्टूबर 2021), पर्यावरण मंजूरी (26 नवम्बर 2021), पेड़ काटने की मंजूरी (01 दिसंबर 2021) वन्य जीव मंजूरी (04 फरवरी 2022), क्षेत्रीयकरण योजना अनुमोदन (20 अप्रैल 2022) लेने में सम्पूर्ण विलम्बों को जोड़ते हुए चुनौतियों का सामना किया। भवन योजना का अनुमोदन, अग्निशमन विभाग एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मंजूरी अभी भी प्रक्रियाधीन थीं।

एनआईए ने तथ्य को स्वीकार किया तथा अप्रैल 2023 में बताया कि परियोजना के निर्माण कार्य में हुई देरी विभिन्न वैधानिक अनुमोदनों को लेने में लगे ज्यादा समय के कारण है। एनआईए ने आगे बताया कि सभी अनुमोदन एवं वैधानिक मंजूरी प्राप्त करना ठेकेदार की जिम्मेदारी थी जो ठेकेदार ने नहीं लिए थे, इसलिए, कार्य में विलम्ब हुआ। एनआईए ने यह भी बताया कि देरी नियंत्रण से परे था। इस प्रकार, एनआईए ने कोई भी कार्रवाई शुरू नहीं की और न ही ठेकेदार/पीएमसी के विरुद्ध जुर्माना लगाए। आयुष मंत्रालय ने एनआईए (नवम्बर 2023) के उत्तर का समर्थन किया तथा आगे बताया कि परियोजना की निगरानी एनआईए के अलावा जीओआई एवं हरियाणा सरकार के विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा नियमित रूप से की जा रही है। प्राधिकारी समय-सीमा अर्थात् नवम्बर 2023 के अंदर ही परियोजना को पूरा करने के लिए अपने कठोर प्रयास कर रहे हैं।

ये विलंब दर्शाते हैं कि ऐसी परियोजनाओं के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित एवं तेज करते हुए अनुमोदन में अधिक दक्षता प्राप्त करने की आवश्यकता है।

2.1.11.2 श्रव्य-दृश्य इतिहास संग्रह/संग्रहालय परियोजना का गैर समापन

स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) ने अपनी 52वीं बैठक (09 जनवरी 2017) में ₹92.65 लाख की अनुमानित लागत पर श्रव्य-दृश्य इतिहास संग्रह/संग्रहालय को स्थापित करने के लिए मौलिक सिद्धांत विभाग द्वारा प्रस्तावित परियोजना को संस्वीकृत किया। बैठक की कार्यसूची मद सं.9 के अनुसार, प्रस्ताव को मुख्य उद्देश्य आयुर्वेद एवं संस्कृति के इतिहास के सही सार को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में उन्नत वैज्ञानिक का लाभ उठाते हुए प्रचार करना था। आगे, प्रयास आयुर्वेद के वैज्ञानिक इतिहास का विश्व का प्रथम श्रव्य-दृश्य संग्रहालय स्थापित करना था प्रस्ताव के अनुसार समापन हेतु अनुमानित समय-सीमा 36 महीने थी।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि परियोजना हेतु अवसंरचना कार्य शुरू नहीं हो सका क्योंकि अपेक्षित 6,000 वर्ग फीट क्षेत्र उपलब्ध नहीं कराया गया था। परिणामस्वरूप,

एनआईए ने जून 2018 से जनवरी 2022 तक ₹14.18 लाख² का व्यय प्रस्तावित श्रव्य-दृश्य इतिहास संग्रह/संग्रहालय हेतु अवसंरचना पर बिना कोई प्रगति के किया है। आगे, ₹3.90 लाख³ का अनियमित भुगतान संविदा के आधार पर दो लोगों को नियुक्त करने के लिए किया गया था जिसके लिए क्रमशः मई 2019 एवं जून 2019 के बाद विस्तारण नहीं पाया गया।

इस प्रकार, श्रव्य-दृश्य संग्रहालय को स्थापित करने के लिए परियोजना के उद्देश्य को यहां तक कि निर्णय लेने के 5^{1/2} वर्षों से अधिक बीत जाने के बाद भी प्राप्त नहीं किया जा सका। एनआईए ने अपने उत्तर में तथ्य को स्वीकार किया (अप्रैल 2023) कि परियोजना को स्थान की गैर-उपलब्धता के कारण लंबित रखा गया।

2.1.11.3 सेठ सूरजमल बॉम्बेवाला सरकारी आयुर्वेदिक अस्पताल (एसबीजीएच), जयपुर द्वारा सेवाएं प्रदान करने में अपर्याप्तताएं

(i) अस्पताल में आवश्यक दवाओं की गैर उपलब्धता

यह अवलोकन किया गया कि एनआईए द्वारा सूचीबद्ध 41 आवश्यक दवाओं में से 2017-18 से 2021-22 तक की अवधि में पांच दवाएं⁴ तथा 2018-19 से 2021-22 की अवधि में पांच दवाएं⁵ एसबीजीएच पर उपलब्ध नहीं थीं। इसके अतिरिक्त, एक दवा⁶ 2017-18 से 2021-22 में सिवाय 2018-19 के उपलब्ध नहीं थी। एनआईए से इन आवश्यक दवाओं की मांग के संबंध में अभिलेखों में कोई भी साक्ष्य नहीं पाया गया।

एनआईए ने उत्तर दिया (अप्रैल 2023) कि भंडार में आवश्यक दवाएं उपलब्ध नहीं थीं जबकि ये दवा वितरण कक्ष में उपलब्ध थीं। फिर भी, संस्थान ने इस तथ्य पर ध्यान दिया

² जून 2018 से जुलाई 2019 (14 महीने) की अवधि हेतु वरिष्ठ अनुसंधान छात्र को - ₹5.59 लाख एवं स्टोरकीपर सह कार्यालय लिपिक को - ₹6.31 लाख का मानदेय तथा बैकलाइट सैंडविच क्लिपान बोर्ड की खरीद हेतु ₹2.28 लाख।

³ एक व्यक्ति पर 02 जून 2019 से 31 जुलाई 2019 तक दो महीने ₹40,000 प्रतिमाह X 2 महीने=₹80,000 तथा 09 जून 2019 से 13 जनवरी 2022 (31 महीने) के लिए दूसरे व्यक्ति पर स्टोरकीपर ₹10,000 प्रतिमाह X 31 महीने= ₹3,10,000 कुल ₹3,90,000

⁴ पांच दवाएं (गुडुची चूर्ण, गोझीबाड़ी क्वाथ, रसनासप्तक क्वाथ, पुनर्वस्तक क्वाथ एवं स्फटिक)

⁵ पांच दवाएं (अमलकी चूर्ण, मुलेठी चूर्ण, ज्वारहर्ष क्वाथ, दशान संस्कार ज्वारहर कैप्सूल)

⁶ ज्वाराहरमोहरा खटाईपिस्ती

है तथा आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसी गलती या कमी नहीं छोड़ी जाएगी। आयुष मंत्रालय ने एनआईए (नवम्बर 2023) के उत्तर का समर्थन किया कि कॉविड की अवधि में दवाओं की कमी थी जब पूर्ण लॉक-डाउन था एवं फार्मसी अपनी पूर्ण क्षमता से काम नहीं कर रहे थे। हालांकि, संस्थान ने इस तथ्य को संज्ञान में लिया है तथा मरीजों को दवाएं उपलब्ध कराने के लिए हर प्रयास किए जाएंगे एवं चीजों को और सुधारेंगे।

(ii) नमूना संग्रह सुविधा प्रदान न करना

ठेकेदार⁷ के साथ अनुबंध के अनुसार, नमूना संग्रह सुविधा भी ठेकेदार द्वारा एसबीजीएच में उपलब्ध करानी थी।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि एसबीजीएच की नमूना संग्रह सुविधा सितम्बर 2018 से बंद कर दी गई थी। परिणामस्वरूप, अपकेंद्रित मशीन एवं अन्य उपकरण सितम्बर 2018 से बेकार पड़े थे। एनआईए ने इन मशीनों एवं उपकरणों की उचित उपयोगिता को सुनिश्चित नहीं किया।

एनआईए ने अप्रैल 2023 में अपने उत्तर में बताया कि (i) रक्त संग्रहण केन्द्र एसबीजीएच पर अर्थात् 29 मार्च 2023 से स्थापित किए गए थे तथा (ii) सभी अपेक्षित अभिकर्मक, साधन एवं उपकरण प्रदान किए गए हैं तथा एक प्रशिक्षित लैब टेक्नोलॉजिस्ट नमूना संग्रह हेतु नियुक्त किया गया है। तथ्य यह है कि मरीज सितम्बर 2018 से मार्च 2023 तक नमूना संग्रह सुविधा से वंचित थे।

(iii) व्यक्तिगत स्वास्थ्य अभिलेखों का गैर-डिजिटलीकरण

आईएमसीसी विनियम, 2016 में यह निर्धारित था कि अस्पताल ओपीडी एवं आईपीडी में मरीजों के अभिलेखों को बनाए रखने के लिए वेब आधारित कम्प्यूटरीकृत केन्द्रीय पंजीकरण प्रणाली को बनाए रखेगा।

आयुष मंत्रालय ने मरीजों के व्यक्तिगत स्वास्थ्य अभिलेखों के डिजिटलीकरण हेतु फरवरी 2021 में छः कम्प्यूटरों (एक मरीज पंजीकरण के लिए, चार ओपीडी के लिए एवं एक

⁷ मै. कृष्णा डायग्नोस्टिक्स प्रा. लि. पुणे

फार्मसी के लिए) के लिए एसबीजीएच हेतु बजट सहित ओपीडी एवं आईपीडी अभिलेखों के डिजिटलीकरण हेतु विशेष रूप से बजट संस्वीकृत किया।

यह पाया गया कि एनआईए द्वारा एसबीजीएच पर आज तक (मार्च 2023) कोई भी कम्प्यूटर अधिष्ठापित नहीं किया गया था। आगे, एनआईए ने मार्च एवं जुलाई 2021 में ₹26.75 लाख पर 56 कम्प्यूटर खरीदे। यह स्पष्ट है कि एसबीजीएच में कम्प्यूटरीकरण केन्द्रीय पंजीकरण प्रणाली को लागू करने में असफल हुआ जिसका परिणाम सही एवं अद्यतन पंजीकरण अभिलेखों को बनाए रखने में पचालन संबंधी अकुशलता एवं चुनौतियों में हुआ।

एनआईए ने उत्तर दिया (अप्रैल 2023) कि ओपीडी एवं आईपीडी तथा अन्य अस्पताल सेवाओं के लिए वेब-आधारित कम्प्यूटरीकृत पंजीकरण प्रणाली 2019-20 एवं 2020-21 की अवधि के दौरान कोविड-19 महामारी के कारण तथा सीपीडब्ल्यूडी द्वारा लम्बित नवीकरण कार्य के कारण शुरू नहीं की जा सकी।

आयुष मंत्रालय ने एनआईए (नवम्बर 2023) के उत्तर का समर्थन किया तथा आगे बताया कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य अभिलेखों का डिजिटलीकरण 25 अक्टूबर 2023 से प्रारम्भ किया गया है।

यह सिफारिश की जाती है कि एसबीजीएच में कम्प्यूटरीकृत केन्द्रीय पंजीकरण प्रणाली को लागू करने में असफल होने के कारणों को पहचानने के लिए जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए।

2.1.12 वित्तीय प्रबंधन से संबंधित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की चर्चा अनुवर्ती पैराग्राफ में की गई है

2.1.12.1 अधिक अग्रिम जारी करना

(i) एनआईए एवं मै. नेशनल प्रोजेक्ट कंसल्टेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनपीसीसीएल) के बीच एक अनुबंध मरम्मत, नवीकरण एवं निर्माण कार्य हेतु निष्पादित किया गया था। अनुबंध का खंड बी.1.0 में निर्धारित था कि 10 प्रतिशत/30 प्रतिशत अग्रिम अनुबंध की शर्तों के अनुसार संस्वीकृत किया जा सकता है।

यह पाया गया कि एनआईए ने मार्च 2020 में ठेकेदार को ₹730 लाख (पांच मामलों में 100 प्रतिशत तथा एक मामले में 76 प्रतिशत) के अग्रिम जारी किए। अग्रिम अनुबंध के उपरोक्त खंड के उल्लंघन में ठेकेदारों को दिए गए थे। इससे निधियां अवरूद्ध हुई हैं, परिणामस्वरूप ब्याज की हानि हुई तथा इस प्रकार ठेकेदारों को अनुचित लाभ हुआ।

एनआईए ने उत्तर दिया (अप्रैल 2023) कि संस्थान भुगतान सारणी के मानदंडों एवं निविदा शर्तों के अनुसार निर्धारित तरीको का कठोरतापूर्वक पालन करेगा। आयुष मंत्रालय ने एनआईए (नवम्बर 2023) के उत्तर का समर्थन किया कि भुगतान कॉविड संकट के कारण किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अधिक अग्रिम अनुबंध के उल्लंघन में जारी किया गया।

(ii) पैरा 2.1.12.1 में परियोजना कार्यान्वयन में देरी के लिए दिए गए विवरण के अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने पंचकुला में अखिल भारतीय आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान को स्थापित करने के कार्य में परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी) को अधिक अग्रिम जारी करने के बारे में अनियमितताओं का अवलोकन किया।

पीएमसी के साथ अनुबंध के निबंधन और शर्तों (बी.3.0) में निर्दिष्ट था कि कुल परियोजना लागत के 10 प्रतिशत का प्रारम्भिक अग्रिम भुगतान अग्रिम जुटाव के रूप में जारी किया जाना था जिसकी वसूली पीएमसी द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी) के अनुसार मासिक आधार पर की जानी थी। आगामी अग्रिम प्रारम्भिक अग्रिम की 80 प्रतिशत उपयोगिता के बाद जारी किया जाना था।

यह पाया गया था कि ₹24.68 करोड़ (अगस्त 2018 में ₹19.00 करोड़ तथा सितम्बर 2018 में ₹5.68 करोड़) का अग्रिम पीएमसी को जारी किया गया था। पीएमसी ने सितम्बर 2021 तक केवल ₹10.68 करोड़ (43 प्रतिशत) का उपयोग किया था। चूंकि पीएमसी ने प्रारम्भिक अग्रिम के 80 प्रतिशत का उपयोग नहीं किया था इसलिए ठेकेदार को कोई भी अनुवर्ती अग्रिम जारी नहीं किया जाना था। फिर भी, एनआईए ने निदेशक (एनआईए) के अनुमोदन से ठेकेदार को ₹62.17 करोड़ का अतिरिक्त अग्रिम जारी किया। इस प्रकार, अनुवर्ती अग्रिम जारी करना अनुबंध के उल्लंघन में था।

एनआईए ने उत्तर दिया (अप्रैल 2023) कि आशय-पत्र (एलओआई) के जारी होने एवं मै. डब्ल्यूएपीसीओएस लिमिटेड की मांग के बाद, निबंधन और शर्तों के अनुसार ₹62.17 करोड़ का भुगतान जारी किया गया। आयुष मंत्रालय ने एनआईए (नवम्बर 2023) के उत्तर का समर्थन किया तथा आगे बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए मुद्दों के बाद कोई भुगतान नहीं किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अधिक अग्रिम अनुबंध के उल्लंघन में जारी किया गया था।

(iii) सीपीडब्ल्यूडी निर्माण कार्य नियम पुस्तक 2014 के खंड 3.4(2) यह अनिवार्य करता है कि कार्य की अनुमानित लागत का अधिकतम 33.33 प्रतिशत का भुगतान कार्य देने से पहले अग्रिम के रूप में किया जा सकता है।

यह पाया गया कि निदेशक (एनआईए) के अनुमोदन सहित एनआईए ने 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान 40 निर्माण कार्य हेतु सीपीडब्ल्यूडी को अग्रिम के रूप में ₹16.12 करोड़ की अनुमानित लागत का 100 प्रतिशत का भुगतान किया। परंतु उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार, ₹5.37 करोड़ की अनुमानित लागत का 33.33 प्रतिशत सीपीडब्ल्यूडी को अदा किया जाना अपेक्षित था। इसका परिणाम सीपीडब्ल्यूडी निर्माण कार्य नियम पुस्तक के खंड 3.4(2) के उल्लंघन में सीपीडब्ल्यूडी को ₹10.75 करोड़ के अधिक अग्रिम भुगतान में हुआ।

एनआईए ने अप्रैल 2023 में अपने उत्तर में बताया कि संस्थान मानदंड और निविदा शर्त के अनुसार भुगतान की निर्धारित सारणी का अब कठोरता से पालन कर रहा है। आयुष मंत्रालय ने एनआईए (नवम्बर 2023) के उत्तर का समर्थन किया।

2.1.12.2 परियोजना निधियों पर अर्जित ब्याज की वसूली नहीं की गई

अनुबंध के निबंधन और शर्त बी.3.0 (सी) (iv) के अनुसार, परियोजना निधियों पर अर्जित कोई भी ब्याज आयुष मंत्रालय की सम्पत्ति होगा। परियोजना निधियों पर अर्जित ब्याज पर एनआईए और पीएमसी का कोई भी ग्रहणाधिकार नहीं होगा।

यह पाया गया कि परियोजना निधियों पर अर्जित ₹2.42 करोड़ (दिसंबर 2020 तक) का ब्याज मै. डब्ल्यूएपीसीओएस द्वारा आरटीजीएस के माध्यम से अक्टूबर 2022 में जमा किया गया था। यद्यपि, जनवरी 2021 से मार्च 2023 तक परियोजना निधियों पर अर्जित ब्याज मै. डब्ल्यूएपीसीओएस द्वारा एनआईए को वापस नहीं किया गया था। वैसे ही परियोजना निधियों पर ब्याज मै. एनपीसीसीएल द्वारा एनआईए को भी वापस नहीं किया गया था। पीएमसी से उपरोक्त की वसूली करने के लिए एनआईए द्वारा की गई कार्रवाई अभिलेख में नहीं पाई गई थी।

एनआईए ने अप्रैल 2023 में उत्तर दिया कि अर्जित ब्याज की स्थिति उत्पन्न करने एवं पीएमसी से ब्याज की वसूली करने के लिए पत्राचार किया जा रहा है। आयुष मंत्रालय ने एनआईए (नवम्बर 2023) के उत्तर का समर्थन किया और आगे बताया कि ₹4.92 करोड़⁸ एवं ₹1.70 करोड़ के ब्याज की वसूली डब्ल्यूएपीसीओएस एवं मै. एनपीसीसीएल से की गई है। तथ्य यह है कि इंगित किए जाने पर, नवम्बर 2023 में ब्याज की वसूली डब्ल्यूएवीसीओएस एवं मै. एनपीसीसीएल से की गयी है।

2.1.12.3 एसएफसी की सिफारिश के उल्लंघन में कार्य का आवंटन एवं कार्य के गैर-निष्पादन हेतु ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई शुरू न करना

एसएफसी ने अपनी 53^{वीं} बैठक (05 जून 2017) में प्रारम्भिक रूप से दो वर्ष के लिए पीपीपी पद्धति में केन्द्रीय प्रयोगशाला (सीएल) प्रचालित करने की सिफारिश की थी। आगे, प्रयोगशाला सेवाओं की गुणवत्ता को सुधारने के लिए मरीज की देखभाल के उद्देश्य सहित उनकी सफलता पर विस्तारण दिया जा सकता है।

ठेकेदार के साथ एक अनुबंध पर (सितम्बर 2018) हस्ताक्षर प्रारम्भिक रूप से पांच वर्ष के लिए सीएल प्रचालित करने के लिए किए गए। इस समझौते ने आगे ठेकेदार को कार्यशालाएं आयोजित करने एवं एसबीजीएच में एक नमूना संग्रह सुविधा स्थापित करने के लिए बाध्य किया, जिसका उल्लंघन पैरा 2.1.11 में बताए गए हैं।

⁸ ₹2.50 करोड़ ब्याज (जनवरी 2021 से मार्च 2023 तक परियोजना निधियों पर अर्जित ब्याज) की वसूली नवम्बर 2023 में डब्ल्यूएपीसीओएस से की गई।

आगे यह पाया गया कि:

(i) एसएफसी की सिफारिश के उल्लंघन में पांच वर्ष के लिए ठेका दिया गया

एसएफसी ने अपनी 53^{वीं} बैठक में प्रारंभिक रूप से दो वर्ष के लिए पीपीपी पद्धति में केन्द्रीय प्रयोगशाला (सीएल) को प्रचालित करने एवं मरीज की देखभाल में सफल होने पर आगे विस्तार योग्य आकस्मिकता तथा एनएबीएल प्रमाणीकरण प्राप्त करने की सिफारिश की। तथापि, यह अवलोकन किया गया कि कार्य आदेश पांच वर्ष के लिए ठेकेदार को जारी किया गया था। इस प्रकार, एसएफसी की सिफारिश का पालन नहीं किया गया था।

एनआई ने अप्रैल 2023 में अपने उत्तर में बताया कि पीपीपी हेतु अनुबंध का दो वर्ष का कार्यकाल जैसा कि एसएफसी द्वारा संस्वीकृत था, अपर्याप्त एवं अव्यवहारिक प्रतीत हो रहा था क्योंकि प्रयोगशाला को स्थापित करने में पूंजीगत निवेश की बढ़ी राशि शामिल है। विभाग ने सिफारिश की कि आगे पांच वर्ष के लिए विस्तारण खंड सहित पांच वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इस संबंध में लिए गए एसएफसी के औपचारिक अनुमोदन पर कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं था। आयुष मंत्रालय ने एनआईए (नवम्बर 2023) के उत्तर का समर्थन किया कि एनआईए को विश्वविद्यालय माना जाने वाले दर्जा प्राप्त हुआ एवं एसएफए गैर-कार्यात्मक बना, इसलिए एसएफसी का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जा सका। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि एसएफसी ठेकेदार को कार्य आदेश (अगस्त 2018) देते समय कार्यात्मक था। वित्त समिति ने पांच वर्षों के लिए पीपीपी मॉडल पर सीएल को परिचालित करने के लिए कार्योत्तर अनुमोदन (नवम्बर 2023) दिया है।

(ii) ठेके पर केन्द्रीय प्रयोगशाला के परिचालन के कारण उपकरण का व्यर्थ होना

यह पाया गया कि सीएल में ₹62.77 लाख के 24 उपकरण पीपीपी पद्धति पर ठेकेदार को सौंपने से पहले कार्यात्मक थे। नमूना संग्रह प्रचालन के बंद होने के बाद (सितम्बर 2018) ये उपकरण तब से रोग निदान एवं विकृति विज्ञान विभाग में निष्क्रिय पड़े थे। एनआईए ने पीपीपी अनुबंध करने से पहले इसके साथ पहले से पड़े उपकरण के उपयोग को सुनिश्चित नहीं किया।

एनआईए ने अप्रैल 2023 में अपने उत्तर में बताया कि उपकरण का उपयोग प्रदर्शन एवं छात्रों के शिक्षण के लिए किया जा रहा था। स्थान की कमी एवं प्लेटफार्म पर जमाव को रोकने के कारण ये उपकरण/यंत्र भंडार में अपने निर्दिष्ट स्थानों पर रखे गए हैं। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि ये उपकरण केवल प्रशिक्षण के उद्देश्य से नहीं सीएल में उपयोग हेतु प्रापण किए गए थे। आयुष मंत्रालय ने एनआईए (नवम्बर 2023) के उत्तर का समर्थन किया तथा आगे बताया कि उपकरण पुराने थे तथा सीएल के लिए अधिक उपयुक्त नहीं थे। इसलिए इन उपकरणों का उपयोग प्रदर्शन एवं छात्रों के व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु किया जा रहा है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि उपकरण ठेकेदार को सौंपे जाने से पहले सीएल में कार्यात्मक थे। आगे, पुराने उपकरण के साथ प्रदर्शन एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण शिक्षा एवं अनुसंधान गतिविधियों की प्रभावशीलता को सीधे प्रभावित कर सकता है।

2.1.13 अन्य कमियां

2.1.13.1 अग्निशमन एनओसी की गैर-प्राप्ति एवं अग्निशमन प्रणाली की एएमसी का गैर-निष्पादन

एनआईए ने एनआईए⁹ के विभिन्न भवनों में अग्निशमन प्रणाली के अधिष्ठापन पर ₹76.63 लाख का व्यय किया, फिर भी, अग्निशमन उपकरण का वार्षिक रखरखाव करार (एएमसी) का निष्पादन एनआईए द्वारा अपर्याप्त रखरखाव इंगित करते हुए नहीं किया गया। आगे, एनआईए ने बालिका हॉस्टल, हॉस्पिटल एवं पुस्तकालय के लिए अग्निशमन एनओसी प्राप्त की है लेकिन शेष भवनों अर्थात् स्वामी लक्ष्मी राम हॉस्टल, नागार्जुन हॉस्टल, अग्निशमन पीजी हॉस्टल, शैक्षणिक ब्लॉक, द्रव्यगुण एवं पंचकर्म विभाग से अग्निशमन एनओसी नहीं प्राप्त की थी।

एनआईए ने अपने उत्तर (अप्रैल 2023) में तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया कि संस्थान का अग्निशमन उपकरण की एएमसी का निष्पादन नहीं किया गया था। हालांकि, आयुष मंत्रालय ने अपने उत्तर (नवम्बर 2023) में बताया कि एनआईए ने अग्निशमन प्रणाली के रखरखाव के लिए तीन प्रशिक्षित अग्निशमन व्यक्तियों को तैनात किया है एवं अग्निशमन

⁹ एनआईए कैम्पस में प्रशासनिक ब्लॉक, शैक्षणिक ब्लॉक, विभाग, हॉस्टल, एनआईए कैम्पस हॉस्पिटल, फार्मसी, पुस्तकालय, केन्द्रीय स्टोर आदि शामिल है।

एनओसी प्राप्त करने की प्रक्रिया सक्रिय प्रगति में है और चरणबद्ध ढंग से यथाशीघ्र पूरी की जाएगी।

उत्तर से यह स्पष्ट है कि आवश्यक अग्निशमन एनओसी प्राप्त करने में असफल हुए जिसका परिणाम सांविधिक एवं नगरपालिका विनियमों के गैर-अनुपालन में हुआ।

2.1.13.2 एनआईए में अतिरिक्त गैर-शिक्षण स्टाफ

एनआईए द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान गैर-शिक्षण स्टाफ की संस्वीकृति संख्या के सापेक्ष में कार्यरत कार्मिक का विवरण तालिका सं. 2.3 में दर्शाया गया है:

तालिका सं. 2.3: गैर-शिक्षण स्टाफ की संस्वीकृति संख्या के सापेक्ष में कार्यरत कार्मिक

वर्ष	संस्वीकृत	कार्यरत		कुल कार्यरत	अतिरिक्त	प्रतिशतता
		नियमित	संविदात्मक			
2017-18	284	171	183	354	70	25
2018-19	284	166	186	352	68	24
2019-20	284	188	182	370	86	30
2020-21	284	175	183	358	74	26
2021-22	284	197	197	394	110	39

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि आयुष मंत्रालय द्वारा संस्वीकृत 284 पदों के सापेक्ष में औसतन 29 प्रतिशत अतिरिक्त गैर-शिक्षण स्टाफ 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान एनआईए में काम कर रहे थे। आगे, 50 प्रतिशत से अधिक स्टाफ संविदात्मक आधार पर तैनात किया गए थे। इस प्रकार, सक्षम प्राधिकारी से अतिरिक्त स्टाफ का अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता है।

एनआईए ने अप्रैल 2023 में उत्तर दिया कि नियमित संस्वीकृत नियुक्ति पदों एवं उससे संबंधित स्टाफ बढ़े हुए कार्यभार तथा संस्थान में फैली हुई गतिविधियों के क्षेत्र को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये सभी गतिविधियां, शैक्षणिक, शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान, मरीज देखभाल, अस्पताल सेवाएं आदि को नियमित स्टाफ को प्रबंधित नहीं कर सकता है। इसलिए,

जब भी आवश्यक हो, संविदात्मक एवं बाहरी स्रोत के आधार पर स्टाफ को नियुक्त एवं तैनात किया जाना अपेक्षित है। इसलिए, स्थायी/नियमित प्रकृति के पदों से भिन्न, उनकी तैनाती हेतु कोई विशिष्ट सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है तथा एनआईए के निर्णय लेने वाले निकाय जैसे संस्थान के शासी निकाय/सोसाइटी/वित्त समिति संविदात्मक या बाहरी स्रोत के आधार पर कार्मिकों की ऐसी नियुक्ति को अनुमोदित करने के लिए पर्याप्त हैं। आगे संविदा आधार पर पदों को भरने के पूर्व एसएफसी एवं शासी निकाय के अनुमोदन प्राप्त किए गए थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बढे हुए कार्यभार को पूरा करने के लिए संस्वीकृत संख्या को बढ़ाने का अनुमोदन मंत्रालय से प्राप्त किया जाना अपेक्षित था। आगे, एसएफसी एवं शासी निकाय अनुमोदन हेतु सक्षम नहीं थे। एनआईए के नियम एवं विनियम सं. 4.4.6 के अनुसार, अतिरिक्त स्टाफ हेतु संस्वीकृति आयुष मंत्रालय से लेने की आवश्यकता है। यह आवश्यकता इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि आयुष मंत्रालय अनुमोदन एनआईए पंचकुला में स्थापित होने वाले नए सैटिलाइट संस्थान के लिए फरवरी 2022 में नियमित स्टाफ के लिए 78 पदों तथा संविदात्मक स्टाफ के लिए 87 पदों के लिए मांगा गया तथा प्राप्त हुआ। आयुष मंत्रालय ने एनआईए (नवम्बर 2023) के उत्तर का समर्थन किया और आगे बताया कि एनआईए ने व्यपगत पदों के पुनः प्रवर्तन एवं विभिन्न स्तरों के नए पदों के सृजन हेतु प्रस्ताव भेजा है।

2.1.14 निष्कर्ष

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (एनआईए), जयपुर शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान, मरीजों की देखभाल के उच्च मानकों को विकसित करने तथा स्वास्थ्य देखभाल की आयुर्वेद प्रणाली के ज्ञान के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण लागू करने के लिए एक मॉडल संस्थान के रूप में आयुर्वेद की वृद्धि एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए एक शीर्ष स्वायत्त संस्थान।

समितियों/परिषदों की बैठकें निर्धारित मानदंडों के अनुसार आयोजित नहीं की जा रही थीं। 10 विभागों द्वारा केवल नौ सरकारी अनुसंधान परियोजनाएं पांच वर्षों के दौरान पूरी की गई थीं जबकि 38 निजी परियोजनाओं में से 25 उसी अवधि में पूरी की गई थीं।

पंचकुला में संस्थान को स्थापित करने के कार्य की भौतिक प्रगति मार्च 2022 तक अर्थात् 24 महीने में पूरा किए जाने के सापेक्ष में यहां तक कि 43 महीने बीत जाने के बाद भी केवल 13 प्रतिशत थी। श्रव्य-दृश्य इतिहास संग्रह/संग्रहालय परियोजना यहाँ तक कि साढ़े-पाँच वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी पूरी नहीं हुई। अवसंरचना एवं चिकित्सा सुविधाएं एनआईए के अस्पतालों एवं फार्मेशियों में पर्याप्त रूप से विकसित नहीं की गई थीं।

आवश्यक दवा उपलब्ध कराने में कमियां थी जैसा कि आयुष मंत्रालय के दिशा-निर्देशों में परिकल्पित है आगे, एसबीजीएच की नमूना संग्रह सुविधा सितम्बर 2018 से बंद कर दी गई थी।

वित्तीय प्रबंधन में कमियां पाई गई थी जिसमें ठेकेदारों को अधिक अग्रिम दिए गए। ठेके पर केन्द्रीय प्रयोगशाला के प्रचालन के कारण उपकरण बेकार पड़े रहे। अग्नि शमन उपकरण की एएमसी निष्पादित नहीं की गई थी तथा विभिन्न भवनों की एनओसी प्राप्त नहीं की गई थी।

2.1.15 सिफारिशें

- *समितियों/परिषदों की बैठकें निर्धारित मानदंडों के अनुसार आयोजित की जानी चाहिए क्योंकि ये आयुर्वेद एवं योग को बढ़ावा देने के लिए निर्णय लेने हेतु शीर्ष निकाय थे।*
- *सरकारी अनुसंधान परियोजनाएं समय में पूरी की जानी चाहिए क्योंकि इन सभी से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं अनुसंधान गतिविधियां प्रदान करने में योगदान की अपेक्षा की गई थी।*
- *परियोजना कार्य समय में पूरा किया जाना चाहिए तथा एनआईए अस्पताल, एसबीजीएच एवं फार्मसी में निर्धारित मानदंडों के सापेक्ष में पाई गई विसंगतियों को सुधारना चाहिए। एनआईए को स्वास्थ्य देखभाल जरूरतों को जैसा कि आयुष मंत्रालय के दिशा-निर्देशों में परिकल्पित है, पूरा करने के लिए आवश्यक दवाएं प्रदान करनी चाहिए।*
- *वित्तीय प्रबंधन में कमियां जैसे कि 100 प्रतिशत अग्रिम देना, उपार्जित ब्याज की गैर-वसूली करना, अधिक अग्रिम जारी करना, के लिए जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। आगे, वित्तीय प्रबंधन की प्रणालियों में भी सुधार किया जाना चाहिए।*

अध्याय III: संस्कृति मंत्रालय

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल

3.1 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय (आईजीआरएमएस) भोपाल की कार्य पद्धति

आईजीआरएमएस ने अपनी पूर्ण क्षमता से कार्यक्रमों और गतिविधियों से संबंधित लक्ष्यों को हासिल नहीं किया। इसकी इंडोर दीर्घाओं का रखरखाव अच्छी स्थिति में नहीं था क्योंकि उनमें सीलन, काई, दरारें, रैंप आदि थे। आगे, 35 गतिविधियों में लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी थी जबकि इन गतिविधियों में निधियों का पूर्ण उपयोग किया गया था। संग्रहालय ने प्रापण की गई केवल 26 प्रतिशत वस्तुओं को प्रदर्शित किया तथा शेष वस्तुएं व्यर्थ पड़ी थी। पांच वर्षों के दौरान मंत्रालय के साथ कोई संयुक्त समीक्षा नहीं की गई थी तथा कोई बाह्य या आंतरिक पीयर समीक्षा नहीं की गई थी। स्टाफ की कमी थी क्योंकि सभी संवर्गों में 118 पदों की कुल संस्वीकृत संख्या में से 36 पद (30.51 प्रतिशत) रिक्त थे जिसमें वर्ग ए संवर्ग में पांच रिक्ति (100 प्रतिशत) शामिल थीं।

3.1.1 प्रस्तावना

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय (आईजीआरएमएस/राष्ट्रीय मानव जाति संग्रहालय), संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन, ने मार्च 1977 से नई दिल्ली में संस्कृति विभाग के एक 'अधीनस्थ कार्यालय' के रूप में कार्य करना प्रारम्भ किया। 1979 की शुरुआत तक स्थापना को मध्य प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा 200-एकड़ के परिसर के आबंटन पर भोपाल में स्थानांतरित किया गया था। संग्रहालय के दर्जे को मार्च 1985 में 'अधीनस्थ कार्यालय' से एक स्वायत्त संगठन में परिवर्तित कर दिया गया था तथा 'राष्ट्रीय मानव संग्रहालय समिति' को संग्रहालय के कार्यक्रमों तथा गतिविधियों को नियंत्रित तथा निगरानी करने का कार्य सौंपा गया था।

आईजीआरएमएस के मुख्य लक्ष्य एवं उद्देश्य इंडोर एवं आउटडोर प्रदर्शनियों का आयोजन करते हुए भारत के विशेष संदर्भ में मानव एवं संस्कृति के विकास की एक एकीकृत कहानी प्रस्तुत करना तथा भारत में सांस्कृतिक स्वरूप की समृद्धि तथा विविधता तथा राष्ट्रीय एकीकरण को प्रोत्साहित करने हेतु इसकी अंतर्निहित एकता को उजागर करना है। 2017-18 से 2021-22 तक की अवधि को शामिल करते हुए सितंबर से नवम्बर 2022 के दौरान सीएजी (डीपीसी) के

अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के तहत आईजीआरएमएस के कार्यकरण की लेखापरीक्षा संचालित की गई थी।


3.1.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.1.2.1 वेतन, प्रशासनिक तथा संग्रहालय में गतिविधियों पर व्यय पर बजट आबंटन

संग्रहालय तथा संस्कृति मंत्रालय (एमओसी) के बीच प्रत्येक वर्ष एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया जाता है। एमओयू की मुख्यतः तीन श्रेणियां अर्थात् वेतन, प्रशासनिक एवं पेंशन सहित सामान्य निधि तथा संग्रहालय (सामान्य, टीएसपी (जनजातीय उप योजना) एवं एनई (पूर्वोत्तर) की गतिविधियां हैं। वर्ष 2017-18 से 2021-22 के लिए बजट का वर्ष-वार आबंटन चार्ट सं. 3.1 में दर्शाया गया है:

चार्ट सं. 3.1: वर्ष 2017-18 से 2021-22 के लिए बजट का वर्ष-वार आबंटन

(₹ करोड़ में)



अभिलेखों की संवीक्षा तथा सूचना से प्रकट हुआ कि

- 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान आबंटित बजट का मुख्य हिस्सा वेतन तथा प्रशासनिक खर्चों के लिए था। 2017-18 से 2021-22 के दौरान एमओयू में पूरा की जाने वाली लक्षित गतिविधियों हेतु आबंटित निधियों की प्रतिशतता **2.71 प्रतिशत** से **29.18 प्रतिशत** के बीच रही तथा वेतन एवं प्रशासनिक खर्च हेतु **67.38 प्रतिशत** से **94.36 प्रतिशत** के बीच थी। आगे, यह पाया गया था कि 2020-21 से 2021-22 की

अवधि के दौरान गतिविधियों हेतु आबंटित निधि ने घटती प्रवृत्ति दिखाई और 2020-21 से 2021-22 की अवधि के दौरान प्रशासनिक खर्च हेतु आबंटित निधि ने बढ़ती प्रवृत्ति दिखाई। (अनुलग्नक-3.1)

3.1.2.2 मांगे गए सहायता अनुदान के संशोधित अनुमान की तुलना में किए गए व्यय की स्थिति

अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान

➤ वेतन एवं भत्तों में

- संशोधित अनुमान ₹8.00 करोड़ से ₹9.00 करोड़ है,
- जारी अनुदान ₹7.69 करोड़ से ₹8.26 करोड़ है,
- किया गया व्यय ₹6.70 करोड़ से ₹7.77 करोड़ है।

यह देखा गया है कि सभी वर्षों में व्यय जारी किए गए कुल अनुदान से कम है इसलिए प्रत्येक वर्ष के अंत में अप्रयुक्त अनुदान है। (अनुलग्नक-3.2)

➤ सामान्य खर्चों में

- संशोधित अनुमान ₹7.50 करोड़ से ₹13.00 करोड़ है,
- जारी अनुदान ₹5.00 करोड़ से ₹9.00 करोड़ है,
- किया गया व्यय ₹5.00 करोड़ से ₹9.00 करोड़ है।

यह देखा गया है कि सभी वर्षों में व्यय आबंटित अनुदान के समान है। (अनुलग्नक-3.2)

➤ योजनाओं/कार्यक्रमों/गतिविधियों में

- संशोधित अनुमान ₹0.02 करोड़ से ₹7.15 करोड़ है,
- जारी अनुदान ₹0.01 करोड़ से ₹4.93 करोड़ है,
- किया गया व्यय ₹0.01 करोड़ से ₹4.90 करोड़ है।

यह देखा गया है कि सभी वर्षों में व्यय लगभग आबंटित अनुदान के समान है। (अनुलग्नक-3.2)

3.1.2.3 संग्रहालय/दीर्घाएं तथा उपकरण का गैर-अनुरक्षण

ए) वीथी संकुल की इंडोर संग्रहालय/दीर्घाएं

वीथी संकुल/आईजीआरएमएस का इंडोर संग्रहालय- एक गुंबद आकार की वास्तुकला में स्थापित, में मानव संस्कृति के अलग-अलग पहलू को प्रदर्शित करती 12 दीर्घाएं हैं जो आदिवासी एवं ग्रामीण भारत के समृद्ध एवं विविध सांस्कृतिक स्वरूपों को अंकित करती हैं।

लेखापरीक्षा दल तथा संग्रहालय के प्रतिनिधियों द्वारा वीथी संकुल की 12 दीर्घाओं का एक संयुक्त दौरा किया गया था। निम्नलिखित कमियां पाई गई थी:

- संग्रहालयों, दीर्घाओं के भीतर तथा आगंतुक सुविधाओं तक सरल पहुंच को सुनिश्चित करने की दृष्टि से दिव्यांगजन हेतु प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है। यह पाया गया है कि 12 दीर्घाओं में से पांच दीर्घाओं (जी. सं. 3, 4, 5, 6 एवं 7) में दिव्यांगजन हेतु रैम्प उपलब्ध नहीं था। यह चार दीर्घाओं (जी. सं. 8, 9, 10 तथा 11) में आंशिक रूप से उपलब्ध था जो किसी काम का नहीं था क्योंकि वहां कनेक्टिंग रैम्प नहीं था तथा किसी भी दिव्यांगजन द्वारा उसका उपयोग नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार, इन आंशिक रैम्पों के निर्माण पर किया गया व्यय निष्फल था क्योंकि रैम्पों का उपयोग नहीं किया जा सका।




दिव्यांगजन हेतु रैम्प की कमी

- 12 दीर्घाओं में से, दस दीर्घाओं (जी. सं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 एवं 12) में कई जगहों पर भारी सीलन पाई गई थी जो दीर्घाओं/प्रदर्शित वस्तुओं के समग्र सौन्दर्यात्मक आकर्षण को खराब कर रही है। एक दीर्घा (जी. सं. 4), में भारी सीलन के कारण काई

देखी गई थी जिसकी तुरंत मरम्मत की आवश्यकता है अन्यथा यह प्रदर्शित वस्तुओं को खराब कर सकती है।



सीलन



दीवारों पर काई

- 12 दीर्घाओं में से, नौ दीर्घाओं (जी. सं. 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 तथा 12) में प्रदर्शित वस्तुओं आदि के विवरणों को दृष्टि बाधित व्यक्तियों हेतु ब्रेल लिपि में नहीं लिखा गया था।
- दो दीर्घाओं (जी. सं. 2 तथा 12) में उपलब्ध डिस्प्ले स्क्रीन चालू हालत में ही नहीं थी।
- कई स्थानों पर हालांकि प्रोजेक्टर लगाए गए हैं लेकिन वे चालू हालत में नहीं थे।



खराब डिस्प्ले स्क्रीन



खराब प्रोजेक्टर

- वस्तुओं/नमूनों/नृवंशविज्ञान को सही प्रकार से देखने के लिए लगभग सभी दीर्घाओं में फोकस लाइटें उपलब्ध हैं परंतु उनमें से कोई भी चालू हालत में नहीं थी।
- आगंतुकों की गतिविधियों पर निगरानी रखने तथा अमूल्य वस्तुओं/नमूने की सुरक्षा हेतु सभी 12 दीर्घाओं में लगाए गए सुरक्षा उपकरण ठीक से कार्य नहीं कर रहे थे। साथ ही नियंत्रण इकाई भी वीथी संकुल में उपलब्ध नहीं थी।

संग्रहालय ने अपने उत्तर (मार्च 2023) में बताया कि लेखापरीक्षा की अभ्युक्ति को दर्ज कर लिया गया था तथा निधि एवं स्थान की उपलब्धता के अनुसार प्रयास किए जा रहे थे।

उत्तर से यह स्पष्ट है कि सुरक्षा उपकरण सहित संग्रहालय के अनुरक्षण में सुधार की आवश्यकता है।

3.1.2.4 आईजीआरएमएस तथा एमओसी के बीच एमओयू के प्रावधान का गैर अनुपालन

संग्रहालय तथा एमओसी के बीच वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एमओयू के निम्नलिखित प्रावधान हैं:

- (i) इन वर्षों के दौरान निर्गत सहायता अनुदान, मुख्य निष्पादन संकेतकों के संदर्भ में सेवा सुपुर्दगी में परिमेय सुधार दर्शाने की आईजीआरएमएस की क्षमता तथा लक्ष्यों की प्राप्ति, जैसे एमओयू के निर्धारित अनुलग्नक में शामिल किए गए हैं, पर निर्भर होगा।
- (ii) 2017-18 एवं 2018-19 के एमओयू में यह उल्लेखित है कि आईजीआरएमएस तथा एमओसी को वित्तीय वर्ष के अंत में एक संयुक्त समीक्षा करनी थी। अनुवर्ती वित्तीय वर्ष में आईजीआरएमएस को प्रदान किए जाने वाले वित्त पोषण अनुदान इन संयुक्त समीक्षाओं के परिणाम पर निर्भर होंगे।
- (iii) भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धि के संबंध में मासिक रिपोर्ट को निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना है।
- (iv) संग्रहालय के आकार पर निर्भर होते हुए प्रत्येक तीन वर्ष अथवा पांच वर्ष में आईजीआरएमएस की बाह्य या आंतरिक पीयर समीक्षा, की एक प्रणाली होनी चाहिए।
- (v) प्रत्येक दो वर्ष में प्रतिष्ठित संस्थान (जैसे एएनएसआई) द्वारा संग्रहालय की गतिविधियों की एक निष्पादन लेखापरीक्षा की जानी चाहिए।

अभिलेखों तथा सूचना की संवीक्षा ने प्रकट किया कि:

- (i) वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के लिए ऐसी कोई संयुक्त समीक्षा नहीं की गई थी तथा संग्रहालय को अनुवर्ती वर्षों में समीक्षा संचालित किए बिना अनुदान निर्गत किया गया था।

- (ii) संग्रहालय ने निर्धारित प्रारूप में भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धि के संबंध में मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी। तथापि, मासिक गतिविधि रिपोर्ट तथा मासिक व्यय स्थिति रिपोर्ट मंत्रालय को प्रस्तुत की गई थी।
- (iii) प्रत्येक तीन वर्षों या पांच वर्षों में आईजीआरएमएस की बाह्य या आंतरिक पीयर समीक्षा नहीं की गई थी जैसा एमओयू के प्रावधानों में निर्धारित है।
- (iv) प्रत्येक दो वर्षों में प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा आईजीआरएमएस की गतिविधियों की कोई निष्पादन लेखापरीक्षा संचालित नहीं की गई थी।

संग्रहालय ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2022) में अभ्युक्ति को स्वीकार किया तथा बताया कि इसे भविष्य के लिए दर्ज कर लिया गया था। आगे, संग्रहालय ने बताया (मार्च 2023) कि सभी कार्य जैसे कि कार्यक्रम एवं गतिविधियां, उपलब्धि आदि बैठक के समय कार्यकारी परिषद तथा आरएमएस समिति को सूचित किए गए थे। इसे समय-समय पर एमओसी को भी सूचित किया गया था। संग्रहालय ने अपने उत्तर में यह स्वीकार भी किया कि पीयर समीक्षा तथा निष्पादन लेखापरीक्षा भविष्य में की जाएगी।

संग्रहालय ने अपने उत्तर में अभ्युक्तियों को भविष्य में अनुपालन हेतु स्वीकार किया है।

3.1.2.5 संग्रहालय में श्रमशक्ति प्रबंधन तथा क्षमता निर्माण

ए) संग्रहालय में रिक्तियां

आईजीआरएमएस के संघ के ज्ञापन की बिंदु सं. 33 के अनुसार, कार्यकारी परिषद या कोई व्यक्ति या निकाय, जिसको कार्यकारी परिषद इस संबंध में प्राधिकृत करें, उनको समिति के कार्यों को करने के लिए अधिकारियों तथा स्टाफ की सभी श्रेणियों को नियुक्त करने, बजट प्रावधान के अधीन उनके पारिश्रमिक की राशि निर्धारित करने तथा उनके कर्तव्यों को परिभाषित करने का अधिकार होना चाहिए।

संग्रहालय में विभिन्न संवर्गों में मौजूदा संस्वीकृत कार्मिक संख्या की तुलना में तैनात कार्मिकों की समग्र स्थिति से संबंधित अभिलेखों तथा सूचना की संवीक्षा ने प्रकट किया कि संस्वीकृत कार्मिक संख्या के सापेक्ष में स्टाफ की कमी थी। विभिन्न संवर्गों में कमी **24 प्रतिशत से 100 प्रतिशत** के बीच थी। संग्रहालय में स्टाफ के पद-वार विवरण तालिका सं. 3.1 में दिए गए हैं:

तालिका सं. 3.1: संग्रहालय में संस्वीकृत कार्मिक संख्या की तुलना में तैनात कार्मिक

क्र.सं.	पद	संस्वीकृत कार्मिक संख्या	भरे हुए	रिक्त	रिक्त की प्रतिशतता
1.	वर्ग क	05	00	05	100
2.	वर्ग ख	46	35	11	23.91
3.	वर्ग ग	35	26	09	25.71
4.	एमटीएस	32	21	11	34.38
	कुल	118	82	36	30.51

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, संग्रहालय ने बताया (मार्च 2023) कि वर्ग क, ख, ग तथा अन्य शेष पद को भरने की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन थी।

आईजीआरएमएस का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि वर्ग क संवर्ग में पांच रिक्त पदों में से संग्रहाध्यक्ष का पद 2011 से रिक्त है, संग्रहाध्यक्ष का एक पद 2012 से रिक्त है तथा परियोजना अभियांत्रिकी का एक पद 2018 से रिक्त है। निदेशक का पद 2020 से रिक्त है तथा संयुक्त निदेशक का एक पद 2021 से रिक्त है।

3.1.2.6 उप-योजनाओं के अंतर्गत लक्ष्य की प्राप्ति में कमी के साथ-साथ अधिक-व्यय

वर्ष 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20¹ के लिए एमओसी तथा संग्रहालय के बीच किए गए एमओयू के अनुसार “आईजीआरएमएस के कार्यक्रमों तथा गतिविधियों को 3 उप-योजनाओं नामतः (1) अवसंरचना विकास (संग्रहालय परिसर का विकास) (2) शिक्षा तथा आउटरीच गतिविधियां और (3) ऑपरेशन सालवेज के अंतर्गत संगठित किया गया है।”

उप-योजना “अवसंरचना विकास”, के अनुसार, संग्रहालय को अपनी ओपन एयर प्रदर्शनियों (आदिवासी आवास, हिमालयी ग्राम, तटीय ग्राम आदि), अस्थायी एवं यात्रा प्रदर्शनियों, माह के प्रदर्शन, विरासत के कोने तथा अभिलेखीय संसाधनों के सुदृढीकरण में सांस्कृतिक विविधता के भाग के रूप में भारत की स्थापत्य विविधता तथा तकनीकी ज्ञान का प्रदर्शन हेतु प्रणालीगत प्रयास करने हैं।

आगे, उप-योजना “शिक्षा एवं आउटरीच गतिविधियां” के अनुसार आईजीआरएमएस विभिन्न शिक्षा कार्यक्रम तथा आउटरीच गतिविधियों अर्थात् संग्रहालय शिक्षा कार्यक्रम करना एवं सीखना,

¹ वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे परंतु कोविड-19 महामारी के कथित कारण से कुछ गतिविधियां निष्पादित की गई थी।

कलाकार कार्यशाला, संगोष्ठी/सम्मलेन/कार्यशालाएं, संग्रहालय के लोकप्रिय व्याख्यानो आदि का आयोजन करता है।

संग्रहालय ने वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान ऊपर कथित दोनों उप-योजनाओं के संबंध अपने उद्देश्यों, जैसे एमओयू में दर्शाए गये हैं, से संबंधित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया था।

- 35 गतिविधियों में लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी थी जो आठ से 100 प्रतिशत के बीच थी जबकि इन गतिविधियों पर किया गया व्यय वित्तीय लक्ष्य के 100 से 300 प्रतिशत था। (अनुलग्नक-3.3 एवं 3.4)
- संग्रहालय ने सात गतिविधियों में कोई भौतिक लक्ष्य प्राप्त नहीं किया था क्योंकि पर्याप्त निधि की उपलब्धता के बावजूद व्यय नहीं किया गया था। (अनुलग्नक-3.3 एवं 3.4)

संग्रहालय ने अपने उत्तर (नवम्बर 2022) में अधिकांश गतिविधियों के संबंध में कमी को स्वीकार किया जबकि कुछ गतिविधियों के लिए उसने निधियों की कमी तथा श्रमशक्ति की कमी को कारण के रूप में बताया।

आगे, संग्रहालय ने उत्तर दिया (मार्च 2023) कि गतिविधि पर व्यय का निर्णय एमओयू को तैयार करते समय लिया गया था जबकि गतिविधि का निष्पादन करने में कुछ अन्य पुर्जों की मरम्मत कराने की आवश्यकता थी जिससे व्यय आबंटन से अधिक हुआ।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि मंत्रालय द्वारा प्रदत्त अंतिम अनुदान विशिष्ट गतिविधि के लिए एमओयू में अनुमोदित बजट से अधिक था। आगे, कुछ मामलों में लक्षित गतिविधियों की संख्या से कम निष्पादित करने में आबंटित बजट का पूर्ण रूप से उपयोग किया गया था।

3.1.2.7 अन्य कमियां

ए) सामान्य परिग्रहण पंजिका (जीएआर) तथा अस्थायी परिग्रहण पंजिका (टीएआर) का अनुरक्षण

संग्रहालय में सभी पुरावशेषों को प्राप्त होते ही जल्द से जल्द उचित प्रकार से दर्ज किया जाना चाहिए। परिग्रहण पंजिका का उचित एवं नियमित अनुरक्षण संग्रहालय की वस्तुओं की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु अनिवार्य है।

आईजीआरएमएस उप-योजना ऑपरेशन सालवेज के माध्यम से मूर्त एवं अमूर्त संस्कृतियों को लुप्त होने से बचाने पर लक्षित है। इसके लिए, संग्रहालय को संग्रहण, प्रलेखन तथा नृवंशाविज्ञान

वस्तुओं/नमूनों द्वारा जीवन को बढ़ाने वाली परम्पराओं के विभिन्न पहलुओं को बचाने हेतु प्रणालीगत प्रयास करने थे।

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने ऑफ-कैम्पस कार्यशाला/कैम्प में निम्नलिखित कमियां उजागर की:

- 2017-18 के दौरान आयोजित कार्यशाला 'कोम जनजाति की वस्त्र परम्परा' में 24 वस्तुएं/नमूने एकत्रित किए गए थे परंतु सामान्य परिग्रहण पंजिका (जीएआर) तथा अस्थायी परिग्रहण पंजिका (टीएआर) में इन सभी 24 मदों का चार वर्षों से अधिक के बीत जाने के बावजूद अभी भी अभिलेखित किया जाना था।
- 2018-19 के दौरान आयोजित कार्यशाला 'श्रृष्टिकथात्' में 28 वस्तुएं/नमूने संग्रहित किए गए परंतु तीन वर्षों से अधिक बीत जाने के बावजूद जीएआर एवं टीएआर में इन सभी 28 मदों को अभिलेखित नहीं किया गया था।

संग्रहालय ने अपने उत्तर (मार्च 2023) में बताया कि समीक्षा के अधीन अवधि के दौरान कैम्प उत्पाद के रूप में प्राप्त वस्तुओं का परिग्रहण करने का कार्य पूर्ण किया गया।

आईजीआरएमएस का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उत्तर के समर्थन में प्रदत्त दस्तावेज ने दर्शाया कि इन वस्तुओं का परिग्रहण करने का कार्य प्रक्रियाधीन था।

बी) प्रदर्शित न किए गए तथा भण्डार में आरक्षित संग्रह के रूप में व्यर्थ पड़े नमूने/वस्तुएं

संग्रहालय को समय एवं स्थान में मानवता की कहानी को चित्रित करने के काम में लगाया गया था। संग्रहालय को मानव संस्कृतियों की एक साथ वैधता तथा मानव अभिव्यक्तियों के विकल्पों की बहुलता का प्रदर्शन करने हेतु भारत में एक नया संग्रहालय आंदोलन उत्पन्न करने में शामिल होना बताया गया है। संग्रहालय हमारे राष्ट्र की समृद्ध एवं विविध विरासत को दर्शाता है।

अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि संग्रहालय में कुल 29,701 वस्तुएं/ कलाकृतियां/नमूने थे। इनमें से, 7,718 (26 प्रतिशत) वस्तुओं को संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया था तथा शेष 21,983 (74 प्रतिशत) वस्तुएं भण्डार में आरक्षित संग्रह में व्यर्थ पड़ी थी जो लोगों के देखने के लिए उपलब्ध नहीं थे।

संग्रहालय सहमत हुआ (अक्टूबर 2022) कि 74 प्रतिशत संग्रह को परिसर में अवसंरचना तथा स्थान की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए आरक्षित रखा गया था। संग्रहालय ने आगे बताया कि किसी भी संग्रहालय के लिए अपने पूर्ण संग्रह को प्रदर्शित करना संभव नहीं था। तथापि, संग्रहालय के पास संग्रहालय की वस्तुओं को बदलने तथा लोगों के देखने के लिए उनको सुगम बनाने तथा सांस्कृतिक विविधता के संबंध में लोगों को शिक्षित करने के साथ-साथ आवधिक प्रदर्शिनियों, मासिक श्रृंखलाओं की प्रदर्शनी तथा वस्तुओं के संरक्षण के दौरान लोगों के देखने हेतु प्रदर्शित करने का अनोखा तरीका था।

आगे, संग्रहालय ने बताया (मार्च 2023) कि उसने अपने परिसरों तथा अन्य स्थानों में कई यात्रा तथा आवधिक प्रदर्शिनियों का आयोजन किया था तथा विभिन्न वस्तुओं को प्रदर्शित किया था। पिछले डेढ़ वर्ष से श्रृंखला “भारत के लोग” के अंतर्गत 05 आवधिक प्रदर्शिनियों में 1500 से अधिक वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया था तथा “सप्ताह की वस्तुएँ” के अंतर्गत लगभग 135 वस्तुओं तथा माह की प्रदर्शनी के अंतर्गत लगभग 120 वस्तुओं को प्रदर्शित किया है।

संग्रहालय का उत्तर ठोस नहीं है क्योंकि संग्रहालय के पास 200 एकड़ का एक विशाल क्षेत्र है। संग्रहालय को अपनी अवसंरचना का सुधार करने हेतु विकल्प तलाशने चाहिए जिससे कि संग्रहित वस्तुओं की अधिकतम संख्या को प्रदर्शित किया जा सके।

मामला मंत्रालय को सूचित किया गया था (अप्रैल 2023), तथापि उनका उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2023)।

3.1.3 निष्कर्ष

आईजीआरएमएस ने अपनी पूरी क्षमता से कार्यक्रमों एवं गतिविधियों से संबंधित अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया था। लक्ष्यों की प्राप्ति में कमियां थी जबकि निधियों का पूर्ण रूप से उपयोग किया गया था। आईजीआरएमएस की अवसंरचना अच्छी स्थिति में नहीं थी क्योंकि इंडोर दीर्घाओं में सीलन, कार्ई, दरारें, रैम्प की कमी, खराब प्रदर्शन उपकरण थे।

यद्यपि संग्रहालय की गतिविधियों को कायम रखने में कमियां हैं इसके बाद भी कि क्षेत्रीय कारीगर की सहायता सहित विभिन्न पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और प्रसार करने में संग्रहालय

अद्वितीय है और इसलिए कमियों को सुधारने के लिए आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए।

3.1.4 सिफारिशें

- आईजीआरएमएस को संस्कृति मंत्रालय (एमओसी) के साथ किए गए समझौता ज्ञापन (एमओयू) में उल्लिखित सभी निबंधन एवं शर्तों का अनुपालन करना चाहिए।
- आईजीआरएमएस को आगंतुक को सभी सार्वजनिक सुविधाएं अर्थात् इसके दिव्यांगजन आगंतुकों के लिए रैम्प आदि प्रदान करनी चाहिए।
- आईजीआरएमएस को दीर्घाओं के मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य अर्थात् सीलन, काई, दरारें, प्रदर्शन उपकरण आदि शीघ्र करने की आवश्यकता है।
- आईजीआरएमएस को वित्तीय लक्ष्यों के साथ-साथ समरूप गतिविधियों/कार्यक्रमों जैसा कि एमओयू में हस्ताक्षर किए गए हैं, के संबंध में लक्ष्यों को प्राप्त करने में ध्यान देने की आवश्यकता है।
- आईजीआरएमएस को वस्तुओं/नमूनों के कुप्रबंध से बचने के लिए वस्तुओं के संग्रहण के संबंध में प्रक्रियाओं का सख्ती से अनुपालन करने की आवश्यकता है।
- आईजीआरएमएस को अपनी अवसंरचना का सुधार करना चाहिए जिससे कि संग्रहित वस्तुओं की अधिकतम संख्या को प्रदर्शित किया जा सके।

अध्याय-IV: शिक्षा मंत्रालय

नवोदय विद्यालय समिति, नोएडा

4.1 नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस), नोएडा की कार्य पद्धति

2007-2016 के दौरान संस्वीकृत ग्यारह जेएनवी को अभी भी अस्थायी कार्य स्थलों में भी नहीं खोला गया था। 1994-95 से 2020-21 के दौरान संस्वीकृत 14 जेएनवी हेतु स्थायी बिल्डिंगों का निर्माण शुरू नहीं किया गया था तथा वे लम्बे समय से अस्थायी कार्य स्थलों में कार्य कर रहे हैं। ₹98.41 लाख की विद्यालय विकास निधि 15 नमूना जांच किए गए जेएनवी में एकत्रित नहीं की गई थी। जेएनवी दार्जिलिंग में निर्माण में विलम्ब के कारण ₹36.93 करोड़ की भारी लागत वृद्धि थी। एनवीएस ने जेएनवी यू.एस. नगर में उस भूमि पर, जिसके लिए एनवीएस के पास कोई स्वामित्व अधिकार नहीं था, स्कूल बिल्डिंग का निर्माण किया। नमूना जांच किए गए जेएनवी को अवसंरचनात्मक सुविधाएं जैसे कि स्टाफ क्वार्टर, कक्षाएं, परिसर की दीवारें, शौचालय, ओवरहेड वाटर टैंक आदि प्रदान करने में कमियां थीं।

4.1.1 प्रस्तावना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (एनईपी) ने जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी) कहे जाने वाले सह-शैक्षणिक आवासीय विद्यालयों की स्थापना की अभिकल्पना की, जिनकी स्थापना तथा प्रबंधन एक पंजीकृत स्वायत्त समिति नामतः नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) द्वारा किया जाता है। इन विद्यालयों में कक्षा VI से XII तक के छात्रों को मुफ्त¹ आवासीय सह-शिक्षा प्रदान की जाती है तथा ये विद्यालय भारत सरकार (जीओआई) द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित हैं। इनकी स्थापना किसी भी राज्य/यूटी सरकार जो प्रत्येक विद्यालय हेतु मुफ्त में 30 एकड़ की उपयुक्त भूमि का प्रस्ताव करती है, से विशिष्ट अनुरोध के आधार पर की जाती है। वर्तमान में जेएनवी पूरे भारत में 27 राज्यों तथा आठ संघ शासित क्षेत्रों में फैले हुए हैं।

4.1.2 संगठनात्मक ढांचा

एनवीएस शिक्षा मंत्रालय (एमओई), जीओआई के अधीन एक स्वायत्त संगठन है। एनवीएस एक कार्यकारी समिति (ईसी) के माध्यम से कार्य करता है जो समिति के सारे मामलों के प्रबंधन तथा सभी शक्तियों को लागू करने के लिए उत्तरदायी है। इसकी सहायता दो

¹ विद्यालय विकास निधि कक्षा IX से XII के छात्रों से प्रभारित की जाती है।

उप-समितियों अर्थात् वित्त समिति तथा शैक्षणिक सलाह समिति द्वारा की जाती है। प्रशासनिक पिरामिड का कार्यकारी अध्यक्ष आयुक्त है जो इसी द्वारा निर्धारित नीतियों को निष्पादित करता है।

4.1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य, क्षेत्र तथा पद्धति

एनवीएस के कार्यकरण पर लेखापरीक्षा के उद्देश्य यह पता करना था कि (i) क्या दाखिला मानदंडों एवं शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित किया गया था, (ii) क्या अवसंरचना की पर्याप्तता को सुनिश्चित किया गया था तथा (iii) क्या मानदंडों के अनुसार जेएनवी में निर्माण को सुनिश्चित किया गया था।

2017-18 से 2021-22 तक की अवधि के लिए लेखापरीक्षा की गई तथा चार राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश (यूपी), उत्तराखण्ड (यूके), बिहार तथा झारखण्ड में 154 जेएनवी में से 16² चयनित जेएनवी सहित एनवीएस मुख्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच की गई थी। जहां कहीं अनिवार्य था संयुक्त भौतिक निरीक्षण भी किए गए थे।

4.1.4 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

एनवीएस तथा यूपी, यूके, बिहार एवं झारखण्ड में नमूना जांच किए गए जेएनवी में अभिलेखों की जांच के माध्यम से लेखापरीक्षा उद्देश्यों से उजागर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

4.1.5 दाखिला मानदंड तथा शिक्षा की गुणवत्ता

4.1.5.1 जेएनवी में शिक्षकों की कमी

समिति का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है जिसमें प्रतिबद्ध शिक्षक अपेक्षित है क्योंकि वे शिक्षा प्रणाली की रीड की हड्डी हैं। प्रत्येक विद्यालय में विभिन्न प्रकार के शिक्षक अर्थात् प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी), स्नातकोत्तर शिक्षक (पीजीटी) तथा विविध शिक्षक

² अलीगढ़, बहराइच, बाराबंकी, बिजनौर, गोरखपुर, लखनऊ, रायबरेली तथा सीतापुर-1 (यूपी), हरिद्वार तथा यू.एस.नगर (उत्तराखंड), मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर तथा वैशाली (बिहार), दुमका, लोहरदागा तथा रांची (झारखंड)।

जैसे शारीरिक शिक्षा शिक्षक (पीईटी), संगीत शिक्षक, कला शिक्षक, आदि हैं। 2017-18 से 2021-22 तक की अवधि के लिए सभी जेएनवी में शिक्षकों की संस्वीकृत संख्या तथा तैनाती को तालिका सं. 4.1 में दर्शाया गया है:

तालिका सं. 4.1: सभी जेएनवी में शिक्षकों तथा तैनात कर्मियों की संस्वीकृत संख्या

क्र.सं.	वर्ष	कुल जेएनवी	संस्वीकृत संख्या	तैनात कर्मी	शिक्षकों की कमी	कमी की प्रतिशतता
1.	2017-18	623	12377	10313	2064	16.68
2.	2018-19	625	12389	10304	2085	16.83
3.	2019-20	632	12684	10030	2654	20.92
4.	2020-21	647	13169	10095	3074	23.34
5.	2021-22	649	13287	11566	1721	12.95

नमूना जांच किए गए जेएनवी में शिक्षकों की संख्या में कमी को तालिका सं. 4.2 में दर्शाया गया है।

तालिका सं. 4.2: नमूना जांच किए गए जेएनवी में शिक्षकों की संख्या में कमी के विवरण

क्र. सं.	वर्ष	नमूना जांच किए गए जेएनवी	संस्वीकृत संख्या	वास्तविक संख्या	शिक्षकों की कमी	कमी की प्रतिशतता
1.	2017-18	16	438	419	19	4.33
2.	2018-19	16	438	405	33	7.53
3.	2019-20	16	438	406	32	7.30
4.	2020-21	16	438	397	41	9.36
5.	2021-22	16	439	412	27	6.15

पूरे भारत में जेएनवी में शिक्षकों की बड़ी संख्या में रिक्तियां थी तथा 2017-18 से 2021-22 तक की अवधि के दौरान शिक्षकों की कमी क्रमशः 12.95 से 23.34 प्रतिशत के बीच थी।

नमूना जांच किए गए विद्यालयों में शिक्षकों की कमी 4.33 प्रतिशत से 9.36 प्रतिशत के बीच थी। शिक्षकों की भारी कमी/रिक्तियों ने शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित किया तथा मौजूदा शिक्षकों पर कार्यभार में काफी वृद्धि की।

एनवीएस ने उत्तर दिया (सितंबर 2022) कि रिक्तियों को भरने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा रिक्त पदों के सापेक्ष में अस्थायी शिक्षकों की संविदा आधार पर भर्ती की जा रही है।

एमओई ने उत्तर दिया (मई 2023) कि रिक्तियों को एनवीएस द्वारा अधिसूचित किया गया है तथा भर्ती अभियान को प्राथमिकता आधार पर जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा।

4.1.5.2 मानदण्डों के अनुसार महिला शिक्षकों की गैर-उपलब्धता

एनवीएस की नीति के अनुसार जेएनवी में दाखिला दिए गए छात्रों में कम से कम एक तिहाई लड़कियां होनी चाहिए। तदनुसार, ईसी ने नवम्बर 2006 में हुई अपनी बैठक में अनुमोदित किया कि जेएनवी में महिला शिक्षकों की नियुक्ति कुल शिक्षकों के एक तिहाई के बराबर होनी चाहिए ताकि कन्या छात्राओं का ध्यान रखा जा सके। यह पाया गया था कि जेएनवी में तैनात महिला शिक्षकों की कमी थी। शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के अंत में कुल जेएनवी के साथ-साथ कुछ नमूना जांच किए गए जेएनवी में महिला शिक्षकों की कमी को तालिका सं. 4.3 में दर्शाया गया था:

तालिका सं. 4.3: कुल जेएनवी में महिला शिक्षकों की कमी के विवरण

नाम	कुल शिक्षक	मानदंडों के अनुसार महिला शिक्षकों की सं.	तैनात महिला शिक्षकों की सं.	कमी	कमी की प्रतिशतता
अखिल भारतीय	15629	5209	4218	991	19.02
जेएनवी लखनऊ	26	9	6	3	33.33
जेएनवी गोरखपुर	26	9	2	7	77.78
जेएनवी हरिद्वार	25	8	6	2	25.00
जेएनवी वैशाली	28	9	5	4	44.44
जेएनवी लोहरदागा	28	9	3	6	66.66

अखिल भारतीय स्तर पर महिला शिक्षकों की तैनाती में कमी 19.02 प्रतिशत थी जबकि कुछ चयनित जेएनवी के लिए यह 25 से 77.78 प्रतिशत के बीच थी। यह दर्शाता है कि महिला शिक्षकों को तैनात करने के ईसी के निर्णय को कार्यान्वित नहीं किया गया था।

एनवीएस ने उत्तर दिया (फरवरी 2023) कि मानदण्डों के अनुसार जेएनवी में महिला शिक्षकों को तैनात करने के प्रयास किए जा रहे हैं परंतु त्यागपत्र, पदोन्नति तथा सेवानिवृत्ति जैसे घटक जेएनवी में महिला शिक्षकों की उपलब्धता को प्रभावित करते हैं। यह भी उत्तर दिया गया था कि शिक्षकों की विशेष रूप से योग्यता के आधार पर भर्ती की जाती है तथा किसी भी लिंग को कोई आरक्षण प्रदान नहीं किया जाता है। यह दर्शाता है कि कन्या छात्रों का ध्यान रखने

के लिए एक तिहाई महिला शिक्षकों की भर्ती करने के ईसी के आदेश को कार्यान्वित करने के लिए विशिष्ट नीति तैयार तथा कार्यान्वित नहीं की गई थी।

एमओई ने एनवीएस के उत्तर की पुष्टि की (मई 2023)।

4.1.5.3 छात्रों का अन्य भाषाई क्षेत्रों में गैर-स्थानांतरण

एनवीएस की शिक्षा की एक विशिष्टता भारत की संस्कृति एवं लोगों की विविधता तथा बहुलता की समझ को बढ़ावा देने के लिए विद्यालय में छात्रों का एक विशेष भाषा क्षेत्र से दूसरे अलग भाषा क्षेत्र में अन्य विद्यालय में स्थानांतरण है। इस योजना के अनुसार, एक जेएनवी से 30 प्रतिशत बच्चों को कक्षा-IX स्तर पर एक शैक्षणिक वर्ष के लिए अन्य जेएनवी में स्थानांतरण किया जाना है। स्थानांतरित छात्रों को कोई भी बाधा नहीं आएगी क्योंकि पूरे देश में सभी जेएनवी में अपनाया गया पाठ्यक्रम एक ही है।

यह पाया गया था कि छ: जेएनवी³ में पिछले पांच वर्षों के दौरान छात्रों का कोई स्थानांतरण नहीं हुआ।

जेएनवी बहराइच ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2022) कि आवास समस्या के कारण कोई स्थानांतरण नहीं किया जा सका था तथा जेएनवी, बाराबंकी ने उत्तर दिया (नवम्बर 2022) कि गैर-समायोजन के कारण स्थानांतरित छात्रों को वापस भेजा गया था।

एमओई ने उत्तर दिया (मई 2023) कि यूपी के चार लेखापरीक्षित जेएनवी का जेएण्डके यूटी के जेएनवी के साथ स्थानांतरण अनुबंधन है। मंत्रालय का उत्तर संबंधित जेएनवी के प्रधानाचार्य के उत्तर के अनुरूप नहीं है।

4.1.5.4 छात्रों से विद्यालय विकास निधि के प्रति शुल्क की कम वसूली

एमओई, जीओआई के व्यय सुधार आयोग की सिफारिशों के अनुसार, अगस्त 2017 से, एससी, एसटी, कन्या तथा जो गरीबी रेखा से नीचे है, से संबंधित छात्रों को छोड़कर कक्षा IX से XII तक के सभी छात्रों से ₹600 प्रति छात्र की दर पर विद्यालय विकास निधि (वीवीएन) वसूल

³ बहराइच, बाराबंकी, लखनऊ, रायबरेली, लोहरदग्गा और राँची

की जानी थी। उपरोक्त के अतिरिक्त, ₹1500 प्रति छात्र प्रति माह की दर पर एक शुल्क का उन सभी छात्रों, जिनके अभिभावक सरकारी कर्मचारी हैं, वसूल किया जाना है।

15 जेएनवी⁴ में यह देखा गया था कि मार्च 2022 के अंत में वीवीएन के प्रति ₹98.41 लाख के शुल्क की कम वसूली थी। हालांकि इन जेएनवी द्वारा बकायों की वसूली हेतु कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए थे।

एनवीएस ने उत्तर दिया (मार्च 2023) कि छात्रों से कोविड महामारी के दौरान उनकी वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए वीवीएन के प्रति शुल्कों की वसूली नहीं की गई थी। विद्यालय छोड़ने के समय उनसे यह वचन लेकर स्थानांतरण प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं कि उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होने पर वे अपने बकायों का निपटान करेंगे। एनवीएस का उत्तर अस्वीकार्य है क्योंकि उत्तीर्ण हो चुके छात्रों का पता लगाना तथा उनसे शुल्क की वसूली को मॉनीटर करना काफी कठिन है।

एमओई ने उत्तर दिया (मई 2023) कि छात्रों को जेएनवी में उनकी पढ़ाई के दौरान वीवीएन के प्रति शुल्क को किशतों में अदा करने की अनुमति है। कोविड महामारी अवधि के दौरान कुछ अभिभावक अपनी वित्तीय बाध्यताओं के कारण वीवीएन अदा नहीं कर सके थे।

4.1.6 अवसंरचना की पर्याप्तता

जीओआई की नीति के अनुसार, प्रत्येक जिले में 30 एकड़ भूमि क्षेत्र (मामला दर मामला आधार पर छूट दी जा सकती है) में स्थायी विद्यालय इमारत के समापन तक विद्यालय को चलाने हेतु पर्याप्त अस्थायी स्थान के साथ एक जेएनवी की स्थापना की जानी है। प्रत्येक ऐसे विद्यालय में कक्षाओं, शयनगृह, स्टाफ क्वार्टर, भोजन कक्ष तथा अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं अर्थात् खेल के मैदान, कार्यशाला, पुस्तकालय तथा प्रयोगशाला आदि के साथ एक पूर्ण विकसित कैम्पस का प्रावधान है। जेएनवी में की गई निर्माण गतिविधियों से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा तथा चयनित जेएनवी में अवसंरचना की उपलब्धता से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच ने निम्नलिखित कमियों को उजागर किया।

⁴ यूपी के अलीगढ़, बहराइच, बाराबंकी, बिजनौर, गोरखपुर, लखनऊ, रायबरेली तथा सीतापुर-1, यूके के हरिद्वार तथा यू.एस. नगर, बिहार के मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर तथा वैशाली, झारखण्ड के लोहरदग्गा तथा रांची।

4.1.6.1 दिव्यांग छात्रों हेतु सुविधाएं

दिव्यांग छात्रों के साथ विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए तथा उनके लिए अतिरिक्त सुविधाएं जैसे कि रैम्प तथा विशेष शौचालय उपलब्ध कराए जाने चाहिए। यूपी में चयनित विद्यालयों के संयुक्त निरीक्षण के दौरान यह पाया गया था कि जेएनवी बिजनौर, लखनऊ तथा रायबरेली के शयनगृहों में दिव्यांग छात्र हेतु कोई रैम्प प्रदान नहीं किया गया था। इन जेएनवी में शैक्षणिक ब्लॉक तथा शयनगृहों में कोई विशेष शौचालय भी नहीं था। इसी प्रकार, बिहार में जेएनवी मुजफ्फरपुर तथा वैशाली में कोई रैम्प नहीं थे। झारखण्ड के मामले में जेएनवी लोहरदग्गा में बालक शयनगृह में कोई रैम्प नहीं था।

एमओई ने उत्तर दिया (मई 2023) कि लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जांच किए गए जेएनवी में कुछ रैम्प तथा रैम्प तथा विशेष शौचालय उपलब्ध थे तथा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों, एनवीएस तथा जेएनवी को वास्तविक आवश्यकता के अनुसार जेएनवी में पर्याप्त रैम्प तथा विशेष शौचालय प्रदान करने के अनुदेश जारी किए जा रहे जिससे कि शौचालय तथा रैम्पों के संबंध में कमी पर वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान ध्यान दिया जाएगा।

4.1.6.2 परिसर की दीवार के निर्माण में मानदण्डों का गैर-अनुपालन

एनवीएस की निर्माण समन्वय समिति की 23^{वीं} बैठक में (जनवरी 2017) यह निर्णय लिया गया था कि परिसर के भीतर रह रहे बच्चों एवं स्टाफ की सुरक्षा तथा अतिक्रमण से बचने के लिए ढाई फुट की कांटे वाली तार की बाड़ के साथ छः फुट की ऊंचाई वाली एक चाहरदीवारी का निर्माण किया जाना है।

जेएनवी के संयुक्त निरीक्षण के दौरान यह पाया गया था कि पांच जेएनवी⁵ चाहरदीवारी की ऊंचाई निर्धारित मानदण्ड से कम थी तथा परिसर की दीवार पर कोई कांटे की तार की बाड़ नहीं लगाई गई थी। एनजेएनवी में, चाहरदीवारी की ऊंचाई छः फुट की निर्धारित ऊंचाई के सापेक्ष ढाई से साढ़े चार फुट के बीच थी। निर्धारित ऊंचाई से कम की चाहरदीवारी का निर्माण विद्यालय में रहने वालों के लिए एक सुरक्षा जोखिम है।

⁵ अलीगढ़, बहराइच, गोरखपुर, लखनऊ और मुजफ्फरपुर

संयुक्त निरीक्षण ने प्रकट किया कि जेएनवी वैशाली में ग्रामवासियों ने अपने दिन प्रतिदिन के आवागमन के उपयोग तथा विद्यालय के खेल के मैदान का उपयोग करने से चार जगह से परिसर की दीवार को तोड़ा गया था।



चित्र सं. 4.1: जेएनवी वैशाली-तोड़ी गई परिसर की दीवार

एमओई ने उत्तर दिया (मई 2023) कि उन जेएनवी के लिए, जहां परिसर की दीवार कम ऊंचाई की है या मरम्मत की आवश्यकता है, एनवीएस द्वारा परिसर की दीवार की ऊंचाई को बढ़ाने तथा परिसर की दीवार के ऊपर कांटे की तार/कंसर्टिना तार लगाने के लिए विशेष अभियान प्रारम्भ किया है। सभी जेएनवी से डाटा एकत्रित कर लिया गया है तथा अनिवार्य निर्माण कार्यों को एक वर्ष के भीतर निष्पादित तथा पूरा किया जाएगा।

4.1.6.3 जेएनवी में कक्षाओं की कमी

एनवीएस मानदण्डों के अनुसार, प्रत्येक जेएनवी में कम से कम 18 कक्षाओं एवं तीन प्रयोगशालाओं, एक कम्प्यूटर कक्ष, एक पुस्तकालय होना चाहिए। यह पाया गया था कि चार राज्यों में 16 नमूना जांच किए गए जेएनवी में से 12 जेएनवी में कक्षाओं की कमी पाई गई थी जैसा **अनुलग्नक-4.1** में दिया गया है:

चार राज्यों में सभी 12⁶ नमूना जांच किए गए जेएनवी में, 216 कक्षाओं की अपेक्षित संख्या में से 34 कक्षाओं की कमी थी। कक्षाओं की कमी की प्रतिशतता 15.74 प्रतिशत थी। कक्षाओं की कमी के कारण, विद्यालय को खुले क्षेत्र, कार्यशालाएं, प्रयोगशालाओं तथा बहुद्देशीय हॉल में

⁶ बहराइच, बाराबंकी, बिजनौर, गोरखपुर, रायबरेली, सीतापुर-1; हरिद्वार, यू.एस.नगर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली और डुमका।

कक्षाएं करनी पड़ती थी जो उनकी नियमित कक्षाएं नहीं हैं। यह शिक्षा की गुणवत्ता के साथ-साथ छात्रों को अध्ययन में शामिल करने हेतु उनके लिए कक्षा के वातावरण को संभावित रूप से प्रभावित किया।

एनवीएस ने उत्तर दिया (मार्च 2023) कि यद्यपि कक्षाओं का निर्माण मानदण्डों के अनुसार किया गया था फिर भी नई प्रयोगशालाएं शुरू किए जाने, नए विषय संयोजनों, कौशल विषयों तथा संगीत, कला आदि जैसे रचनात्मक विषयों के विकल्प के कारण अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण की आवश्यकता थी। चूंकि इन अतिरिक्त गतिविधियों को करने हेतु कोई अतिरिक्त कक्षा नहीं थी इसलिए विद्यालयों को कक्षाओं की कमी की समस्या का सामना करना था। यह भी बताया गया था कि अतिरिक्त गतिविधियों हेतु अपेक्षित अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण मंत्रालय के अनुमोदन से शुरू किया जाएगा। एनवीएस का उत्तर इस तथ्य की पुष्टि करता है कि कक्षाओं की कमी थी तथा बढ़ी हुई आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण की आवश्यकता है।

एमओई ने बताया (मई 2023) कि अतिरिक्त कक्षाओं की आवश्यकता सीबीएसई द्वारा मानदण्डों के परिवर्तन के कारण थी तथा सभी नए जेएनवी का अतिरिक्त कक्षाओं के साथ निर्माण किया जा रहा है तथा पुराने जेएनवी में, जहां कक्षाओं की कमी थी, सक्षम प्राधिकरण से अनुमोदन की प्राप्ति पर निर्माण प्रारम्भ किया जाएगा।

4.1.6.4 जेएनवी में स्टाफ क्वार्टरों की कमी

एनवीएस मानदण्डों के अनुसार, सभी जेएनवी के परिसरों में उन जेएनवी में कार्य कर रहे स्टाफ सदस्यों के लिए 45 आवासीय क्वार्टर होने चाहिए। तथापि, चार राज्यों के नमूना जांच किए गए जेएनवी में यह पाया गया था कि स्टाफ क्वार्टरों की कमी थी जैसा **अनुलग्नक-4.1** में विवरण दिये गए हैं।

9 नमूना जांच किए गए जेएनवी (बाराबंकी, सीतापुर-1, यूएस नगर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर तथा वैशाली; डुमका, लोहरदागा तथा रांची) में 13.58 प्रतिशत स्टाफ क्वार्टरों की कमी पाई गई थी।

इसके अतिरिक्त, तीन⁷ नमूना जांच किए गए जेएनवी में, जेएनवी खोले जाने के समय अस्थायी आवास स्थान के रूप में निर्मित शैड अर्थात् एसपी शैड क्वार्टरों को स्थायी स्टाफ क्वार्टरों के रूप में बना दिया गया था। इन शैडों का निर्माण 36 वर्ष पहले किया गया था तथा वे टूटी-फूटी हालत में हैं। आवासीय क्वार्टरों के रूप में इन अस्थायी शेल्टरों के आबंटन के पश्चात् भी 19 स्टाफ क्वार्टरों की और कमी थी।

चूंकि जेएनवी आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है जहां विद्यालयों के आस-पास कोई किराए का आवास स्थान उपलब्ध नहीं होगा। शिक्षक जिनके लिए क्वार्टर उपलब्ध नहीं थे उनको आस पास के गांव में किराये का आवास लेना पड़ता है तथा शिक्षकों को इन विद्यालयों तक जाने के लिए लम्बा सफर करना पड़ता है। जेएनवी आवासीय विद्यालय तथा इसलिए शिक्षकों को हाउस मास्टर/सहायक हाउस मास्टर के रूप में छात्रों का अतिरिक्त ध्यान रखना पड़ता है फलस्वरूप शिक्षकों के लिए पर्याप्त आवासीय स्थान के अभाव में शिक्षकों के लिए इन कर्तव्यों को करना कठिन है।

एमओई ने उत्तर दिया (मई 2023) कि प्रारम्भ में मंत्रिमंडल का अनुमोदन जेएनवी में 41 क्वार्टरों के निर्माण के लिए था। उच्च माध्यमिक स्तर पर दो स्ट्रीम के प्रारम्भ के कारण 45 क्वार्टरों के निर्माण की आवश्यकता उजागर हुई। एसपी शैड, जो अस्थायी संरचना के हैं तथा जिनका जीवनकाल लगभग 30 वर्षों का है, खराब स्थिति में थे तथा स्थायी स्टाफ क्वार्टरों में इनके परिवर्तन का प्रस्ताव विचाराधीन था। स्टाफ क्वार्टरों की कमी को पूरा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात् मौजूदा एसपी शैड की मरम्मत तथा अतिरिक्त रूप से अपेक्षित स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण हेतु तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

4.1.6.5 छात्रों के लिए आवास में कमी

एनवीएस मानदण्डों के अनुसार, किसी भी जेएनवी में छात्रों की पूर्ण संख्या 560 है। इन सभी को छात्रावास सुविधा प्रदान की जानी अपेक्षित है। तथापि, चार राज्यों में जेएनवी की नमूना जांच ने प्रकट किया कि छात्रों के लिए छात्रावास की कमी थी तथा छात्रावासों में रह रहे छात्र समस्याओं का सामना कर रहे हैं जैसा नीचे ब्योरा दिया गया है:

⁷ मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर एवं वैशाली।

जेएनवी रायबरेली में, अक्टूबर 1986 में विद्यालय के प्रारम्भ से कन्याओं हेतु शयनगृह का निर्माण नहीं किया गया था तथा कन्या छात्राएं एस्बेस्टस शीट से बने अस्थायी शैड में रहने को मजबूर हैं।

जेएनवी वैशाली में, 52 छात्र शयनगृहों की मरम्मत कार्य, जो जनवरी 2019 में प्रारम्भ किया गया था, के समापन में विलम्ब के कारण होल्डिंग हाउस (अस्थायी शेल्टर) में रह रहे थे। ऊपरी शयनगृह में लड़कियों के शौचालय से नीचे के शौचालय में टपकन थी जिसके परिणामस्वरूप नीचे के शयनगृह के शौचालय का उपयोग नहीं किया जा रहा था। जेएनवी समस्तीपुर में, इसके प्रारम्भ से कन्याओं हेतु किसी शयनगृह का निर्माण नहीं किया गया था। कन्या छात्राएं एस्बेस्टस शीट के बने अस्थायी शैड में रह रही थी। एस्बेस्टस की छत के नुकसान के कारण बारिश का पानी टपकता था। स्नानघर तथा शौचालय क्षतिग्रस्त हुए थे तथा उपयोग करने की स्थिति में नहीं थे। खिड़कियां/ छत्ते जीर्ण-शीर्ण स्थिति में थी। इन दोनों जेएनवी में, लड़कों का शयनगृह जीर्ण-शीर्ण स्थिति में था। जेएनवी मुजफ्फरपुर में, नव निर्मित शयनगृह खराब हालत में था तथा लड़कों के उपरी शयनगृह में कोई शौचालय नहीं था। इन तीनों जेएनवी में, शयनगृह के बाहरी/पिछली तरफ जंगल/पेड़ पौधों की सफाई नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप प्रचुरता में जंगली-घास उग गयी।

एमओई ने उत्तर दिया (मई 2023) कि जेएनवी रायबरेली के संबंध में एक कन्या शयनगृह को संस्वीकृत किया गया है तथा कार्य प्रगति में है और जून 2023 तक पूर्ण किया जाना संभावित है। जेएनवी वैशाली में, 2019 में संस्वीकृत विशेष मरम्मत निर्माण कार्य कोविड के कारण विलम्बित थे तथा ईई, सीपीडब्ल्यूडी ने जल्द ही कार्य को फिर से शुरू तथा निष्पादित करने का आश्वासन दिया। समस्तीपुर के मामले में प्रारम्भ से उपलब्ध एस्बेस्टस शीटों के बने बैड का नियमित मरम्मतों एवं रखरखाव के साथ कन्या शयनगृह के रूप में उपयोग किया जा रहा था। कमियां जैसे कि बारिश का पानी का रिसाव, क्षतिग्रस्त एस्बेस्टस छत, स्नानघरों तथा शौचालय का सुधार किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर के मामले में सीपीडब्ल्यूडी ने त्रुटिपूर्ण निर्माण कार्यों के सुधार तथा शयनगृह के बाहरी/पिछली तरफ जंगल की सफाई का आश्वासन दिया है। मंत्रालय का उत्तर दर्शाता है कि लेखापरीक्षा में इंगित की गई कमियों का अभी भी सुधार किया जाना है तथा जेएनवी छात्रों के लिए उपयुक्त आवास में कमियों के साथ कार्य कर रहे हैं।

4.1.6.6 जल सुविधाएं

जेएनवी के छात्रावासों में रह रहे सभी छात्रों को सुरक्षित पेयजल के साथ-साथ अन्य आवश्यकताओं के लिए जल उपलब्ध कराया जाना चाहिए। जेएनवी के निर्माण हेतु अनुमोदित डिजाइन ने ओवरहेड टैंक (ओएचटी) तथा एक लाख लीटर की क्षमता वाली भूमिगत हौदी के भी निर्माण की अभिकल्पना की। तथापि, नमूना जांच किए गए जेएनवी में निर्मित ओएचटी अच्छी हालत में नहीं थे जैसा नीचे ब्योरा दिया गया है:

जेएनवी मुजफ्फरपुर तथा समस्तीपुर में, ओएचटी जीर्ण-शीर्ण हालत में थे जिनको विद्यालय परिसर के भीतर रह रहे सभी निवासियों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए तोड़ने की आवश्यकता है तथा जेएनवी मुजफ्फरपुर में, शयनगृह में कोई आरओ वाटर प्यूरीफायर नहीं लगाए गए थे।

जेएनवी रांची में, ओएचटी खराब हालत में थे तथा उन्हें बड़ी मरम्मत की आवश्यकता थी। लड़कों के शयनगृह में सुरक्षित पेय जल की उपलब्धता को अपर्याप्त पाया गया था क्योंकि 96 छात्रों के लिए केवल एक वाटर प्यूरीफायर/फिल्टर लगाया गया था। जेएनवी दुमका तथा लोहरदग्गा में किसी भी लड़कों के शयनगृह में सुरक्षित पेय जल की उपलब्धता नहीं पाई गई थी तथा शयनगृहों में कोई आरओ वाटर प्यूरीफायर नहीं लगाए गए थे जिसने कैम्पस में सुरक्षित पेय जल की कमी को इंगित किया।

जेएनवी जैसे आवासीय विद्यालयों में ओवरहेड टैंक की उपलब्धता अनिवार्य है क्योंकि छात्रों के पीने के साथ-साथ शौचालय आवश्यकता के लिए पानी की निरंतर आवश्यकता होगी।

एमओई ने उत्तर दिया (मई 2023) कि जेएनवी मुजफ्फरपुर, रांची तथा समस्तीपुर के मामले में ओएचटी की जांच कराए जाने तथा सभी असुरक्षित ओएचटी को तोड़ने के अनुदेश जारी किए गए थे। यह भी उत्तर दिया गया था कि जेएनवी में सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराने के लिए जहां कहीं आवश्यक हो वाटर प्यूरीफायरों की मरम्मत कराए जाने के अनुदेश जारी किए गए थे।

4.1.6.7 अनुपयुक्त जल निकासी एवं सीवेज प्रणाली

जेएनवी गोरखपुर, जेएनवी मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर तथा वैशाली में शयनगृहों में कोई उपयुक्त जल निकासी प्रणाली नहीं थी जिसके परिणामस्वरूप तरल अपशिष्ट को शयनगृह/क्वार्टर से

होकर जा रही आंतरिक सड़क के एक तरफ एक खुले बड़े गड्ढे में डाला जा रहा जेएनवी डूमका तथा लोहरदग्गा में वॉश बेसिन, पानी के पाईप तथा नल काफी खराब हालत में थे तथा उन्हें तुरंत बदले जाने की आवश्यकता थी।

एमओई ने उत्तर दिया (मई 2023) कि जेएनवी में मौजूद जल निकासी प्रणाली 30 वर्ष पुरानी थी तथा गर्मी की छुट्टियों के दौरान प्राथमिकता पर जल निकासी निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु संबंधित जेएनवी/आरओ को अनुदेश जारी किए जाएंगे।

4.1.6.8 पानी का रिसाव

जेएनवी गोरखपुर तथा बिजनौर में कक्षाओं तथा स्टाफ रूम में पानी का रिसाव था। जेएनवी मुजफ्फरपुर में कक्षा/प्रयोगशाला आदि की छत टूटी हुई थी। जेएनवी डूमका तथा लोहरदग्गा में छात्रावास की बिल्डिंग खराब स्थिति में थी दीवारों एवं छत में रिसाव अधिक था। छत पर प्लास्टर के पैच कार्य के कारण कई तदर्थ प्लास्टर पैच थे।




चित्र सं. 4.2: जेएनवी लोहरदग्गा

एमओई ने उत्तर दिया (मई 2023) कि एनवीएस ने सभी बिल्डिंगों में टपकन तथा रिसाव के सभी मामलों की पहचान करने का पहले ही एक विशेष अभियान शुरू कर दिया है तथा मरम्मत निर्माण कार्यों को एनवीएस के पर्यवेक्षण के अधीन विभिन्न निर्माण अभिकरणों को सौंपा गया था।

4.1.6.9 निवासियों की सुरक्षा

जेएनवी समस्तीपुर में, लड़कों के शयनगृह तथा भोजनालय की बिल्डिंग के बगल में चाहरदीवारी एवं बाड़बंदी के बिना एक बड़ा तालाब था। इस प्रकार, इससे अनहोनी घटना की जोखिम बनी हुई थी।



चित्र 4.3: जेएनवी समस्तीपुर

जेएनवी मुजफ्फरपुर में, खेल के मैदान तथा प्रधानाचार्य के आवास के ऊपर से हाई टेंशन बिजली की लाईन जा रही थी।

जेएनवी वैशाली कैम्पस, में बिहार सरकार का एक बुनियादी प्राथमिक विद्यालय भी चल रहा था जो कि एनवीएस के मानदण्डों के विरुद्ध है।

चूंकि झारखण्ड अधिक गरजने वाले क्षेत्र में स्थित है इसलिए विद्यालय की बिल्डिंग तथा छात्रों के छात्रावासों में लाईटनिंग कंडक्टर अनिवार्य है परंतु इसे जेएनवी दूमका, लोहरदग्गा तथा रांची में नहीं लगाया गया था।

एमओई ने उत्तर दिया (मई 2023) कि सीपीडब्ल्यूडी ने जेएनवी समस्तीपुर में तालाब के आस- पास बाड़ के निर्माण हेतु अनुमान प्रस्तुत किया है तथा जल्द ही कार्य शुरू किया जाएगा मुजफ्फरपुर के मामले में जल्द से जल्द लाईन को शिफ्ट किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जेएनवी वैशाली के मामले में, आरओ जेएनवी के कैम्पस को बुनियादी प्राथमिक विद्यालय से अलग करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था। लाईटनिंग कंडेक्टर के

संबंध में सभी आरओ/जेएनवी को बिल्डिंगों हाई टेंशन विद्युत तथा सम्बद्ध संरचनाओं को आकाशीय बिजली से बचाने के अनुदेश जारी (मई 2021) किए गए थे।

4.1.6.10 बिजली तथा बिजली की तारों की स्थिति

जेएनवी वैशाली में, बिजली के तार तथा स्विच ढीले तथा टूटे हुए थे। मुजफ्फरपुर जेएनबी में, भोजनालय बिल्डिंग पर बिजली के तार तथा स्विच ढीले तथा टूटे हुए थे।



चित्र 4.4: बिहार का जेएनवी वैशाली

जेएनवी लोहरदग्गा में, बिजली आपूर्ति लगभग 4 से 5 घण्टे प्रतिदिन के लिए उपलब्ध थी। चूंकि बिजली जेएनवी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए विद्यालय में सौर ऊर्जा के अन्य स्रोतों से विद्युत के सृजन को अपनाया जाना चाहिए। बिजली की तारों को बुरी हालत में पाया गया था तथा जिन्हें बदलने की आवश्यकता थी। जेएनवी के शयनगृहों, बहुउद्देशीय हॉल तथा अन्य बिल्डिंगों में बड़े मरम्मत कार्य की आवश्यकता थी।

जेएनवी दुमका, लोहरदग्गा तथा रांची में लड़कों के पुराने छात्रावास में उपयुक्त प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

एमओई ने उत्तर दिया (मई 2023) कि आरओ को बिजली मुद्दों पर ध्यान देने के लिए वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजित की गई थी तथा उनके वित्तीय प्रत्यायोजन के परे के निर्माण कार्य को उनसे प्रस्तावों की प्राप्ति पर किया जाएगा। लेखापरीक्षा में इंगित त्रुटियों को गर्मियों की छुट्टियों के बाद जेएनवी के फिर से खुलने से पहले सुधारा जाएगा तथा निरंतर विद्युत आपूर्ति को सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाए जा रहे हैं।

4.1.6.11 संस्वीकृत होने के बावजूद 11 जेएनवी का न खोला जाना

सरकार के नीति मानदण्ड (1986) प्रत्येक जिले में कम से कम एक जेएनवी स्थापना की अपेक्षा करते हैं। 2021-22 तक पूरे देश में भारत सरकार द्वारा 23 अतिरिक्त जेएनवी जहां एससी/एसटी के लोग अधिक हैं, सहित 661 जेएनवी को संस्वीकृत किए गए हैं। 2021-22 तक निम्न तालिका में दिए गए कारणों से 650 जेएनवी खोले हैं एवं क्रियाशील हैं तथा शेष 11 जेएनवी (तालिका सं. 4.4) को अभी चालू नहीं किया गया था जबकि जीओआई द्वारा संस्वीकृत थे।

तालिका सं. 4.4: 11 जेएनवी का ब्योरा जिन्हें अभी चालू नहीं किया गया था

क्र.सं.	स्थान/ जिला	राज्य	संस्वीकृति का वर्ष	जेएनवी को न खोलने के कारण
1	कामरूप मैट्रो	असम	2007	वन मंजूरी की गैर-प्राप्ति के कारण निर्माण प्रारम्भ नहीं किया गया तथा राज्य सरकार द्वारा कुछ अस्थायी स्थान की पेशकश की थी परंतु उन्हें उपयुक्त नहीं पाया गया था।
2	कैपिटल कॉम्प्लैक्स	अरुणाचल प्रदेश	2016	राज्य सरकार द्वारा विद्यालय के लिए अभी भी किसी भूमि (स्थायी तथा अस्थायी) की पेशकश नहीं की गई थी।
3	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (7 जेएनवी)	दिल्ली	2016	6 जेएनवी के लिए राज्य सरकार द्वारा किसी भूमि (स्थायी तथा अस्थायी) की पेशकश नहीं की गई थी तथा अन्य जेएनवी हेतु आबंटित भूमि पर्याप्त नहीं थी परंतु किसी अस्थायी स्थान की पेशकश नहीं की गई थी।
4.	पुराना मालदा	पश्चिम बंगाल	2016	स्थायी कार्यस्थल हेतु भूमि की सुपुदगी में विलम्ब तथा राज्य सरकार द्वारा किसी अस्थायी की पेशकश नहीं की गई थी।
5	खिम्बर/ श्रीनगर	जे एण्ड के	2016	जेएनवी के निर्माण हेतु भूमि की उपयुक्तता के संबंध में निर्णय लेने में विलम्ब तथा एक अस्थायी स्थान की पेशकश की गई थी परंतु उसे उपयुक्त नहीं पाया गया था।

उपरोक्त से, यह देखा जा सकता है कि आठ जेएनवी के राज्य सरकारों द्वारा भूमि की सूपुदगी में विफलता के कारण शुरू नहीं किया जा सका था। दो जेएनवी, आबंटित भूमि की अनुपयुक्तता

के कारण शुरू नहीं किए गए थे तथा शेष जेएनवी को 15 वर्षों से वन विभाग से मंजूरी की गैर-प्राप्ति के कारण शुरू नहीं किया गया था।

इन 11 जेएनवी को न खोले जाने का परिणाम इन मामलों में एनवीएस योजना के माध्यम से ग्रामीण बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के अभिप्रेत उद्देश्य की गैर-प्राप्ति में हुआ।

एमओई ने उत्तर दिया (मई 2023) कि स्थायी बिल्डिंग तथा अस्थायी स्थान हेतु उपयुक्त भूमि के हस्तांतरण को सुनिश्चित करने हेतु आवधिक रूप से प्रयास किए जा रहे हैं।

4.1.7 जेएनवी पर निर्माण

4.1.7.1 स्थायी स्थलों पर निर्माण कार्यों को शुरू न करना

1994-95 से 2020-21 के बीच की अवधि के दौरान अस्थायी स्थलों पर 14 जेएनवी खोले गए थे परंतु स्थायी स्थलों पर निर्माण अभी भी शुरू किया जाना था। विवरण तालिका सं. 4.5 में दर्शाए गए हैं:

तालिका सं. 4.5: अस्थायी स्थलों पर खोले गए 14 जेएनवी के विवरण

क्र. सं.	जेएनवी का नाम	अस्थायी स्थल पर जेएनवी के खोले जाने का वर्ष	मार्च 2022 तक नामांकित छात्रों की सं.	शुरू न करने के कारण
1.	जेएनवी खागरिया	1994-95	197	बाधारहित भूमि उपलब्ध नहीं थी
2.	जेएनवी पलामू-I	2003-04	200	वन विभाग से एनओसी प्रतीक्षित है
3.	जेएनवी हावड़ा	2005-06	197	निर्माण अभिकरण के गैर-निष्पादन के कारण
4.	जेएनवी कूच बिहार	2006-07	196	भूमि विवाद के कारण
5.	जेएनवी कूलगम	2010-11	134	भूमि बाढ़ संभावित क्षेत्र में स्थित है
6.	जेएनवी नर्मदा	2011-12	224	बाधारहित भूमि प्राप्त न होने के कारण
7.	जेएनवी दक्षिण अण्डमान	2017-18	179	निर्माण अभिकरण के गैर-निष्पादन के कारण

क्र. सं.	जेएनवी का नाम	अस्थायी स्थल पर जेएनवी के खोले जाने का वर्ष	मार्च 2022 तक नामांकित छात्रों की सं.	शुरू न करने के कारण
8.	जेएनवी रामनगर	2017-18	278	निर्माण अभिकरण के गैर-निष्पादन तथा कोविड-19 के कारण
9.	जेएनवी किशतवाड़	2017-18	119	बाधारहित भूमि प्राप्त नहीं हुई
10.	जेएनवी पुलवामा	2019-20	58	जुलाई 2021 को बाधारहित भूमि प्राप्त हुई। निविदा प्रक्रिया में है।
11.	जेएनवी रामबन	2019-20	39	बाधारहित भूमि प्राप्त करने में विलम्ब
12.	जेएनवी पश्चिम त्रिपुरा	2019-20	114	कोविड-19 के कारण विलम्ब हुआ
13.	जेएनवी सिंगरौली	2019-20	131	बाधारहित भूमि प्राप्त करने में विलम्ब
14.	जेएनवी बंदीपौर	2020-21	64	बाधारहित भूमि प्राप्त करने में विलम्ब

स्थायी स्थलों पर निर्माण कार्यों को शुरू करने में विलम्ब के कारण विद्यालय छात्रों के कम दाखिले के साथ कार्य कर रहे थे जिससे इन एनवीएस को स्थापित करने के उद्देश्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

एमओई ने उत्तर दिया (मई 2023) कि लेखापरीक्षा में इंगित किए गए तीन मामलों में कार्य प्रारम्भ किया गया है, पाँच मामलों में निविदा प्रक्रिया चालू है, चार मामलों में कार्य पूर्व-निर्माण स्तर पर हैं तथा शेष दो मामलों में भूमि मुद्दे थे। इसमें आगे बताया गया है कि एनवीएस की नीति के अनुसार, एक बार किसी भी रुकावट के बिना एनवीएस के नाम पर भूमि का हस्तांतरण कर दिया जाता है तो स्थायी स्थलों पर जल्द से जल्द निर्माण कार्य के समापन को सुनिश्चित करने हेतु सभी प्रयास किए जाते हैं। तथापि, विभिन्न कारणों जैसे कि भूमि विवाद, वन विभाग का हस्तक्षेप, स्थानीय अतिक्रमण, कानून एवं व्यवस्था समस्याओं आदि के कारण निर्माण कार्य में विलम्ब होता है।

मंत्रालय स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अधिकांश मामलों में काफी पहले संस्वीकृत किए गए विद्यालयों का निर्माण स्थायी स्थलों पर अभी भी शुरू किया जाना है।

4.1.7.2 कुरुंग कुमेय, अरुणाचल प्रदेश में जेएनवी के निर्माण को शुरू करने में विलम्ब

कुरुंग कुमेय, अरुणाचल प्रदेश में 2005-06 के दौरान एक जेएनवी संस्वीकृत किया गया था, राज्य सरकार ने जेएनवी के निर्माण हेतु एक स्थायी स्थल के रूप में लोगंबिया गाँव, कुरुंग कुमेय जिले में 20 एकड़ भूमि के साथ विद्यालय को शुरू करने हेतु पालिन, कुरुंग कुमेय में एक अस्थायी स्थल की पेशकश की थी। विद्यालय को 2006-07 में अस्थायी स्थल पर खोला गया था। स्थायी स्थल के निरीक्षण के पश्चात् उपायुक्त, क्षेत्रीय कार्यालय, शिलांग ने सिफारिश की (दिसंबर 2005) कि स्थान विद्यालय के निर्माण हेतु उपयुक्त था। जिला प्रशासन द्वारा अप्रैल 2007 में 80,000 वर्ग मीटर की भूमि का आबंटन किया गया था। परंतु 2008 में, कार्यकारी अभियंता (ईई), एनवीएस ने सूचित किया कि स्थल के पहाड़ी पर स्थित होने एवं खड़ी ढलान होने के कारण निर्माण शुरू नहीं किया जा सका था। तथा उनकी सलाह पर वैकल्पिक स्थान की मांग करने का निर्णय लिया गया था। जिला प्रशासन द्वारा एनवीएस के साथ संयुक्त निरीक्षण के पश्चात नवम्बर 2018 में नए स्थल पर 33.5 एकड़ भूमि आबंटित की गई थी। अब तक इस स्थल पर केवल चाहरदीवारी का निर्माण किया जा सका था।

एनवीएस ने उत्तर दिया (सितंबर 2022) कि जेएनवी के निर्माण हेतु वैकल्पिक स्थल का चयन करने का निर्णय वास्तव में आबंटित स्थल के खड़ी ढलान वाली पहाड़ी पर स्थित होने के कारण था तथा उसमें केवल 10.97 एकड़ का क्षेत्र था जो आबंटित क्षेत्र अर्थात् 20 एकड़ से काफी कम था। नया स्थान 2018 में आबंटित किया गया था तथा कार्य जुलाई 2019 में डीयूडीएच को सौंपा गया था।

एमओई ने उत्तर दिया (मई 2023) कि स्थल की दूरस्थता और कोविड महामारी के कारण पूर्व निर्माण गतिविधियों में विलंब हुआ। आज की तारीख में कार्य की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट एनवीएस द्वारा अनुमोदित किया गया और निविदा करने की प्रक्रिया की शुरुआत की गई।

इस प्रकार स्थल के त्रुटिपूर्ण चयन का परिणाम जेएनवी के निर्माण में विलम्ब में हुआ।

4.1.7.3 निर्माण में लंबे समय से विलम्ब के कारण ₹36.93 करोड़ की निर्माण लागत की वृद्धि

जेएनवी दार्जिलिंग को अस्थायी आधार पर एक निजी बिल्डिंग में खोला गया था (जून 2003) तथा चरण-ए निर्माण कार्य रेल इंडिया टैक्निकल एण्ड इकनॉमिक सर्विस लिमिटेड

(आरआईटीईएस) को नवम्बर 2005 में 15 महीनों के भीतर कार्य के समापन की निर्धारित तिथि के साथ ₹7.55 करोड़ की अनुमानित लागत पर आबंटित किया गया था। 2008 तक कोई कार्य शुरू नहीं किया गया था तथा आरआईटीईएस ने ₹15.70 करोड़ की राशि का संशोधित अनुमान प्रस्तुत किया (मई 2008) तथा इसे एनवीएस द्वारा अनुमोदित किया गया था (जुलाई 2008)।

कार्य वर्ष 2009 में शुरू किया गया था परंतु इसे निर्माण अभिकरण तथा आरआईटीईएस के बीच कुछ विवादों के कारण वर्ष 2011 में रोक दिया गया था। इसी बीच एनवीएस ने आरआईटीईएस को ₹1.57 करोड़ अदा किए (मार्च 2011)। कार्य को आरआईटीईएस से वापस लेने तक (अगस्त 2019) कार्य रोक रहा। संविदा के अनुसार विलम्ब हेतु आरआईटीईएस से किसी दण्ड की वसूली नहीं की गई थी।

बाद में, कार्य को ₹42.91 करोड़ के अनुमानित व्यय के साथ सीपीडब्ल्यूडी को पुनः आबंटित किया गया था (अगस्त 2019)। एनवीएस ने सीपीडब्ल्यूडी को ₹14.30 करोड़ का अग्रिम जारी किया (सितंबर 2021) परंतु कार्य को मार्च 2022 तक शुरू नहीं किया गया था। निर्माण कार्य में विलम्ब के कारण ₹36.93 करोड़ की लागत वृद्धि थी।

एनवीएस (अक्टूबर 2022) के साथ-साथ एमओई (मई 2023) ने उत्तर दिया कि निर्माण अभिकरण तथा आरआईटीईएस के बीच अनसुलझे विवादों के कारण कार्य को सीपीडब्ल्यूडी को पुनः आबंटित किया गया था जिसके लिए निविदाओं को अंतिम रूप देना है।

तथ्य यह है कि निर्माण कार्य में लंबे समय से विलम्ब के कारण प्रारम्भिक अनुमानित लागत के 489 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई।

4.1.7.4 एनवीएस को कानूनी रूप से अंतरित नहीं की गई भूमि पर स्कूल का निर्माण

एनवीएस मानदण्डों (जुलाई 1987) के अनुसार, नए जेएनवी संबंधित उस राज्य सरकार से प्रस्तावों के आधार पर खोले जाते हैं जो लगभग 30 एकड़ की मुफ्त उपयुक्त भूमि के साथ एनवीएस के स्थायी स्थल पर अपनी स्वयं की बिल्डिंगों के निर्माण किए जाने तक किराया मुक्त पर्याप्त अस्थायी बिल्डिंग तथा अन्य अवसरचना की पेशकश करती है। स्थायी स्थल पर

निर्माण को प्रारम्भ नहीं किया जा सकता है यदि भूमि का कानूनी रूप से एनवीएस के पक्ष में हस्तांतरण नहीं किया गया है।

जेएनवी यू.एस. नगर जिला, यूके ने अपनी अस्थायी स्थल पर अक्टूबर 1986 से कार्य करना शुरू किया। 19.85 एकड़ माप की भूमि को स्थायी स्थल के रूप में आबंटित किया गया था परंतु इसका कानूनी रूप से एनवीएस के पक्ष में हस्तांतरण नहीं किया गया था।

एनवीएस के पक्ष में भूमि के हस्तांतरण के संबंध में यूके सरकार के मुख्य सचिव ने बताया (फरवरी 2006) कि जेएनवी को आबंटित भूमि नजूल भूमि⁸ थी तथा मुफ्त में नजूल भूमि के हस्तांतरण का कोई प्रावधान नहीं है। इसके पश्चात एनवीएस के पक्ष में भूमि के हस्तांतरण हेतु राज्य सरकार के साथ एनवीएस द्वारा कोई अनुसरण नहीं किया गया था।

हालांकि, एनवीएस ने ₹15.48 करोड़ का व्यय करते हुए विद्यालय की चरण-ए बिल्डिंग का निर्माण किया (सितम्बर 2013) जो कि केवल राज्य सरकार से भूमि के अधिग्रहण के पश्चात् ही जेएनवी का निर्माण करने के एनवीएस के मानदण्डों के उल्लंघन में था।

एनवीएस ने उत्तर दिया (दिसंबर 2022) कि जेएनवी रूद्रपुर के चरण ए कार्य का निर्माण आयुक्त के अनुमोदन से किया गया था। एनवीएस ने उस स्थान पर विद्यालय की बिल्डिंग के निर्माण हेतु ₹15.48 करोड़ का व्यय किया। जिसका एनवीएस के पास कोई स्वामित्व अधिकार नहीं था।

एमओई ने उत्तर दिया (मई 2023) कि विद्यालय अपने प्रारम्भ से पिछले 37 वर्षों से सुचारु रूप से चल रहा है तथा तब से भूमि का कोई विवाद नहीं था। हालांकि, भूमि हस्तांतरण के संबंध में एनवीएस के नाम पर भूमि के हस्तांतरण हेतु अनिवार्य कार्रवाई की जाएगी।

तथ्य यह है कि विद्यालय का निर्माण उस भूमि पर किया गया था जिसके लिए जेएनवी के नाम पर कोई स्पष्ट स्वामित्व भी नहीं था।

4.1.7.5 कार्य के समापन में असाधारण विलम्ब के कारण ₹8.47 करोड़ का अवरोधन

जेएनवी का निर्माण चरणबद्ध प्रकार से किया जाता है। चरण ए में, शैक्षणिक ब्लॉक के साथ अन्य की आधी संरचनाओं जैसे कि शयनगृह, भोजनालय, स्टाफ क्वार्टर का निर्माण किया

⁸ एक प्रकार की सरकारी भूमि जिस पर बिल्डिंग या संरचनाओं का निर्माण किया जा सकता है परंतु ऐसी भूमि का स्वामित्व स्वयं सरकार के पास रहता है।

जाता है तथा चरण बी में, सभी शेष बिल्डिंगों का निर्माण किया जाता है। जेएनवी लुंगलेई (मिजोरम) को मार्च 2010 में पूर्ण किया गया था। चरण बी का निर्माण ₹7.14 करोड़ के व्यय की संस्वीकृति के साथ राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड (एनपीसीसी) को आबंटन किया गया था (अगस्त 2012)। निर्माण को 18 महीनों के भीतर पूर्ण किया जाना था।

यद्यपि कार्य को फरवरी 2014 तक पूर्ण किया जाना प्रत्याशित था फिर भी अनुमान का दो बार, पहला ₹11.06 करोड़ (जुलाई 2014) तथा दूसरा ₹12.28 करोड़ (दिसंबर 2019) के लिए संशोधन किया गया था। कार्य के समापन की निर्धारित तिथि के पश्चात अनुमान के संशोधन का परिणाम ₹5.14 करोड़ तक निर्माण की लागत में वृद्धि हुआ। एनवीएस ने अब तक निर्माण अभिकरण को ₹8.47 करोड़ की राशि जारी की तथा बिल्डिंग अभी भी अपूर्ण थी जिसका परिणाम ₹8.47 करोड़ के अवरोधन में हुआ।

एनवीएस ने उत्तर दिया (सितंबर 2022) की गारो पहाड़ियों में बार-बार स्थानीय हड़तालों तथा बंद, आवाजाही में प्रतिबंध आदि ने प्रगति को बुरी तरह से बाधित किया।

दस वर्षों से अधिक के लिए कार्य के समापन में विलम्ब का परिणाम इस कार्य पर व्यय किए गए ₹8.47 करोड़ की सीमा तक की निधियों के अवरोधन में हुआ।

एमओई ने उत्तर दिया (मई 2023) कि कानून एवं व्यवस्था समस्याओं, बार-बार स्थानीय बांधों, बाहर के श्रमिकों को कार्य अनुमति आदि के अतिरिक्त मिजोरम में श्रम शक्ति तथा सामग्री की अनुपलब्धता की बाध्यताएं हैं जिसके कारण कार्य करने की उपलब्ध अवधि काफी कम है। हालांकि मंत्रालय ने आश्वासन दिया कि निर्माण कार्य सितंबर 2023 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

4.1.7.6 जेएनवी पश्चिम खासी पहाड़ी जिला, मेघालय में ₹4.57 करोड़ का व्यय करने के पश्चात भी कार्य के समापन में विलम्ब

नोंगस्टेडन, पश्चिम खासी पहाड़ी जिला, मेघालय में जेएनवी के चरण-बी कार्य के निर्माण को 15 महीनों के भीतर कार्य को पूर्ण करने के निर्धारित समय के साथ ₹2.01 करोड़ की लागत पर सीपीडब्ल्यूडी को आबंटित किया गया था (फरवरी 2005)। अनुमान ₹4.63 करोड़ के लिए संशोधित (मार्च 2009) किया गया था जिसमें से एनवीएस ने ₹4.57 करोड़ जारी किए।

विद्यालय निरीक्षण समिति ने सूचित किया (नवम्बर 2021) कि कार्य की गुणवत्ता त्रुटिपूर्ण थी तथा सभी बिल्डिंगों को दोबारा प्लास्टर करने की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त, टाईप-III स्टाफ क्वार्टर तथा अतिथि गृह पूर्ण नहीं थे। इसलिए 17 वर्षों के बीत जाने के पश्चात भी चरण बी बिल्डिंग का निर्माण कार्य अपूर्ण रहा।

एनवीएस ने उत्तर दिया (सितंबर 2022) कि मामले की सीपीडब्ल्यूडी के साथ उठाया जा रहा है तथा अगस्त 2023 तक कार्य को पूरा किया गया प्रत्याशित है।

एसओई ने उत्तर दिया (मई 2023) कि जेएनवी पश्चिम खासी पहाड़ी काफी कम कार्य अवधि तथा श्रमशक्ति एवं सामग्री की कमी वाले पूर्वोत्तर में दूर पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। कार्य ठेकेदार की मृत्यु के कारण रुका रहा। अब सीपीडब्ल्यूडी ने सूचित किया है कि बचे हुए कार्य के लिए नई निविदाएं जारी करने की प्रक्रिया प्रगति में है तथा निर्माण को 2023 तक पूर्ण किया जाना संभावित है।

4.1.7.7 कार्य के निलंबन के कारण ₹1.54 करोड़ का निष्फल व्यय

नागालैण्ड के जेएनवी तुएनसांग जिले के चरण-ए बिल्डिंग का निर्माण ₹7.88 करोड़ की प्रारंभिक अनुमानित लागत के साथ आरआईटीईएस को सौंपा गया था (अक्टूबर 2001)। अनुमान को बाद में ₹13.11 करोड़ के लिए संशोधित किया गया था (सितंबर 2011)।

कार्य को निर्माण पूर्व गतिविधियों सहित 15 महीनों के भीतर पूर्ण किया जाना था। आरआईटीईएस ने चरण 'ए' के निर्माण कार्य को ₹3.91 करोड़ की तय की गई बोली कीमत पर ठेकेदार को सौंपा। चरण-ए कार्य के निर्माण पर कुल ₹1.54 करोड़ की राशि का व्यय किया गया था परंतु कार्य को अभी भी पूरा किया जाना था।

परियोजना 2012 से निलंबित थी क्योंकि आरआईटीईएस परियोजना को उचित प्रकार से प्रबंधन में विफल रहा जिसका परिणाम 21 वर्षों की बीत जाने के बाद भी कार्य की समाप्ति के विलंब में हुआ।

नियत समय के भीतर कार्य पूर्ण न करने के बावजूद, एनवीएस ने 21 वर्षों के लिए आरआईटीईएस से कार्य वापस लेने और कार्य के गैर-समापन हेतु आरआईटीईएस पर जुर्माना प्रावधान प्रारंभ करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। अंत में, नवम्बर 2022 में आरआईटीईएस

से कार्य वापस लिया गया तथा अब वे दूसरे निर्माण अभिकरण को पुनः आबंटन करने की प्रक्रिया में है।

इस प्रकार, 21 वर्षों के लिए कार्य के निष्पादन में विलंब और एनवीएस द्वारा आरआईटीईएस से कार्य को वापस लेने में विलंब के कारण ₹1.54 करोड़ के निष्फल व्यय में हुआ। इसके अतिरिक्त असाधारण लागत लंघन से इंकार नहीं किया जा सकता है।

एमओई ने उत्तर दिया (मई 2023) कि नागालैण्ड राज्य में कई स्थानीय मुद्दे हैं जो निर्माण कार्यो हेतु कम समय प्रदान करते हैं तथा कार्य करने को कठिन बनाते हैं। निष्पादन के दौरान ठेकेदार तथा आरआईटीईएस के बीच एक विवाद हुआ तथा कार्य निलंबित रहा। एनवीएस ने आरआईटीईएस द्वारा निविदा को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण नवम्बर 2022 को कार्य को वापस लिया है। अन्य निर्माण अभिकरण को शेष कार्य का आबंटन प्रक्रिया में है तथा बचे हुए निर्माण कार्यो को जून 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा।

मंत्रालय का उत्तर ठोस नहीं है क्योंकि उसने 21 वर्षों तक कार्य का निष्पादन नहीं करने के बावजूद मैसर्स आरआईटीईएस से कार्य को वापस लेने में असाधारण विलम्ब था।

4.1.8 निष्कर्ष

ग्यारह जेएनवी को यद्यपि 2007 से 2016 के दौरान भारत सरकार द्वारा संस्वीकृत किया गया था, फिर भी संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अस्थायी स्थान के गैर-आबंटन के कारण अभी भी शुरू नहीं किया गया था तथा 1994-95 से 2020-21 के दौरान संस्वीकृत 14 जेएनवी अभी भी जेएनवी के लिए स्थायी बिल्डिंगों के निर्माण के समापन में लंबे समय से विलम्ब के कारण अस्थायी स्थान पर चलाए जा रहे थे। नमूना जांच किए गए जेएनवी में अवसरचंत्नात्मक कमियां जैसे कि स्टाफ क्वार्टरों की कमी, सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता में अंतराल, कक्षाओं की कमी, अस्वच्छ शौचालयों एवं जल निकासी प्रणालियों के उदाहरण और टूटे हुए ओवरहेड पानी की टंकिया तथा दिव्यांग छात्रों के लिए रैम्प की अनुपलब्धता पाई गई हैं। 23.34 प्रतिशत तक शिक्षकों की कमी थी। कई निर्माण कार्यो में समय एवं लागत वृद्धि पाई गई थी।

एनवीएस को एक स्वायत्त निकाय के रूप में नमूना जांच किए गए जेएनवी में बिल्डिंगों तथा संबंधित सुविधाओं के समयबद्ध निर्माण के निष्पादन एवं निगरानी को सुधारने की आवश्यकता है ताकि छात्रों तथा संकायों को आवश्यक सुविधाओं के प्रावधानों को सुनिश्चित किया जा सके।

4.1.9 सिफारिशें

- एनवीएस को एमओई के समन्वय से जेएनवी को भूमि की उपलब्धता को सुनिश्चित करने तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्माणों को पूर्ण करने के लिए सक्रिय कदम उठाएं।
- एनवीएस शिक्षकों की उपलब्धता की आवधिक रूप से समीक्षा करें तथा नियमित आधार पर शिक्षकों की रिक्तियों को भरने का प्रयास करें।
- स्टाफ क्वार्टरों तथा कक्षाओं की कमी, जिसने छात्रों की पढ़ाई को प्रभावित किया था, का अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण करते हुए सुधार किया जाए।
- जेएनवी पर अवसरचंका सुविधाओं में कमियों में सुधार किए जाने की आवश्यकता है।

विश्व-भारती विश्वविद्यालय, शांतिनिकेतन

4.2 विश्व-भारती विश्वविद्यालय में आंतरिक नियंत्रण

विश्व-भारती विश्वविद्यालय में आंतरिक नियंत्रण तथा आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की एक समीक्षा ने विभिन्न क्षेत्रों जैसे नियुक्तियां एवं पदोन्नतियां, अनाधिकृत अनुपस्थिति के मामलों को निपटाना, प्रापण व निविदा प्रक्रियाएं, वित्तीय प्रबंधन आदि में कमजोरियां प्रकट की जिसका परिणाम लागू नियमों एवं विनियमों के गैर-अनुपालन में हुआ। लेखापरीक्षा ने कई कार्यात्मक प्रभागों जैसे आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन कक्ष, केंद्रीय खरीद अनुभाग तथा अभियंता विभाग के कामकाज में कमियों को बताया। विश्वविद्यालय अभिप्रेत उद्देश्यों के लिए कई उच्च मूल्य वाली परिसम्पत्तियों एवं उपकरणों का उपयोग नहीं कर सका तथा स्वयं की परिसम्पत्तियों तथा संसाधनों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। विश्वविद्यालय की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली न तो स्वतंत्र थी और न ही अपने शासनादेश के अनुसार कार्य कर रही थी।

4.2.1 प्रस्तावना

नोबेल पुरस्कार विजेता रबीन्द्रनाथ टैगोर ने 1921 में पश्चिम बंगाल के शांतिनिकेतन में स्थित विश्व-भारती विश्वविद्यालय (वीबीयू) की आधारशिला रखी। यह एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय तथा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में नामित है। यह शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन स्वायत्त संगठन के रूप में कार्य करता है। इसे भारत सरकार द्वारा अनुदान के माध्यम से पर्याप्त रूप से वित्त पोषित किया जाता है। 1951 का विश्व-भारती अधिनियम तथा विश्व भारती के कानून, विश्वविद्यालय

एवं उसके प्राधिकारियों की शक्तियों तथा कार्यों को निर्धारित करते हैं। विश्वविद्यालय का मुख्य कार्य अकादमिक एवं अनुसंधान गतिविधियाँ हैं। संस्कृति का केंद्र होने के नाते, इसका उद्देश्य पश्चिमी संस्कृति के साथ-साथ धर्म, साहित्य, इतिहास, हिंदू, बौद्ध, जैन, इस्लामिक, सिख, ईसाई, व अन्य सभ्यताओं की कला व विज्ञान पर शोध एवं अध्ययन करना शामिल हैं।

4.2.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य, क्षेत्र एवं पद्धति

आंतरिक नियंत्रण एक प्रबंध उपकरण है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता, प्रचालन की प्रभावशीलता और दक्षता तथा लागू कानूनों एवं विनियम के पालन और जवाबदेही उत्तरदायित्वों की पूर्ति के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करता है। वीबीयू में आंतरिक नियंत्रण की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की गई थी कि:

- (i) क्या विश्वविद्यालय में जवाबदेही उत्तरदायित्वों को पूरा करने, लागू करने तथा विनियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली मौजूद है तथा विश्वविद्यालय अपना प्रचालन प्रभावी, नैतिक, कुशल एवं किफायती तरीके से कर रहा है;
- (ii) क्या राजस्व की त्वरित वसूली एवं लेखांकन सहित उचित और प्रभावी वित्तीय प्रबंधन है;
- (iii) क्या प्रापण और नुकसान के सापेक्ष में संसाधनों की सुरक्षा के लिए उचित प्रणालियाँ हैं;
- (iv) क्या फिजूलखर्च एवं परिहार्य व्यय को रोकने के लिए पर्याप्त तंत्र मौजूद हैं;
- (v) क्या मौजूदा आंतरिक नियंत्रण तंत्र की दक्षता एवं प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने और लेखांकन, वित्तीय और अन्य व्यावसायिक प्रथाओं की समीक्षा के लिए विश्वविद्यालय के भीतर गतिविधियों के स्वतंत्र मूल्यांकन करने के लिए एक स्वतंत्र आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग मौजूद है।

विषयगत लेखापरीक्षा में वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक की तीन वर्षों की अवधि शामिल थी। फील्ड लेखापरीक्षा सितम्बर 2022 से नवम्बर 2022 के दौरान संचालित की गई। लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली में लेखापरीक्षा पूछताछ और माँगें जारी करके जानकारी प्राप्त करना, वित्तीय प्रबंधन से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा, उपभोग्य सामग्रियों एवं परिसम्पत्तियों का

प्रापण, अवसंरचना के कार्य, आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग, विश्वविद्यालय की स्थापना और प्रशासन शामिल हैं। लेखापरीक्षा की शुरुआत 5 सितम्बर 2022 को विश्वविद्यालय के साथ एक प्रवेश सम्मेलन के साथ हुई जिसमें विश्वविद्यालय को लेखापरीक्षा के उद्देश्य, क्षेत्र और पद्धति के बारे में बताया गया। 15 नवम्बर 2022 को निकास सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई। लेखापरीक्षा⁹ और निकास सम्मेलन के दौरान एवं उसके बाद संस्थान द्वारा दिए गए उत्तरों को उचित रूप से शामिल किया गया।

4.2.3 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

4.2.3.1 नियमों और विनियमों का अनुपालन तथा जवाबदेही दायित्वों की पूर्ति

सरकारी संगठनों को लागू विधियों एवं विनियमों का अनुपालन करना आवश्यक है तथा उनके अधिकारी अपने निर्णयों, कार्रवाई और निष्पादन के सभी पहलुओं के लिए जवाबदेही होंगे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय नियमों और विनियमों के अनुपालन और विभिन्न क्षेत्रों में जवाबदेही दायित्वों की पूर्ति से विचलित हुए, जैसा कि अनुवर्ती पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

(ए) आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन कक्ष का कार्यकरण (आईक्यूएसी)

वीबीयू ने जनवरी 2011 में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन कक्ष (आईक्यूएसी) की स्थापना को अधिसूचित किया। इसके अधिदेश में विभिन्न शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधियों के गुणवत्ता बेंचमार्क/पैरामीटर्स का विकास एवं अनुप्रयोग तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और भागीदारी के लिए अनुकूल शिक्षार्थी केंद्रीत वातावरण के सृजन की सुविधा, शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया, उच्च शिक्षा के विभिन्न गुणवत्ता मानकों की जानकारी का प्रसार, को शामिल किया गया।

शिक्षा मंत्रालय (एमओई), राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) का उपयोग करते हुए शिक्षण-अधिगम और संसाधनों, अनुसंधान व पेशेवर प्रथाओं, स्नातक परिणामों, सेवा आउटरीच और समावेशिता तथा धारणा के संदर्भ में गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप उच्च शिक्षा संस्थाओं का मूल्यांकन करता है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, आईक्यूएसी गुणवत्तापूर्ण

⁹ सितम्बर-मार्च 2023 के बीच।

शिक्षा तथा अनुसंधान के क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार था, जिसके आधार पर एनआईआरएफ रैंकिंग प्रदान की जाती हैं। हालांकि लेखापरीक्षा में पाया गया कि विश्वविद्यालय की एनआईआरएफ रैंकिंग में विगत पाँच वर्षों अर्थात् #2018 में 31 रैंक, #2019 में 37 रैंक, #2020 में 50, #2021 में 64 तथा #2022 में 98 में लगातार गिरावट हो रही हैं।

विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया (सितम्बर 2022/मार्च 2023) कि वे लम्बे समय से (फरवरी 2016 से नवम्बर 2018) तक बिना स्थायी कुलपति के थे, जिससे आइक्यूएसी सहित विश्वविद्यालय के कार्यकरण पर इसका प्रभाव पड़ा। इसमें कहा गया कि अब बेहतर गुणवत्ता एवं शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा प्रदान करने के लिए पहल की जा रही हैं।

(बी) नियुक्तियों में अनियमितता एवं सुधारात्मक कार्रवाई का अभाव

लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के अनुसार यह पाया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा (2006-2014¹⁰ के दौरान विज्ञापित) शिक्षण एवं गैर-शिक्षण पदों पर की गई 58 नियुक्तियाँ अनियमित थीं जबकि पात्रता/अनुभव/न्यूनतम आयु मानदंड आदि संबंधित विज्ञापनों में अनुबद्ध प्रावधानों का उल्लंघन किया गया था। इस संदर्भ में, शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक तथ्यान्वेषी समिति (एफएफसी) का गठन किया गया था जिसने अवलोकन किया (अप्रैल 2015) कि 23¹¹ मामलों में, नियुक्त व्यक्ति निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूर्ण नहीं करते थे। एफएफसी की टिप्पणियों की पुष्टि (अगस्त 2020) विश्वविद्यालय द्वारा गठित एक जाँच समिति द्वारा की गई। लेखापरीक्षा ने समय समय पर निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदन के माध्यम से वैसी ही 35¹² अनियमित नियुक्तियों के मामलों को भी इंगित किया।

विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने जांच समिति की रिपोर्ट का समर्थन किया (सितम्बर 2020), लेकिन अनियमित नियुक्तियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के बजाय विश्वविद्यालय ने आगे की राय और सलाह की मांग करते हुए शिक्षा मंत्रालय को जांच समिति

¹⁰ 53 मामलों में, 2006-2014 के दौरान विज्ञापन दिए गए जबकि चार मामलों में विश्वविद्यालय द्वारा कोई विज्ञापन नहीं दिया गया। एक मामले में उपयुक्त सूचना लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई।

¹¹ तथ्यान्वेषी समिति ने अनियमित नियुक्तियों के 24 मामले इंगित किए, जिनमें से एक व्यक्ति ने पद ग्रहण नहीं किया।

¹² 58 मामलों में से 35 मामले लेखापरीक्षा (वित्तीय वर्ष 2014-15, 2016-17, 2019-20, 2020-21 के लिए निरीक्षण रिपोर्ट) द्वारा 12 मामले जो एफएफसी द्वारा इंगित किए गए मामलों सहित अतिव्यापित हो रहे थे, को हटा करके इंगित किए गए।

की रिपोर्ट भेज दी (सितम्बर 2020)। इस मुद्दे के संबंध में अभिलेख पर न ही कोई आगे पत्राचार पाया गया न ही मामले में विश्वविद्यालय या मंत्रालय द्वारा कोई कार्रवाई की गई।

अनियमित नियुक्तियों पर कार्रवाई करने में कमी के कारण नियुक्तियों की सेवा पूर्ण वेतन एवं सेवा लाभों के साथ जारी रही। इसके परिणामस्वरूप उन्हें सभी सेवानिवृत्ति सेवा लाभों के साथ सेवानिवृत्त/इस्तीफा देने का अवसर प्रदान किया गया। 58 अनियमित नियुक्तियों में से 18 व्यक्ति अप्रैल 2023 तक सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया (मार्च 2023) कि अनियमित नियुक्तियों से संबंधित मामले जो शिक्षा मंत्रालय अथवा लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए को सितम्बर 2020, अप्रैल 2021 और अक्टूबर 2021 में शिक्षा मंत्रालय को आगे की कार्रवाई के संबंध में विचार जानने के लिए भेजा गया।

यह नोट किया जाए कि अनियमित नियुक्तियों के दृष्टांत अभिलेखों की नमूना जाँच एवं विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ों पर आधारित हैं, इसलिए उपरोक्त उल्लिखित मामलों की संख्या परिपूर्ण नहीं है तथा विश्वविद्यालय/मंत्रालय अन्य समान मामलों की समीक्षा करते हुए और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई कर सकता है।

(सी) अनधिकृत अनुपस्थिति के मामलों से निपटने में अत्यधिक देरी

डीओपीटी ने दिनांक 28.03.2013¹³ के ओएम में दोहराया है कि अनधिकृत अनुपस्थिति के लिए प्रशासनिक प्राधिकारियों द्वारा त्वरित एवं कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। इस संदर्भ में एमओई ने दिनांक 03.03.2016¹⁴ के आदेशों के तहत *अन्य बातों के साथ-साथ* कहता है कि प्रशासनिक मामलों में निर्णय जीओआई/यूजीसी के नियमों, विनियमों, निदेशों के कड़ाई से पालन के साथ निर्णय किए जाने चाहिए, ऐसा नहीं करने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

¹³ ओएम सं. 13026/3/2012- ईएसटीटी (अवकाश) दिनांक 28 मार्च 2013।

¹⁴ दिनांक 3 मार्च 2016 को एमएचआरडी, उच्च शिक्षा विभाग, केंद्रीय विश्वविद्यालय ब्यूरो द्वारा निर्गत एफ नं. 61-19/2015- डेस्क (यू)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि विश्वविद्यालय ने अनधिकृत अनुपस्थिति के निम्नलिखित मामलों में समय पर कार्रवाई नहीं की एवं वेतन तथा भत्तों का अनियमित भुगतान किया:

नमूना जाँच में अनधिकृत अनुपस्थिति के निम्नलिखित दृष्टांत सामने आए:

- (i) एक कर्मचारी 21 फरवरी 2015 से लगातार अनुपस्थित था, जिसके लिए उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया (अप्रैल 2015)। हालांकि, विश्वविद्यालय ने दिसम्बर 2020 तक उन्हें वेतन एवं भत्ते देना जारी रखा। अनुशासनात्मक कार्यवाही छः वर्ष की अधिक की देरी से मार्च 2021 में जाकर शुरू की गई और नवम्बर 2021 में कार्यकारी परिषद ने उन्हें 21 फरवरी 2015 से सेवा से बर्खास्त कर दिया। हालांकि विश्वविद्यालय ने लम्बे समय से कर्तव्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के बावजूद भी इस कर्मचारी को लगभग छः वर्षों¹⁵ तक ₹27.66 लाख¹⁶ की राशि के वेतन और लाभों के अनियमित भुगतान जारी रखने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ न तो कोई कार्रवाई की और न ही अनियमित रूप से भुगतान की गई राशि के लिए कार्रवाई की।
- (ii) 17 जून 2019 से अनधिकृत अनुपस्थिति के बावजूद विश्वविद्यालय ने सात महीनों बाद (फरवरी 2020 में) दूसरे कर्मचारी से स्पष्टीकरण मांगा तथा सितम्बर 2022 में उनकी सेवा से बर्खास्तगी की पुष्टि की। विश्वविद्यालय ने उन्हें जनवरी 2020 तक वेतन और भत्तों का भुगतान जारी रखा, जिसके परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय की गणनानुसार ₹7.74 लाख¹⁷ का अनियमित भुगतान हुआ। उस कर्मचारी का नाम केवल विश्वविद्यालय के रोल से सितम्बर 2022 में हटाया गया, जो 17 जून 2019 से लागू था।

विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया (मार्च 2023) कि अनधिकृत अनुपस्थिति के लिए दोनों कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी किंतु अनधिकृत अनुपस्थिति की अवधि के दौरान दोनों कर्मचारियों को वेतन जारी रखने हेतु जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के संबंध में चुप रहा। इस प्रकार विश्वविद्यालय ने न केवल दोनों कर्मचारियों

¹⁵ फरवरी 2015 से दिसम्बर 2020 तक।

¹⁶ फरवरी 2015 से दिसम्बर 2020 तक की अवधि के दौरान मूल वेतन, ग्रेड पे, डीए, एचआरए, धुलाई भत्ता, टीए सहित सकल वेतन।

¹⁷ 1 से 16 जून 2019 तथा जुलाई 2019 से जनवरी 2020 की अवधि के दौरान मूल वेतन, डीए, एचआरए, टीए सहित सकल वेतन।

को उनकी अनधिकृत अनुपस्थिति के लिए ₹35.40 लाख के वेतन एवं भत्तों का अनियमित भुगतान किया, तथा संबन्धित अधिकारियों पर जिम्मेदारी भी तय नहीं की, जो एमओई के आदेशों दिनांक 03 मार्च 2016 का उल्लंघन था।

(डी) छात्र शिकायत निवारण प्रणाली के संबंध में अनुदेशों का गैर-अनुपालन

यूजीसी (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम, 2019, 6 मई 2019 से प्रभावी हुआ तथा सभी उच्च शिक्षण संस्थानों पर लागू हुआ। लेखापरीक्षा ने पाया कि वीबीयू ने अपनी अधिसूचना के 3 वर्ष से अधिक समय के बाद भी विनियमों के कुछ प्रमुख प्रावधानों को लागू नहीं किया है।

- (i) प्रत्येक संस्थान को उक्त अधिसूचना जारी होने के तीन महीने के अन्दर एक ऑनलाईन पोर्टल सृजित करना आवश्यक था, जहाँ पीड़ित छात्र, शिकायत निवारण की मांग करते हुए एक आवेदन जमा कर सकते हैं। वीबीयू द्वारा ऐसा कोई पोर्टल सृजित नहीं किया गया है।
- (ii) विनियम में प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए उन मुद्दों जैसे कि छात्रावास एवं कैंटीन सुविधाएं जो किसी अकादमिक विभाग से संबंधित हैं, का निपटान करने के लिए विभाग स्तर पर विभागीय छात्र शिकायत निवारण समिति¹⁸ (डीएसजीआरसीएस), संस्थान स्तर पर संस्थागत छात्र शिकायत निवारण समिति का (आईएसजीआरसी)¹⁹, गठन करना अपेक्षित है तथा आईएसजीआरसी या डीएसजीआरसीएस द्वारा शेष अनसुलझी शिकायतों का निवारण करने के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर विश्वविद्यालय छात्र शिकायत निवारण समिति²⁰ (यूएसजीआरसी) का गठन करना अपेक्षित है। यह पाया गया कि

¹⁸ डीएसजीआरसी में 05 व्यक्तियों अर्थात् संबंधित विभाग के एचओडी को अध्यक्ष के रूप में, विभाग के बाहर से दो प्रोफेसर को सदस्य के रूप में, संकाय का एक सदस्य जो शिकायत निवारण तंत्र से अच्छी तरह वाकिफ हो, छात्रों के एक प्रतिनिधि को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा।

¹⁹ आईएसजीआरसी में पांच सदस्य शामिल अर्थात् प्रो वीसी/डीन/वरिष्ठ प्रोफेसर अध्यक्ष के रूप में, छात्रों के डीन/डीन, छात्र कल्याण एवं एक वरिष्ठ एकेडमी सदस्य के रूप में, सदस्य के रूप में प्रोक्टर/वरिष्ठ एकेडमिक, विशेष आमंत्रित के रूप में छात्रों से एक प्रतिनिधि।

²⁰ यूएसजीआरसी में छः सदस्यों अर्थात् अध्यक्ष के रूप में वरिष्ठ प्रोफेसर, सदस्य के रूप में छात्र कल्याण के डीन, सदस्य के रूप में सम्बद्ध महाविद्यालयों से चुने गए दो प्राचार्य, सदस्य के रूप में विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में छात्रों के एक प्रतिनिधि को शामिल किया जाएगा।

वीवीयू ने अप्रैल 2022 में विभागीय स्तर पर डीएसजीआरसीएस को केवल गठित किया है।

(iii) विश्वविद्यालय छात्रों की शिकायतों एवं उनके निवारण की स्थिति का कोई रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं कर रहा है।

विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया (मार्च 2023) की यूजीसी का छात्र शिकायत पोर्टल कार्यात्मक था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि प्रत्येक संस्थान को अपना स्वयं का पोर्टल सृजित करना आवश्यक है तथा विश्वविद्यालय ने अभी तक अपना स्वयं का ऑनलाइन पोर्टल सृजित नहीं किया है, जो यूजीसी विनियमों के अनुसार अपेक्षित है।

(ई) बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का गैर-निपटान

दिसम्बर 2017 में, यूजीसी ने सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को उनके पास लंबित लेखापरीक्षा पैरा पर त्वरित कार्रवाई करने का निदेश दिया। वीवीयू ने मई 2018 एवं फरवरी 2020 में सभी लेखापरीक्षा टिप्पणियों के अनुपालन और निपटान के लिए स्थायी लेखापरीक्षा समिति (एसएसी) का गठन किया। हालांकि, यह पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2020-21 की अवधि से संबंधित 55 लेखापरीक्षा पैरा, जिसमें पाँच वर्ष से अधिक पूर्व जारी किए गए सात लेखापरीक्षा पैरा भी शामिल हैं, अक्टूबर 2022 तक बकाया रहे। इतने लम्बे समय तक बड़ी संख्या में लेखापरीक्षा अवलोकनों का लम्बित रहना लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए दोषों, चूक एवं अनियमितताओं को सुधारने के लिए उचित और पर्याप्त कार्रवाई की कमी को दर्शाता है।

विश्वविद्यालय ने बताया (मार्च 2023) कि लेखापरीक्षा समिति की बैठक के दौरान (मार्च 2023) बकाया पैरा का उत्तर प्रस्तुत कर दिया गया है तथा 23 पैरा का निपटान कर दिया है। हालांकि तथ्य यह है कि इस रिपोर्ट में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद ही विश्वविद्यालय ने बकाया पैराओं के लम्बित जवाब के लिए कार्रवाई शुरू की थी।

(एफ) मुख्य पदों पर तदर्थ नियुक्त व्यक्तियों के साथ कार्य करना

डीओपीटी परिपत्र सं. 28036/1/2012 ईएसटीटी (डी) दिनांक 03.04.2013 अनुबंध करता है कि किसी श्रेणी पर तदर्थ आधार पर नियुक्त व्यक्तियों को जैसी भी स्थिति हो, शीघ्रातिशीघ्र मौके पर सीधी भर्ती, पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति द्वारा नियमित नियुक्ति के लिए अनुमोदित व्यक्तियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना है। लेखापरीक्षा ने पाया कि वीबीयू 2019 से 2022 के दौरान तीन से अधिक वर्ष हेतु तदर्थ आधार पर नियुक्त प्रमुख वरिष्ठ अधिकारियों जैसे पंजीयक, वित्त अधिकारी तथा आंतरिक लेखापरीक्षा अधिकारी के साथ कार्य कर रहा था, केवल तीन माह की संक्षिप्त अवधि 15 दिसम्बर 2021 से 15 मार्च 2022 तक को छोड़कर जब नियमित पंजीयक ने कार्यभार संभाला था। ऊपर उल्लिखित वरिष्ठ प्रबंधन स्तर पर वैधानिक पद हैं जिन्हें जिम्मेदारियां एवं संवेदनशील कार्य सौंपे गए हैं। विश्वविद्यालय को इन वरिष्ठ पदाधिकारियों को नियमित क्षमता से नियुक्त करने हेतु प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है क्योंकि लंबे समय तक तदर्थ आधार पर उनकी नियुक्ति, विश्वविद्यालय के कार्यकरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं।

विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया (नवम्बर 2022/मार्च 2023) कि उपयुक्त उम्मीदवार न मिलने या चयनित उम्मीदवार के कार्यग्रहण नहीं करने के कारण ये पद खाली रहे। उन्होंने यह भी बताया कि विश्वविद्यालय यूजीसी द्वारा निर्धारित नमूना भर्ती नियमों के अनुसार संशोधित भर्ती नियम बनाने हेतु आवश्यक कदम उठा रहा है तथा उसके बाद इन पदों पर यथाशीघ्र नियुक्तियां की जाएंगी।

4.2.3.2 वित्तीय प्रबंधन

लेखापरीक्षा ने वित्तीय प्रबंधन, संगठन में उपयोग होने वाली निधि के लिए योजना बनाने, जुटाने, नियंत्रित एवं प्रशासन करने से संबंधित हैं। प्रभावी वित्तीय प्रबंधन एक संगठन के वित्तीय औचित्य और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

विश्वविद्यालय द्वारा वित्तीय प्रबंधन में निम्न कमियाँ पाई गई:

(ए) नकदी प्रबंधन एवं नकदी संभालने में कमियां

लेखापरीक्षा ने नकदी प्रबंधन एवं नकदी संभालने के संबंध में निर्धारित नियमों से निम्नलिखित विचलन पाया:

(i) विश्वविद्यालय ने प्राप्ति एवं भुगतान (आर एंड पी) नियमावली, 1983 के नियम 13²¹ के अनुसार निर्धारित प्रारूप में रोकड़ बही का रख-रखाव नहीं किया है। रोकड़ बही के स्थान पर रोकड़ अंतर्वाह एवं रोकड़ बहिप्रवाह/संवितरण रजिस्टर तैयार किया है। निर्धारित प्रारूप में रोकड़ बही के अभाव में रोकड़ बही के शेषों का बैंक बही के साथ मिलान, जिसमें गलत डेबिट/क्रेडिट प्रविष्टियां, बैंक द्वारा लिया गया ब्याज एवं कमीशन आदि शामिल हैं, अनिश्चित बना रहा। कई वर्षों से लम्बित असमाशोधित राशि को विश्वविद्यालय द्वारा खातों में दर्शाया जाता रहा है तथा वित्तीय वर्ष 2021-2022 के खातों में ₹5.32 करोड़ की असमाशोधित राशि दर्शाई गई है। लेखापरीक्षा को असमाशोधित राशियों का विवरण उपलब्ध नहीं करवाया गया।

विश्वविद्यालय ने स्वीकार किया (मार्च 2023) कि वे रोकड़ अंतर्वाह रजिस्टर का रख-रखाव करते (रोकड़ बही के स्थान पर) हैं। उन्होंने कहा कि 2007-08 से 2012-13 की अवधि के दौरान बैंक मिलान विवरण तैयार नहीं किया गया, जिस कारण लम्बे समय से लम्बित असमाशोधित राशि को वर्षों से विश्वविद्यालय द्वारा खातों में दिखाया जाता रहा।

(ii) जीएफआर-2017 का नियम 7 एवं प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली, 1983 का नियम 6 अनुबंध करते हैं कि सरकार द्वारा या उसके पक्ष में प्राप्त सभी धन को बिना किसी विलम्ब के राजकीय खातों में लाया जाना चाहिए एवं इन प्राप्तियों का उपयोग उनमें उल्लिखित विशिष्ट मामलों को छोड़कर विभागीय व्यय को पूर्ण करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि (i) वर्ष 2019 से 2022 के दौरान नगद को मान्यता प्राप्त बैंक में जमा कराने में 2 से 21 दिनों के बीच की देरी हुई (ii) विश्वविद्यालय ने विभागीय व्यय को पूर्ण करने के लिए नकद प्राप्तियों को पहले बैंक खातों में जमा करने के बजाय सीधे उपयोग किया।

²¹ जीएआर-3 फॉर्म में (सरकारी लेखांकन नियमावली)

विश्वविद्यालय ने कहा कि उन्होंने बैंक से धन निकालने के बजाय आंतरिक प्राप्तियों से विभागीय व्यय के लिए धन का उपयोग किया तथा भविष्य में किए जाने वाले भुगतान को ध्यान में रखते हुए रोकड़ बैंक खाते में जमा किया।

उत्तर लेखापरीक्षा अभ्युक्ति की पुष्टि करता है। तथ्य यह है कि यह कार्य जीएफआर और आरएंडपी नियमावली के प्रावधानों के उल्लंघन में था।

(iii) प्राप्ति और भुगतान नियमावली का नियम 13(iv) *अन्य बातों के साथ-साथ* यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक माह के अंत में कार्यालय प्रमुख को रोकड़ बही में नकदी शेष का सत्यापन करना चाहिए तथा इस आशय का एक हस्ताक्षरित एवं दिनांकित प्रमाण पत्र दर्ज करना चाहिए और यदि किसी माह के अंतिम कार्य दिवस पर नकदी शेष का सत्यापन संभव नहीं है तो उसे अगले माह के पहले कार्य दिवस पर उस दिन कोई भी लेन-देन करने से पहले किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन करते हुए प्रत्येक माह के अंतिम कार्यदिवस के बजाय कार्यालय प्रमुख द्वारा नकदी सत्यापन केवल वित्तीय वर्ष के अंत में संचालित किया गया।

विश्वविद्यालय (मार्च 2023) ने बताया कि नकदी शेष का सत्यापन प्रत्येक माह के प्रथम कार्यदिवस की बजाय आवधिक रूप से किया गया था।

विश्वविद्यालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि आरएंडपी नियमावली के नियम 13(iv) के अनुसार नकदी सत्यापन मासिक आधार पर नहीं किया गया।

(बी) लम्बी अवधि के लिए अग्रिमों का गैर-समायोजन और अग्रिम रजिस्टर का अनुचित रखरखाव

(i) वित्तीय वर्ष 2014-15 से पूर्व विश्वविद्यालय के दो विभागों नामतः पल्ली शिक्षा भवन (पीएसबी) को भुगतान किया गया सामान्य अग्रिम एवं पल्ली संगठन विभाग (पीएसबी) को भुगतान किया गया अधिकारिक व्यवसाय अग्रिम क्रमशः ₹91.73 लाख एवं ₹248.13 लाख की राशि का अग्रिम 8 वर्ष से अधिक बीत जाने के बावजूद आज तक (मार्च 2023) असमायोजित रहा।

विश्वविद्यालय ने इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष 2014-15 से पूर्व पीएसवी तथा पीएसबी के अग्रिम रजिस्टर और गणना शीट का रखरखाव ठीक से नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि (मार्च 2023) दोनों विभागों द्वारा देनदारी को पूर्ण करने की कोई संभावना नहीं है।

(ii) विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के अग्रिमों का अभिलेख 'आधिकारिक अग्रिम खाता बही' में रखता है। हालांकि अग्रिम खाताबही के अलावा वर्ष 2014-15 से अग्रिमों का अभिलेख टैली सॉफ्टवेयर में भी रखा जा रहा है।

- लेखापरीक्षा ने पाया कि मार्च-2018 से पहले विश्वविद्यालय ने 24 मामलों (22 कर्मचारियों के संबंध में) में ₹12.85 लाख की राशि का भुगतान किया। 24 मामलों में से 12 मामलों को आगे नहीं बढ़ाया गया तथा अन्य 12 मामलों को वर्ष 2019-20 के लिए अग्रिम रजिस्टर से हटा/मिटा दिया गया।
- इस संदर्भ में, विश्वविद्यालय ने स्वीकार किया कि 15 मामलों में अभिलेख का पता नहीं चल सका। चार मामलों में विश्वविद्यालय ने लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने के बाद ही समायोजन की प्रक्रिया शुरू की (सितंबर 2022) तथा ₹3.58 लाख (कुल ₹12.85 लाख में से) समायोजित/वसूल किए गए (नवंबर 2022)। शेष पांच मामलों में, यह कहा गया कि अग्रिमों को पूर्व में ही समायोजित किया जा चुका था। हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन पांच मामलों में, उन अग्रिमों के समायोजन का कोई संदर्भ दिए बिना अग्रिम रजिस्टर से अग्रिमों से संबंधित प्रविष्टिया हटा/मिटा दी गई (ऊपर बताए गए एवं हटाए/मिटाए गए 12 मामलों में शामिल)।

विश्वविद्यालय ने अपने उत्तर (मार्च 2023) में लम्बित मामलों का पता लगाने का आश्वासन दिया एवं पुष्टि की कि अग्रिम के सम्पूर्ण मामले टैली सॉफ्टवेयर में दर्ज किए गए थे।

विश्वविद्यालय के उत्तर में इस तथ्य पर प्रकाश डालते हुए यह देखा जाए कि 15 मामलों का विवरण टैली सॉफ्टवेयर में भी पता लगाने योग्य नहीं था चार मामलों में आठ वर्षों से अधिक समय से लंबित अग्रिमों का समायोजन केवल लेखापरीक्षा के दृष्टांत में किया गया, जबकि शेष पाँच मामलों में अग्रिम को अग्रिम रजिस्टर से अनुचित तरीके से हटा दिया गया था।

(सी) अग्रदाय के रखरखाव में कमियां

लेखापरीक्षा ने अग्रदाय के रखरखाव में निम्न कमियां पाई:

- (i) विश्वविद्यालय समायोजन तथा पुनर्भुगतान के लिए प्रविष्टियां दिखाए बिना अपना अग्रदाय अग्रिम खाता का रखरखाव कर रहा था। इसने अग्रिम या अग्रदाय के लिए स्थायी रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया जैसा कि फॉर्म सीएएम²² 61 में निर्धारित है।
- (ii) विश्वविद्यालय ने अग्रदाय धारक के प्रभार के हस्तांतरण का कोई अभिलेख नहीं रखा। न तो अग्रिम खाता बंद किया गया और न ही अग्रिम शेष दर्शाने वाला नोट दर्ज किया गया था।
- (iii) वित्तीय वर्ष 1975-76 और वित्तीय वर्ष 2019-20 के मध्य विश्वविद्यालय के 68 विभागों को प्रदान किए गए ₹2.24 लाख का अग्रिम भुगतान सितम्बर 2022 तक अप्रयुक्त रहा तथा लेखापरीक्षा (सितम्बर 2022) में इंगित किए जाने के बाद 25 मामलों के संबंध में ₹1.73 लाख के समायोजन²³ के माध्यम से ₹0.51 लाख पर आ गया।

विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया (मार्च 2023) कि निष्क्रिय अग्रदाय की राशि और कम होकर ₹0.31 लाख हो गई है तथा वह 31 मार्च 2023 तक अग्रदाय राशि अभ्यर्पित करने की प्रक्रिया में थी।

- (iv) विश्वविद्यालय (2013) द्वारा प्रक्रियाओं और सिद्धांतों के संबंध में अग्रदाय के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित किया गया था कि प्रतिपूर्ति प्रत्येक पखवाड़े में कम से कम एक बार प्रस्तुत की जानी चाहिए, अग्रदाय की समीक्षा प्रत्येक 2 वर्ष में की जानी चाहिए तथा अग्रदाय धारकों द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को नकद व वाउचर के रूप में उनके द्वारा रखी गई राशि के संबंध में खाते की विवरणी प्रस्तुत की जानी चाहिए। यह पाया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा इन दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा था।

²² सिविल लेखा नियम पुस्तक जैसा कि जीएफआर 2017 के नियम 332 में बताया गया है।

²³ 14 सितम्बर 2022 से 09 नवम्बर 2022 के दौरान किए गए अग्रदाय समायोजन।

विश्वविद्यालय ने अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा कहा कि इन्हें भविष्य के मार्गदर्शन के लिए नोट कर लिया गया है।

(डी) जीवन प्रमाण-पत्र के गैर-प्रस्तुतीकरण के बावजूद पेंशन और पारिवारिक पेंशन का संवितरण

पेंशन के भुगतान के लिए केंद्र सरकार की योजना²⁴ के अनुसार, केंद्र सरकार के प्रत्येक पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी को अपनी पेंशन बंद होने से बचने के लिए नवम्बर के महीने में वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना होता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों द्वारा जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की निगरानी तथा पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों की मृत्यु के संबंध में समय पर प्राप्त जानकारी एकत्र करने में आंतरिक नियंत्रण की कमी थी। अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि विश्वविद्यालयों ने पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को उनके द्वारा जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए बिना भी पेंशन का वितरण जारी रखा। इस प्रकार के अनियमित पेंशन वितरण के परिणामस्वरूप चार मामलों में मृत पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को ₹22.06 लाख का भुगतान हुआ, जिसे बाद में विश्वविद्यालय द्वारा जुड़े बैंक खातों से वसूल किया गया। इनमें से ₹19.42 लाख लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद ही वसूल किए गए।

पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों की व्यक्तिगत उपस्थिति दर्ज करने के लिए बनाए गए रजिस्ट्रों में भी खामियाँ देखी गई, जैसे कि:

- (i) पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के अंगूठे के निशान/हस्ताक्षर संबंधित रजिस्टर में दिखाई नहीं दे रहे थे तथा जहां अंगूठे के निशान/हस्ताक्षर दर्ज किए गए थे, उसे कई मामलों में विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया था।
- (ii) कई मामलों में पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों की जन्म तिथि रजिस्टर में नोट नहीं थी।

²⁴ केंद्र सरकार के सिविल पेंशनभोगियों को पेंशन के भुगतान के लिए योजना का खंड 14।

(iii) ऐसे पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के नाम रजिस्टर में जारी है जो कई वर्षों से न तो जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत/जमा कर रहे हैं तथा न ही उन्हें कोई भुगतान किया जा रहा है।

विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया (मार्च 2023) की उसने भविष्य के मार्गदर्शन हेतु लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को नोट कर लिया तथा आगे कहा कि उसने अब पेंशनभोगियों द्वारा जीवन प्रमाण-पत्र गैर-प्रस्तुतीकरण के मामले में पेंशन की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए एक आंतरिक तंत्र तैयार कर लिया है। पेंशनभोगी जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होंगे, उन्हें विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा वीडियो कॉलिंग के माध्यम से यह पुष्टि करने के लिए बुलाया जाएगा कि पेंशनभोगी जीवित है। इसमें यह भी कहा गया कि अंगूठे का निशान अब विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा प्रमाणित किए जाएंगे।

4.2.3.3 प्रापण और परिसंपत्ति प्रबंधन

किसी संगठन को प्रापण हेतु उचित एवं पारदर्शी प्रणाली और अपने संसाधनों की सुरक्षा के लिए एक अच्छी तरह से डिजाइन किए गए तंत्र की आवश्यकता होती है। लेखापरीक्षा ने प्रापण के संबंध में नियमों के गैर-अनुपालन के मामले तथा संसाधनों के सुरक्षा तंत्र में विसंगतियों के मामले पाए जैसा कि अगले पैराग्राफ में चर्चा की गई है:

(ए) केंद्रीय खरीद अनुभाग (सीपीएस) के कार्यक्रम में कमी (सीपीएस)

जुलाई 2017 में, विश्वविद्यालय के केंद्रीय खरीद अनुभाग (सीपीएस) को शैक्षणिक व प्रशासनिक विभागों/अनुभागों के लिए सभी खरीद का कार्य सौंपा गया। लेखापरीक्षा ने सीपीएस के कार्यक्रम में निम्नलिखित कमियां पाई:

(i) उपभोग्य वस्तुओं का प्रापण

➤ विश्वविद्यालय ने अप्रैल 2019 से मार्च 2022 के दौरान ₹3.58 करोड़ की उपभोग्य वस्तुओं के प्रापण किए जिसमें से सीपीएस के माध्यम से प्रापण केवल ₹0.33 करोड़ था तथा शेष प्रापण सीपीएस की भागीदारी के बिना विभिन्न विभागों द्वारा सीधे किए गए थे।

- जीएफआर 211 में निर्धारित अनुबंधों के उल्लंघन में सीपीएस ने जीएफआर फॉर्म-23 में उपभोग्य के लिए स्टॉक रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया जिसमें किसी विशिष्ट मद की प्राप्ति, जारी करने और शेष मात्रा के बारे में विवरण दर्ज करता हैं। स्टॉक रजिस्टर के अभाव में, आवश्यकता की बारंबारता और आवश्यक उपभोग्य वस्तुओं की मात्रा तथा अनुकूलतम बफर स्टॉक निर्धारित नहीं किया जा सकता हैं। स्टॉक रिकॉर्ड का गैर-रखरखाव/अनुचित रखरखाव से दुरुपयोग का खतरा होता है।
- जीएफआर, 2017 का नियम 213(2) अनुबंध करता है कि सभी उपभोग्य वस्तुओं और सामाग्रियों का वर्ष में कम से कम एक बार भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए तथा यदि कोई विसंगति है, तो उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित कार्रवाई के लिए स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए। उक्त नियम के उल्लंघन में विश्वविद्यालय द्वारा प्रापण की गई उपभोग्य वस्तुओं के भौतिक सत्यापन से संबंधित कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया जा सका।
- भंडार और स्टॉक जारी करते समय, जिन व्यक्तियों को भंडार सामग्री जारी किए गए थे उनसे कोई पावती नहीं ली गई थी।

विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया (मार्च 2023) कि वह लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के अनुसार आवश्यक कदम उठाएगा।

(ii) अचल परिसम्पत्तियों के रजिस्टर का गैर-रखरखाव

- (क)** विश्वविद्यालय ने अप्रैल 2019 से मार्च 2022 की अवधि के दौरान ₹10.81 करोड़ की अचल परिसम्पत्तियों का प्रापण किया, जिसमें से सीपीएस के माध्यम से प्रापण केवल ₹7.05 करोड़ था तथा शेष प्रापण सीपीएस को शामिल किए बिना विभिन्न विभागों द्वारा सीधे किया गया।
- (ख)** विश्वविद्यालय ने जीएफआर के नियम 211 और फॉर्म 22 के अनुसार कोई अचल परिसम्पत्ति रजिस्टर नहीं रखा जिसमें अचल परिसम्पत्ति का विवरण, लागत एवं स्थान जैसे विवरण दर्ज होते हैं। निर्धारित प्रारूप में अचल परिसंपत्ति रजिस्टर के अभाव में विश्वविद्यालय अचल परिसम्पत्तियों के विवरण या उनके अधिष्ठापन/उपयोगिता के बिंदु का पता लगाने की स्थिति में नहीं था। इसके अलावा, विश्वविद्यालय

द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेख के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014-15 से अचल परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था। अचल परिसम्पत्ति रजिस्टर के अस्तित्व के बिना परिसम्पत्ति के वास्तविक अस्तित्व का पता लगाने के लिए भौतिक सत्यापन ठीक से नहीं किया जा सकता है।

विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया (मार्च 2023) की वह लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के अनुसार आवश्यक कदम उठाएगा।

(बी) जनशक्ति प्रापण पर सुरक्षा अभिकरण को अधिक भुगतान

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा जारी आदेश दिनांक 02 फरवरी 2017²⁵ के अनुसार, जनशक्ति आपूर्ति ठेकेदार को भुगतान केवल यह सत्यापित करने के बाद ही किया जाना चाहिए कि वैधानिक भविष्य निधि (पीएफ) भुगतान ईपीएफओ को या तो सीधे ईपीएफओ पोर्टल से, या ठेकेदार से भुगतान रसीद प्राप्त करके, कर दिया गया है, जिसे ईपीएफओ पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। वीबीयू ने अपनी सुरक्षा जनशक्ति जरूरतों को एक सुरक्षा अभिकरण (ठेकेदार) को बाहरी ठेका दे दिया है तथा इसके लिए मासिक भुगतान किया है, जिसमें संवेदक द्वारा ईपीएफओ को जमा करने के लिए जरूरी आवश्यक पीएफ योगदान राशि भी शामिल है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ठेकेदार द्वारा विश्वविद्यालय को सौंपे गए टीआरआरएन²⁶ विवरण के अनुसार दिसम्बर 2018 से अक्टूबर 2021 तक की अवधि के लिए ईपीएफओ को भुगतान किया गया पीएफ योगदान लेखापरीक्षा द्वारा ईपीएफओ की वेबसाइट से सत्यापित किए जाने पर, उन टीआरआरएन में दिखाए गए योगदान से मेल नहीं खाता है। लेखापरीक्षा सत्यापन से पता चला कि ठेकेदार द्वारा ईपीएफओ को किया गया वास्तविक भुगतान प्रस्तुत चालान में दर्शाई गई राशि से कम था। ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत चालान और ईपीएफओ वेबसाइट से लेखापरीक्षा द्वारा डाउनलोड किए गए चालान के बीच विसंगति के आगे के विश्लेषण से पता चला कि अभिकरण ने पीएमआरपीवाई²⁷ का लाभ उठाया था, किंतु विश्वविद्यालय को जमा

²⁵ पत्र सं. सीएआईयू/011 (33) 2015/एचक्यू/खंड-II दिनांक 02 फरवरी 2017।

²⁶ अस्थायी रिटर्न संदर्भ संख्या।

²⁷ अप्रैल 2016 से शुरू की गई प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना को नए रोजगार के सृजन हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहन देने के लिए डिजाइन किया गया था, जहां भारत सरकार नए रोजगार देने के लिए 01 अप्रैल 2018 (पहले के लाभ केवल ईपीएफ की ओर से नियोक्ता के योगदान हेतु लागू थे) से ईपीएफ और ईपीएस दोनों के लिए नियोक्ता के पूर्ण योगदान का भुगतान करेगी। पीएमआरपीवाई को 31 मार्च 2022 से बंद कर दिया गया है।

कराए गए चालान में इसका उल्लेख नहीं किया गया, जिससे प्रोत्साहन का लाभ प्राप्त हुआ, जो प्रमुख नियोक्ता अर्थात् वीबीयू के लिए था। इस प्रकार, विश्वविद्यालय द्वारा ईपीएफओ वेबसाइट से ईपीएफ चालान का सत्यापन न करने के परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹15.39 लाख का अधिक भुगतान हुआ (अनुलग्नक-4.2)

इस संबंध में विश्वविद्यालय का उत्तर मौन था।

(सी) पुस्तकालयों के प्रबंधन में कमियां एवं अनियमितताएँ

जीएफआर, 2017 के नियम 215(i) अनुबंध करता है कि 20,000 से अधिक संस्करण न रखने वाले पुस्तकालयों के मामले में पुस्तकों का पूर्ण भौतिक सत्यापन हर साल किया जाना चाहिए, जबकि 20,000 संस्करण से अधिक एवं 50,000 संस्करण तक रखने वाले पुस्तकालयों के संबंध में पुस्तकों का सत्यापन तीन वर्षों में कम से कम एक बार किया जाना चाहिए। 50,000 संस्करण से अधिक रखने वाले पुस्तकालयों के लिए नियम यह निर्धारित करता है कि नमूना भौतिक सत्यापन का अंतराल तीन वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। जीएफआर के नियम 215(ii) के अनुसार, भौतिक सत्यापन के दौरान सामने आई कोई हानि, यदि कोई हो, के लिए की जाने वाली कार्रवाई निर्धारित करता है।

विश्वविद्यालय के पास केंद्रीय पुस्तकालय, अनुभागीय पुस्तकालय तथा विभागीय/संगोष्ठी पुस्तकालय²⁸ को मिलाकर एक तीन-स्तरीय पुस्तकालय प्रणाली हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2021-22 की अवधि के लिए पुस्तकालय से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच से पुस्तकालयों की कार्यप्रणाली में निम्नलिखित कमियां और अनियमितताएं सामने आईं:

(i) विश्वविद्यालय में पुस्तकालय के 38²⁹ अनुभागीय और संगोष्ठी पुस्तकालयों में से 33 पुस्तकालयों ने अनुबंधित उपरोक्त नियमानुसार पुस्तकों का सत्यापन नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप पुस्तकों के भौतिक अस्तित्व का पता नहीं चल सका, जिससे दुरुपयोग का खतरा बढ़ गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि भूगोल विभाग के भौतिक सत्यापन

²⁸ वीबीयू में तीन-स्तरीय पुस्तकालय प्रणाली है - शीर्ष पर सभी वीबी बन्धुत्व और अस्थायी सदस्यों को सेवाएं प्रदान करने के लिए केंद्रीय पुस्तकालय है, फिर संबंधित भवन के सभी छात्रों, विद्वानों और संकाय सदस्यों को सेवाएं प्रदान करने के लिए अनुभागीय पुस्तकालय हैं और अंतिम, विभाग स्तर पर संगोष्ठी पुस्तकालय है, जिसका उपयोग विभागीय छात्रों और संकायों द्वारा किया जाता है।

²⁹ 12 अनुभागीय और 26 संगोष्ठी पुस्तकालय।

(दिसम्बर 2021) के बाद ₹7.06 लाख³⁰ मूल्य की 620 किताबें गायब पाई गई। विश्वविद्यालय ने जीएफआर 2017 के नियम 215(ii) के अंतर्गत गायब पुस्तकों के लिए जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है।

- (ii) विश्वविद्यालय ने भौतिक सत्यापन रिपोर्ट तैयार करने के लिए कोई मानक प्रारूप निर्धारित नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप अनुभागीय पुस्तकालयों द्वारा विभिन्न प्रारूपों में भौतिक सत्यापन रिपोर्ट तैयार की गई।
- (iii) लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 28,927 किताबों से निहित 26 संगोष्ठी पुस्तकालय में कोई पुस्तकालय कर्मचारी नहीं था। जिसके परिणामस्वरूप पुस्तकों का गैर-सत्यापन गुम होना/कमी होना आदि हुई, जैसा कि भूगोल विभाग के मामले में देखा गया था।

विश्वविद्यालय ने स्वीकार किया (मार्च 2023) और कहा कि 15 और पुस्तकालयों ने भौतिक सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की है तथा अन्य पुस्तकालय सत्यापन पर कार्य कर रहे हैं। लेखापरीक्षा ने पाया कि 15 में से 8 पुस्तकालयों में, जहां सत्यापन किया गया था, 1.6 प्रतिशत से 25.7 प्रतिशत किताबें गुम/गायब पाई गई। विश्वविद्यालय ने सूचित किया कि पुस्तकालय की पुस्तकों के भौतिक सत्यापन के प्रारूप में एकरूपता बनाए रखने के लिए दिशानिर्देश/एसओपी की तैयारी और अनुमोदन प्रक्रियाधीन हैं।

(डी) रबीन्द्र-भवन संग्रहालय के रखरखाव के मुद्दे

जुलाई 1942 में स्थापित रबीन्द्र भवन विश्वविद्यालय की एक महत्वपूर्ण परिसम्पत्ति है, जिसमें एक संग्रहालय और श्री रबीन्द्रनाथ टैगोर के पाँच घर हैं जिनमें रहे थे। रबीन्द्र-भवन संग्रहालय में टैगोर की मूल चित्रकारी, फोटोग्राफ संग्रह, अनोखी कलात्मक वस्तुओं का संग्रह और विभिन्न मूर्तियां हैं। लेखापरीक्षा ने संग्रहालय के रखरखाव में निम्न कमियां पाई:

- (i) जीएफआर 211(ii) (डी) निर्धारित करता है कि ऐतिहासिक/कलात्मक मूल्य की परिसम्पत्तियों का एक रजिस्टर, (फॉर्म जीएफआर 24 में) जिसमें परिसम्पत्ति की तिथि और अधिग्रहण, अधिग्रहण का स्रोत, लागत मूल्य, संरक्षक और स्थान आदि जैसे

³⁰ पुस्तकों की खरीद पर 20 प्रतिशत की छूट की कटौती के बाद पुस्तकों का सकल मूल्य ₹8.83 लाख और वसूली योग्य मूल्य ₹7.06 लाख था।

विभिन्न विवरण बनाए रखे जाएंगे। रबीन्द्र-भवन संग्रहालय के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप जीएफआर 24 में कोई रजिस्टर नहीं रखा गया था।

- (ii) स्ट्रांग रूम में रखी कई ऑयल पेंटिंग खराब हो रही थीं और कई पेंटिंग में झुर्रियां, भंगुरता, नाजुकता, सिकुड़न, फटना, दरारें और शल्कन आ गई है।
- (iii) कलाकृतियों की उपलब्धता और अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए और पुरावशेषों की स्थितियों का मूल्यांकन भी करने के लिए आवधिक भौतिक सत्यापन आवश्यक था। विश्वविद्यालय ने संग्रहालय में रखी गई कलाकृतियों के भौतिक सत्यापन के संबंध में अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया।
- (iv) संरक्षण के कार्य हेतु सुपुर्द महत्वपूर्ण पद जैसे संरक्षण सहायक, वरिष्ठ पुस्तक जिल्दसाज़, मरम्मतकर्ता आदि रिक्त थे। लिपिक इकाई, अभिलेखागार इकाई एवं संग्रहालय इकाई में भी पद रिक्त थे। विश्वविद्यालय के अभिलेखों से प्रकट हुआ कि संग्रहालय आंतरिक प्रबंधन समिति ने पेंटिंग एवं अन्य मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा के लिए संग्रहालय के स्ट्रांग रूम में नमी को रोकने के लिए इलेक्ट्रीशियन की आवश्यकता को उजागर किया था फिर भी, आज तक (मार्च 2023) पद रिक्त पड़े थे।

उपरोक्त संदर्भ में, विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया (मार्च 2023) कि:

- (i) वे प्रारम्भ से ही जीएफआर 24 के समान प्रारूप में ऐतिहासिक/कलात्मक मूल्य की संपत्तियों के लिए एक पृथक खाता का रख-रखाव कर रहे हैं। हालांकि, वे फॉर्म जीएफआर 24 संग्रहालय की परिसंपत्तियों के लिए पृथक खातों को बनाए रखने के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए।
- (ii) उनके पास आधुनिक उपकरण सहायक उपकरण और संरक्षण सामग्रियों सहित एक उचित संरक्षण प्रयोगशाला चलाने के लिए पर्याप्त निधि नहीं थी एवं जेम पोर्टल पर इसकी गैर-उपलब्धता के कारण संरक्षण/परिरक्षण/पुनर्स्थापन के लिए आवश्यक वस्तुओं की खरीद नहीं की जा सकी।

इस उत्तर को शायद इस तथ्य पर प्रकाश डालते हुए देखा जा सकता है कि विश्वविद्यालय द्वारा 2013-14 से 2021-22 तक की अवधि के दौरान आवश्यक सामग्री के प्रापण के संबंध में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया था।

- संग्रहालय की वस्तुओं का भौतिक सत्यापन रबींद्र-भवन के संबंधित विभागों द्वारा आंतरिक रूप से किया गया, क्योंकि किसी भी विश्वसनीय और सुरक्षित बाहरी अभिकरण द्वारा सत्यापन कराने के लिए कोई निधि उपलब्ध नहीं थी।

हालांकि तथ्य यह था कि विश्वविद्यालय द्वारा भौतिक सत्यापन के संबंध में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।

- विश्वविद्यालय ने बताया (मार्च 2023) कि रिक्त पद भरने के बाद ही परिरक्षण एवं संरक्षण विभाग उचित ढंग से कार्य करना शुरू कर सकता है। इन्होंने स्वीकार किया कि स्टाफ की भारी कमी परिरक्षण और संरक्षण कार्य के लिए बाधाओं में से एक थी।

तथ्य यह था कि कलाकृतियों का परिरक्षण और संरक्षण संग्रहालय के मुख्य कार्य हैं तथा इसलिए विश्वविद्यालय को कार्य के लिए आवश्यक पर्याप्त जनशक्ति के मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए।

(ई) उच्च मूल्य वाले नेटवर्क उपकरण का गैर-अधिष्ठापन

विश्वविद्यालय ने मौजूदा कैम्पस लोकल एरिया नेटवर्क (एलएएन) के उन्नयन के लिए, जो 10 वर्ष से अधिक पुराना था, ₹4.65 करोड़ की लागत पर दिसम्बर 2017 में एक उच्च मूल्य वाले सक्रिय नेटवर्किंग उपकरण का प्रापण किया। निष्क्रिय घटकों के टर्मिनल बिंदुओं में उचित अर्थिंग एवं विद्युतीय तारबंदी की अनुपलब्धता के कारण प्रापण किए गए उपकरण स्थापित नहीं किए जा सके, जिसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा तीन वर्ष के विलम्ब से दिसम्बर 2020 में ₹28.19 लाख की राशि संस्वीकृत की गई थी। इसके बाद, ठेकेदार को सौंपा गया अधिष्ठापन कार्य दिसम्बर 2021 में समाप्त कर दिया गया, क्योंकि वह कार्य शुरू करने में विफल रहा।

आज तक (मार्च 2023) उपकरण के गैर-अधिष्ठापन के कारण, उपकरण के साथ-साथ एएमसी³¹ सेवाओं की तीन वर्षीय व्यापक वारंटी क्रमशः दिसम्बर 2020 और दिसम्बर 2022 में समाप्त हो चुकी है। दिसम्बर 2021 में उपकरण के अधिष्ठापन के लिए अनुबंध समाप्त होने के बाद, विश्वविद्यालय ने उच्च मूल्य उपकरण के अधिष्ठापन के लिए कोई प्रयास नहीं किए, जिसके कारण पांच वर्षों से अधिक समय तक ₹4.65 करोड़ की सीमा तक निधि अवरुद्ध रही।

विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया (मार्च 2023) कि वह नेटवर्क संघटकों के अधिष्ठापन तथा परियोजना के कार्य को पूरा करने के लिए यथाशीघ्र कदम उठा रहा था।

(एफ) अवसंरचना का व्यर्थ होना

मार्च 2016 में, विश्वविद्यालय ने 'विश्व भारती कार्यक्रम' का नियमित प्रसारण करने तथा विश्वविद्यालय समुदाय विशेषकर छात्र, शिक्षक, कलाकार एवं अन्य पेशेवर की आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य हेतु अपने परिसर में संगीत-कला भवन में एक दृश्य-श्रव्य स्टूडियो को स्थापित करने का निर्णय लिया। कार्य मार्च 2017 में ₹5.97 करोड़ की लागत पर बीईसीआईएल³² भारत सरकार का एक उपक्रम, को सौंपा गया जिसने 23 जून 2019 को विश्वविद्यालय को स्टूडियो सुपुर्द किया। परियोजना तकनीकी समिति ने निर्णय लिया (सितंबर 2017) कि बिना किसी तकनीकी समस्या के स्टूडियो को चलाने हेतु योग्य एवं अनुभवी स्टाफ की नियुक्ति की जानी चाहिए तथा जब तक नियमित नियुक्ति नहीं हो जाती है तब तक न्यूनतम योग्यता को पूरा करने वाले स्टाफ को आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम पर रखा जा सकता है। परियोजना के लिए नोडल अधिकारी ने स्टूडियो के संचालन हेतु एक विस्तृत रिपोर्ट (जुलाई 2019) प्रस्तुत की जिसमें स्टूडियो से वार्षिक राजस्व सृजन को ₹4.71 करोड़ प्रति वर्ष पर प्रक्षेपित किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि विश्वविद्यालय ने एवी स्टूडियो के अधिग्रहण से पूर्व कोई संभाव्यता अध्ययन नहीं किया था। तथापि, यह पाया गया था कि एवी स्टूडियो समिति ने स्टूडियो को चालू करने के लिए 19 जुलाई 2019 को, अर्थात् स्टूडियो के अधिग्रहण के पश्चात संभाव्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। संदर्भित संभाव्यता रिपोर्ट ने स्टूडियो के संचालन में स्टूडियो को चलाने

³¹ विक्रेता द्वारा प्रापण की तिथि से तीन वर्षों के लिए वारंटी सेवाएं तथा वारंटी अवधि के समापन के पश्चात् दो वर्षों के लिए वार्षिक अनुरक्षण संविदा सेवाएं प्रदान की जानी थी।

³² ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड।

के लिए अपेक्षित निधियों की अनुपलब्धता, स्टूडियो को चलाने हेतु पदों के सृजन के संबंध में विशेषज्ञ समिति (परियोजना तकनीकी समिति) की सिफारिश का गैर-कार्यान्वयन, स्टूडियो को चलाने के लिए सक्षम स्टाफ की अनुपलब्धता, समर्पित विद्युत लाईन एवं हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी की अनुपलब्धता जैसी कई समस्याओं को उजागर किया। तथापि, रिपोर्ट में दर्शाए गए मुद्दों का समाधान करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है। परिमाणस्वरूप, विश्वविद्यालय आज तक अधिग्रहीत परिसम्पत्ति का उपयोग नहीं कर पाया है तथा एक भी कार्यक्रम का प्रसारण नहीं किया गया है। परियोजना को प्रारम्भ करने से पहले संभाव्यता/व्यवहार्यता अध्ययन न करने का परिणाम ₹5.97 करोड़ की लागत पर प्रापण की गई परिसम्पत्ति के व्यर्थ रहने तथा ₹4.71 करोड़ की प्रक्षेपित वार्षिक आंतरिक निधियों के गैर-सृजन में हुआ।

विश्वविद्यालय ने बताया (मार्च 2023) कि वह दृश्य-श्रव्य स्टूडियो की गतिविधियों को शुरू करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा था।

4.2.3.4 निर्माण कार्यों का निष्पादन

विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग विभाग, जिसकी अध्यक्षता एक विश्वविद्यालय इंजीनियर (यूई) द्वारा की जाती है, को सिविल, इलेक्ट्रिकल तथा जल आपूर्ति निर्माण कार्य के संबंध में विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों के अनुरक्षण तथा सीपीडब्ल्यूडी³³, पीएचडी³⁴ डब्ल्यूबीएसईडीसीएल³⁵ आदि जैसे बाह्य अभिकरणों के साथ इंजीनियरिंग मामलों के संबंध में संपर्क स्थापित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। ₹30 लाख से अधिक की अनुमानित लागत वाले सात निर्माण कार्यों के संबंध में नमूना जांच की गई थी तथा इंजीनियरिंग विभाग द्वारा निविदा प्रक्रिया में खामियां पाई गई थी जैसा नीचे उल्लेख किया गया है:

(ए) निविदा प्रक्रिया में खामियां

- (i) सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर), 2017 के नियम 133(2) के साथ नियम 133(3) पढ़े जो अनुबंध करता है कि एक मंत्रालय या विभाग ₹30 लाख से अधिक तक अनुमानित लागत के मरम्मत निर्माण कार्यों तथा किसी भी कीमत के मूल निर्माण कार्यों

³³ केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग।

³⁴ सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग।

³⁵ पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत संचितरण कम्पनी लिमिटेड।

को किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र उपकरण या किसी अन्य केन्द्र/राज्य सरकारी संगठन/पीएसयू, जिसे शहरी विकास मंत्रालय द्वारा ऐसे उद्देश्य हेतु अधिसूचित किया गया है, को उनकी वित्तीय दृढ़ता तथा तकनीकी क्षमता का मूल्यांकन करने के पश्चात् सौंप सकते हैं। लेखापरीक्षा ने पाया कि विश्वविद्यालय ने वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान ₹3.92 करोड़ वाले सात (07) निर्माण कार्यों के संबंध में मरम्मतों/नवीकरण/मूल निर्माण कार्यों को सरकार/पीएसयू अभिकरणों को नहीं सौंपा था जबकि इनमें प्रत्येक की अनुमानित लागत ₹30 लाख से अधिक थी (अनुलग्नक-4.3)।

विश्वविद्यालय ने केवल यह बताया (मार्च 2023) कि ये प्रशासनिक निर्णय थे।

विश्वविद्यालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि ₹30 लाख से अधिक के निर्माण कार्यों को निजी ठेकेदारों को प्रदान करना जीएफआर के संदर्भित प्रावधानों के उल्लंघन में था।

(ii) निर्माण कार्य प्रापण नियम पुस्तक, 2019 का खण्ड 4 अनुबंध करता है कि बोली दस्तावेज का विषय बिना किसी अस्पष्टता के स्वतः पूर्ण एवं व्यापक होना चाहिए। बोलीकर्ता द्वारा प्रतिक्रियाशील बोली को प्रेषित करने हेतु अपेक्षित सभी अनिवार्य सूचना का सरल भाषा में बोली दस्तावेज में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि विश्वविद्यालय के पास कोई अनुमोदित मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) नहीं था।

विश्वविद्यालय ने अभ्युक्ति को स्वीकार किया तथा बताया (मार्च 2023) कि वे सरकारी नियम पुस्तक तथा सीपीडब्ल्यूडी प्रक्रिया³⁶ के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से एसबीडी का अनुमोदन प्राप्त करेंगे।

(iii) वित्त मंत्रालय द्वारा 06 जून 2019 को जारी निर्माण कार्य प्रापण नियम पुस्तक, 2019 (प्रापण नियम पुस्तक) ने अनुबंध³⁷ किया कि चार अधिकारियों को 'बोली खोलने वालों' के रूप में निर्धारित किया जाना चाहिए। कथित प्रावधान के उल्लंघन में विश्वविद्यालय ने अधिकतम तीन अधिकारियों को बोली खोलने वालों के रूप में निर्धारित किया।

³⁶ वित्त मंत्रालय द्वारा 06 जून 2019 को जारी निर्माण कार्य प्रापण नियम पुस्तक 2019 एवं महानिदेशक सीपीडब्ल्यूडी द्वारा फरवरी 2019 में जारी सीपीडब्ल्यूडी निर्माण कार्य नियम पुस्तक, 2019।

³⁷ परिशिष्ट 3 का खण्ड 3.0(ii)।

विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया (मार्च 2023) कि विश्वविद्यालय प्रशासन के आदेशानुसार तीन अधिकारी निविदा खोलने वाली समिति में उपस्थित रह सकते हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विश्वविद्यालय का आंतरिक आदेश प्रापण नियम पुस्तक के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था।

(iv) प्रापण नियम पुस्तक का खण्ड 3.3.3(iii) *अन्य बातों के साथ-साथ* निर्धारित करता है कि तकनीकी-वाणिज्यिक बोलियों को निविदा समिति (टीसी) द्वारा निविदा दस्तावेजों में निर्धारित मानदण्डों के संदर्भ से खोला जाना है, संवीक्षा की जानी है एवं मूल्यांकन किया जाना है तथा उत्तरदायी, योग्य एवं तकनीकी रूप से सक्षम बोलीकर्ता का निर्णय लिया जाता है। लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹37 लाख से ₹66 लाख तक के बीच की अनुमानित लागत वाले सभी सात निर्माण कार्यों में जैसा **अनुलग्नक-4.3** में उल्लेख किया गया है, तकनीकी बोलियों का निविदा समिति (टीसी) के स्थान पर केवल एक अधिकारी (विश्वविद्यालय इंजीनियर) द्वारा संवीक्षा तथा मूल्यांकन किया गया था।

विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया कि संदर्भित खण्ड उन निर्माण कार्यों के लिए लागू है जो तकनीकी रूप से जटिल हैं तथा प्रापण का मूल्य नहीं है तथा इसलिए यह उल्लिखित निर्माण कार्यों के लिए लागू नहीं है।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि **अनुलग्नक-4.3** में उल्लिखित सभी निर्माण कार्य ₹30 लाख से अधिक की अनुमानित लागत के थे।

(v) प्रापण नियम पुस्तक के खण्ड 5.6.1 के अनुसार प्रापण को अंतिम रूप देने में विलम्ब जनता को अभिप्रेत लाभों से वंचित करता है तथा इसका परिणाम राजस्व की हानि एवं लागत वृद्धि में होता है। नियम पुस्तक के अनुसार, अनुबंध प्रदान करने में किसी भी मामले में 75 दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके उल्लंघन में, विश्वविद्यालय ने ₹30 लाख से अधिक के मूल्य वाले सात निर्माण कार्यों (**अनुलग्नक-4.4**) के संबंध में निविदा खोलने की तिथि से संविदा प्रदान करने में 102 दिनों से 299 दिनों तक के बीच की समय अवधि ली। विश्वविद्यालय द्वारा निविदा प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में लिए गए समय में कोई एकरूपता नहीं थी।

विश्वविद्यालय ने बताया (मार्च 2023) कि निविदाओं के संसाधन में लिया गया अतिरिक्त समय या तो कोविड-19 लॉकडाउन के कारण था या फिर प्रक्रियात्मक विलम्ब के कारण था। विश्वविद्यालय ने नियम पुस्तिक के अनुरूप निविदा प्रक्रिया को पूर्ण करने हेतु एक मानक समय सीमा तय करने के लिए एक मानक प्रचालन प्रक्रिया, जैसा लेखापरीक्षा द्वारा सुझाव दिया गया, तैयार करने का आश्वासन दिया।

(बी) नई अस्पताल बिल्डिंग के निर्माण के दौरान पर्याप्त निगरानी की कमी तथा इसका गैर-उपयोग:

लेखापरीक्षा ने पाया कि विश्वविद्यालय ने नई अस्पताल बिल्डिंग का निर्माण किया परंतु निर्माण की निगरानी में अंतराल था तथा अभिप्रेत उद्देश्यों हेतु बिल्डिंग के उपयोग के लिए पर्याप्त कार्रवाई करने में विफल रहा जैसा नीचे ब्योरा दिया गया है:

(i) अस्पताल बिल्डिंग के निर्माण में इंजीनियरिंग विभाग द्वारा अपर्याप्त निगरानी

विश्वविद्यालय ने पीयरसन मेमोरियल (पीएम) अस्पताल में उपलब्ध मौजूदा चिकित्सा सुविधाओं को उन्नत करने की योजना बनाई। उन्नयन कार्य में परियोजना को प्रचालनात्मक एवं क्रियात्मक बनाने हेतु अनिवार्य उपकरण तथा अन्य अवसंरचना के प्रापण सहित आईसीसीयू³⁸ वाली एक नई बिल्डिंग³⁹ मौजूदा अस्पताल बिल्डिंग के समीप का निर्माण शामिल था। नई बिल्डिंग के निर्माण कार्य को ₹13.37 करोड़⁴⁰ की लागत पर फरवरी 2010 में सीपीडब्ल्यूडी को सौंपा गया था जिसे जून 2013 की निर्धारित समापन तिथि के सापेक्ष में छः वर्षों से अधिक के विलम्ब के पश्चात् मई 2019 में पूरा किया गया तथा विश्वविद्यालय द्वारा अधिग्रहण कर किया गया।

उपलब्ध अभिलेख दर्शाते हैं कि वीबीयू के इंजीनियरिंग विभाग को इंजीनियरिंग मुद्दों के संबंध में सीपीडब्ल्यूडी के साथ संपर्क स्थापित करना था। इस संदर्भ में, विश्वविद्यालय की अस्पताल प्रबंधन समिति (एचएमसी) ने सूचित किया (मई 2018) कि बिल्डिंग के निर्माण में कुछ वास्तुदोष तथा संरचनात्मक समस्या थी अर्थात् ऑपरेशन थियेटर (ओटी) कक्ष अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए काफी छोटा था तथा लिफ्ट में स्ट्रेचर के साथ रोगी को ले जाने की जगह

³⁸ इंटेंसिव क्रिटिकल केयर यूनिट।

³⁹ 3266 वर्ग मीटर की जी+2 मंजिला बिल्डिंग।

⁴⁰ विश्वविद्यालय द्वारा फरवरी 2010 तथा मई 2011 के दौरान तीन किशतों में सीपीडब्ल्यूडी को ₹13.37 करोड़ की राशि जारी की थी।

नहीं थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि बिल्डिंग में कमियों को विश्वविद्यालय द्वारा केवल एक बार नवम्बर 2016 में सीपीडब्ल्यूडी के संज्ञान में लाया गया था परंतु उन्होंने मामले पर कोई कार्रवाई या बाद में आगे बढ़ाया भी नहीं और इसलिए बिल्डिंग का निर्माण उपरोक्त वर्णित कार्यात्मक कमियों के साथ पूरा किया गया। विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग विभाग ने मामले का समाधान किए बिना तथा चिन्हित कमियों को सुधारे बिना ही सीपीडब्ल्यूडी से बिल्डिंग का अधिग्रहण किया।

विश्वविद्यालय ने बताया (मार्च 2023) कि नवम्बर 2016 में अस्पताल प्राधिकारियों से सुझाव प्राप्त किए गए थे तथा ओटी कक्ष का उस चरण पर परिवर्तन काफी कठिन था क्योंकि इसमें बिल्डिंग, आगे लिफ्ट भी खरीदी गई तथा उसी समय अधिष्ठापित भी की गई संरचना में परिवर्तन की आवश्यकता थी।

उपरोक्त से विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग विभाग द्वारा कार्य के निर्माणाधीन के समय निगरानी करने में बड़ी चूक इंगित होती है।

(ii) अस्पताल बिल्डिंग का अभिप्रेत उद्देश्य के लिए अप्रयुक्त रहना

अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि पीएम अस्पताल की नई बिल्डिंग का सीपीडब्ल्यूडी से विश्वविद्यालय द्वारा मई 2019 में अधिग्रहण लिया गया था जैसा 3.4.2(ए) में उल्लेख किया गया है। तथापि, नई बिल्डिंग का उपयोग करने के लिए विश्वविद्यालय ने पीपीपी मोड में पूरे पीएम अस्पताल को चलाने के लिए ई-निविदा हेतु यूजीसी से केवल फरवरी 2020 में जाकर ही अनुमति की मांग की। जून 2020 में, एमओई ने आदेश दिया कि स्वायत्त निकायों को परिसम्पत्तियों को पट्टे पर देने के लिए भारत सरकार का अनिवार्य अनुमोदन अपेक्षित है तथा जून 2021 में इसने (एमओई) ने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया लागत-लाभ विश्लेषण अपर्याप्त था तथा विस्तृत विश्लेषण की मांग की थी। मार्च 2022 में, मंत्रालय ने ई-निविदा के द्वारा पीपीपी मोड में एक निजी साझेदार के चयन के प्रस्ताव को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया तथा विश्वविद्यालय को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर), संभाव्यता अध्ययन तथा अन्य विवरणों सहित पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा। आगे का कोई भी विकास अभिलेख में उपलब्ध नहीं था। इस प्रकार, अस्पताल बिल्डिंग के समापन तथा अधिग्रहण (मई 2019) से पहले इसके उपयोग की योजना प्रारम्भ करने में विश्वविद्यालय की विफलता

का परिणाम ₹13.37 करोड़ की लागत पर निर्मित बिल्डिंग के व्यर्थ रहने में हुआ है। अवसंरचना विश्वविद्यालय द्वारा अधिग्रहण के 3 वर्षों से अधिक के पश्चात् भी व्यर्थ पड़ी है।

विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया (मार्च 2023) कि पीपीपी मोड के माध्यम से अस्पताल बिल्डिंग के उपयोग की प्रक्रिया चालू है।

तथ्य यह है कि नई बिल्डिंग आज तक (मार्च 2023) अप्रयुक्त रही है।

4.2.3.5 आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली

आंतरिक लेखापरीक्षा एक संगठन के आंतरिक नियंत्रण तंत्र के अति आवश्यक संघटकों में से एक है। मौजूदा आंतरिक नियंत्रण तंत्र की दक्षता एवं प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने तथा लेखांकन, वित्तीय एवं अन्य व्यवसायिक प्रक्रियाओं का स्वतंत्र निर्धारण करने के लिए एक स्वतंत्र आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली स्थापित होनी चाहिए। यद्यपि विश्वविद्यालय ने फरवरी 1957 में एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली सृजित की तथा जुलाई 1962 में एक लेखापरीक्षा नियम पुस्तक को अनुमोदित किया, फिर भी इसने परिवर्तित लेखापरीक्षा आवश्यकताओं के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए लेखापरीक्षा नियम पुस्तक का कभी भी संशोधन/अद्यतन नहीं किया।

विश्वविद्यालय में आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्यकरण अपर्याप्त तथा अप्रभावी पाया गया था जैसा नीचे स्पष्ट किया गया है:

- (i) विश्वविद्यालय की लेखापरीक्षा नियम पुस्तक ने आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा लेन देन की पश्च लेखापरीक्षा को अनिवार्य किया। पश्च-लेखापरीक्षा के स्थान पर आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यालय द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन/वित्तीय संस्वीकृति, स्थापना मामलों, निविदा तथा प्रापण के संबंध में, प्राप्त करने हेतु पूर्व-लेखापरीक्षा संचालित की थी। इसलिए, आईएओ अपने कार्यों को निष्पादन नहीं कर रहा था जैसा कि लेखापरीक्षा नियम पुस्तक में अनिवार्य है।
- (ii) विश्वविद्यालय के आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध द्वारा लेखापरीक्षा योजना का कोई धारणा नहीं थी।
- (iii) आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग में सात अधिकारी होने के बावजूद प्रबंधन को कोई लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया था। आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षा

निष्कर्षों पर रिपोर्टिंग प्रणाली के अभाव के कारण विश्वविद्यालय प्रबंधन को अपने आंतरिक नियंत्रणों में कमजोरियां पर समय से सूचना प्राप्त नहीं हुई थी।

- (iv) आंतरिक लेखापरीक्षा अधिकारी वित्त अधिकारी तथा पंजीयक के नियंत्रणाधीन था तथा वह संगठन प्रमुख को सीधे रिपोर्ट नहीं कर रहा था। स्वतंत्र रिपोर्टिंग के बिना आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली के प्रभावी कार्यकरण को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।
- (v) शिक्षा मंत्रालय ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में वित्तीय प्रबंधन के सुधार के उपायों तथा नियमावली/प्रक्रियाओं के अनुपालन का सुझाव देते हुए पत्र सं. एफ सं. 61-19/2015-डेस्क(यू) दिनांक 3 मार्च 2016 के माध्यम से अनुदेश जारी किया जिसमें उल्लेख किया गया था कि सभी विश्वविद्यालयों को एक समयबद्ध प्रकार से अपने लेखाओं की आंतरिक लेखापरीक्षाएं कराना अनिवार्य था। यह पाया गया था कि वीबीयू अपने लेखाओं की आंतरिक लेखापरीक्षा संचालित नहीं कर रहा था। विश्वविद्यालय ने ऐसा न करने के कारण प्रस्तुत नहीं किए थे।

आंतरिक लेखापरीक्षा स्टाफ को प्रशिक्षण की कमी, आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यों का गैर-निष्पादन एवं रिपोर्टिंग प्रणाली का अभाव तथा लेखापरीक्षा योजना की कमी ने विश्वविद्यालय में आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली को अप्रभावी प्रस्तुत किया जिसके परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय को अपने आंतरिक नियंत्रणों में कमजोरियों की गैर-रिपोर्टिंग के जोखिम का सामना करना पड़ा है।

विश्वविद्यालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया तथा बताया (मार्च 2023) कि लेखापरीक्षा नियम पुस्तक के संशोधन तथा अद्यतन को प्रशासन के ध्यान में लाया जाएगा तथा पश्च लेखापरीक्षा को अगले वित्तीय वर्ष से शुरू किया जाएगा।

मामला मंत्रालय को दिसंबर 2022 में सूचित किया गया। उत्तर प्रतीक्षित है।

4.2.4 निष्कर्ष

विश्वविद्यालय में आंतरिक नियंत्रण तंत्र तथा आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण कमजोरियां थीं। विद्यालय की एनआईआरएफ रैंकिंग लगातार गिर रही है। कई मामलों में योग्यता मानदण्डों तथा लागू नियमावली उल्लंघन कर नियुक्तियों की गई थी तथा पता लगाने के पश्चात् भी कोई अनुवर्ती उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी। निगरानी तंत्र की कमी

अधिकारियों की अप्राधिकृत अनुपस्थिति के विरुद्ध कार्रवाई करने में असाधारण विलम्ब तथा अनियमित भुगतानों के जारी रहने का कारण बनी। अग्रिम, रोकड़ बही एवं पेंशनभोगियों तथा पारिवारिक पेंशनभोगियों को पेंशन के संवितरण के ब्योरे के अभिलेखों का वर्तमान प्रावधानों के अनुसार अनुरक्षण नहीं किया गया था। परिसम्पत्तियों के प्रापण में कमियां तथा श्रमशक्ति प्रापण में सुरक्षा अभिकरण को अधिक भुगतान के मामले पाए गए थे। योजना तथा सामायिक कार्रवाई की कमी का परिणाम उच्च मूल्यों वाली परिसम्पत्तियों तथा बिल्डिंग के गैर-संस्थापन/गैर-उपयोग में हुआ। निविदा प्रक्रियाओं में कमियां पाई गई थी तथा आंतरिक लेखापरीक्षा का प्रभावी कार्यकरण नहीं था।

सिफारिशें :

- **विश्वविद्यालय आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन कक्ष के कार्यकरण को सुदृढ़ करें।**
- **नियुक्तियों में विभिन्न नियमों एवं विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा अप्राधिकृत अनुपस्थिति के मामले में सामायिक प्रकार से उपयुक्त कार्रवाई प्रारम्भ की जाए।**
- **अग्रिमों तथा रोकड़बही के ब्योरे का निर्धारित प्रारूप में अनुरक्षण किया जाए तथा पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के पेंशन संवितरण तथा ठेकेदारों को सांविधिक भुगतान करने में उचित तत्परता लागू की जाए।**
- **विश्वविद्यालय मूल्यवान वस्तुओं के परिरक्षण एवं संरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु अपने पुस्तकालय प्रबंधन तथा संग्रहालय के अनुरक्षण में सुधार करें।**
- **यह सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र को सुदृढ़ किया जाए कि निर्माण कार्यों को विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं के अनुसार पूरा किया गया है। उच्च मूल्य की परिसम्पत्तियों का केवल पर्याप्त संभाव्यता अध्ययनों के पश्चात् ही अधिग्रहण किया जाए तथा उपकरण/परिसम्पत्तियों का अधिष्ठापन/उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु सक्रिय प्रयास किए जाए।**
- **आंतरिक लेखापरीक्षा नियम पुस्तक को बदलती लेखापरीक्षा आवश्यकताओं के साथ ताल-मेल बनाए रखने हेतु संशोधित किया जाए।**

4.3 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में नियोक्ता के अंशदान पर आयकर की गैर-कटौती

विश्व-भारती विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में नियोक्ता के अंशदान पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) से संबंधित आयकर प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया था जिसका परिणाम ₹1.05 करोड़ की आयकर राशि की गैर-कटौती में हुआ।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 15 के साथ पठित धारा 17(1)(Viii) के अनुसार, आयकर हेतु प्रभार्य "वेतन" में केन्द्र सरकार या किसी अन्य नियोक्ता द्वारा धारा 80सीसीडी से संदर्भित एक पेंशन योजना के अंतर्गत एक कर्मचारी के खाते में किया गया अंशदान शामिल होता है। इसके अतिरिक्त, उक्त धारा 80सीसीडी(2) के अनुसार, यदि केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या कोई अन्य नियोक्ता केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित एक पेंशन योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार या किसी अन्य नियोक्ता द्वारा नियुक्त व्यक्ति होने के रूप में किसी निर्धारिती, के पेंशन खाते में कोई अंशदान करती है, तो निर्धारिती को उसकी कुल आय में केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य नियोक्ता द्वारा अंशदान की गई राशि में से कटौती की अनुमति होगी जो निम्नस्तर से अधिक न हो-

- ए) पिछले वर्ष में उसके वेतन⁴¹ का 14 प्रतिशत, जहां केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा ऐसा अंशदान किया गया है।
- बी) पिछले वर्ष में उसके वेतन का 10 प्रतिशत, जहां अन्य किसी नियोक्ता द्वारा ऐसा अंशदान किया गया है।

आगे, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने भी स्पष्ट⁴² किया है कि केन्द्र सरकार के अलावा नियोक्ताओं द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में अंशदान हेतु कुल आय से अनुमत कटौती वेतन (मूल वेतन सहित मंहगाई भत्ता) के 10 प्रतिशत तक सीमित थी।

विश्व-भारती विश्वविद्यालय (वीबीयू), शांतिनिकेतन शिक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। वित्त मंत्रालय⁴³ द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि केन्द्रीय

⁴¹ मूल वेतन सहित मंहगाई भत्ता।

⁴² परिपत्र सं. 4/2020 दिनांक 16 जनवरी 2020 का पैरा 5.5.3।

⁴³ वित्त मंत्रालय ओएम सं. एफ सं. 1/1/2016-ई.III (ए) दिनांक 13.01.2017 तथा ओएम सं. एफ.सं. 1(3)/ईवी/2020 दिनांक 26.08.2021।

स्वायत्त निकायों के कर्मचारी केन्द्र सरकार के कर्मचारी नहीं हैं। तदनुसार, स्वायत्त संगठनों में कार्यरत कर्मचारियों हेतु धारा 80सीसीडी(2) के अंतर्गत एनपीएस में नियोक्ता के अंशदान के लिए आय से अनुमत कटौती कर्मचारी के वेतन के 10 प्रतिशत तक समिति है।

यह पाया गया था कि वीबीयू ने इस संबंध में एनपीएस पर वित्त मंत्रालय की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार 01 अप्रैल 2019⁴⁴ से एनपीएस के अंतर्गत नियोक्ता के अंशदान को मूल वेतन सहित महंगाई भत्ता (डीए) को 10 प्रतिशत से 14 प्रतिशत तक बढ़ाया। तथापि वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 के लिए टीडीएस प्रमाणपत्रों (फार्म 16) से यह पाया गया कि विश्वविद्यालय ने न तो कर्मचारियों की कुल वेतन आय में 14 प्रतिशत नियोक्ता के अंशदान को शामिल किया था, जैसा कि आयकर अधिनियम की धारा 17(i)(viii) के तहत अपेक्षित है, और न ही उसमें से 10 प्रतिशत नियोक्ता की अंशदान पर विचार किया था जैसा कि करयोग्य आय से कटौती हेतु स्वीकार्य है जिसे उक्त के धारा 80सीसीडी(2) के तहत अनुमत किया गया है।

इसका परिणाम तीन वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 में कुल ₹1.05 करोड़⁴⁵ की राशि के चार प्रतिशत नियोक्ता अंशदान (10 प्रतिशत की अनुमत कटौती से अधिक) पर स्रोत पर कर की गैर-कटौती में हुआ।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (दिसंबर 2022) में सूचित किया कि विश्व-भारती ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति का विरोध किया है कि विश्वविद्यालय ने एनपीएस में नियोक्ता के अंशदान पर टीडीएस से संबंधित आईटी प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया था जिसका परिणाम कर की गैर-कटौती में हुआ। विश्वविद्यालय ने बताया है कि धारा 80सीसीडी(2) के आईटी प्रावधानों के अनुसार, वीबीयू को 'किसी अन्य नियोक्ता' के रूप में माना गया है, परंतु यह उसी एनपीएस का अनुपालन करता है जिसे केन्द्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए अधिसूचित किया गया है तथा वीबीयू के कर्मचारियों के एनपीएस में नियोक्ता के अंशदान की राशि का केन्द्र सरकार द्वारा सहायता अनुदान के माध्यम से योगदान दिया गया है, इसलिए निधि का स्रोत वही है जो केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी का है, अर्थात् भारत की समोक्त निधि। मंत्रालय का

⁴⁴ वित्त मंत्रालय, राजपत्र अधिसूचना दिनांक 31 जनवरी 2019 के अनुसार।

⁴⁵ वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹29.14 लाख, वि.व 2020-21 में ₹36.47 लाख तथा वि.व 2021-22 में ₹39.72 लाख।

तर्क सही नहीं है क्योंकि आईटी अधिनियम, 1961 की धारा 80सीसीडी(2) स्पष्ट रूप से केन्द्र/राज्य सरकार के कर्मचारियों तथा किसी अन्य कर्मचारी की करयोग्य आय के परिकलन हेतु अनुमत कटौतियों के संबंध में एक अंतर सुनिश्चित करती है। इस प्रकार, कराधान के संबंध में प्रक्रिया में अंतर कर्मचारी की श्रेणी पर आधारित है न कि निधि के स्रोत पर।

वीबीयू ने यह भी बताया कि आईआईएम तथा आईआईटी जैसी अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालय तथा केन्द्रीय संस्थान भी वीबीयू की तरह उसी प्रक्रिया का अनुपालन कर रहे हैं। इसलिए, वीबीयू कर्मचारी भी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के समान आयकर कटौती सीमा के उसी लाभ के पात्र होने चाहिए।

ऊपर बताए गए कारण से वीबीयू का तर्क स्वीकार्य नहीं है। इस मामले में वीबीयू, एक स्वायत्त निकाय होने से, किसी अन्य नियोक्ता की श्रेणी में आता है। वर्तमान आयकर प्रावधानों के अनुसार स्वायत्त निकायों के कर्मचारी नियोक्ता के अंशदान पर 10 प्रतिशत से अधिक में आयकर अदा करने के उत्तरदायी है।

मंत्रालय को केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के अन्य समान मामलों में भी स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए।

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पना तथा विनिर्माण संस्थान (आईआईआईटीडीएम), कर्नूल

4.4 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पना तथा विनिर्माण संस्थान (आईआईआईटीडीएम), कर्नूल की गतिविधियां

डीपीआर प्रति छात्र निर्मित क्षेत्र पर निर्धारित मानकों के संबंध में असंगत था। संस्थान के पास अवसंरचना विकास हेतु उपयुक्त न्यूनतम अपेक्षित भूमि नहीं थी। छात्रावास निर्माण विलंबित था जो छात्रों के लिए तंग आवास का कारण बना। कैम्पस सुख सुविधाएं जैसे पेय जल, खेल सुविधाएं तथा परिवहन सुविधाओं के प्रावधानों में कमियां थीं। शैक्षणिक कार्यक्रमों तथा सीटों की परिकल्पित संख्या का सृजन नहीं किया गया था। संकाय पदों में रिक्तियां पाई गई थी तथा संकाय छात्र अनुपात निम्न था। मैकेनिकल तथा ईसीई विभागों में प्रयोगशाला उपकरण की उपलब्धता में कमियां पाई गई थी।

4.4.1 प्रस्तावना

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पना तथा विनिर्माण संस्थान (आईआईआईटीडीएम), कर्नूल (संस्थान) की स्थापना भारत सरकार (जीओआई) द्वारा आन्ध्र प्रदेश (एपी) पुनर्गठन अधिनियम

के तहत अप्रैल 2015 में की गई थी तथा यह आईआईआईटी अधिनियम, 2014 द्वारा शासित है। संस्थान का लक्ष्य वैश्विक रूप से उद्योगों को लाभ प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी तथा प्रौद्योगिकीविद् को उत्पन्न करने हेतु आईटी-समर्थ अभिकल्पना एवं विनिर्माण में उच्च शिक्षा का एक अग्रणी केन्द्र बनना है। इसने 2015-16 में अपने गरु संस्थान-आईआईआईटीडीएम कांचीपुरम के परिसर से कार्य करना प्रारम्भ किया। संस्थान के स्थायी परिसर के निर्माण हेतु आन्ध्र प्रदेश सरकार (जीओएपी) द्वारा अक्टूबर 2015 में कर्नूल शहर के समीप एक पहाड़ी पर 151.51 एकड़ माप की भूमि का आबंटन किया गया था। बाद में, 2017 में इसे आईआईआईटी अधिनियम, 2014 के अंतर्गत एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान के रूप में घोषित किया गया था। जुलाई 2018 से संस्थान ने कर्नूल में स्थित अपने स्थायी परिसर से कार्य करना शुरू किया। इसकी शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापना की गई है तथा इसकी अध्यक्षता एक निदेशक द्वारा की जाती है जो संस्थान के शासक बोर्ड के अध्यक्ष को रिपोर्ट करता है।

4.4.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य, क्षेत्र तथा पद्धति:

आईआईआईटीडीएम, कर्नूल की विषय आधारित लेखापरीक्षा निम्न पर आश्वासन प्राप्त करने के लिए की गई थी:

- (i) कर्नूल में इसके स्थायी परिसर में अवसंरचना का सृजन संस्थान के कार्यकरण हेतु कुशल एवं प्रभावी है।
- (ii) शैक्षणिक कार्यक्रम संस्थान के शिक्षा, अभिकल्पना एवं विनिर्माण में आरण्डडी में अग्रणी उत्कृष्टता का एक केन्द्र बनने के लक्ष्य के अनुरूप है।
- (iii) ऐसे शिक्षण वातावरण की स्थापना करना जो अभिकल्पना तथा विनिर्माण प्रौद्योगिकियों में उन्नत आरण्डडी गतिविधियों को करने हेतु उपयुक्त प्रतिभा के साथ साथ उद्योग प्रायोजन को आकर्षित करे।


संस्थान की लेखापरीक्षा ने 2017-18 से 2021-22 तक पांच वर्षों की अवधि के दौरान गतिविधियों को शामिल किया। सितंबर 2022 से जनवरी 2023 के दौरान फील्ड लेखापरीक्षा संचालित की गई थी। लेखापरीक्षा पद्धति में अभिलेखों की संवीक्षा, मानकीकृत स्प्रेडशीट के माध्यम से सूचना प्राप्त करना तथा चयनित अवसंरचना निर्माण कार्यों का संयुक्त भौतिक

निरीक्षण शामिल था। आगे, लेखापरीक्षा ने संरचित प्रश्नावली, जिसे संस्थान के साथ साझा किया गया था, के माध्यम से छात्रों तथा संकाय का एक लघु सर्वेक्षण भी किया। अवसंरचना निर्माण कार्यों की लेखापरीक्षा बिना प्रतिस्थापन, सरल यादृच्छिक नमूना पद्धति के आधार पर ली गई पूंजीगत परियोजनाओं/निर्माण कार्यों के नमूने की जांच करते हुए की गई थी। लेखापरीक्षा 15 सितंबर 2022 को संस्थान के साथ एक प्रवेश सम्मेलन के साथ प्रारम्भ की गई थी जिसमें संस्थान को लेखापरीक्षा उद्देश्यों, क्षेत्र तथा पद्धति की व्याख्या की गई थी। 21 मार्च 2023 को निर्गम सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसमें महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई थी। लेखापरीक्षा तथा निर्गम सम्मेलन के दौरान संस्थान द्वारा प्रस्तुत उत्तरों को उचित प्रकार से शामिल कर लिया गया है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

4.4.3 अवसंरचना का सृजन

संस्थान पूर्ण रूप से शिक्षा मंत्रालय (एमओई) द्वारा वित्तपोषित है। यह शुल्क एवं प्रभारों के माध्यम से आंतरिक प्राप्तियां भी उत्पन्न करता है। दिसंबर 2022 तक, आईआईआईटीडीएम कर्नूल ने परिसर अवसंरचना को तैयार करने के प्रति एमओई से कुल ₹153.80 करोड़ के अनुदान तथा ₹33.93 करोड़ का एचईएफए⁴⁶ कर्ज प्राप्त किया है। कुल ₹187.73 करोड़ में से ₹181 करोड़ का पूंजीगत व्यय अप्रैल 2015 से दिसंबर 2022 के बीच किया गया जैसा चार्ट सं. 4.1 में दर्शाया गया है:



⁴⁶ पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन को वित्त पोषित करने के लिए उच्च शिक्षा वित्त पोषण अभिकरण (एचईएफए), एमओई तथा कैनरा बैंक के बीच एक जेवी है।

एक अच्छी अवसंरचना अच्छे संकाय को आकर्षित करने तथा बनाए रखने में एक अहम भूमिका अदा करती है तथा यह छात्रों को शिक्षा के उच्चतर मानकों से अवगत कराने के लिए अनुकूल है। संस्थान को रायलसीमा एक्सप्रेस राजमार्ग (एनएच 40) के साथ कर्नूल में दिन्नेदेवारापदु गांव में स्थापित किया गया था। संस्थान हेतु एक स्थायी परिसर के निर्माण के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार (जीओएपी) द्वारा 2015 के दौरान 151.51 एकड़ माप की भूमि की पहचान तथा आबंटन किया गया था।

परिसर में अवसंरचना विकास को मेंटर इंस्टीट्यूट (आईआईआईटीडीएम, कांचीपरम) के पर्यवेक्षण के अधीन नवम्बर 2015 में प्रारम्भ किया गया। यह फरवरी 2019 तक मेंटर इंस्टीट्यूट के पर्यवेक्षण के अधीन रहा तथा इसके पश्चात् अवसंरचना विकास नियमित निदेशक, आईआईआईटीडीएम, कर्नूल के निर्देशन के अधीन चल रहा है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को एमओई द्वारा मार्च 2018 में अनुमोदित किया गया था।

4.4.3.1 अनुचित परियोजना नियोजन तथा प्रबंधन

ए) डीपीआर को मानदण्डों के अनुसार तैयार नहीं किया गया

केन्द्रीय रूप से वित्त पोषित संस्थानों में अवसंरचना परियोजनाओं के संबंध में एमओई के प्रधान परिपत्र दिनांक 03 जून 2019 ने अनुबंध किया कि निर्मित क्षेत्र 75 वर्गमीटर प्रति छात्र होगा जबकि डीपीआर साथ इसको केवल 40 वर्गमीटर प्रति छात्र की परिकल्पना की थी। डीपीआर निर्धारित मानदण्डों के साथ उस सीमा तक असंगत था।

2019 को समाप्त हो रही पांच वर्षों की अवधि के अंत में 1260 (संचयी) प्रक्षेपित छात्र संख्या हेतु उपकरण/परिसर की दीवार/स्थल विकास/परामर्श/आकस्मिक व्यय की लागत तथा करों सहित 50458 वर्ग मीटर के कुल निर्मित क्षेत्र के लिए प्रस्तावित कैम्पस की पूंजीगत लागत ₹256 करोड़ थी। संघटक वार अनुमानित लागत **अनुलग्नक-4.5** में दर्शाई गई है।

डीपीआर में 2015-16 से 2019-20 तक पांच वर्षों के लिए अवसंरचना विकास की योजनाएं शामिल थी। संस्थान ने उत्तर दिया (मार्च 2023) कि बीओजी ने आईआईआईटीडीएम, कर्नूल

को परियोजनाओं के अगले चरण हेतु डीपीआर तैयार करने हेतु सैद्धांतिक अनुमोदन (04 मार्च 2023 को 13वीं बैठक) प्रदान किया था।

तथ्य यह है कि डीपीआर तैयार करने में मंत्रालय के मानदंडों का पालन नहीं किया गया।

4.4.3.2 भूमि उपलब्धता तथा विकास

ए) उपयोग योग्य भूमि की कम-उपलब्धता

एमओई द्वारा “लोक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोड पर 20 नए आईआईआईटी को स्थापित करने हेतु योजना” के संबंध में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक आईआईआईटी को 100 एकड़ भूमि आबंटित की जानी चाहिए जो विशेषकर इनक्यूबेटर, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यान आदि जैसी मूल अवसंरचना एवं सुविधाओं, जो आईआईआईटी को अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अनिवार्य हैं, से निहित एक समेकित परिसर का विकास करने के लिए सन्निहित हो। न्यूनतम आवश्यक भूमि 50 एकड़ थी।

जीओएपी ने संस्थान की स्थापना करने के लिए कर्नूल में 151.51 एकड़ भूमि आबंटित की (अक्टूबर 2015)। डीपीआर के अनुसार भूमि विकास में परिसर की परिधि के चारों ओर तीन मीटर ऊंची परिसर की दीवार, थोक सेवाएं, भूनिर्माण, सड़कें आदि शामिल था। भूमि के आबंटन से पहले, एक समिति⁴⁷ ने कई वैकल्पिक स्थलों की जांच की तथा वर्तमान स्थलों का चयन किया जो प्रारम्भ में 52.96 एकड़ था तथा जिसे बाद में इसे 151.51 एकड़ तक बढ़ा⁴⁸ दिया गया, जब मेंटर इंस्टीट्यूट अर्थात् आईआईआईटीडीएम कांचीपुरम द्वारा इसका अधिग्रहण किया गया था। 2015 में भूमि आबंटन के तुरंत पश्चात् मेंटर इंस्टीट्यूट द्वारा कर्नूल में संस्थान के स्थायी परिसर के निर्माण हेतु सीपीडब्ल्यूडी के साथ एक एमओयू किया गया था। निर्माण के बड़े भाग को सीपीडब्ल्यूडी को सौंपे जाने (2015 से जुलाई 2020 के दौरान) के बाद संस्थान ने राज्य सरकार को सूचित किया (मार्च 2021) कि आबंटित 151.51 एकड़ में से आबंटित भूमि पर पहाड़ी, घाटियों तथा एचटी तारों की मौजूदगी के कारण 110.51 एकड़

⁴⁷ निदेशक, मेंटर इंस्टीट्यूट, एमओई एवं राज्य सरकार तथा सीपीडब्ल्यूडी से प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए।

⁴⁸ वृद्धि स्थल चयन समिति के अतिरिक्त भूमि के आवंटन के अनुरोध पर आधारित थी क्योंकि प्रस्तावित भूमि पर एचटी लाइन्स आदि हैं।

की सीमा तक की भूमि उपयोग योग्य स्थिति में नहीं थी। इसको ध्यान में रखते हुए संस्थान ने आबंटित भूमि के नजदीक 38.80 एकड़ की अतिरिक्त भूमि के लिए अनुरोध किया (मार्च 2021) जिसे राज्य सरकार द्वारा अभी भी स्वीकार नहीं किया गया था (मार्च 2023)। इस प्रकार, केवल कुल 41 एकड़ (27 प्रतिशत⁴⁹) भूमि ही संस्थान द्वारा भौतिक अवसंरचना का विकास हेतु उपयोग योग्य थी।

संस्थान ने उत्तर दिया (मार्च 2023) कि भविष्य में विस्तार हेतु अतिरिक्त भूमि के आबंटन के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किए गए थे तथा मामला अनुनयाधीन था।

उपरोक्त दर्शाता है कि संस्थान ने आबंटित भूमि की उपयोगिता का पता लगाने तथा अतिरिक्त भूमि की मांग करने में पांच (05) वर्षों से अधिक का असमान्य समय लिया। मामलों को भविष्य में विस्तार आवश्यकताओं को सुनिश्चित करते समय हर तरह से समेकित परिसर के विकास हेतु अपेक्षित उपयुक्त उपयोग योग्य भूमि को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित राज्य तथा केन्द्र सरकार में पर्याप्त रूप से उच्चतर स्तर पर आगे अनुसरण करने की आवश्यकता है।

बी) परिसर की दीवार का निर्माण

डीपीआर ने परिसर के चारों ओर चार किलोमीटर लम्बी तीन मीटर ऊंची के परिसर की दीवार के निर्माण का परिकल्पना की थी। राज्य सरकारों को संस्थान द्वारा प्रतिपूर्ति आधार पर परिसर की दीवार का निर्माण करना अपेक्षित था।

तदनुसार, राज्य सरकार ने चार किमी के सापेक्ष में केवल 2.51 कि.मी. की सीमा तक का कार्य एक ठेकेदार को प्रदान किया (फरवरी 2019)। उसमें से 1.36 किलोमीटर शेष को गैर-निष्पादित छोड़ते हुए केवल 1.15 किलोमीटर लम्बाई को निष्पादित किया गया था (दिसंबर 2022 तक)। शेष 1.49 कि.मी. (04 कि.मी.-2.51 कि.मी.) की दीवार के कार्य को मार्च 2023 तक सौंपा नहीं गया था क्योंकि इसके लिए राज्य सरकार द्वारा अभी भी प्रशासनिक संस्वीकृति प्रदान की जानी थी। इस प्रकार, परिसर की दीवार के बड़े भाग की भूमि की सुपुर्दगी

⁴⁹ 27 प्रतिशत = 41 एकड़/151.51 एकड़।

(अक्टूबर 2015) की तिथि से सात वर्षों से अधिक के बीत जाने के पश्चात् अभी भी निर्माण किया जाना है।

चित्र सं. 4.5: अपूर्ण परिसर की दीवार



चूंकि संस्थान के पास छात्रों (लड़के/लड़कियां) को छात्रावास सुविधाएं प्रदान करने के अतिरिक्त मूल्यवान प्रयोगशाला उपकरण है इसलिए पूरे परिसर के चारों ओर एक परिसर की दीवार का निर्माण निवासियों तथा सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण प्रथम आवश्यकता है।

संस्थान ने उत्तर दिया (सितम्बर 2022/ मार्च 2023) कि परिसर की सीमा दीवार का निर्माण आन्ध्र प्रदेश सरकार के कार्य क्षेत्र के अधीन है तथा परिसर की दीवार के हिस्से को पूरा कर लिया गया था तथा परिसर की दीवार के शेष भाग हेतु संस्वीकृति प्रगति के अधीन है। उन्होंने यह भी बताया कि विवाद को सुलझाने हेतु मामले का राज्य सरकार के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि परिसर की दीवार का राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति आधार पर निर्माण किया जा रहा था परंतु सीमाओं को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी संस्थान की है। इसलिए, इस तथ्य कि राज्य प्राधिकारियों के माध्यम से कार्य में पर्याप्त रूप से प्रगति नहीं हुई है तथा निर्माण की लागत केवल संस्थान द्वारा वहन किया जाएगा, पर विचार करते हुए संस्थान शिक्षा मंत्रालय तथा राज्य सरकार के परामर्श से परिसर हेतु सीमांकित भूमि के साथ चाहरदीवारी के निर्माण को त्वरित ढंग से करवाने की पहल करें, जिससे कि दोनों छात्रों के साथ साथ संस्थान की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके।

सी) खराब स्थिति में संस्थान तक पहुँचने वाली सड़क

3.6 कि.मी. नपी हुई एक पहुँच सड़क परिसर को राष्ट्रीय राजमार्ग-40 के साथ जोड़ती है। लेखापरीक्षा ने पाया कि सड़क खराब हालत में थी जिसकी माप खड़ी ढलान के साथ चौड़ाई में केवल तीन मीटर तथा बिना स्ट्रीट लाईट के थी। कई जगहों पर बीटी सतह/बजरी का आधार टूटा हुआ था। सड़क की खराब हालत (चित्र सं. 4.6) के कारण हितधारकों के लिए परिसर का दौरा करना कठिन है। यद्यपि संस्थान ने सितंबर 2021 में इन मुद्दों को राज्य सरकार के प्राधिकारियों के संज्ञान में लाया था फिर भी मुद्दे बिना निपटान किए रहे (मार्च 2023)।

चित्र सं. 4.6 : पहुँचने वाली सड़क की खराब हालत



संस्थान ने उत्तर दिया (मार्च 2023) कि उन्होंने कई बार मामले को राज्य सरकार के साथ उठाया था।

तथ्य यह है कि छात्रों के साथ साथ संस्थान के संकाय, स्टाफ तथा आगंतुकों द्वारा सामना की गई कठिनाईयां अनसुलझी रही।

4.4.3.3 अवसंरचना निर्माण कार्यों की प्रगति

मेंटर इंस्टीट्यूट (कांचीपुरम में) ने बिल्डिंगों जिसमें शैक्षणिक बिल्डिंग, छात्रावास ब्लॉक I एवं II, बहुउद्देशीय हॉल एवं अन्य थोक सेवाएं तथा विकास गतिविधियां शामिल हैं, के निर्माण हेतु नवम्बर 2015 (एमओयू-1) के दौरान सीपीडब्ल्यूडी के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए।

हालांकि, जब तक संस्थान ने अपने स्थायी परिसर (कर्नूल) से कार्य करना शुरू किया तब तक अर्थात् जुलाई 2018 में केवल शैक्षणिक बिल्डिंग को पूरा किया गया था।

बाद में, आईआईआईटीडीएम, कर्नूल ने शेष बिल्डिंगों जिसमें प्रशासनिक ब्लॉक, सेमिनार हाल, व्याख्यान ब्लॉक, प्रयोगशाला ब्लॉक, अतिरिक्त छात्रावास ब्लॉक, खेल सुविधाएं तथा अन्य विकास निर्माण कार्य शामिल हैं, के निर्माण हेतु सितंबर 2019 में सीपीडब्ल्यूडी के साथ अन्य एमओयू (एमओयू-II) पर हस्ताक्षर किए।

दिसंबर 2022 तक परिकल्पित अवसंरचना (एमओयू-वार) के सृजन की स्थिति जैसा कि तालिका सं. 4.6 में दर्शाई गई है:

तालिका सं. 4.6: दिसंबर 2022 तक अवसंरचना सृजन की स्थिति

एमओयू-I (2015)		एमओयू-II (2019)	
बिल्डिंग का नाम	स्थिति	बिल्डिंग का नाम	स्थिति
शैक्षणिक बिल्डिंग	पूर्ण	कल्पना चावला के पास डाइनिंग शैड	पूर्ण
बहुउद्देशीय हॉल	कार्य को रोक दिया गया तथा एमओयू-II के तहत पूर्ण किया गया	प्रशासनिक ब्लॉक, सेमिनार हाल केफेटैरिया ब्लॉक, व्याख्यान ब्लॉक, एक छात्रावास ब्लॉक (8ए), डाइनिंग ब्लॉक, संकाय आवास, उपकेन्द्र तथा निदेशक का आवास	पूर्ण नहीं
छात्रावास-I तथा डाइनिंग ब्लॉक	पूर्ण	छात्रावास ब्लॉक-7बी का निर्माण	पूर्ण नहीं
छात्रावास ब्लॉक-II	पूर्ण	स्पोर्ट्स एरेना	पूर्ण नहीं
छात्रावास ब्लॉक-III	शुरू नहीं किया गया तथा एमओयू-II में लाया गया	इंडोर बैडमिंटन कोर्ट कॉम्प्लेक्स	पूर्ण नहीं


तालिका सं. 4.6 में उल्लिखित निर्माण कार्य के संबंध में लेखापरीक्षा निषकर्षों की चर्चा पैरा 4.14.3.4 से 4.14.3.6 में नीचे की गई है:

4.4.3.4 मंत्रालय के अनुमोदन के बिना डीपीआर से विचलन

मार्च 2018 में, वित्त मंत्रालय ने डीपीआर को अनुमोदन प्रदान करते हुए अनुबंध किया कि कार्य के क्षेत्र में किसी विचलन को सरकार द्वारा वित्तपोषित नहीं किया जाएगा। आगे एमओई

का प्रधान परिपत्र (जून 2019) अनुबंध करता है कि एक बार निर्माण प्रारम्भ हो जाने पर डिजाईन आदि में बीच में परिवर्तन आदि सरकार के विशिष्ट अनुमोदन के बिना अनुमत नहीं है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अनुमोदित डीपीआर से डिजाईन क्षेत्र में बड़े विचलन थे जैसा चार्ट सं. 4.2 (अनुलग्नक 4.6 में विवरण) में दर्शाया गया है।



दिसंबर 2022 तक 'शैक्षणिक एवं प्रशासनिक ब्लॉक' (48 प्रतिशत तक वृद्धि), कर्मचारी निवास क्षेत्र' (77 प्रतिशत की कमी), 'सुख-सुविधाएं एवं उपयोगिताएं' (28 प्रतिशत की कमी) के संबंध में बड़े विचलन थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मेंटर इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग निर्माण कार्य समिति (बीडब्ल्यूसी) ने 'कर्मचारी निवासों' (96 से 20 क्वार्टर तक संख्या को कम करते हुए) तथा अन्य सुविधाओं से उपलब्ध बचतों के साथ साईट की स्थिति के कारण डीपीआर की सीमाओं से अधिक 'शैक्षणिक एवं प्रशासनिक ब्लॉक' की योजना पर विचार करने हेतु बीओजी के अनुमोदन की मांग की जिससे समग्र अनुमेय क्षेत्र सीमाओं तथा ₹256 करोड़ की अनुमोदित पूंजीगत लागत का अनुपालन होगा।

इसके अलावा (डीपीआर के अनुसार) अनुमोदित क्षेत्रों से विचलन हेतु संस्थान ने मंत्रालय से अनुमोदन नहीं मांगा।

संस्थान ने उत्तर दिया (मार्च 2023) कि आवश्यकता, तत्कालिन मौजूदा पर संस्वीकृति, स्थान के आधार पर पहले शैक्षणिक क्षेत्र तथा छात्राओं को प्राथमिकता आदि देने पर विचार किया गया था तथा इसे बीओजी में अनुमोदित किया गया था।

उत्तर में इस तथ्य पर प्रकाश डालते हुए यह देखा जाने की आवश्यकता है कि विचलन बड़े थे तथा विचलनों को एमओई के अनुदेशों दिनांक जून 2019 के अनुसार मंत्रालय के अनुमोदन की आवश्यकता थी।

4.4.3.5 अपर्याप्त परियोजना निगरानी तंत्र

परियोजना को संस्वीकृत करते समय वित्त मंत्रालय ने अनुबंध किया कि आवधिक तथा गहन परियोजना निगरानी स्थापित की जाए तथा अवसंरचना निर्माण कार्य के शीघ्र समापन को सुनिश्चित करने तथा समय या लागत लंघन की संभावना से बचने के लिए जवाबदेही निर्धारित की जाए। संस्थान तथा सीपीडब्ल्यूडी के बीच एमओयू (2015) संस्थान तथा सीपीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से बनी एक संयुक्त समिति का प्रावधान करता है जो नियमित साईट/समन्वय बैठक करते हुए लगातार अंतराल पर कार्य की प्रगति की निगरानी करेगी। आगे, एमओयू (2019) ने यह अनिवार्य किया कि संपूर्ण परियोजना अवधि के लिए सीपीडब्ल्यूडी के साथ समन्वय हेतु एक सशक्त नोडल अधिकारी को नामित किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि परियोजना प्रबंधन समिति स्थापित नहीं की गई थी। आगे, सीपीडब्ल्यूडी के साथ समन्वय हेतु नोडल अधिकारी की नियुक्ति में 19 महीनों का विलम्ब भी पाया गया था।

लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित कमियां भी पाई जो सीपीडब्ल्यूडी तथा संस्थान के बीच पर्याप्त समन्वय की कमी को इंगित करती है जिसका प्रभावी संयुक्त निगरानी से समाधान किया जा सकता था:

- नगर एवं ग्राम नियोजन निदेशालय (डीटीसीपी) से अनुमोदन प्राप्त किए बिना ही सभी बिल्डिंगों का निर्माण शुरू किया।

- 26 में से 04 संविदाओं में बीओजी के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रशासनिक संस्वीकृति से अधिक ₹1.62 करोड़ (28 प्रतिशत से अधिक) का अधिक व्यय पाया गया था (अनुलग्नक-4.7)।
- संस्थान ने डीटीसीपी से अधिभोग प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना ही बिल्डिंगों का कब्जा लिया जो कि आन्ध्र प्रदेश (बिल्डिंग) नियमावली, 2017 के अनुसार एक अनिवार्य आवश्यकता थी।

संस्थान ने उत्तर दिया (मार्च 2023) कि परियोजना निगरानी सीपीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी थी। संस्थान द्वारा एक आंतरिक सलाह समिति का गठन भी किया गया था तथा नियमित समीक्षा बैठक संचालित की जा रही थी, हालांकि कोई औपचारिक संयुक्त परियोजना निगरानी तंत्र नहीं है।

तथ्य यह है कि संयुक्त परियोजना निगरानी समिति एमओयू (2015) के प्रावधानों के उल्लंघन में न के बराबर थी तथा नोडल समन्वय अधिकारी को काफी विलम्ब के पश्चात केवल अप्रैल 2021 में ही नियुक्त किया गया था। आगे, पाई गई कमियों ने इंगित किया कि मौजूदा निगरानी तंत्र प्रभावी नहीं था।

4.4.3.6 पूंजीगत निर्माण कार्य की प्रगति

ए) निर्धारित अवधि के अंदर पूरे न किए गए निर्माण कार्य

समय किसी भी संविदा का सार है। ठेकेदार निर्धारित अवधि के अंदर निर्माण कार्यों को पूरा करेंगे तथा अनुबंध में निर्धारित समय सीमा के अनुसार इसको सुपुर्द करेंगे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2015-22 की अवधि के दौरान शुरू किए गए 26 निर्माण कार्यों में से 16 निर्माण कार्य (61.54 प्रतिशत) दिसंबर 2022 तक विलम्बित थे जैसा अनुलग्नक-4.8 में दर्शाया गया है।

निर्माण कार्यों के निष्पादन में विलम्ब एक माह से 11 माह के बीच था। 11 महीनों का सबसे अधिक विलम्ब शैक्षणिक बिल्डिंग के निर्माण में था जिससे 11 महीनों तक कर्नूल में स्थायी

परिसर में शिफ्ट होने में विलम्ब हुआ है। उपरोक्त विलम्बों के परिणामस्वरूप 50,458 वर्ग मीटर के परिकल्पित निर्मित क्षेत्र के सापेक्ष में केवल 12,268 वर्गमीटर (24 प्रतिशत) को पूरा किया जा सका जैसा तालिका सं. 4.7 में दर्शाया गया है:

तालिका सं. 4.7: निर्मित क्षेत्र की तुलना में नियोजित क्षेत्र (दिसम्बर 2022 तक)

विवरण	डीपीआर के अनुसार क्षेत्र (वर्गमीटर)	अब तक निर्माण किया गया निर्मित क्षेत्र (वर्गमीटर)	कमी (वर्ग मीटर)
शैक्षणिक एवं प्रशासनिक ब्लॉक	15214	3860	11354
कर्मचारी निवास क्षेत्र	12370	0	12370
छात्र आवास क्षेत्र	18475	6930	11545
सुख-सुविधाएं एवं उपयोगिताएं	4399	1478	2721
कुल	50458	12268	37990

संस्थान ने बताया (मार्च 2023) कि विभिन्न परियोजनाओं के समापन में विलम्ब परियोजनाओं को रोकने का कारण था। उन्होंने यह भी बताया कि ठेकेदारों को कठिन पहाड़ों/स्थान तथा कोविड स्थितियों के कारण कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा था।

उत्तर तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि इन 16 निर्माण कार्यों, जिनमें विलम्ब पाया गया है, को रोका नहीं गया। यदि संस्थान ने उचित योजना तथा प्रभावी परियोजना निगरानी के साथ 2015-16 अर्थात् वह अवधि जिसकी वास्तव में डीपीआर (2015-16 से 2019-20) में अभिकल्पना की गई थी, से निर्माण प्रारम्भ किया होता तो इन विलम्बों को कोविड-19 महामारी की शुरुआत से पहले कम किय जा सकता था।

बी) एक मुख्य कार्य के निष्पादन में धीमी प्रगति

सीपीडब्ल्यूडी के साथ किए गए एमओयू 2019 के अनुसार, मुख्य पूंजीगत कार्य शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक बिल्डिंगों का निर्माण था, जिसके लिए ₹133.43 करोड़ की प्रशासनिक संस्वीकृति प्रदान की गई थी (जुलाई 2020)। मुख्य कार्य में 12 उप-निर्माण कार्य अर्थात् प्रशासनिक ब्लॉक, सेमिनार हॉल एवं केफेटेरिया ब्लॉक, व्याख्यान ब्लॉक (3ए), तीन प्रयोगशाला ब्लॉक (4ए, 4बी एवं 4सी), एक छात्रावास ब्लॉक, डाईनिंग ब्लॉक, संकाय आवास, निदेशक का आवास

तथा उप-केन्द्र I एवं II का निर्माण शामिल था। सीपीडब्ल्यूडी द्वारा कार्य को ₹92.11 करोड़ के अनुबंध मूल्य के साथ 20 महीनों अर्थात् दिसंबर 2022 तक की निर्धारित समापन अवधि सहित सौंपा गया था (अप्रैल 2021)।

मार्च 2023 तक ₹95.46 करोड़ का वास्तविक व्यय ₹3.35 करोड़ तक सहमत मूल्य (₹92.11 करोड़) से अधिक है। तथापि, 12 उप-निर्माण कार्यों में से केवल तीन (03) को ही मार्च 2023 तक पूर्ण किया गया है। शेष नौ (09) उप-निर्माण कार्यों को आंशिक रूप से पूर्ण किया गया है अर्थात् प्रशासनिक बिल्डिंग (90 प्रतिशत), सेमिनार ब्लॉक (70 प्रतिशत), निदेशक का निवास (95 प्रतिशत) संकाय आवास (95 प्रतिशत), व्याख्यान ब्लॉक (50 प्रतिशत), प्रयोगशाला ब्लॉक 4ए (60 प्रतिशत) एवं 4बी (95 प्रतिशत), छात्रावास ब्लॉक (90 प्रतिशत) तथा डाईनिंग ब्लॉक (90 प्रतिशत)।

विलम्बों का परिणाम निर्धारित समय के अंदर परिसर सुविधाओं के गैर-समापन, छात्रावास सुविधाओं की कमी, संकाय आवास, प्रयोगशालाओं, व्याख्यान ब्लॉक आदि कि अनुपलब्धता में हुआ जिनकी संस्थान के शिक्षण एवं शिक्षण वातावरण के मुख्य संघटकों के रूप में परिकल्पना की गई थी।

संस्थान ने उत्तर दिया (मार्च 2023) कि कार्य को समय पूर्व बंद करने के कारण तथा वर्ष 2020-21 के दौरान महामारी की परिस्थिति के कारण समय सीमा के अनुसार कार्य में प्रगति नहीं हुई। संस्थान ने यह भी उत्तर दिया कि उन्होंने छात्रावास सुविधा, मौजूदा शैक्षणिक बिल्डिंग की बेसमेंट में अस्थायी कक्षाओं एवं प्रयोगशालाओं के विकास, छात्रों को प्रभावित किए बिना कक्षा के कार्य का समायोजन करने, शिक्षण/शिक्षा प्रक्रिया को शिफ्टों में करते हुए वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी, शिक्षा को सुनिश्चित किया गया था तथा प्लेसमेंट आंकड़े स्पष्ट रूप से सुधार को दर्शाते हैं।

समय पूर्व बंद करने पर उत्तर तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के अनुसार विषय कार्य समय पूर्व निर्माण कार्यों को रोकने की सूची में नहीं था। उपरोक्त बिल्डिंगों का लंबित निर्माण के कारण संस्थान को मौजूदा संसाधनों पर अधिक भार डालकर तदर्थ व्यवस्था करनी पड़ी थी जैसा संस्थान द्वारा स्वीकार किया गया।

सी) थोक-सेवाओं के निष्पादन में लागत एवं समय की अधिकता

आंतरिक सड़कों एवं रास्तों, स्थल को समतल करने, भूमिगत (यूजी) नाबदान, बाह्य जल आपूर्ति, बाह्य जल निकासी, तूफान के पानी की निकासी, सेपटिक टैंक, बोर-वेल, चेन लिंक फेसिंग, स्ट्रीट लाईट तथा पम्प सेट सहित थोक सेवाओं की स्थापना का कार्य को ₹4.24 करोड़ के प्रशासनिक अनुमोदन सहित वास्तव में दिसंबर 2015 के दौरान सौंपा गया था। अनुबंध ₹3.03 करोड़ के लिए अगस्त 2016 में सम्पन्न हुआ था तथा समापन की लक्षित अवधि जनवरी 2017 थी। हालांकि कार्य को निधियों के निर्गम में विलम्ब के कारण समय पूर्व बंद कर (जून 2018) दिया गया था। इस प्रकार, लक्षित समापन तिथि से लगभग 18 महीनों के बीत जाने के पश्चात भी कार्य को पूरा नहीं किया जा सका था परंतु इसके सौंपे जाने (अगस्त 2016) के लगभग दो वर्षों के बाद कार्य को पूरा किए बिना रोकना पड़ा था।

बाद में, कार्य की पुनः निविदा की गई थी तथा बंद करने के दस महीनों के पश्चात् अप्रैल 2019 में से ₹4.29 करोड़ पर सौंपा गया। पुनः निविदा के कारण अनुमानित पूंजीगत लागत में ₹1.26 करोड़ (₹4.29 करोड़ - ₹3.03 करोड़) तक की वृद्धि हुई। कार्य को फरवरी 2020 के दौरान पूर्ण तथा सुपुर्द किया गया था।

इस प्रकार, वास्तविक लक्षित तिथि से लगभग तीन वर्षों (जनवरी 2017 से फरवरी 2020) का समग्र विलम्ब था। इसके कारण, संस्थान फरवरी 2020 तक इन थोक सेवाओं में शामिल अभिप्रेत सुविधाओं से वंचित रहा। इसके अलावा, दिसंबर 2022 तक किया गया व्यय ₹4.24 करोड़ के मूल प्रशासनिक अनुमोदन (दिसंबर 2015) के सापेक्ष ₹5.52 करोड़ था जो ₹1.28 करोड़ तक अधिक लागत इंगित करता है।

संस्थान ने तथ्य को स्वीकार करते समय (मार्च 2023) बताया कि निर्माण कार्यों को प्रारम्भिक वर्षों के दौरान निधियों की कमी के कारण समय पूर्व बंद किया गया था। इन निर्माण कार्यों को ठेकेदार को ब्याज/क्षतिपूर्ति के भुगतान से बचने तथा वर्ष 2020-2021 के दौरान महामारी की परिस्थिति के कारण रोका गया था।

तथ्य यह है कि जुलाई 2018 से फरवरी 2020 के दौरान कर्नूल में स्थायी परिसर आंतरिक सड़कें एवं रास्ते, भूमिगत एवं बाह्य जल आपूर्ति, बाह्य जल निकासी, तूफान के पानी की

निकासी, सेपटिक टैंक, बोर-वेल, चेन लिंक फेंसिंग, स्ट्रीट साईट तथा पम्प सेट जैसी सहायक सुविधाओं के बिना ही कार्य कर रहा था।

4.4.3.7 कैम्पस की सुख सुविधाएं तथा आवासीय सुविधाएं

ए) राज्य सरकार द्वारा जल आपूर्ति का गैर-प्रावधान:

डीपीआर ने अनुमान लगाया कि संस्थान को शुरू के पांच वर्षों के दौरान लगभग 1,260 छात्रों, आवासों तथा अन्य प्रायोजनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 3.00 लाख लीटर प्रति दिन की सीमा तक स्वच्छ पानी की आपूर्ति की आवश्यकता होगी।

राज्य सरकार को जल आपूर्ति, विद्युत, जल निकासी तथा संस्थान के गेट तक पहुंच सड़क प्रदान⁵⁰ करना अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि परिसर में शिफ्ट होने की तिथि से चार वर्षों से अधिक के बीत जाने के पश्चात् भी परिसर में स्वच्छ पेय जल की मूल आवश्यकता को पूरा करने के लिए पानी का एक विश्वसनीय स्थायी स्रोत उपलब्ध नहीं था। एक वैकल्पिक उपाय के रूप में, पानी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परिसर में तीन बोरवेल खोदे गए थे जिसमें से केवल एक चालू हालत में था। यह भी पाया था कि चूंकि उपलब्ध एक बोरवेल से निकाला गया पानी परिसर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था इसलिए संस्थान बाहरी स्रोतों से भुगतान आधार पर पानी खरीदने को मजबूर था जो जुलाई 2018 अर्थात् वर्तमान परिसर में शिफ्ट होने से दिसंबर 2022 तक ₹4.78 लाख था। संस्थान ने पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक वैकल्पिक जल आपूर्ति के रूप में छः नए बोरवेल खोदने के लिए सीपीडब्ल्यूडी को अनुरोध (दिसंबर 2022) भी किया था। यह भी देखा जा सकता है कि थोक सेवाओं के एक भाग के रूप में नियोजित तथा सौंपी गई छोटी वर्षा जल संचयन संरचना को पूरा नहीं किया जा सका था {ऊपर पैरा 4.14.3.6 (सी) में उल्लेख किया गया}।

संस्थान ने उत्तर दिया (मार्च 2023) कि भार कम करने के लिए सीवेज जल उपचार संयंत्र (एसटीपी) से पानी का उपचार किया जाना तथा बागवानी एवं फ्लशिंग प्रायोजनों हेतु उपयोग किया जाना प्रस्तावित था। संस्थान ने यह भी बताया कि परिसर में निगम जल की आपूर्ति हेतु राज्य सरकार को कई अनुरोध किए गए थे तथा प्रयास जारी है।

⁵⁰ लंबित राज्य पुनर्गठन मुद्दों की चर्चा के संबंध में 25 मार्च 2021 को हुई बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार।

बी) छात्रों को परिवहन सुविधाएं प्रदान न करना

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने दिव्यांगजनों की भौतिक वातावरण, परिवहन, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों तथा लोगों के लिए खोली अथवा प्रदान की गई अन्य सुविधाएं/सेवाओं तक अन्यों के समान पहुंच को सुनिश्चित करने हेतु दिसंबर 2015 में 'सुगम भारत अभियान' प्रमोचित किया।

लड़के/लड़कियों के छात्रावास को शैक्षणिक ब्लॉक में कक्षाओं के साथ जोड़ने वाले एक किलोमीटर के रास्ते का निर्माण किया गया था। डाईनिंग ब्लॉक छात्रावास ब्लॉक के निकट है। प्रत्येक छात्र लगभग 04 किलोमीटर प्रति दिन चलता है (छात्रावास से कक्षा, लंच के दौरान कक्षा से डाईनिंग हॉल, लंच के बाद कक्षा में लौटना तथा कक्षा से छात्रावास वापस आना)।

यह पाया गया था कि बीओजी ने अपनी प्रथम बैठक (अप्रैल 2019) में छात्रों को छात्रावास से शैक्षणिक ब्लॉक तक लाने तथा वापस छोड़ने के लिए परिवहन सुविधाएं⁵¹ प्राप्त करने का निर्णय लिया क्योंकि परिसर का भू-भाग बहुत ही असमान था तथा यह पहाड़ी के ऊपर स्थित है।

तथापि, लखापरीक्षा ने पाया कि बीओजी के निर्णय को आज तक कार्यान्वित नहीं किया गया था जो छात्रों के लिए छात्रावासों से शैक्षणिक ब्लॉक के बीच आने-जाने में कठनाई पैदा कर रहा है।

संस्थान ने उत्तर दिया (जनवरी 2023) कि बीओजी का अनुमोदन यह मानते हुए प्राप्त किया गया था कि सभी आंतरिक परिसर सड़कें दिसंबर 2019 तक तैयार हो जाएगी; हालांकि आंतरिक सड़कों के निर्माण में विलम्ब में विलम्बों के कारण वाहनों की खरीद के प्रस्ताव को रोक दिया गया है।

इस प्रकार, आंतरिक सड़कों के समापन में विलम्बों ने छात्रों को परिवहन के प्रावधान को प्रभावित किया है। जिससे उनके दैनिक आधार पर परिहार्य कठिनाईयां होने के अतिरिक्त इसका परिणाम सुगम भारत अभियान के दिशानिर्देशों के गैर-अनुपालन में हुआ।

⁵¹ एक मिनी बस तथा एक या दो बैटरी प्रचालित वाहन।

सी) भूमि की गैर-उपयुक्तता के कारण खेल अवसंरचना का गैर-सृजन

डीपीआर परिकल्पना करता है कि प्रत्येक छात्र को अनिवार्य रूप से दो सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों, जिसमें शारीरिक शिक्षा एवं खेल शामिल है, में भाग लेना है। यहां तक कि मंत्रालय का प्रधान परिपत्र भी खेल सुविधाओं का एक प्राथमिक कार्य के रूप में उल्लेख करता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि चार शैक्षणिक वर्षों (2018-19 से 2021-22) के बीत जाने के पश्चात् भी संस्थान नए कैम्पस के अंदर छात्रों के लिए पर्याप्त खेल सुविधाओं की स्थापना नहीं कर सका था। लेखापरीक्षा ने पाया कि संस्थान ने बास्केटबॉल एवं टेनिस कोर्ट हेतु कुल ₹6.57 करोड़ तथा बैडमिंटन कोर्ट परिस हेतु ₹3.97 करोड़ की सीमा तक प्रशासनिक संस्वीकृति (फरवरी 2022) प्रदान की। दोनों निर्माण कार्यों को दिसंबर 2022 तक अभी भी पूरा किया जाना था। आगे यह पाया गया था कि संस्थान ने एक माह तक निजी स्पोर्ट्स एरेना की सेवाओं का उपयोग करने के लिए ₹1.20 लाख की राशि अदा करते हुए सेवाओं को किराये पर लिया (नवम्बर 2021)।

संस्थान ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2022) कि परिसर कठिन भू-भाग पर स्थित है तथा भौगोलिक बाधाओं के कारण कथित सुविधाओं को पूरा करने में समय लग रहा है। उन्होंने यह भी बताया (मार्च 2023) कि छात्र खेल सुविधा से वंचित नहीं थे क्योंकि किराये पर निजी खेल सुविधाओं की अन्तरिम व्यवस्था की गई थी। आगे यह बताया गया कि बीडब्ल्यूसी ने निर्माण कार्य के अगले चरण में क्रिकेट एवं फुटबाल मैदानों को तैयार करने के निर्माण कार्य करने का निर्णय लिया।

उत्तर को इस तथ्य के सापेक्ष में देखा जा सकता है कि संस्थान ने जुलाई 2018 से नए परिसर में कार्य करना प्रारम्भ किया। खेल सुविधाओं की स्थापना में विलम्ब के कारण अंतरिम अवधि में छात्र खेल खेलने की महत्वपूर्ण गतिविधि से वंचित थे।

डी) छात्रावासों के निर्माण में विलम्ब

डीपीआर ने प्रावधान किया कि आईआईआईटीडीएम कर्नूल को पुराने आईआईआईटी संस्थान समूह में प्रचलित प्रक्रिया के अनुरूप छात्रों के संबंध में एक पूर्णतः आवासीय संस्थान होना था। इसलिए 1260 यूजी/पीजी/पीएच.डी छात्रों के लिए परिसर में छात्रावास में आवास उपलब्ध कराने की आवश्यकता होगी। एमओयू-1 के अधीन संस्थान ने लड़के तथा लड़कियों के लिए तीन

छात्रावास निर्माण कार्यो को संस्वीकृत किया। छात्रावास-I (लड़कियां) तथा छात्रावास-II (लड़के) का निर्माण कार्य, जो 2015 एवं 2016 में शुरू किया गया था तथा सितंबर 2017 तक पूरा किया जाना निर्धारित था, को निधियों की कमी के कारण रोक दिया गया था। इन निर्माण कार्यो को बाद में दोबारा सौंपा गया था तथा छात्रावास I एवं II को 24 महीने के समग्र विलम्ब के साथ अक्टूबर 2019 तक पूरा किया गया था। इस प्रकार कर्नूल में स्थाई परिसर में शिफ्ट करने के समय (जुलाई 2018) पर संस्थान के पास छात्रावास सुविधा नहीं थी।

2019-22 के दौरान लड़को के लिए छात्रावास सुविधा की उपलब्धता को तालिका सं. 4.8 में दर्शाया गया है:

तालिका सं. 4.8: छात्रावास सुविधा की उपलब्धता का वर्ष-वार विवरण

छात्रावास का नाम	वर्ष	छात्रावास की क्षमता	आवास प्रदान किए गए निवासियों की वास्तविक संख्या	कमी/अपर्याप्ता	वैकल्पिक व्यवस्था
निवास/लड़कों का कलाम हॉल	2019-20	245	319	74	संस्थान के बाहर
	2020-21	305	397	92	-वही-
	2021-22	305	498	60	-वही-

यद्यपि लड़कियों⁵² हेतु छात्रावास आवास के संबंध में कोई कमी नहीं थी फिर भी लेखापरीक्षा ने पाया कि लड़कों के लिए आवास स्थान अपर्याप्त था क्योंकि वर्ष 2021-22 के लिए 211⁵³ (41 प्रतिशत) की कमी को छोड़े हुए 516 लड़कों के कुल नामांकन के सापेक्ष में केवल 305 की क्षमता उपलब्ध थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि आवास स्थान की उपलब्धता में कमी के कारण संस्थान ने परिसर छात्रावास में 305 की क्षमता के सापेक्ष में 438 लड़कों को जगह दी है जिसका परिणाम तंग आवास में हुआ है। इसके अतिरिक्त, 60 लड़कों को किराए के छात्रावास में जगह देनी पड़ी थी जो संस्थान परिसर से लगभग चार किलोमीटर की दूरी पर है। जिससे उन्हें रोज आने जाने की आवश्यकता पड़ती है जो समेकित आवासीय परिसर की प्रवृत्ति के विरुद्ध था। अनावश्यक रूप से संस्थान पर 2018-22 की अवधि के लिए छात्रावास किराया अदा करने में ₹70.25 लाख का वित्तीय भार पड़ा।

⁵² 96 लड़कियों के लिए छात्रावास आवास के सापेक्ष में 2021-22 के दौरान कुल नामांकित लड़कियां 88 थीं जिसमें से 87 को छात्रावास आवास की आवश्यकता थी।

⁵³ लड़कों के छात्रावास की 305 की क्षमता (-)516 कुल लड़के।

संस्थान ने उत्तर दिया (मार्च 2023) कि छात्रावास सुविधा के समापन में विलम्ब मंत्रालय से निधियों की गैर-प्राप्ति की वजह से कार्य को समय पूर्व बंद करने के कारण था तथा सभी नियोजित छात्रावास अब पूरे कर लिये गये हैं तथा सभी छात्र संस्थान के छात्रावास में रह रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि सभी छात्रों को छात्रावास सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किराया आधार पर निजी छात्रावास की वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी तथा संस्थान पर कोई वित्तीय भार नहीं था क्योंकि किराया छात्रों द्वारा अदा किए गए छात्रावास शुल्क से अदा किया गया था।

मंत्रालय और संस्थान के बीच गैर-समन्वय का साक्ष्य है जिससे निधियों की कमी हुई एवं बाद में निर्माण कार्य को समय पूर्व रोकना पड़ा, जिसका परिणाम परिसर में छात्रावास की उपलब्धता में अंतराल में हुआ। आगे संस्थान की शुल्क संरचना को छात्रावास आवास प्रभारों को शामिल करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। संस्थान को छात्रों की छात्रावास सुविधा प्रदान करने के लिए किराए पर लिए आवास हेतु किराए का भुगतान करना था, जिसे टाला जा सकता था यदि छात्रावास का निर्माण निर्धारित समय पर पूरा हो जाता।

4.4.4 शैक्षणिक गतिविधियां

संस्थान ने 50 छात्रों के नामांकन सहित दो अवर-स्नातक कार्यक्रमों (कम्प्यूटर इंजीनियरिंग एवं इलेक्ट्रॉनिक तथा संचार इंजीनियरिंग में बी.टेक) के साथ शैक्षणिक वर्ष 2015-16 में अपनी शैक्षणिक गतिविधियां प्रारम्भ की। स्नातकोत्तर तथा पीएच.डी कार्यक्रमों को 2019-20 में प्रारम्भ किया गया था। शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के अंत तक कुल 634 छात्र संख्या के साथ कुल चार पूर्व-स्नातक कार्यक्रम⁵⁴, तीन स्नातकोत्तर कार्यक्रम⁵⁵ तथा पीएच.डी (पूर्णकालिक एवं अंशकालिक) कार्यक्रम थे।

लेखापरीक्षा ने जांच की कि क्या शुरू किए गए कार्यक्रम संस्थान के शिक्षा, अभिकल्पना एवं विनिर्माण में आरण्डडी में अग्रणी एक उत्कृष्टता का केन्द्र बनने के लक्ष्य के अनुसरण में थे।

⁵⁴ (i) कम्प्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, (ii) कृत्रिम आसूचना एवं डाटा विज्ञान, (iii) इलेक्ट्रॉनिक एवं संचार इंजीनियरिंग तथा (iv) मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक।

⁵⁵ (i) कम्प्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, (ii) इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली एवं अभिकल्पना, (iii) स्मार्ट विनिर्माण में एम-टेक

लेखापरीक्षा निष्कर्ष 2017-18 से 2021-22 तक पांच वर्ष की शैक्षणिक अवधि के दौरान पाठ्यक्रमों के परिचय, छात्र नामांकन तथा शैक्षणिक मूल्यांकनों पर केंद्रित थे तथा ब्योरे नीचे दिए गए हैं:

4.4.4.1 कई शैक्षणिक कार्यक्रमों को शुरू न किया जाना

आईटी सक्षम विनिर्माण एवं अभिकल्पना शिक्षा में एक प्रमुख वैश्विक केन्द्र बनने के संस्थान के लक्ष्य को पूरा करने के लिए संस्थान की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट ने कामकाजी पेशवरों हेतु शिक्षा कार्यक्रमों को जारी रखने के अतिरिक्त पूर्व-स्नातक, स्नातकोत्तर, पीएच.डी कार्यक्रमों को शामिल करते हुए 17 शैक्षणिक कार्यक्रमों को प्रारम्भ करने की परिकल्पना की।

तालिका 4.9: यूजी/पीजी में परिकल्पना की गई परंतु शुरू न किए गए पाठ्यक्रमों के विवरण

शुरू न किए गए पाठ्यक्रम (यूजी)		शुरू न किए गए पाठ्यक्रम (पीजी)	
1	बी.टेक (स्मार्ट विनिर्माण)	1	एम.टेक (संचार प्रणाली अभिकल्पना)
2	दोहरी डिग्री (कम्प्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग)	2	एम.टेक (कम्प्यूटर इंजीनियरिंग)
3	दोहरी डिग्री (डीएण्डएम के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार इंजीनियरिंग)	3	एम.टेक (ऊर्जा प्रणाली अभिकल्पना)
4	दोहरी डिग्री (डीएण्डएम के साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग)	4	एम.टेक (औद्योगिकी ऑटोमेशन अभिकल्पना)
5	दोहरी डिग्री (स्मार्ट विनिर्माण)	5	एम.टेक (मैकेनिकल प्रणाली अभिकल्पना)


संस्थान ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2022) कि परिसर विकास चरण में था तथा 2020-22 के दौरान कोविड महामारी की वजह से निर्माण में विलम्ब के कारण संस्थान अन्य कार्यक्रमों को शुरू नहीं कर सका था। उन्होंने यह भी बताया कि एम.टेक के अधीन दाखिले भी कोविड के कारण आकर्षक नहीं थे तथा कार्यक्रम अनुभवी एवं विशेषज्ञ संकाय की कमी के कारण भी विलंबित थे। आगे यह बताया गया (मार्च 2023) था कि संस्थान निकट भविष्य में बी.टेक स्मार्ट विनिर्माण को शुरू करने हेतु कार्यनीति तैयार कर रहा है; सेनेट/बीओजी ने 2023-24 से तीन (03) नए एम.टेक कार्यक्रमों हेतु योजना तथा पाठ्यक्रम को अनुमोदित किया।

उत्तर को इस तथ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए कि इन पाठ्यक्रमों को प्रथम पांच वर्षों के भीतर अर्थात् 2015-16 से 2019-20 अर्थात् कोविड महामारी के शुरू होने से पहले प्रारम्भ

किया जाना चाहिए था तथा परिसर अवसंरचना सृजन को तदनुसार उस अवधि तक पूरा किए जाने का लक्ष्य किया गया था (डीपीआर के अनुसार)।

4.4.4.2 सीट सृजन में कमी

डीपीआर ने 2015-16 से 2019-20 तक प्रारंभिक पांच वर्षों की अवधि में यूजी/पीजी कार्यक्रमों हेतु संस्थान की छात्र प्रवेश क्षमता का अनुमान लगाया। लेखापरीक्षा ने पाया कि वास्तविक छात्र प्रवेश क्षमता में कमी थी जो 2018-19 में बीटेक, एम.टेक तथा पीएच.डी कार्यक्रमों को प्रारम्भ न करने, जैसी परिकल्पना की गई थी, के कारण 2018-19 से हो रही थी (चार्ट सं. 4.3)।



2015-20 (डीपीआर के अनुसार) के दौरान 1260 सीटों की लक्षित संचयी प्रवेश क्षमता के प्रति संस्थान ने कथित अवधि के दौरान 598 सीटों (47 प्रतिशत) की संचयी क्षमता का सृजन किया। तथापि, 2021-22 तक संचयी प्रवेश क्षमता 1108 पहुंच गई है।

संस्थान ने कमियों को स्वीकार किया (मार्च 2023) तथा बताया कि संचयी प्रवेश क्षमता में क्रमिक प्रकार से वृद्धि हो रही है।

तथ्य यह है कि लक्ष्य के सापेक्ष में छात्र प्रवेश क्षमता में कमी थी।

4.4.4.3 पीजी तथा पीएच.डी कार्यक्रमों में कमी

ए) पर्याप्त संकाय के बिना कार्यक्रमों का प्रारम्भ

डीपीआर ने 2018-19 के दौरान 200 तथा 30 के लक्षित प्रवेश के साथ क्रमशः पीजी पाठ्यक्रमों और पीएच.डी को प्रारम्भ करने की परिकल्पना की। पीजी पाठ्यक्रमों तथा पीएच.डी को प्रारम्भ

नहीं किया गया था जैसी डीपीआर में परिकल्पना की गई थी तथा इसमें एक वर्ष की देरी हुई थी।

आगे, संस्थान ने शैक्षणिक वर्ष 2019-20 से पीजी पाठ्यक्रमों तथा पीएच.डी को प्रारम्भ किया जिनमें 'शून्य' प्राध्यापक तथा केवल एक (01) सह-प्राध्यापक तथा आठ (08) सहायक प्रध्यापक उपलब्ध थे।


इस संदर्भ में, आईआईआईटी सहित केन्द्रीय वित्तपोषित संस्थानों में पदों के सृजन के संबंध में एमओई के अनुदेशों दिनांक 8 मई 2008 के *अन्य बातों के साथ साथ* प्राध्यापकों, सह-प्राध्यापकों तथा सहायक प्राध्यापकों के संदर्भ में संकाय अनुपात को 1:2:4 के रूप में निर्धारित किया।

इस प्रकार, संस्थान पीजी पाठ्यक्रमों तथा पीएच.डी पाठ्यक्रमों शुरू करने में समय-सीमा से पीछे थे। संस्थान ने पीजी पाठ्यक्रमों तथा पीएच.डी को भी एक भी प्रध्यापक तथा सह-प्राध्यापकों एवं सहायक प्राध्यापकों की पर्याप्त संख्या को सुनिश्चित किए बिना प्रारम्भ किया था।

आगे, अन्य घटकों जैसे कि अपर्याप्त शिक्षण एवं शिक्षा सुविधाओं सहित संकाय की कम संख्या के संदर्भ में अपर्याप्त शिक्षण वातावरण इन दोनों पाठ्यक्रमों में कम दाखिलों का कारण बना जैसा इस प्रतिवेदन के अनुवर्ती पैराग्राफों में विवरण दिया गया है।

बी) पीजी तथा पीएच.डी पाठ्यक्रमों में कम नामांकन

चार्ट सं. 4.4 से यह स्पष्ट है कि संस्थान में एम.टेक पाठ्यक्रमों हेतु पंजीकरण 135 सीटों (वर्ष 2019 से 2021 के दौरान प्रत्येक 45 सीटें) के सापेक्ष में 12 छात्रों के शामिल होने से बहुत कम था जिससे 91 प्रतिशत रिक्ति दर्ज हुई है। 2021-22 में किसी ने एमटेक पाठ्यक्रम नहीं लिया था।



आगे डीपीआर में परिकल्पना की गई 60 पीएच.डी सीटों के सापेक्ष में 2019-20 में केवल चार सीटें भरी गई थी। अनुवर्ती अवधि में भी नामांकन मानक के अनुरूप नहीं है क्योंकि मार्च 2022 तक पूर्णकालिक पीएच.डी में केवल 11 और छात्रों ने नामांकन किया था जिससे कुल 15 हुए। अंशकालिक पीएच.डी दाखिलों पर विचार करने के पश्चात् मार्च 2022 के अंत तक कुल पीएच.डी दाखिले केवल 32 थे।

संस्थान ने उत्तर दिया (दिसंबर 2022) कि पीजी में कमी अन्य केन्द्रीय वित्तपोषित तकनीकी संस्थानों (सीएफटीआई) की तुलना में संस्थान की उच्च शुल्क संरचना, जैसा इसकी परिषद द्वारा निर्णय लिया गया है, के कारण है। उन्होंने यह भी बताया कि पीजी पाठ्यक्रमों में निम्न नामांकन की समस्या उद्योग में आईटी नौकरियों की अधिक उपलब्धता जिसके कारण छात्र पीजी पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने के इच्छुक नहीं थे, के कारण सभी सीएफटीआई के लिए आम थी संस्थान ने आगे बताया (मार्च 2023) कि एमटेक कार्यक्रमों का केन्द्रीकृत परिषद के भाग के रूप में चयन करना छात्रों की पसंद एक निर्णय है।


संस्थान द्वारा अपनी स्थापना के सात वर्षों के पश्चात् भी, प्रस्तावित पीजी तथा पीएच.डी पाठ्यक्रमों के प्रति कम प्रतिक्रिया संस्थान में अनुसंधान एवं विकास संभाव्यताओं को भी सीमित करती है।

सी) अभिकल्पना तथा विनिर्माण में विशेषज्ञता : न्यूनतम प्रतिक्रिया

संस्थान की कल्पना वैश्विक रूप से उद्योगों को लाभ प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकियों एवं प्रौद्योगिकीविदों को उत्पन्न करने हेतु सूचना एवं प्रौद्योगिकी समर्थ अभिकल्पना एवं विनिर्माण (डीएण्डएम) में उच्च शिक्षा का एक अग्रणी संस्थान बनने की है। तदनुसार संस्थान अन्य

पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त डीएण्डएम में विशेषज्ञता के साथ यूजी/पीजी कार्यक्रमों को प्रस्तुत कर रहा है।

लेखापरीक्षा में पाठ्यक्रम-वार विश्लेषण ने डीएण्डएम जो आईआईआईटीडीएम, कर्नूल के लिए विशेषज्ञता का मुख्य क्षेत्र है, में विशेषज्ञता वाले पाठ्यक्रमों के प्रति विशेष रूप से निम्न प्रतिक्रिया को दर्शाया।



जैसा चार्ट सं. 4.5 से स्पष्ट है कि डीएण्डएम पाठ्यक्रमों में रिक्तियां पीजी कार्यक्रमों की तुलना में स्पष्ट रूप से अधिक है। लेखापरीक्षा ने पाया कि यूजी⁵⁶ में डीएण्डएम कार्यक्रमों में रिक्तियां अन्य कार्यक्रमों⁵⁷ में छः प्रतिशत की तुलना में 25 प्रतिशत थी। इसी प्रकार, पीजी में भी डीएण्डएम में रिक्ति अन्य पाठ्यक्रमों⁵⁸ में 84 प्रतिशत की तुलना में 94 प्रतिशत⁵⁹ थी।

संस्थान ने उत्तर दिया (दिसंबर 2022) कि पिछले पांच वर्षों के दौरान, आईटी क्षेत्रों ने छात्र समुदाय से बड़ा आकर्षण प्राप्त किया है जो अभिकल्पना एवं विनिर्माण शाखाओं के प्रवेश में इस कमी का कारण हो सकता है। आगे, यह बताया गया (मार्च 2023) कि संस्थान शैक्षणिक वर्ष 2023-24 से पाठ्यक्रम का संशोधन करके छात्रों को आकर्षित करने हेतु निरंतर प्रयास कर रहा है।

⁵⁶ अभिकल्पना एवं विनिर्माण में विशेषज्ञता के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स संचार एवं इंजीनियरिंग में बी.टेक. अभिकल्पना एवं विनिर्माण में विशेषज्ञता के साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग।

⁵⁷ कृत्रिम आसूचना एवं डाटा विज्ञान में बी.टेक तथा कम्प्यूटर इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर विज्ञान तथा इंजीनियरिंग।

⁵⁸ डाटा विश्लेषण एवं निर्णय विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ कम्प्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में एम.टेक।

⁵⁹ इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली अभिकल्पना, स्मार्ट विनिर्माण में एम.टेक।

इस प्रकार, तथ्यात्मक स्थिति ने दर्शाया कि हितधारकों द्वारा अभिकल्पना एवं विनिर्माण के प्रति विशेष रुचि नहीं दिखाई थी तथा उद्देश्य जिनके लिए इन शाखाओं की पेशकश की गई थी, को पूरा नहीं किया था। लेखापरीक्षा को डीएण्डएम पाठ्यक्रमों में नामांकन के सुधार के उपायों के संबंध में सेनेट/बीओजी में चर्चा का कोई विशिष्ट उदाहरण नहीं पाया था। चूंकि आईआईआईटीडीएम का विजन/मिशन एक विशेष मिशन के साथ अन्य आईआईआईटी से अलग है इसलिए बोर्ड/सीनेट द्वारा एमओई/उद्योग तथा अन्य हितधारकों के परामर्श से अभिकल्पना एवं विनिर्माण शाखाओं उद्योग की आवश्यकताओं तथा छात्र समुदाय के आकर्षण के लिए अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए सक्रिय प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

4.4.4.4 राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त न किए गए शैक्षणिक कार्यक्रम

राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद सहित भारत में उच्चतर शिक्षा संस्थानों के प्रत्यायन⁶⁰ हेतु उत्तरदायी दो मुख्य निकायों में से एक है। एनबीए द्वारा प्रत्यायन का उद्देश्य महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में अवर-स्नातक तथा स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर तकनीकी शिक्षा में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करना एवं मान्यता देना है। एनबीए द्वारा इंजीनियरिंग कार्यक्रमों को प्रत्यायन सदस्य देश⁶¹ द्वारा प्रदान की गई स्नातक इंजीनियरिंग शिक्षा की गुणवत्ता की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता को समर्थ करेगा तथा इसे विश्व स्तरीय श्रेणी में लाने का एक मार्ग है।

एनबीए अपनी समितियों तथा परिषदों द्वारा निर्धारित अनुसंधान आदि जैसे मूल्यांकन मानदण्ड तथा प्रतिमानों के आधार पर भारत में तकनीकी संस्थानों के कार्यक्रमों का मूल्यांकन करता है। आईआईटी, आईआईएससी, आईआईआईटी, एनआईटी, केन्द्रीय विश्वविद्यालय आदि टियर-1 की प्रत्यायन श्रेणी में आते हैं। एक इंजीनियरिंग कार्यक्रम के प्रत्यायन की निर्धारण एवं मूल्यांकन प्रक्रिया एक भागीदारी प्रक्रिया, जिसमें प्रतिष्ठित राष्ट्र-स्तरीय तकनीकी संस्थानों, उद्योगों, आरएण्डजी संगठनों तथा व्यापारिक निकायों से विशेषज्ञ शामिल हैं, के माध्यम से विकसित 10 विस्तृत मानदण्डों पर आधारित है।

⁶⁰ प्रत्यायन एक साधन है जिसका हितधारक महाविद्यालय, विश्वविद्यालय अथवा उच्चतर शिक्षा के अन्य संस्थान में एक छात्र द्वारा प्राप्त की जा रही शिक्षा की शिक्षा के मानकों तथा गुणवत्ता की निगरानी, आकलन तथा मूल्यांकन हेतु उपयोग करते हैं। (एनबीए बेवसाइट)

⁶¹ वाशिंगटन सहमति 2007 के अनुसार।

लेखापरीक्षा ने पाया कि संस्थान द्वारा एनबीए से प्रत्यायन प्राप्त नहीं किया गया था (दिसंबर 2022)।

संस्थान ने *अन्य बातों के साथ-साथ* बताया (मार्च 2023) कि इसने सभी संकाय सदस्यों के लिए एनबीए निर्धारण एवं मूल्यांकन प्रक्रिया हेतु कई पहल तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है तथा शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में योग्य कार्यक्रमों हेतु एनबीए का आवेदन करने की योजनाएँ प्रक्रियाधीन हैं।

एक उभरता हुआ संस्थान होने से, प्रदान किए गए कार्यक्रमों की गुणवत्ता के संबंध में हितधारकों को आश्वासन प्रदान करने के लिए संस्थान प्रत्यायन प्रक्रिया को लाभकारी होगी।

4.4.5 शिक्षण वातावरण

लेखापरीक्षा ने जांच की कि क्या संस्थान ने संस्थान का प्रबंधन पर्याप्त रूप से एक ऐसे शिक्षण वातावरण की स्थापना में लगा हुआ है जो अभिकल्पना एवं विनिर्माण प्रौद्योगिकी में उन्नत आरण्डडी गतिविधियों को करने हेतु उपयुक्त प्रतिभा के साथ साथ उद्योग प्रायोजन को आकर्षित कर रहा है तथा संस्थान की शिक्षण आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। इसे मुख्य रूप से संकाय, गैर-संकाय, प्रयोगशालाओं/उपकरण, अनुसंधान प्रतिमान जैसे कि वित्तपोषण/प्रकाशन/पेटेंट की उपलब्धता, शासी निकायों की स्थापना तथा मुख्य अधिकारियों की स्थापना पर ध्यान देते हुए किया गया था।

4.4.5.1 संकाय पदों में रिक्तियां

यद्यपि संस्थान ने 2015-16 में अपनी शैक्षणिक गतिविधियां प्रारम्भ की फिर भी संकाय पदों को एमओई द्वारा केवल जून 2018 में जाकर ही संस्वीकृति किया गया था। प्रारम्भ में, एमओई द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2018-19 के लिए कुल 15 पदों (सह-प्राध्यापक 05 एवं सहायक प्राध्यापक-10) को संस्वीकृत किया गया था। बाद में, इनकी 2019-20 में 31 तथा शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में 51 तक बढ़ा दिया गया था, एमओई ने इन अतिरिक्त संकाय पदों को फ्लैक्सि संवर्ग⁶² में संस्वीकृत किया था। पदों को 1:12 के निर्धारित संकाय छात्र अनुपात (एफएसआर) के आधार पर संस्वीकृत किया था। बाद में, केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थान (शिक्षक

⁶² पदनाम अर्थात् प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक या सहायक प्राध्यापक की परवाह किए बिना कई संकाय पदों की संस्वीकृति।


संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, 2019 के कार्यान्वयन हेतु रोस्टर तैयार करने के लिए बीओजी⁶³ इन 51 पदों का प्राध्यापक (08), सह-प्राध्यापक (16) तथा सहायक प्राध्यापक (27) के रूप में बांटा (जून 2022) गया है। प्राध्यापक/सह-प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक के पदों को संबंधित पदों के परिभाषित योग्यता मानदण्ड के अनुसार खुली भर्ती के माध्यम से भरा जाना अपेक्षित था। संस्वीकृत संकाय पदों की वर्ष-वार संख्या, संचयी भर्तियां, छात्र नामांकन तथा वास्तविक एफएसआर को तालिका सं. 4.10 में दर्शाया गया है।

तालिका सं. 4.10: संकाय भर्ती में कमी

वर्ष	छात्र नामांकन	संस्वीकृत संकाय पद	तैनात संकाय	संकाय रिक्तियां	संकाय छात्र अनुपात (एफएसआर)
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)=(iii)-(iv)	(vi)=1:(ii)/(iv)
2018-19	325	15	11	4	1:30
2019-20	407	31	9	22	1:45
2020-21	502	31	20	11	1:25
2021-22	602	51	25	26	1:24

यद्यपि एमओई द्वारा एफएसआर के अनुसार संकाय पदों की संख्या को संस्वीकृत किया गया था, फिर भी 51 पदों के प्रति 2021-22 के अंत तक 26 पदों को (51 प्रतिशत) रिक्त छोड़ते हुए केवल 25 संकाय (2 सह-प्रध्यापक तथा 23 सहायक प्राध्यापक) भर्ती किए गए हैं। परिणामस्वरूप वास्तविक एफएसआर 1:12 के निर्धारित मानदण्ड से काफी नीचे रहा तथा जिसमें 2020-22 की अवधि में केवल मामूली सा सुधार हुआ जैसा चार्ट सं 4.6 में दर्शाया गया है।

⁶³ मद सं. बीओजी 10 (2022)-12।



लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि संस्थान में कोई प्रध्यापक उपलब्ध नहीं था। प्राध्यापकों की गैर-उपलब्धता तथा समग्र रिक्तियों के कारण एमओई ने 1:2:4 (प्राध्यापक, सहप्राध्यापक तथा सहायक प्राध्यापक) के परस्पर अनुपात की सिफारिश की जिसे संस्थान द्वारा कायम भी नहीं रखा जा रहा था।

संस्थान ने उत्तर दिया (मार्च 2023) कि संकाय की भर्ती के लिए प्रयास किए गए हैं। अंतर को समाप्त करने के लिए संस्थान के विभिन्न विभागों में सहायक प्राध्यापक, अतिथि प्राध्यापक, अतिथि संकाय तथा अस्थायी संकाय की नियुक्ति की है।

संकाय पदों में रिक्तियों का परिणाम मौजूदा संकाय पर अधिक कार्यभार तथा योजनाबद्ध शैक्षणिक कार्यक्रमों के प्रारम्भ को विलम्बित करने में हुआ जिसका शिक्षा मंत्रालय द्वारा सितंबर 2015 में प्रारम्भ किए गए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढांचा (एनआईआरएफ⁶⁴) के अनुसार संस्थान के निष्पादन पर संभाकी रूप से असर पड़ा है।

रिक्त संकाय पद को भरने के लिए नियमित भर्ती अभियान के आयोजन हेतु प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है ताकि योजनाबद्ध कार्यक्रमों के प्रारम्भ तथा आरएण्डडी गतिविधियों हेतु समय देने को सुनिश्चित करने के लिए एफएसआर को सुधारा जा सके।

⁶⁴ एनआईआरएफ अंक हेतु विचार किए गए पांच पैरामीटर, जिसमें शिक्षण, अधिगम एवं संसाधन (टीएलआर), अनुसंधान एवं व्यवसायिक प्रक्रिया (आरपीपी), स्नातक परिणाम (जीओ), आउटरीच एवं समावेशिता (ओआई) सहकर्म धारणा (पी) शामिल हैं जिसने अधिकतम महत्व संसाधनों (टीएलआर) तथा अनुसंधान (आरपीपी) को प्रदान किया गया है, के आधार पर देश में संस्थानों को रैंक प्रदान करने की एक क्रियाविधि को बताता है।

4.4.5.2 संकाय निष्पादन मेट्रिक्स

बीओजी ने अपनी तीसरी बैठक (दिसंबर 2019) ने निदेशक को आईआईआईटी परिषद की चौथी बैठक के कार्यवृत्त में निर्धारित सिफारिशों को तुरंत अपनाने हेतु सेनेट से अनिवार्य अनुमोदनों को शुरू करने की सलाह दी। बोर्ड ने निदेशक को शिक्षण, अनुसंधान, गुणवत्तापूर्णा एवं प्रतिष्ठित पत्रिका प्रकाशन, आउटरीच, संस्थान की बिल्डिंग, आईसीटी संबंधित कोर्सवेयर डिजाइन तथा कक्षाओं में आईसीटी साधनों का विकास या उपयोग आदि से संबंधित प्रतिमानों को शामिल करते हुए उपयुक्त रूब्रिक तैयार करके संकाय निष्पादन की 360° समीक्षा के मूल्यांकन हेतु तंत्र प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया। बोर्ड ने निदेशक को प्रत्येक संकाय का वार्षिक निष्पादन प्रस्तुत करने की सलाह भी दी तथा इसका पदोन्नति के साथ विचार किया जाना है।

जब लेखापरीक्षा द्वारा संस्थान से बीओजी के उपरोक्त अनुदेशों के अनुपालन की मांग की गई तो संस्थान ने उत्तर दिया (जनवरी 2023) कि निष्पादन का निर्धारण करने हेतु तंत्र तैयार कर लिया गया था तथा रूब्रिक व परिचालित फार्म के अनुसार स्टाफ को कार्य करने के लिए सूचित किया गया था।

संस्थान ने उत्तर दिया (मार्च 2023) कि समीक्षा तथा बीओजी को रिपोर्ट प्रदान करने हेतु जल्द ही एक समिति का गठन किया जाएगा।

तथापि, स्थापित रूब्रिक तथा निष्पादन के मूल्यांकन को दर्शाने वाले दस्तावेजों प्रमाण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे। इस प्रकार, तीन वर्षों के विलम्ब के बावजूद संकाय निष्पादन के संबंध में आईआईआईटी परिषद के निर्णय को कार्यान्वित नहीं किया गया है।

4.4.5.3 गैर-संकाय पद

संस्थान के प्रशासनिक तथा तकनीकी कार्य गैर-संकाय स्टाफ द्वारा निष्पादित किए जाते हैं। मंत्रालय द्वारा जून 2018 में कुल 20 गैर-संकाय पदों को संस्वीकृत किया गया था। पद सहायक पंजीयक (तीन), तकनीकी अधिकारी ग्रेड-1 (एक), कनिष्ठ अभियंता (दो), कनिष्ठ तकनीकी अधीक्षक (तीन), कनिष्ठ अधीक्षक (तीन), कनिष्ठ अधीक्षक-पुस्तकालय (एक), कनिष्ठ

सहायक (तीन), कनिष्ठ टेकनीशियन (तीन) तथा कनिष्ठ टेकनीशियन-पुस्तकालय (एक) की श्रेणियों में संस्वीकृत किया गया है।

ए) गैर-संकाय वर्ग 'ग' की भर्ती-संविधि में संशोधन की आवश्यकता

संविधान के अधिनियम ने प्रावधान किया कि संकाय के अतिरिक्त सभी पदों, अर्थात् तकनीकी एवं प्रशासनिक स्टाफ, को बोर्ड द्वारा अनुमोदित संस्थान के भर्ती नियमों के अनुसार भरा जाएगा तथा वर्ग 'ग' द्वारा प्रदान की गई सभी सेवाओं को आउटसोर्सिंग तथा संविदा द्वारा प्राप्त किया जाएगा। संस्थान ने 2018-19 से 2021-22 के दौरान वर्ग-ग श्रेणी के अधीन सात पदों की भर्ती की (कनिष्ठ सहायक के तीन पद, कनिष्ठ टेकनीशियन के तीन पद तथा कनिष्ठ टेकनीशियन (पुस्तकालय) का एक पद)।

लेखापरीक्षा ने इंगित किया कि संस्थान ने वर्ग 'ग' स्टाफ की नियुक्ति संविदा/आउटसोर्सिंग के बजाए नियमित आधार पर की थी जो संस्थान की संविधि के प्रावधानों के विरुद्ध था।

संस्थान ने उत्तर दिया (मार्च 2023) कि संविधि तैयार करते समय कार्यालय ने गलती से वर्ग 'घ' के स्थान पर वर्ग 'ग' शब्द का टंकण कर दिया था।

इस प्रकार, मामले को मंत्रालय के परामर्श से संविधि में संशोधन करते हुए नियमित किए जाने की आवश्यकता है।

बी) विलम्ब के साथ की गई गैर-संकाय की नियुक्ति

लेखापरीक्षा ने गैर-संकाय की नियुक्ति में विलम्ब पाए। दो कनिष्ठ अभियंता (सिविल एवं इलैक्ट्रिकल), जो अवसंरचना तथा परिसर विकास के अन्य निर्माण कार्यों की निगरानी करने में मुख्य अधिकारी हैं, को पद की संस्वीकृति की तिथि (2018) से लगभग दो वर्षों के विलम्ब से नियुक्ति (जून/जुलाई 2020) की गई थी। वैसे ही तीन सहायक पंजीयक की नियुक्ति भी चार वर्षों (जून 2022) के विलंब के साथ की गई।

संस्थान ने अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए उत्तर दिए (मार्च 2023) कि विलम्ब चयन हेतु उपयुक्त उम्मीदवारों की गैर-उपलब्धता, कोविड की वजह से भर्ती अभियान के स्थगन के कारण था।

4.4.5.4 प्रयोगशाला सुविधाओं/उपकरण की उपलब्धता में कमी

संस्थान में चार (04) विभाग अर्थात् मैकेनिकल (मैक), इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार (ईसीई), कम्प्यूटर विज्ञान (सीएस) तथा विज्ञान (एससी) है। प्रत्येक विभाग के एचओडी ने उपकरण की न्यूनतम आवश्यकता निर्धारित की। लेखापरीक्षा ने मार्च 2022 तक दो विभागों (मैक तथा ईसीई), की आठ प्रयोगशालाओं में न्यूनतम आवश्यकताओं के साथ तुलना किए जाने पर उपकरण की पर्याप्तता में कमियां पाई (अनुलग्नक-4.9)।

ईसीई विभाग में चार प्रयोगशालाओं के संबंध में 60 कम्प्यूटरों तथा एक लेजर बेस प्रोटोटाइपिंग मशीन की कमी थी। इसी प्रकार मैकेनिकल विभाग में चार प्रयोगशालाओं में 287 उपकरणों की कमी पाई गई थी। मैकेनिकल विभाग में आगे 52 प्रकार के महत्वपूर्ण उपकरणों का 2021-22 तक प्रापण नहीं किया गया था (अनुलग्नक-4.10) इस प्रकार, प्रयोगशालाएं निर्धारित न्यूनतम आवश्यकताओं के सापेक्ष में पूर्ण रूप से सज्जित नहीं थी।

संस्थान ने उत्तर दिया (जनवरी 2023) कि अपर्याप्त स्थान तथा निधि की कमी के कारण उपकरण उपलब्ध नहीं कराए जा सके थे। आगे यह बताया गया कि चूंकि मैकेनिकल उपकरण बहुत महंगे थे इसलिए प्रयोगशाला उपकरण रोटेशन /बैच में किए गए थे। कोविड के दौरान खरीद से संबंधित कोई कार्य नहीं किया गया था। संस्थान ने आगे उत्तर दिया (मार्च 2023) कि पाठ्यक्रम के अनुसार अपेक्षित प्रयोगशालाएं शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में स्थापित की जाएगी। तथ्य यह है कि अपेक्षित प्रयोगशाला सुविधाएं तथा उपकरण संस्थापित नहीं थे। कमी को दूर करने तथा छात्रों को पहुंच प्रदान करने हेतु चरणबद्ध प्रकार से अपेक्षित उपकरण उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाने की आवश्यकता है।

4.4.5.5 अनुसंधान परिषद के गठन में विलम्ब-अनुसंधान हेतु सरकारी वित्तपोषण पर निर्भरता

विजन दस्तावेज के अनुसार, संस्थान का एक उद्देश्य दोनों स्वयं से तथा उद्योग हेतु प्रायोजना आधार पर अभिकल्पना तथा विनिर्माण प्रौद्योगिकियों में उन्नत अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां करना था। आगे, अधिनियम के खंड 22 के प्रावधानों में निर्धारित था कि संस्थान एक अनुसंधान परिषद (आरसी) की स्थापना करेगा। अनुसंधान परिषद के कार्यों में अन्य बातों


के साथ साथ अनुसंधान हेतु संभावित क्षेत्रों की पहचान करना, अनुसंधान का आयोजन एवं प्रोत्साहन करना, बाह्य स्रोतों से वित्तपोषण प्राप्त करने में शिक्षकों की सहायता करना, अनुसंधान से उभरते प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के इन्क्यूबेशन का प्रावधान करना आदि शामिल है। आरसी को निदेश तथा ऐसे अन्य सदस्यों, जैसे बोर्ड द्वारा, संविधि से विनिर्दिष्ट किए जाए को शामिल होना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि संविधि आरसी के सदस्यों की संरचना के संबंध में मौन थे। तथापि, आरसी की 2015-16 में संस्थान के प्रारम्भ से लगभग सात (07) शैक्षणिक वर्षों के विलम्ब के पश्चात बोर्ड के अनुमोदन (जनवरी 2022) से स्थापना⁶⁵ की गई थी (मार्च 2022)। यद्यपि संस्थान ने अनुसंधान प्रकाशनों (16 प्रकाशन विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में, एससीआई पत्रिकाओं⁶⁶ में 51 प्रकाशन तथा 2018-19 से 2021-22 के दौरान फाइल हुए सात पेटेंट, किए गए थे) के संदर्भ में प्रगति की फिर भी गैर-सरकारी स्रोतों से निधीयन नमूना प्राप्तसाहित नहीं कर रहा था।

मार्च 2022 के अंत तक, संस्थान द्वारा किए गए कुल 12 अनुसंधान परियोजना के सापेक्ष ₹1.39 करोड़ के निधीयन वाली 11 परियोजनाओं का वित्तपोषण सरकारी स्रोतों जैसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड, आईआईआईटी आदि द्वारा किया गया था जबकि ₹0.062 करोड़ (चार प्रतिशत) के निधीयन वाली केवल एक परियोजना का गैर-सरकारी स्रोतों/उद्योग द्वारा वित्तपोषण किया गया था (चार्ट सं.4.7)। इसने अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को करने के लिए संस्थान की सरकार पर बड़ी निर्भरता को इंगित किया, इस प्रकार संस्थान गैर-सरकारी वित्तपोषण को आकर्षित करने में पीछे रहा।

⁶⁵ अन्य राष्ट्रीय संस्थानों/उद्योग विशेषज्ञों से छः सदस्यों सहित अध्यक्ष के रूप में निदेशक।

⁶⁶ विज्ञान संबंधी उदाहरण वाली अनुक्रमणिक एक साधन है जो 27 मुख्य वैज्ञानिक डोमेन तथा दुनिया भर से 239 देशों से 5,000 से अधिक अंतरराष्ट्रीय प्रकाशकों को अनुक्रमित करता है।



संस्थान ने उत्तर दिया (सितंबर 2022) कि चूंकि 2019-22 के दौरान अवसंरचना विकास प्रगति में था तथा कोविड-19 के कारण, समिति का केवल जनवरी 2022 के माह में ही गठन किया गया था। उन्होंने यह भी बताया (मार्च 2023) कि सरकारी/उद्योग अनुसंधान परियोजनाओं को आकर्षित करने में प्रगति हुई।

अनुसंधान परियोजनाओं के संबंध में तथ्य है कि लेखापरीक्षा में शामिल अवधि के दौरान उद्योग प्रायोजित अनुसंधान अपर्याप्त था।

4.4.5.6 सांविधिक प्राधिकारियों की बैठक संचालित करने में कमी

अधिनियम अनुबंध करता है कि एक संस्थान के निम्न प्राधिकरण होंगे अर्थात् (ए) शासक बोर्ड, (बी) सेनेट, (सी) वित्त समिति (डी) बिल्डिंग एवं निर्माण कार्य समिति, (ई) अनुसंधान परिषद और (एफ) ऐसे अन्य प्राधिकरण जिसे संविधि द्वारा संस्थान के प्राधिकरण होना घोषित किया जाए। तदनुसार, बीओजी तथा संस्थान के अन्य प्राधिकरण 2019-20 से प्रभाव में आए जिससे पहले गतिविधियों का गुरु-संस्थान के बोर्ड तथा अन्य प्राधिकरणों द्वारा शासित/देखरेख की जा रही थी।

आईआईआईटीडीएम, कर्नूल के अवसंरचना विकास का बड़ा हिस्सा मेंटर इंस्टीट्यूट (आईआईआईटीडीएम, कांचीपुरम) के प्राधिकरणों के पर्यवेक्षण में तैयार किया गया था। जैसा

कथित अवधि के दौरान इन निकायों के कार्यवृत्त से देखा गया है कि मेंटर इंस्टीट्यूट में प्राधिकारी अधिकतर कांचीपुरम कैम्पस की निर्माण गतिविधियों से संबंधित विभिन्न मुद्दे के साथ लगे हुए थे।

आगे, आईआईआईटीडीएम, कर्नूल में तीन वर्षों (2019-22) के दौरान नियमित बीओजी, सेनेट तथा एफसी के गठन के पश्चात् शासी निकायों की बैठक की न्यूनतम निर्धारित संख्या के आयोजन में कमी पाई गई थी जैसा तालिका सं. 4.11 में ब्योरा दिया गया है।

तालिका सं. 4.11: संचालित बैठकों की संख्या (वार्षिक)

क्र.सं.	शासी निकाय का नाम	निर्धारित न्यूनतम बैठक की संख्या (वार्षिक)	वार्षिक बैठक करने में कमी		
			2019-20	2020-21	2021-22
1	शासी बोर्ड (बीओजी)	4	1	2	1
2	सेनेट	4	1	3	2
3	वित्त समिति (एफसी)	2	शून्य	1	शून्य

शासी निकायों की बैठकों में ऐसी कमियां आईआईआईटीडीएम, कर्नूल के कैम्पस विकास मुद्दों की योजना तथा पर्यवेक्षण में प्रभावी निगरानी की कमी का कारण हो सकती है जैसे चूकों अर्थात् परियोजनाओं के निधि प्रवाह को सुनिश्चित करने में विफलता, निर्माण कर्यों को रोकना, मंत्रालय के अनुमोदन के बिना डीपीआर में विचलन करना, निर्माण कार्यों के समापन में विलम्ब तथा बीओपीजी प्रस्तावों का गैर-कार्यान्वयन आदि से स्पष्ट है।

संस्थान ने उत्तर दिया (जनवरी 2023) कि वर्ष 2020 के दौरान कम बैठकें कोविड-19 के कारण थीं। आगे यह बताया (मार्च 2023) कि संस्थान अब से बीओजी, एफसी तथा सेनेट की बैठकों की न्यूनतम संख्या के आयोजन का सुनिश्चित करेगा।

संगठनात्मक लक्ष्यों की प्रभावी प्राप्ति को सुनिश्चित करने हेतु अधिनियम/संविधि में निर्धारित के अनुसार शासी निकायों की बैठकों के आयोजन हेतु कार्रवाई की आवश्यकता है।

4.4.5.7 शिकायत निवारण तंत्र की गैर-स्थापना

संविधि की धारा 44 के अनुसार, बोर्ड की उप-समिति के रूप में एक शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना की जाएगी तथा समिति पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए संस्थान की वेबसाइट पर

अपने निर्णयों का सक्रिय प्रकटन के साथ कार्य करेगी। कर्मचारी/संकाय/छात्र द्वारा एक शिकायत जिसका संस्थान में स्थापित तंत्र द्वारा समाधान न किए जाने के मामले में इसे इस समिति को प्रेषित किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जब संस्थान ने उत्तर दिया (मार्च 2023) कि बीओजी ने समिति के गठन को अनुमोदित कर दिया है तथा आदेश जारी किए थे, तब संस्थान में मार्च 2023 अनुबंधित शिकायत निवारण तंत्र मौजूद नहीं था।

उत्तर को इस तथ्य के सापेक्ष देखा जाए कि संस्थान में इसकी स्थापना (2015-16) तिथि से सात वर्षों से अधिक की अवधि के लिए किसी औपचारिक शिकायत निवारण तंत्र मौजूद नहीं था।

मामला मंत्रालय को 12 अप्रैल 2023 को सूचित किया गया। उत्तर प्रतीक्षित है।

4.4.6 निष्कर्ष

परियोजना नियोजन तथा प्रबंधन न्यून था क्योंकि डीपीआर को एमओई के मानदण्डों का अनुपालन किए बिना तैयार किया गया था। पहाड़ी भू-भाग के कारण केवल 27 प्रतिशत आंबटित भूमि स्थायी परिसर के निर्माण हेतु उपयुक्त थी; परिणामस्वरूप संस्थान के पास परिसर विकास हेतु न्यूनतम अपेक्षित उपयोग योग्य 50 एकड़ भूमि नहीं थी। उपयुक्त औचित्य तथा मंत्रालय के अनुमोदन के बिना डीपीआर की तुलना में निर्मित क्षेत्र में परिवर्तन किए गए थे। नए परिसर में शिफ्ट होने की तिथि से चार वर्षों के बीत जाने के पश्चात् भी चार किलोमीटर की आवश्यकता के सापेक्ष के केवल 1.15 किलोमीटर की परिसर की दीवार का निर्माण किया गया था। पहुंच सड़क का विकास, स्वच्छ पेयजल जैसी गतिविधियां राज्य सरकार के पास लंबित रही जिससे हितधारकों को कठिनाइयों को सामना करना पड़ा। परिकल्पित परियोजना निगरानी तंत्र की स्थापना नहीं की गई थी जिसका परिणाम निर्माण में विलम्ब, अधिक व्यय, स्थानीय निकायों से अनुमोदन/एनओसी प्राप्त न करने आदि जैसे मुद्दों में हुआ। छात्रों/स्टाफ के लिए बुनियादी सुविधाएं जैसी खेल अवसंरचना तथा परिवहन जैसी मूल सुविधाएं अभी भी पूर्ण रूप से उपलब्ध कराई जानी थी। निर्माण कार्यों के निष्पादन में विलम्ब का परिणाम छात्रावास में छात्रों के लिए पर्याप्त छात्रावास स्थान की अनुपलब्धता में हुआ। संस्थान ने मार्च 2023 तक 10 परिकल्पित शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू नहीं किए थे। अवसंरचना सृजन में विलम्ब तथा संकाय पदों में बड़ी रिक्तियां के कारण यूजी तथा पीजी कार्यक्रमों हेतु सीटों के सृजन में 53 प्रतिशत की कमी थी। सृजित सीटें, विशेष रूप से पीजी कार्यक्रम में जहां 2019-21 के दौरान रिक्तियां 91 प्रतिशत थी तथा 2021-22 के दौरान 'शून्य' नामांकन था,

रिक्त रही। अभिकल्पना तथा विनिर्माण कार्यक्रमों में रिक्तियां अन्य कार्यक्रमों की तुलना में अधिक हैं। 51 संकाय पदों में से केवल 25 पद नियमित संकाय के साथ भरे गये थे जो 2018-22 की अवधि के दौरान लगातार निम्न संकाय छात्र अनुपात का कारण बना। चार में से दो विभागों ने प्रयोगशाला उपकरण की कमी सूचित की है। लेखापरीक्षा ने कांचीपुरम तथा कर्नूल दोनों में शासी निकायों द्वारा प्रभावी पर्यवेक्षण तथा निगरानी की कमी पाई।

4.4.7 सिफारिशें

- संस्थान अतिरिक्त भूमि के आबंटन, परिसर की दीवार का पूरा होना, पहुंचने वाली सड़क का उन्नयन, पेयजल की सुनिश्चित आपूर्ति जैसे लम्बे समय से लंबित मुद्दों का शीघ्र समाधान हेतु एक सक्रिय प्रकार से राज्य सरकारी संगठनों के साथ काम पर लग जाएं।
- संस्थान परियोजना निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ करने के तरीकों को खोजें, जो भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की आवधिक रूप से निगरानी कर सके तथा परिसर एवं शैक्षणिक अवसंचना सुविधाओं के शीघ्र समापन हेतु समय से हस्तक्षेप कर सकें।
- संस्थान, छात्र समुदाय को इन पाठ्यक्रमों को अधिक वांछनीय करते हुए छात्रों के लिए उद्योग प्रदर्शन और पाठ्यक्रम सामग्री को समृद्ध करने हेतु आईटी समर्थित अभिकल्पना एवं विनिर्माण उद्योग में प्रमुख हितधारकों के साथ नियमित रूप से लगे रहें।
- संस्थान योग्य संकाय को आकर्षित करने हेतु एक प्रभावी कार्यप्रणाली विकसित करें जिससे रिक्तियां को कम किया जा सके तथा शिक्षा एवं अनुसंधान वातावरण के अनुसार वांछनीयता को बढ़ाया जा सके।
- शासी निकाय अपने अनुसंधान उन्मुख लक्ष्यों की प्रभावी प्राप्ति हेतु अनुसंधान निधीयन के लिए उद्योग साझेदारी को आकर्षिक करने पर जोर डालें।
- संस्थान यह सुनिश्चित करें कि प्रयोगशालाएं छात्रों/शोधकर्ताओं को नवीनतम साधनों एवं प्रौद्योगिकी का अनुभव प्राप्त करने के लिए पर्याप्त रूप से सज्जित हैं।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास

4.5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास-मंत्रालय प्रायोजित परियोजनाएं

आईआईटीएम द्वारा बनाए गए वित्तीय प्रबंधन में कमियां थीं क्योंकि बकाया वापस नहीं किए गए थे तथा ब्याज उचित प्रकार से परिकल्पित नहीं किए गए थे। उपरिव्यय की परियोजना निधियों से संस्वीकृत राशि/दरों से अधिक कटौती की गई है। ₹259.68 लाख का किया गया व्यय निष्फल रहा क्योंकि परियोजना को समय पर पूरा नहीं किया जा सका था तथा उपयोग नहीं किया जा सका था। आईसीएण्डएसआर द्वारा परियोजना/अनुसंधान परिणामों की प्रगति/समापन में कोई निगरानी नहीं की गई थी जो आईआईटीएम की बौद्धिक संपदा अधिकार नीति में निहित प्रावधानों के विरुद्ध है।

4.5.1 प्रस्तावना

भारतीय प्रबंधन संस्थान मद्रास (आईआईटीएम) अपने औद्योगिक परामर्श तथा प्रायोजित अनुसंधान (आईसीएण्डएसआर) के लिए अपने केंद्र के माध्यम से राज्य एवं केन्द्र सरकारी अभिकरणों, लोक एवं निजी क्षेत्र उद्योगों तथा अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के लिए कई प्रायोजित तथा परामर्श परियोजनाओं को पूरा कर रहा है। आईसीएण्डएसआर उन सभी परियोजनाओं, के प्रोत्साहन, सरलीकरण, समन्वय एवं प्रशासन के लिए उत्तरदायी है जो आईआईटीएम के संकाय द्वारा कार्यान्वित की गई हैं।

एक प्रायोजित अनुसंधान परियोजना को या तो किसी संस्थान के एक या अधिक संकाय सदस्यों द्वारा प्रायोजन अभिकरण को प्रस्ताव प्रस्तुत करके या एक क्लाइंट संस्थान या उद्योग द्वारा संस्थान से मदद मांग करके प्रारम्भ किया जा सकता है।

प्रायोजित अनुसंधान परियोजना को अन्वेषकों के एक समूह द्वारा व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से लिया जा सकता है तथा अन्वेषकों में से एक प्रधान अन्वेषक (पीआई) होना चाहिए। ऐसे अनुसंधान प्रस्तावों की संस्वीकृति पर परियोजनाओं को अधिसूचित किया जाएगा तथा तदनुसार बजट आंबटन किया जाएगा।

4.5.2 मंत्रालय प्रायोजित परियोजनाओं की लेखापरीक्षा

2018-19 से 2020-21 तक की अवधि को शामिल करते हुए, मंत्रालय प्रायोजित परियोजनाओं की लेखापरीक्षा आईसीएण्डएसआर में फरवरी 2022 से मई 2022 तक की अवधि के दौरान की गई थी।

लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान, ₹2,509.60 करोड़ के मूल्य की 1,427 प्रायोजित परियोजनाओं को निष्पादित किया गया था जिसमें से ₹1,560.63 करोड़ के मूल्य की 683 परियोजनाएं चल रही थी तथा ₹948.97 करोड़ के मूल्य की 744 परियोजनाएं पूर्ण/अंतिमीकरण के अधीन/छोड़ दी गई थी।

लेखापरीक्षा ने विस्तृत संवीक्षा हेतु 41 परियोजनाओं का चयन किया जिन्हें बंद/पूर्ण किया गया था तथा 18 चालू परियोजनाएं थी।

4.5.3 निधि प्रबंधन

4.5.3.1 परियोजनाओं के बंद किए जाने के पश्चात् प्रायोजित अभिकरणों को वापस नहीं की गई बकाया राशि- ₹4.21 करोड़

2007-2021 की अवधि के दौरान बंद की गई 195 परियोजनाओं के संबंध में ₹299.06 करोड़ की कुल प्राप्तियों में से ₹294.85 करोड़ के व्यय के पश्चात् विभिन्न प्रायोजन अभिकरणों को ₹4.21 करोड़ की अव्ययित राशि वापसी हेतु लंबित (अनुलग्नक-4.11) थी। मंत्रालय ने उत्तर दिया कि परियोजना में उपलब्ध ₹4.21 करोड़ के अव्ययित शेष का निपटान मामला प्रति मामला के आधार पर किया जा रहा है तथा पीएल से अनुमोदन तथा यूसी के अंतिमीकरण के परिणामस्वरूप प्रतिदाय शुरू कर दिया गया है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि संस्थान परियोजनाएं जो 2007 से 2020-21 के बीच बंद हो चुकी थी, के लिए ₹4.21 करोड़ की राशि को वापस नहीं किया।

4.5.3.2 भारत सरकार को ब्याज की हानि

ए) ब्याज का अनुचित परिकलन - ₹5.93 करोड़

निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार, परियोजनाओं के अंत शेष पर अर्जित ब्याज को अनुदान की भविष्य की किस्तों के प्रति वापस/समायोजित किया जाना चाहिए। तथापि, यह पाया गया था

कि 11 परियोजनाओं के मामले में वित्तीय वर्ष के अंत में उपलब्ध शेष अनुदान ब्याज को न तो परिकलित/दर्ज किया गया और न ही संबंधित बैंक द्वारा प्रस्तुत ब्याज की वास्तविक दर पर परिकलित किया गया था बल्कि यादृच्छिक रूप से ब्याज की दर कम लगाई गई जिसके परिणामस्वरूप जीओआई को ₹5.93 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (मार्च 2023) कि बचत बैंक ब्याज दर तथा परियोजना की क्रेडिट की गई आईसीएण्डएसआर के ब्याज की दर के बीच का अंतर एक नीति के रूप में आईएण्डएसआर के प्रशासनिक प्रभार है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ब्याज का परिकलन करने के लिए कोई अनुमोदित नीति मौजूद नहीं है। आईआईटीएम प्रशासनिक प्रभारों को छोड़कर ब्याज का वैज्ञानिक रूप से परिकलन नहीं कर रहा है बल्कि परियोजनाओं के अंत शेषों के लिए यादृच्छिक रूप से ब्याज की निम्न दर लगाई जा रही है। आईआईटीएम को निधीयन अभिकरण को प्रतिदाय की तिथि तक अर्जित ब्याज वापस करना चाहिए था।

बी) अव्ययित शेष की देरी से वापसी

₹3.43 करोड़ की राशि का एक परियोजना का अंत शेष सरकार को 01 दिसंबर 2021 को देरी से वापस किया गया। परंतु परियोजना के समापन (31 मार्च 2020) तक शेष राशि पर ब्याज का केवल परिकलन किया गया था जिसके परिणामस्वरूप मंत्रालय को 1 अप्रैल 2020 से 30 नवम्बर 2021 तक की अवधि के लिए ब्याज के माध्यम से ₹16.57 लाख की सीमा तक राजस्व की हानि हुई।

उत्तर यह दिया गया था कि संस्वीकृति आदेश में उपलब्ध खंड के आधार पर या जब प्रायोजक अभिकरण ब्याज वापसी हेतु अनुरोध करता है, तो प्रायोजक अभिकरण को ब्याज का अंतरण किया जाएगा। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि आईआईटीएम को लेखे को बंद करने की तिथि के बजाय निधीयन अभिकरण को धन वापसी की तिथि तक अर्जित ब्याज वापस करना चाहिए था।

सी) परियोजनाओं के प्रायोजक अभिकरणों से पावतियों से अधिक किया गया अतिरिक्त व्यय - ₹9.31 करोड़

आईसीएण्डएसआर ने 173 मामलों (141 पूर्ण परियोजनाएं तथा 32 चालू परियोजनाएं) में प्राप्त निधियों (दिसंबर 2022) से अधिक ₹9.31 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया जैसा कि

अनुलग्नक-4.12 में दिया गया है। तथापि, प्रायोजक अभिकरणों से शेष निधियां प्राप्त करने की कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई थी।

उत्तर में यह बताया गया था कि परियोजनाओं की संस्वीकृत बजट लागत हेतु अनुदान को प्रायोजक अभिकरण द्वारा समय पर जारी नहीं किया गया था तथा साथ ही समय समाप्त हो जाने के कारण लागत में वृद्धि हुई। फिर भी, तथ्य यह है कि 141 परियोजनाएँ जो 2009 से 2021 की अवधि के दौरान पूरी हो गई थीं/बंद हो गई थी, के लिए ₹5.27 करोड़ की राशि संस्थान द्वारा प्राप्त नहीं की गई जिससे प्रायोजित परियोजनाओं पर किए गए अधिक व्यय की वसूली के लिए संस्थान द्वारा अभावग्रस्त दृष्टिकोण इंगित हुआ।

4.5.4 उपरिव्यय

4.5.4.1 संस्थान उपरिव्यय (आईएनओएच) का अधिक आहरण

एक परियोजना के संबंध में स्वीकार्य संस्थान उपरिव्यय की दरों को प्रायोजन अभिकरणों द्वारा जारी परियोजना संस्वीकृति आदेशों में निर्धारित किया गया है। तथापि, निम्नलिखित मामलों में, परियोजना निधियों से संस्वीकृत राशि/दरों से संस्थान उपरिव्यय की अधिक कटौती की गई है।

4.5.4.2 रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन (डीआरडीओ) परियोजनाएं

डीआरडीओ के संस्वीकृति आदेशों के अनुसार, प्रभार्य अधिकतम उपरिव्यय स्टाफ, आकस्मिकता तथा टीए/डीए पर किए गए व्यय का 20 प्रतिशत है। तथापि, यह पाया गया था कि बंद हुई डीआरडीओ परियोजनाओं के संबंध में आहत उपरिव्यय किए गए व्यय की स्वीकार्य दर से अधिक थे तथा 18 डीआरडीओ परियोजनाओं के संबंध में आहत अधिक उपरिव्यय को ₹59.87 लाख तक आंका गया।

4.5.4.3 राष्ट्रीय उद्यमिता पुरस्कार 2019

कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा दिया गया संस्वीकृति आदेश वास्तविक व्यय के आधार पर उपरिव्यय के आहरण का प्रावधान करता है। आईआईटीएम ने ₹34.11 लाख के वास्तविक व्यय के स्थान पर संस्वीकृत राशि के आधार पर ₹75.47 लाख का दावा किया जिसके परिणामस्वरूप ₹41.36 लाख तक उपरिव्यय का अधिक आहरण किया

गया मंत्रालय ने उत्तर दिया (मार्च 2023) कि प्रायोजक अभिकरण ने परियोजना के समापन के समय के दौरान काटे जा रहे पूर्ण उपरिव्यय के लिए कोई आपत्ति नहीं उठाई थी तथा इसे प्रायोजक अभिकरण को प्रस्तुत किए गए उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) एवं व्यय विवरणी (एसई) में दर्शाया गया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एसए द्वारा आपत्ति न उठाए जाने को अस्वीकार्य व्यय अनुमोदन नहीं माना जा सकता है।

4.5.5 परियोजनाएं

4.5.5.1 निष्फल व्यय - ₹2.60 करोड़

एक परियोजना में, 21 सितंबर 2016 से 20 सितंबर 2021 तक पांच साल की परियोजना अवधि के लिए ₹ 380.00 लाख स्वीकृत किए गए थे। 21 सितम्बर 2021 तक परियोजना के लिए ₹259.68 लाख का व्यय करने के पश्चात् विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने आगे बिना किसी वित्तीय अनुदान के एक और वर्ष के लिए परियोजना के विस्तार का अनुरोध किया था तथा बताया कि यदि परियोजना हेतु समय विस्तार किया जाता है जैसा पीआई द्वारा अपने प्रस्ताव में दिया गया है तथा जैसा कि संस्वीकृत है, तो अंतिम उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता था। तथापि, प्रायोजन एजेंसी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अनुरोध से सहमत नहीं है तथा प्रायोजन एजेंसी द्वारा परियोजना का विस्तार नहीं किया गया था। इसलिए, ₹38.35 लाख की शेष राशि प्रायोजन एजेंसी को वापस कर दी गई है। इस प्रकार, उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि परियोजना के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया गया है। निष्पादन में विलम्ब के परिणामस्वरूप कुल ₹2.60 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (मार्च 2023) में बताया कि एसए द्वारा परियोजना का विस्तार नहीं किया गया था जैसा कि पीआई द्वारा अनुरोध किया गया था। विस्तार/जल्द समापन आईआईटी मद्रास के कार्यक्षेत्र के अधीन नहीं है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है जैसा कि पीआई द्वारा एसए को इस कारणों से समय के विस्तार की मांग करते हुए भेजे गए पत्र से स्पष्ट है कि “उद्देश्यों का स्पष्ट विवरण अब तक प्राप्त नहीं किया गया है, परंतु उसे उपलब्धियों के साथ विस्तारित अवधि के दौरान प्राप्त कर लिया जाएगा।” इस प्रकार, परियोजना निष्पादन में विलम्ब के कारण परियोजना के उद्देश्यों को समय पर प्राप्त नहीं किया गया है। प्रायोजन अभिकरण द्वारा समय विस्तार प्रदान नहीं किया गया था, ₹259.68 लाख का किया गया व्यय निष्फल रहा क्योंकि परियोजना को पूरा नहीं किया जा सका था तथा उपयोग में नहीं लाया जा सका था।

4.5.6 निगरानी

4.5.6.1 पेटेंट/आईपी अधिकारों को दर्ज करना तथा बंद परियोजनाओं से निष्पादन लक्ष्य

आईआईटीएम की बौद्धिक संपदा अधिकार नीति की धारा 4 आईपी के मूल्यांकन तथा प्रबंधन से संबंधित है। आईसीएण्डएसआर का पेटेंट सेल/कार्यालय संस्थान में सृजित आईपी के मूल्यांकन संरक्षण, विपणन, लाईसेंस तथा प्रबंधन करने हेतु उत्तरदायी है। आईपी के निर्माता आईसीएण्डएसआर की आईपीआर समिति को सभी आवश्यक सूचना उपलब्ध कराएंगे जो निर्धारण करेगी कि क्या संस्थान को परम वाणिज्यिक प्रेरणा तथा व्यवहार्यता के आधार पर आईपी के स्वामित्व एवं प्रबंधन की इच्छा रखता है। चाहे ऐसा तत्काल भविष्य में संभव न हो, यदि प्रायोजक के साथ संविदा/अनुबंध/एमओयू विनिर्दिष्ट करता है कि प्रायोजक पेटेंट फाइल करने की प्रक्रिया का प्रबंधन करेगा जैसा ही निर्माताओं को ऐसी प्रगति का पता चलता है तो तुरंत निर्माताओं द्वारा पेटेंट सेल/कार्यालय को आवेदन की प्रगति से अवगत कराया जाएगा।

यूसी प्राप्त करने के पश्चात्, 540 प्रायोजित परियोजनाओं को अप्रैल 2018 से दिसंबर 2021 की अवधि के दौरान बंद कर दिया गया है। व्यक्तिगत परियोजनाओं से संबंधित फाइल/प्रदान किए गए आईपी/पेटेंट के संबंध में आईसीएण्डएसआर ने बताया कि वे पेटेंट/आईपी का परियोजनाओं से सहसंबंध स्थापित नहीं कर सके थे। तथापि, परियोजनाओं के समय प्रतिमान का अनुपालन किए बिना अलग प्रक्रिया के रूप में आईपी फाइलिंग की जा रही है तथा आईपी सेल ने फाइलिंग को संबंधित परियोजनाओं के साथ नहीं जोड़ा था जो कि आईपी नीति की धारा 4 के विरुद्ध है। आईसीएण्डएसआर ने आगे बताया कि पेटेंट/आईपी के निष्पादन/लक्ष्यों/उपलब्धियों तथा वाणिज्यीकरण को संबंधित प्रधान अन्वेषक (पीआई) द्वारा सीधे प्रायोजक अभिकरणों के साथ साझा किया गया था तथा आईसीएण्डएसआर केवल परियोजनाओं के लेखे तथा क्रय संचालनों को संभाल रहा है तथा इस प्रकार इस तथ्य को स्वीकार किया गया कि परियोजनाओं की प्रगति/समापन में आईसीएण्डएसआर द्वारा कोई निगरानी नहीं की गई है जो आईआईटीएम की बौद्धिक संपदा अधिकार नीति में निहित प्रावधानों के विरुद्ध है।

4.5.6.2 जीएफआर में निर्दिष्टानुसार उपयोगिता प्रामाणपत्रों (यूसी) को प्रस्तुत न करना

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 का नियम 238 अनुबंध करता है कि एक संस्थान को गैर-आवर्ती अनुदानों के संबंध में वह उद्देश्य जिसके लिए प्रपत्र जीएफआर 12-ए में संस्वीकृति

दी गई है, उसी उद्देश्य हेतु प्राप्त अनुदान की वास्तविक उपयोगिता के प्रमाण पत्र पर जोर दिया जाना चाहिए। नियम 230 (10) में संदर्भित अनुदानों के संबंध में उपयोगिता प्रमाणपत्र द्वारा यह दर्शाया जाना चाहिए कि क्या विनिर्दिष्ट, परिमाणित तथा गुणात्मक लक्ष्य, जिन्हें उपयोग की गई राशि के प्रति पूरा किया जाना है, वास्तव में उन्हें पूरा किया गया है तथा यदि नहीं तो इसके कारण क्या हैं। तथापि, आईआईटीएम द्वारा प्रदान किए गए यूसी में यह दर्शाया जाना शामिल नहीं था तथा इसलिए लेखापरीक्षा संबंधित परियोजनाओं के विनिर्दिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित नहीं कर सकी।

4.5.6.3 आईसीएण्डएसआर बोर्ड में पारित प्रस्ताव हेतु आईआईटीएम के बीओजी द्वारा अनुमोदन की कमी

यद्यपि आईसीएण्डएसआर के बोर्ड की बैठकों का नियमित अंतराल पर आयोजन किया जा रहा था तथा प्रस्ताव पारित किए जा रहे थे, फिर भी इसे आईआईटीएम के शासी बोर्ड (बीओजी) के संज्ञान में नहीं लाया जा रहा था। इसकी अपेक्षा, आईसीएण्डएसआर बोर्ड द्वारा सभी एजेंडा को एक बार अनुमोदित किए जाने पर ही, आईआईटीएम को बोर्ड के समक्ष इसे प्रस्तुत किए जाने की सामान्य प्रक्रिया के विरुद्ध संस्थान के निदेशक द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए थे।

4.5.7 निष्कर्ष

आईआईटीएम द्वारा प्रयोग किए गए वित्तीय प्रबंधन में कमियां थीं क्योंकि बकाया को लौटाया नहीं गया था तथा ब्याज को उचित प्रकार से परिकलित नहीं किया गया था। परियोजना निधि से संस्वीकृत राशि/दरों से अधिक उपरिव्यय की कटौती की गई है। ₹259.68 लाख का किया गया व्यय निष्फल रहा क्योंकि परियोजना को समय से पूरा नहीं किया जा सका तथा उपयोग नहीं किया जा सका। आईसीएण्डएसआर द्वारा परियोजना/अनुसंधान परिणामों की प्रगति/समापन में कोई निगरानी नहीं की गई थी जो कि आईआईटीएम की बौद्धिक संपदा अधिकार नीति में निहित प्रावधानों के विरुद्ध है।

अध्याय-V: मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड

5.1 भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड की कार्य पद्धति

जीव-जंतु कल्याण को बढ़ावा देने के लिए 1962 में स्थापित भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई) को यह सुनिश्चित करना है कि जीव-जंतु कल्याण कानूनों का सावधानी से पालन किया जाए तथा विभिन्न संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। पशु क्रूरता मामलों से संबंधित शिकायतों के पंजीकरण/निपटान के लिए प्रभावी तंत्र के साथ-साथ वित्तीय सहायता और कर्मचारियों की कमी एडब्ल्यूबीआई के कुशल काम-काज में बाधक के रूप में साबित हुई।

5.1.1 प्रस्तावना

भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई) भारत सरकार के मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (एमओएफएचएण्डडी) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन देश का शीर्ष निकाय है। इसकी स्थापना 1962 में जीव-जंतु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (पीसीए अधिनियम) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार जीव-जंतु कल्याण को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। अपनी सेवाओं के माध्यम से, एडब्ल्यूबीआई सुनिश्चित करता है कि देश में जीव-जंतु कल्याण कानूनों का सावधानी से पालन किया जाता है, पशु कल्याण संगठनों (एडब्ल्यूओ) को अनुदान प्रदान करता है तथा जीव-जंतु कल्याण मुद्दों पर भारत सरकार (जीओआई) को सलाह देता है।

केंद्र सरकार ने एडब्ल्यूओ के कार्यों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु एडब्ल्यूबीआई को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए चार योजनाएं तैयार की हैं नामतः (i) जीव-जंतुओं की देखभाल के लिए आश्रय गृह अनुदान के प्रावधानों हेतु योजना, (ii) आवारा कुत्तों के जन्म नियंत्रण व टीकाकरण तथा दिल्ली में शहरी बंदरों के लिए चिकित्सीय जाँच एवं तपेदिक के उपचार के लिए योजना, (iii) संकट में पशुओं को एम्बुलेंस सेवाओं के प्रावधान के लिए योजना तथा (iv) प्राकृतिक आपदाओं एवं अप्रत्याशित परिस्थितियों के दौरान पशुओं को राहत के लिए

योजना। इसके अलावा, एडब्ल्यूबीआई ने एक योजना अर्थात् नियमित अनुदान योजना भी शुरू की है।

ये योजनाएं पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (जीव-जंतु कल्याण प्रभाग) द्वारा उनके निदेश सं. 21-28/2003 एडब्ल्यूडी दिनांक 11 अप्रैल 2004 के माध्यम से लागू करने के लिए एडब्ल्यूबीआई को हस्तांतरित की गई थी। इसके साथ ही, एडब्ल्यूबीआई योजनागत योजना जिसे नियमित अनुदान योजना के रूप में भी जाना जाता है, जीव-जंतुओं के बचाव और संभालने के लिए एडब्ल्यूओ को वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। अधिनियम की धारा 5ए समय-समय पर प्रत्येक तृतीय वर्ष की समाप्ति पर बोर्ड के पुनर्गठन का प्रावधान करती है।

5.1.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

एडब्ल्यूबीआई की कार्यप्रणाली पर विषयगत लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने हेतु की गई थी कि एडब्ल्यूबीआई, पीसीए अधिनियम, 1960 में निर्दिष्ट जीव-जंतुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम के लक्ष्य की प्राप्ति से स्वयं संतुष्ट है एवं निम्नवत लेखापरीक्षा उद्देश्यों का आकलन करती है कि:

- i) क्या एडब्ल्यूबीआई की कार्यप्रणाली, अधिनियम, प्रासांगिक नियमों तथा एडब्ल्यूबीआई द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के विशिष्ट निर्देशानुसार है।
- ii) क्या वित्तीय प्रबंधन एवं मानव संसाधन सहित संसाधनों का उपयोग कुशल और प्रभावी था।
- iii) क्या योजनाओं और संवितरण किए जाने वाले अनुदानों के संबंध में प्रभावी जागरूकता फैलाई जा रही है।
- iv) क्या बड़े पैमाने पर सोसायटी से प्राप्त शिकायतों हेतु कोई सुदृढ़ शिकायत निवारण तंत्र एवं उसका समाधान मौजूद है।
- v) क्या योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कोई प्रभावी नियंत्रण तंत्र मौजूद है।
- vi) क्या पशु-पक्षियों के अनावश्यक दर्द एवं पीड़ा को रोकने के उद्देश्य या संरक्षण के लिए स्थापित संघों या निकायों के कार्यों में उचित सहयोग और समन्वय किया जा रहा था।

5.1.3 लेखापरीक्षा क्षेत्र

प्रस्तावित लेखापरीक्षा में 2019-20 से 2021-22 तक की तीन वर्ष की अवधि शामिल थी। एडब्ल्यूबीआई, जीव-जन्तु के कल्याण को बढ़ावा देने हेतु भारत की शीर्ष निकाय होने से यह सुनिश्चित करते हुए कि जीव-जन्तु के कल्याण के कानूनों का सावधानीपूर्वक पालन किया जा रहा है एवं जीओआई को सलाह दी जा रही है, की इसकी कार्य-प्रणाली के संबंध में संवीक्षा की गई।

एडब्ल्यूबीआई के अधिदेश में एडब्ल्यूओ को अनुदान प्रदान करना एवं पशु-पक्षियों के अनावश्यक दर्द एवं पीड़ा को रोकने के उद्देश्य या संरक्षण के लिए स्थापित संगठनों अथवा संघों या निकायों के कार्य में समन्वय एवं सहयोग करना भी शामिल है। योजना दिशा-निर्देश सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले संगठनों को निधियों के अलग लेखे बनाए रखने एवं निर्धारित उचित अभिलेख रखने का निदेश देते हैं जो निरीक्षण और नमूना-जांच के लिए खुले रहेंगे। इसलिए लेखापरीक्षा ने एडब्ल्यूओ/ जीव-जंतु क्रूरता निवारण सोसायटी (एसपीसीए)/संस्था के अभिलेखों का भी सत्यापन किया, जिन्हें लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान अनुदान प्राप्त हुआ था।

5.1.4 नमूना चयन

ऊपर उल्लेखित पांच योजनाओं में से दो योजनाएं अर्थात् (i) नियमित अनुदान योजना और (ii) दो राज्यों हरियाणा और पंजाब में संकट में पशुओं को एम्बुलेंस सेवा प्रदान करना, की लेखापरीक्षा के दौरान जांच की गई।

न्यूनतम 30 प्रतिशत¹ नमूने के साथ नमूना लेने के लिए आकार के आनुपातिक संभावना (पीपीएस) विधि को चुना गया। ₹1.28 करोड़ की राशि दो योजनाओं अर्थात् (i) नियमित अनुदान योजना और (ii) दो राज्यों हरियाणा और पंजाब में एम्बुलेंस सेवा प्रदान करना, के तहत संवितरित की गई।

¹ नियमित अनुदान योजना के लिए हरियाणा राज्य के लिए 13 जिलों में से चार जिलों एवं एम्बुलेंस सेवा योजना के लिए छः जिलों में से दो जिलों के नमूना आकार का चयन किया है इन चयनित जिलों में से नियमित अनुदान योजना के लिए 32 संगठनों में से 17 संगठनों तथा एम्बुलेंस सेवा के लिए सभी तीन संस्थाओं का चयन किया है।

5.1.5 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

5.1.5.1 बजट अनुमान तैयार न करना तथा योजना कार्यान्वयन का कम कवरेज

पीसीए अधिनियम, 1960 की धारा 9(जी) एवं (i) में एडब्ल्यूबीआई को जीव-जंतु कल्याण संगठन के गठन को प्रोत्साहित करना एवं उन्हें पिंजरापोल बचाव गृह, पशु आश्रयस्थल, अभ्यारण्य और इसी तरह की जगह के निर्माण या स्थापना हेतु वित्तीय सहायता देना/प्रदान करना अधिदेशित हैं। जहां जीव-जंतु और पक्षी आश्रय पा सकते हैं और जिनको सुरक्षा की आवश्यकता है।

जीव-जंतु कल्याण बोर्ड (प्रशासन) नियमावली, 1962 के नियम 19 में प्रावधान है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए एडब्ल्यूबीआई के बजट अनुमान के लिए सचिव जिम्मेदार है और बोर्ड द्वारा इसकी मंजूरी के बाद 31 मार्च से पहले या ऐसी अन्य तिथि जो केन्द्र सरकार इस उद्देश्य के लिए तय करती है, से पूर्व औपचारिक मंजूरी हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा। यद्यपि, उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार एडब्ल्यूबीआई द्वारा ऐसे प्रयास नहीं किए जा रहे थे।

एडब्ल्यूबीआई की निधियों में सरकार द्वारा समय-समय पर दिए गए अनुदान एवं किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए योगदान, दान, सदस्यता, वसीयत, उपहार और इसी प्रकार की चीजें शामिल हैं। इन निधियों का उपयोग एडब्ल्यूबीआई की पांच योजनाओं के तहत विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों² को उनके कार्यान्वयन, अपने कर्मचारियों के वेतन एवं पारिश्रमिक के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया जाता है।

उपलब्ध अभिलेखों की जांच से यह प्रकट होता है कि 2019-20 से 2021-22 तक की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान भारत सरकार, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (एमओएफएचएण्डडी) द्वारा अनुदान जारी किए गए यद्यपि एडब्ल्यूबीआई द्वारा ऐसे कोई अनुमान प्रस्तुत नहीं किए गए।

² एडब्ल्यूओ, एसपीसीए, संस्थाएं, विश्वविद्यालय, विद्यालय, सांविधिक निकाय, नगर क्षेत्र समितियां, नगर निगम आदि।

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान एडब्ल्यूबीआई ने सभी योजनाओं के लिए मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार से ₹11.98 करोड़ सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त किए, जिसमें से 968 एडब्ल्यूओ से कुल अनुरोधों के सापेक्ष में 670 एडब्ल्यूओ को ₹11.66 करोड़ संवितरित किए गए। 298 एडब्ल्यूओ में से जिन्हें अनुदान संवितरित नहीं किया गया, 91 एडब्ल्यूओ के दस्तावेज और निरीक्षण रिपोर्टें लम्बित थीं तथा शेष 207 एडब्ल्यूओ को निधियों के अभाव के कारण अनुदान जारी नहीं किया गया।

इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया कि निधियों की कमी की भरपाई के लिए प्रति बड़े जीव-जंतु हेतु तय वित्तीय सहायता की अधिकतम राशि की सीमा ₹0.37-₹3.79 प्रति दिन के मानदण्ड को घटाकर ₹0.27 प्रतिदिन प्रति बड़े जीव-जन्तु कर दिया गया (₹100 प्रति वर्ष)। यद्यपि एडब्ल्यूबीआई ने 2019-20 से 2021-22 के दौरान राज्य सरकार/एडब्ल्यूओ को 41 दिशानिर्देश/परामर्श जारी किए किए थे, किन्तु किसी ने भी लागू की जा रही योजनाओं और जीव-जंतुओं के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता के रूप में बोर्ड के पास उपलब्ध अनुदान पर कुछ भी संकेत नहीं दिया।

एडब्ल्यूबीआई ने उत्तर दिया (अगस्त 2022 एवं जुलाई 2023) कि बीई/आरई की तैयारी हेतु दिए गए सुझाव भविष्य में और जब आवश्यकता होगी, तब अनुरक्षित किया जाएगा। यद्यपि, एडब्ल्यूबीओ के अलावा अन्य संगठनों को जारी किए जा रहे अनुदान से संबंधित कोई उत्तर एडब्ल्यूबीआई द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया। आगे, एडब्ल्यूबीआई ने उत्तर दिया (जुलाई 2023) कि उसने वर्ष 2023-24 के लिए ₹63 करोड़ के बजट की मांग की थी परंतु मंत्रालय से उसने केवल ₹12 करोड़ ही प्राप्त किए। तथापि, उसने इसके समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए थे कि बजट अनुमान तैयार कर लिए गए हैं तथा इस संबंध में मामले को मंत्रालय के साथ उठाया गया है।

तथ्य यह है कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान वित्तीय सहायता की मांग करने तथा बढ़ाने हेतु की गई पहल के संबंध में कोई दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध नहीं कराए गये थे तथा अपनी वित्तीय सहायता बढ़ाने के लिए एडब्ल्यूबीआई को अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सभी अपेक्षित कदमों को उठाने की आवश्यकता है।

5.1.5.2 पशु कल्याण संगठनों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र का गलत/गैर-प्रस्तुतीकरण

एडब्ल्यूबीआई अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए पांच योजनाओं को संचालित कर रहा है और विभिन्न संगठनों को उनके अनुरोध पर सहायता जारी करने की मंजूरी देता है। पात्रता मानदंड इंगित करता है कि अनुदान स्वैच्छिक संगठनों जैसे कि एडब्ल्यूओ, एससीपीए, संस्थानों/विश्वविद्यालयों/अनुसंधान संस्थानों/विद्यालयों, स्वायत्त निकायों जैसे पंचायती राज संस्थान, नगर निगम, नगर क्षेत्र समितियों या किसी अन्य अभिकरणों को (दो किशतों में) दिया जा सकता है, जैसा कि सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) द्वारा अनुमोदित है। दूसरी किशत कुछ शर्तों जैसे लेखापरीक्षा किए गए खाते उपलब्ध कराना, यूसी और निष्पादन रिपोर्ट जमा करना, अलग-अलग खातों के रखरखाव आदि को पूर्ण करने के बाद जारी की जानी है।

जीएफआर का नियम 238 (1) प्रावधान करता है कि जहां अनुदान प्राप्तकर्ता से यूसी निश्चित समय के अंदर प्राप्त नहीं होता है, तो मंत्रालय या विभाग ऐसे संस्थान या संगठन को भविष्य में सरकार से किसी भी अनुदान, सब्सिडी या अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता से काली सूची में डालने के लिए स्वतंत्र होगा।

एडब्ल्यूबीआई परियोजनाओं के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान 670 एडब्ल्यूओ को ₹11.66 करोड़ की राशि संवितरित की गई। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि:

- (i) इसके सापेक्ष में, 98 संगठनों/संस्थाओं द्वारा ₹2.73 करोड़ की राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं करवाए गए।
- (ii) छः जिलों में चयनित 20 एडब्ल्यूओ में से 12 एडब्ल्यूओ ने अलग लेखा नहीं बनाया था, हालांकि सभी ने यूसी जमा करा दी थी। इसके अभाव में जिस उद्देश्य हेतु अनुदान दिया गया, उसके पूर्ण वास्तविक उपयोग को सत्यापित नहीं किया जा सका।

इंगित किए जाने पर (जनवरी 2022) एडब्ल्यूबीआई ने बताया कि एडब्ल्यूओ को पत्र एवं अनुस्मारक जारी किए जा रहे थे तथा यह मामला इसकी बैठकों में भी उठाया गया था। हालांकि, अलग लेखाओं के गैर-अनुरक्षण के मुद्दे पर कोई उत्तर नहीं दिया। एडब्ल्यूबीआई ने

यह भी उत्तर दिया (जुलाई 2023) कि वह संगठनों से यूसी एकत्रित करने की प्रक्रिया में है तथा 36 ऐसे संगठन हैं जिनसे कुल ₹1.65 करोड़ की राशि के यूसी लंबित हैं। हालांकि एडब्ल्यूबीआई द्वारा कोई दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया गया है।

5.1.5.3 जुर्माना/शास्ति का गैर-संग्रहण

पीसीए अधिनियम, 1960 की धारा 11, 12, 20, 26, 29 और 38(3) राज्य/यूटी सरकारों द्वारा अधिनियम के तहत किए गए विभिन्न उल्लंघनों के कारण ₹10 से ₹1000 तक का जुर्माना और दंड का प्रावधान करती हैं। जीव-जंतु क्रूरता निवारण (जुर्माना लागू करना) अधिनियम, 1978 के नियम 3(1) में प्रावधान है कि राज्य सरकार द्वारा लगाया तथा वसूला गया जुर्माना, कानून (राज्य विधायिका) के उचित विनियोग के बाद जल्द से जल्द एडब्ल्यूबीआई को सौंप दिया जाएगा।

नियम 4(2) में आगे प्रावधान है कि एक राज्य में वसूला गया एवं एडब्ल्यूबीआई को सौंपा गया जुर्माना सिर्फ उस राज्य के क्षेत्राधिकार में सोसाइटियों या अन्य संगठनों के लाभ के लिए उपयोग किया जाएगा अन्यथा नहीं।

अभिलेखों के अवलोकन से पता चला कि राज्य सरकारों द्वारा एकत्र किया जाने वाला कोई भी जुर्माना या आंकड़े एडब्ल्यूबीआई को प्राप्त नहीं हो रहे थे। एडब्ल्यूबीआई द्वारा राज्य सरकारों को जारी की गई परामर्श के उपलब्ध अभिलेख में राज्य सरकार द्वारा लगाए गए और वसूल किए गए जुर्माने को सुपुर्द करने के संबंध में राज्य सरकार को कोई सलाह/मार्ग दर्शन/अनुदेश या कोई पत्राचार जारी करने को भी प्रकट नहीं किया गया है।

इंगित किए जाने पर (जुलाई 2022), एडब्ल्यूबीआई ने पुष्टि की (जुलाई 2022) कि न तो पीसीए अधिनियम, 1960 के उल्लंघन के लिए राज्य सरकार द्वारा लगाए गए जुर्माने की कोई राशि प्राप्त हुई और न ही श्रम बल की कमी के कारण इसके लिए कोई प्रयास किया जा सका। एडब्ल्यूबीआई ने आगे बताया (जुलाई 2023) कि राज्यों ने इस संबंध में कोई नियमावली तैयार नहीं की है इसलिए इसे प्रभावी रूप से कार्यान्वित नहीं किया गया है।

तथ्य यह था कि एडब्ल्यूबीआई के पास राज्य सरकार द्वारा, यदि कोई हो, लगाए गए एवं एकत्र किए गए जुर्माने के बारे में कोई डाटा नहीं था तथा यह भी कि एडब्ल्यूबीआई ने इस उद्देश्य के लिए किसी अतिरिक्त श्रम बल की मांग नहीं की थी। इस प्रकार जुर्माना लगाया जाना जो जीव-जंतु क्रूरता की रोकथाम में एक महत्वपूर्ण निवारक है, का उपयोग नहीं किया गया।

5.1.5.4 जीव-जंतु क्रूरता मामलों से संबंधित शिकायतों के पंजीकरण एवं निपटान के लिए अप्रभावी तंत्र

पीसीए अधिनियम, 1960 की धारा 9 में एडब्ल्यूआई को जीव-जन्तुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम हेतु भारत में लागू कानून, जीव-जंतुओं के साथ मानवोचित व्यवहार के संबंध में शिक्षा प्रदान करने के लिए निरंतर अध्ययन करने और अनावश्यक दर्द एवं पीड़ा को रोकना अथवा पशुओं और पक्षियों की सुरक्षा के उद्देश्य से स्थापित संघों या निकायों के काम में सहयोग तथा समन्वय करना अधिदेशित है।

आगे, 2014 सर्वोच्च न्यायालय के फैसले 2014 के सीए सं. 5387(2007 के एसएलपी 11686 की दर पर) एडब्ल्यूबीआई बनाम ए. नागराज और अन्य के संबंध में निर्णय यह निदेशित करता है कि एडब्ल्यूबीआई और सरकार को पशुओं पर अनावश्यक दर्द या पीड़ा के प्रभाव को रोकने हेतु कदम उठाए एवं प्रावधानों को लागू करने के लिए प्रभावी और त्वरित कदम उठाए, एसपीसीए के परामर्श से और सरकार की आवधिक रिपोर्ट देने का निदेश करें और यदि कोई उल्लंघन देखा जाता है, तो सरकार को उचित अनुवर्ती कार्रवाई सहित उसके समाधान के लिए कदम उठाने चाहिए।

एडब्ल्यूबीआई कार्यालय अवधि के दौरान अपनी वेबसाइट पर दिए गए टेलीफोन सम्पर्क नम्बर पर शिकायतें प्राप्त कर रहा है, शिकायतकर्ताओं को ई-मेल/पत्रों के माध्यम से क्रूरता के मामलों की रिपोर्ट करने के लिए समझा रहा है। जानवरों को पीड़ा देने के वायरल वीडियो के स्वतः संज्ञान सहित प्राप्त शिकायतों को संबंधित स्थानीय प्राधिकारी³ को अग्रेषित करके कार्रवाई की गई तथा शिकायतों पर त्वरित रिपोर्ट देने का अनुरोध किया।

³ अर्थात् अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस विभाग, उपायुक्त और राज्य जीव-जंतु कल्याण बोर्ड/राज्य पशुपालन विभाग आदि।

एडब्ल्यूबीआई परियोजनाओं के अभिलेखों/ई-मेल शिकायतों के अवलोकन से प्रकट हुआ कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान प्राप्त 1508⁴ शिकायतों में से 1270 शिकायतों को कानून और व्यवस्था को बनाए रखने हेतु स्थानीय प्राधिकारियों को अग्रेषित किया गया तथा शेष 238 शिकायतों के लिए एडब्ल्यूबीआई के पास अनुवर्ती कार्रवाई के कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं थे। आगे, इन 1270 मामलों में से, की गई कार्रवाई रिपोर्ट स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा केवल 60 मामलों में उपलब्ध कराई गई। एडब्ल्यूबीआई ने 95 प्रतिशत मामलों अर्थात् 1270 शिकायतों में से 1210 मामलों में की गई कार्रवाई रिपोर्ट के लिए अवलोकन नहीं किया।

इंगित किए जाने पर (जुलाई 2022), एडब्ल्यूबीआई ने बताया (जुलाई 2022 एवं जुलाई 2023) कि वह पशु से क्रूरता की शिकायतों का निवारण करने हेतु उपलब्ध सीमित श्रमबल के साथ सबसे कम समय में पहल करने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयास कर रहा है। आगे, इसने क्रूरता की शिकायतों का निवारण करने हेतु ऑनलाइन प्रणाली कार्यान्वित की है तथा ऐसे मामलों की पारदर्शिता हेतु कदम उठाए जा रहे हैं।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि इन्होंने एडब्ल्यूबी (प्रशासन) नियमावली, 1962 की अनुसूची 1(ए) जो किसी विशेष अवधि हेतु अस्थायी पदों के सृजन के लिए अध्यक्ष एवं सचिव को शक्तियां सौंपता है, के तहत इस उद्देश्य हेतु कोई अतिरिक्त श्रमबल नहीं मांगा।

5.1.5.5 भर्ती नियम और विनियम का अभाव

पीसीए, अधिनियम, 1960 की धारा 38 केन्द्र सरकार को सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा तथा इस अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए पिछले प्रकाशन की शर्तों के अधीन नियमों को बनाने की शक्तियां प्रदान करता है। पीसीए अधिनियम, 1960 की धारा 7(2) आगे यह भी प्रदान करता है कि ऐसे नियम जो केंद्र सरकार द्वारा बनाए गये हों, के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग एवं अपने कार्यों के निर्वहन हेतु अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उतनी संख्या में नियुक्त कर सकता है जितना कि आवश्यक हो तथा केन्द्र सरकार के पिछले अनुमोदन से इसके द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा ऐसे अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों की सेवा की निबंधन और शर्तों को निर्धारित कर सकता है।

⁴ 2019-20 में 228; 2020-21 में 358 एवं 2021-22 में 922

जीव-जंतु कल्याण बोर्ड (प्रशासन), नियमावली 1962 में प्रदत्त, बोर्ड के अध्यक्ष एवं सचिव को सौंपी गई शक्तियों की अनुसूची 1(ए) किसी विशेष अवधि हेतु अस्थायी पदों का सृजन करने की शक्ति प्रदान करता है।

अभिलेखों की संवीक्षा प्रकट करती है कि कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय द्वारा बनाए गए (अप्रैल 1972) एडब्ल्यूजीआई के भर्ती नियम को अभी तक सरकारी राजपत्र में अधिसूचित एवं प्रकाशित नहीं किया गया था। भारत सरकार के अवर सचिव, एमओएफएचएण्डडी ने सचिव, एडब्ल्यूबीआई को भर्ती नियमों का मसौदा तैयार करने एवं विधि और न्याय मंत्रालय से इसकी जांच कराने से पहले अनुमोदन हेतु मंत्रालय को अग्रेषित करने का निदेश दिया (मार्च 2022)। फिर भी, इन्हें अभी तैयार किया जाना बाकी है (दिसम्बर 2022)।

लेखापरीक्षा में आगे यह भी पाया गया कि एडब्ल्यूजीआई ने 22 कार्मिकों की संख्या (अगस्त 1976 एवं अप्रैल 1981) को संस्वीकृत किया था। कार्यरत कर्मियों की संख्या की समीक्षा से प्रकट हुआ कि 16 की संख्या में कर्मी नियमित आधार पर कार्य कर रहे थे तथा 24 की संख्या में कर्मी संविदात्मक/बाह्य स्रोत के आधार पर लगाए गए थे। अतिरिक्त श्रम बल के बावजूद, डाटा का उचित रखरखाव, जुर्माना वसूलने के लिए प्रयास तथा संबंधित प्राधिकारियों से अनुवर्ती कार्रवाई भी शुरू नहीं की जा सकी (जैसा कि पैरा 5.4 एवं 5.5 में चर्चा की गई है), इसलिए पीसीए अधिनियम, 1960 के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु अधिदेश प्रभावित हो रहा है।

इंगित किए जाने पर एडब्ल्यूबीआई ने बताया (जुलाई 2022, मई तथा जुलाई 2023) कि कार्यालय के कार्यभार का कार्यबल अध्ययन करने के बाद, एमओईएफ ने एडब्ल्यूबीआई द्वारा 54 पदों के अनुमान के सापेक्ष में कुल 38 पदों की सिफारिश की। फिर भी, अनुशंसित पदों को कार्यान्वित नहीं किया गया तथा एडब्ल्यूबीआई की संस्वीकृत संख्या को नहीं बढ़ाया गया है। मामला मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय को प्रस्तुतीकरण के अधीन है।

उत्तर को इस तथ्य के प्रति देखा जाए कि एडब्ल्यूबीआई अच्छी तरह से जानता है एवं स्वीकार करता है कि पीसीए अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु कुशल कार्य के साथ अस्थायी स्टाफ के बार-बार बदलने के कारण समझौता किया जा रहा है लेकिन 1960 में इसके गठन के बाद से 62 वर्षों की अवधि के बाद भी अभी तक भर्ती नियम नहीं बनाए गए हैं।

5.1.5.6 पशु जन्म नियंत्रण नियमावली (एबीसी नियमावली; 2001) का गैर अनुपालन

जीव-जंतु जन्म नियंत्रण कुत्ते नियमावली, 2001 (एबीसी (कुत्ते) नियमावली 2001) का नियम 4 और 5 स्थानीय प्राधिकारी जो इन नियमों के अनुसार कुत्ता नियंत्रण कार्यक्रम के नियोजन एवं प्रबंधन हेतु उत्तरदायी होंगे, द्वारा निगरानी समिति के गठन का प्रावधान करता है। एसएलपी(सी) सं. 691/2009 (एडब्ल्यूबीआई बनाम पी.ई.एस.टी. एवं अन्य) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय (18 नवम्बर 2015) ने आगे दोहराया कि एडब्ल्यूबीआई का यह जानने का कर्तव्य एवं दायित्व है कि स्थानीय प्राधिकारी अवसंरचना प्रदान करेगा जैसा कि सांविधि एवं एबीसी(कुत्ता) नियमावली 2001 में अनिवार्य है तथा उनका पालन पूरी गंभीरता से किया जाए।

एडब्ल्यूबीआई के अभिलेखों के अवलोकन से यह अनुमान लगाया कि उनको तथ्यों की जानकारी थी कि सभी एडब्ल्यूबीओ जो एडब्ल्यूबीआई के साथ पहले से पंजीकृत थे, जीव-जंतु जन्म नियंत्रण (एबीसी)/ रेबीज-प्रतिरोधी कार्यक्रम (एआर) को संचालित करने हेतु पात्र नहीं थे क्योंकि उनके पास पर्याप्त अवसंरचना/अनुभव/विशेषज्ञता नहीं थी जिससे जानवरों के प्रति क्रूरता बढ़ गई। इसलिए सभी स्थानीय प्राधिकारियों अर्थात् जिला कलेक्टरों, जिला मजिस्ट्रेटों, आयुक्तों नगर निगमों को निविदा देने हेतु अनुरोध भेजा गया तथा उन एडब्ल्यूओ के साथ एमओयू किया जिन्होंने एबीसी/एआर कार्यक्रम को संचालित करने के उद्देश्य हेतु अलग से अनुमति ली है।

परिपत्र दिनांक 25 फरवरी 2021 सभी एडब्ल्यूओ के एबीसी कार्यक्रम को संचालित करने हेतु विशिष्ट अनुमति प्राप्त करने के लिए जारी किया गया। एडब्ल्यूबीआई के साथ पंजीकृत कुल 3677 एडब्ल्यूओ में से केवल 123 एडब्ल्यूओ एबीसी कार्यक्रम को संचालित करने हेतु पहले से ही अनुमोदित थे। इसमें से उक्त परिपत्र के आधार पर केवल 21 एडब्ल्यूओ (एडब्ल्यूबीआई की बेवसाइट पर उपलब्ध अभिलेख) को अनुमोदन/अनुमति प्रदान की गई क्योंकि शेष 102 एडब्ल्यूओ अपेक्षित मानदंड को पूरा नहीं कर सके।

जैसा कि एडब्ल्यूबीआई को ध्यान रखना है कि प्रासंगिक नियमों का पूर्ण गम्भीरता से पालन किया जा रहा है फिर भी एडब्ल्यूबीआई द्वारा रखरखाव किए जा रहे अभिलेख/डाटा के लिए कुत्ता जनसंख्या का प्रबंधन, की गई सर्जरी, इसके सापेक्ष में किया गया व्यय, राज्य सरकारों द्वारा अवसंरचना का सृजन आदि के संबंध में सूचना मांगी गई। एडब्ल्यूबीआई ने बताया (अगस्त 2022) कि उक्त न्यायालय के निर्णय के अनुसार स्थानीय निकायों की अवसंरचना का सृजन करना एवं कार्यक्रम को कार्यान्वित करने हेतु निधियों को व्यवस्थित करने का कर्तव्य है; इसलिए एडब्ल्यूबीआई द्वारा ऐसी किसी सूचना को अनुरक्षित नहीं किया जा रहा है।

उत्तर असंतोषजनक है क्योंकि एडब्ल्यूबीआई को इन नियमों के कार्यान्वयन की स्थिति पर भी ध्यान देना चाहिए था।

मामला मंत्रालय को अग्रेषित किया गया तथा उत्तर प्रतीक्षित है (जुलाई 2023)।

5.1.6 निष्कर्ष

एडब्ल्यूबीआई पशुओं के कल्याण को बढ़ावा देने हेतु देश के शीर्ष निकाय ने यह सुनिश्चित करने हेतु जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है कि देश में जीव-जंतु कल्याण विधियों का तत्परतापूर्वक पालन किया गया है। फिर भी, इसके कामकाज में कई विसंगतियां पाई गईं, क्योंकि वह ऐसा करने में समर्थ नहीं हुआ है:


- योजनाओं, अधिनियम के नियमों एवं प्रावधानों के उचित कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए एक तंत्र विकसित करना।
- अधिनियम के तहत विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता की मांग करके विभिन्न अभिकरणों द्वारा उठाई गई मांगों का आकलन करने के लिए बजट अनुमान तैयार करना।
- राज्य अभिकरणों द्वारा लगाए गए एवं वसूले गए जुर्माने की राशि यदि कोई हो, को एकत्र करना।
- नियमों के कार्यान्वयन पर ध्यान देने के लिए एक तंत्र विकसित करना।

सिफारिशें

- योजनाओं, नियमों के कार्यान्वयन की निगरानी एवं शिकायतों और परिवाद के निपटान हेतु एक तंत्र को विकसित करें।
- विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों द्वारा विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अपेक्षित वित्तीय सहायता की राशि कि मांग करते हुए बजट अनुमान तैयार करें।
- एडब्ल्यूओ को प्रदान की जा रही योजनाओं और वित्तीय सहायता का व्यापक कवरेज देना।

नई दिल्ली

दिनांक : 18 मार्च 2024



(सुबु आर)

प्रधान निदेशक (स्वायत्त निकाय)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक : 21 मार्च 2024



(गिरीश चंद्र मुर्मू)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट-I**(पैराग्राफ सं. 1.3 का संदर्भ लें)****व्यक्तिगत केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लेखाओं पर महत्वपूर्ण अभ्युक्तियाँ****ए. कॉर्पस/पूँजीगत निधि**

1. वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान वस्तु शीर्ष सीसीए-35 के अंतर्गत पूँजीगत व्यय हेतु उपलब्ध कराई गई ₹117.58 करोड़ (ओबी ₹9.87 करोड़ + प्राप्त ₹107.71 करोड़) के कुल सहायता अनुदान में से ₹74.73 करोड़ की राशि का 31 मार्च 2022 तक ₹42.85 करोड़ की अप्रयुक्त शेष राशि छोड़ते हुए कथित शीर्ष के अधीन उपयोग किया गया था। यद्यपि, वर्ष 2021-22 में ₹42.85 करोड़ की अप्रयुक्त पूँजीगत निधि के लिए कोई देयता सृजित नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹42.85 करोड़ तक कॉर्पस/पूँजीगत निधि (अनुसूची-1) को अधिक तथा उसी सीमा तक चालू देयताओं एवं प्रावधानों (अनुसूची-7) को कम बताया गया था।

(अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर)

2. लेखांकन मानक 12 एवं 16 के अनुसार, अनुदान की राशि को, पूँजी की उधार लागत सहित, पूँजीगत व्यय हेतु उपयोग की गई सीमा तक पूँजीगत निधि को क्रेडिट किया जाना चाहिए।

संस्थान इस शर्त के साथ एचईएफए (उच्च शिक्षा वित्तपोषित अभिकरण) से ऋण प्राप्त करके अपने निर्माण परियोजना को वित्तपोषित कर रहा था कि 75 प्रतिशत ऋण एवं कुल ब्याज का भुगतान एमओई द्वारा जारी अनुदान से तथा शेष 25 प्रतिशत संस्थान की स्वयं की आय से अदा किया जाएगा। संस्थान ने 'अन्य बातों के साथ-साथ' कथित वर्ष हेतु ₹7.51 करोड़ की कुल ब्याज देयता के सापेक्ष 2021-22 के लिए एचईएफए ऋण ब्याज (उधार लेने की लागत) के भुगतान हेतु ₹5.16 करोड़ की सीमा तक अनुदान प्राप्त किया था। तदनुसार, ब्याज के भुगतान हेतु उपयोग किए गए ₹5.16 करोड़ की सीमा तक के अनुदान को पूँजीकृत किया जाना था तथा ₹2.35 करोड़ की शेष राशि को चालू देयता एवं प्रावधान (अनुसूची-3 देय एचईएफए ऋण ब्याज) के साथ-साथ ऋण, अग्रिम एवं जमा (अनुसूची-8 एमओई से प्राप्य एचईएफए ऋण ब्याज) के अधीन। परंतु संस्थान ने ₹7.51 करोड़ (अनु-1, अनु.-4) के ब्याज की सम्पूर्ण राशि हेतु पूँजीगत निधि को क्रेडिट करके तथा परिसम्पत्तियों (डब्ल्यूआईपी) को डेबिट करके ₹2.35 करोड़ की सीमा तक पूँजीगत निधि एवं परिसम्पत्ति (डब्ल्यूआईपी) को अधिक बताया था।

(भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर)

3. बोर्ड ने ₹1.60 करोड़ के अप्रयुक्त अनुदान को चालू देयता के बजाए कॉर्पस/पूँजीगत निधि शामिल किया है। इसका परिणाम ₹1.60 करोड़ प्रत्येक तक कॉर्पस/पूँजीगत निधि को अधिक बताए जाने तथा चालू (देयताओं) एवं प्रावधानों को कम बताए जाने में हुआ।

(प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (उत्तरी क्षेत्र), कानपुर)

4. संस्थान ने 'अक्षय निधि' (अनुसूची-2) में 'संस्थान का परामर्श शुल्क के हिस्से' से संबंधित ₹14.69 करोड़ को शामिल किया जबकि एमएचआरडी प्रपत्र के अनुसार उसे शैक्षणिक शुल्कों (अनुसूची-9) का भाग होना चाहिए। इसका परिणाम शैक्षणिक शुल्कों को अधिक बताने में हुआ तथा परिणामस्वरूप ₹14.69 करोड़ तक कॉर्पस निधि को कम बताया गया एवं उसी राशि तक अक्षय निधि को अधिक बताया गया।

(भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की)

5. उपरोक्त में सरकारी अनुदान की अव्ययित शेष राशि के कारण ₹19.42 करोड़ (अनुसूची-1 ए.2 एवं 1ए.4 में दर्शाया गया है) शामिल है। इसे निर्धारित/अक्षय निधियों के अधीन दर्शाया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप ₹19.42 करोड़ तक पूँजीगत निधि को अधिक बताया तथा निर्धारित/अक्षय निधियों को कम बताया गया है।

(राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, मोहाली)

6. 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कुल ₹1.49 करोड़ के अव्ययित अनुदान को मंत्रालय को वापस किया जाना चाहिए था। फिर भी, प्राधिकरण ने न तो ₹1.49 करोड़ के अव्ययित अनुदान को वापस किया और न ही चालू देयताओं के अधीन अनुसूची-7 में मंत्रालय को वापस की जाने वाली राशि के रूप में दर्शाया। इसके परिणामस्वरूप ₹1.49 करोड़ प्रत्येक तक चालू देयताओं को कम बताया गया एवं पूँजीगत निधि को अधिक बताया गया।

(भंडारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण)

7. लेखांकन सिद्धांत के अनुसार, पूँजीगत व्यय के प्रति उपयोग किए गए अनुदान को सीधे कॉर्पस निधि में क्रेडिट किया जाना चाहिए तथा शेष, यदि कोई हो, को अप्रयुक्त अनुदान के रूप में दर्शाया जाना चाहिए। राजस्व व्यय को पूरा करने हेतु आगे के अनुदान को वर्ष की

आय के रूप में माना जाना चाहिए तथा शेष, यदि कोई हो, को अप्रयुक्त अनुदान के रूप में दर्शाया जाना चाहिए। पिछले पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2020-21 में उल्लेख किए जाने के बावजूद वर्तमान वार्षिक लेखे 2021-22 में नीचे पाए गए मामलों में सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी। संस्थान द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता रिपोर्ट के अनुसार, इनके पास वर्ष 2020-21 की समाप्ति तक ₹2,367.84 (599.61+1768.23) लाख की राशि के अनुदान का अव्ययित राशि शेष थी। वर्ष 2021-22 के दौरान, संस्थान ने ₹4,100.00 लाख (14002700) की राशि का अनुदान प्राप्त किया तथा संस्थान ने ₹12.3 लाख के अनुदान पर ब्याज अर्जित किया। ₹6,480.14 (2367.84+4100+123) लाख के कुल अनुदान में से संस्थान ने ₹3,913.26 (1172.10+2741.16) लाख की अव्ययित शेष राशि को छोड़कर वर्ष के दौरान केवल ₹2,566.88 (83.31+1735.57) लाख खर्च कर सका। लेकिन संस्थान कॉर्पस/पूँजीगत निधि में वर्ष के दौरान प्राप्त सम्पूर्ण अनुदान का लेखांकन कर रहा है। इसके परिणामस्वरूप ₹3,913.26 लाख तक कॉर्पस/पूँजीगत निधि को अधिक बताया गया तथा चालू देनदारियों को कम बताया गया।

(राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, हाजीपुर)

8. पीएनजीआरबी के पास 31.03.2022 तक ₹35,519.65 लाख की राशि पीएनजीआरबी निधि के रूप में कॉर्पस निधि के नाम पर है। यह प्राधिकृत संस्थाओं से पीएनजीआरबी अधिनियम, 2006 के तहत अधिसूचित विनियमों के अनुसार उगाही/विभिन्न प्रभार, शुल्क, जुर्माने आदि ले रहा है।

पीएनजीआरबी द्वारा अर्जित राजस्व भारत सरकार की ओर से प्राप्त सार्वजनिक धन है, यह संविधान के अनुच्छेद 266(2) के तहत परिभाषित लोक लेखे का भाग होना चाहिए। वित्त मंत्रालय ने निदेश दिया (जनवरी 2005) कि विनियामक निकायों की निधियों को लोक लेखे में अनरक्षित कर सकते हैं तथा ऐसे ढंग में परिचलित कर सकते हैं जिससे उनकी स्वतंत्र स्थिति सुरक्षित होगी। उन्हीं अनुदेशों को एमओएफ द्वारा अप्रैल 2016 में दोबारा जारी किया गया।

पीएनजीआरबी निधि को लोक लेखे के माध्यम से परिचालित नहीं किया जा रहा है क्योंकि इस निधि को वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2020-21 के लिए इनके वित्तीय विवरण पर

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सीएजी के टिप्पणी द्वारा उजागर किए जा रहे मुद्दे के बावजूद सावधि जमा/चालू/सीएलटीडी खातों में रखा है।

इसकी अपेक्षा, उसे आय एवं व्यय लेखाओं के तहत अनुदान आय के रूप माना गया। जैसा कि 31.03.2022 तक पीएनजीआरबी निधि की राशि भारतीय लोक लेखे में जमा की जानी थी फिर भी उसे 'कॉर्पस/पूँजीगत निधि पीएनजीआरबी निधि' के बावजूद 'अन्य चालू देनदारी' के तहत वर्णित किया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप कॉर्पस/पूँजीगत निधि पीएनजीआरबी कॉर्पस/पूँजीगत निधि पीएनजीआरबी निधि (अनुसूची-1) को अधिक बताने में हुआ है तथा प्रत्येक 'अन्य चालू देनदारी (अनुसूची-7)' ₹35,519.65 लाख की राशि तक के लिए को कम बताया गया।

(पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड)

बी. निर्धारित/अक्षय/नामित निधि

9. उपरोक्त में विशिष्ट उद्देश्य हेतु उपयोग किए जाने के लिए प्राप्त की जा रही अनुदान/सहायता होने से ₹19.12 करोड़ की राशि शामिल नहीं है। केन्द्रीय स्वायत्त निकायों हेतु निर्धारित लेखाओं को एकसमान प्रारूप के अनुसार, निर्धारित निधियों को अलग से दर्शाया जाना है तथा किए गए व्यय को भी विनिर्दिष्ट निधि को प्रभारित किया जाना है न कि आय एवं व्यय लेखा को। तथापि संस्थान ने निर्धारित निधियों को प्राप्त करते समय राशि को आय के रूप में दर्ज किया तथा किसी भी अनुवर्ती व्यय को आय एवं व्यय लेखा का प्रभारित किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹19.12 करोड़ तक निर्धारित/अक्षय निधि को कम बताया गया। वर्ष के लिए घाटे को भी उक्त राशि तक कम बताया गया है।

(पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान, शिलोंग)

सी. चालू देयताएं एवं प्रावधान

10. निर्धारित प्रपत्र (पृष्ठ 88) के अनुसार, अनुदानों से राजस्व व्यय की गणना करते समय सेवानिवृत्ति लाभ हेतु वर्ष में किए गए वास्तविक भुगतान को शामिल किया जाना चाहिए तथा सेवानिवृत्ति लाभों हेतु वर्ष में किए गए प्रावधानों को इसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि यह पाया गया है कि संस्थान ने वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान

(कुल दर्ज प्रावधान ₹2.62 करोड़ घटा वास्तविक भुगतान ₹0.90 करोड़) ₹1.72 करोड़ की राशि के सेवानिवृत्ति लाभों के लिए प्रावधान के कारण अधिक व्यय दर्ज किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹1.72 करोड़ तक अप्रयुक्त अनुदानों को कम बताया गया तथा कॉर्पस/पूंजीगत निधि को अधिक बताया गया। इसके अतिरिक्त, वर्तमान वर्ष की आय को अनुदान/आर्थिक सहायताओं के कारण आय के रूप में दर्ज अधिक प्रावधान की सीमा तक ₹0.40 करोड़ तक अधिक बताया गया था। इस संबंध में अभ्युक्तियों को पिछले दो प्रतिवेदनों में भी इंगित किया गया था।

(भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान, शिमला)

11. लेखाओं के निर्धारित प्रपत्र के अनुसार, जहाँ निधियों से सृजित अचल परिसम्पत्तियों का स्वामित्व संस्थानों के पास होता है, वहाँ परिसम्पत्तियों के मूल्य के बराबर राशि को परिसम्पत्ति के पक्ष में उसी सीमा तक अचल परिसम्पत्तियों को दर्शाने के अलावा कॉर्पस/पूंजीगत निधि में जोड़ा जाना चाहिए। उपरोक्त में संस्थान द्वारा कुल ₹5.45 करोड़ की अनुरक्षित विशिष्ट निधियों में से संस्थान द्वारा अर्जित परिसम्पत्तियां शामिल थी। चूंकि ये निधियां संस्थान द्वारा अनुरक्षित की जा रही हैं फिर भी विशिष्ट निधियों से सृजित परिसम्पत्तियों को चालू देयताओं के अधीन शामिल करने के बावजूद कॉर्पस/पूंजीगत निधि से जोड़ा जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप ₹5.45 करोड़ तक कॉर्पस/पूंजीगत निधि को कम बताया गया और जमा (चालू देयताओं) को अधिक बताया गया।

(राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश)

12. संस्थान उपचय आधार पर लेखाओं का अनुरक्षण करने के बावजूद 31 मार्च 2022 की समाप्ति पर ₹4.92 करोड़ के बकाया खर्चों के भुगतान के प्रति ज्ञात देयताओं के लिए प्रावधान को शामिल नहीं करता है। इसके परिणामस्वरूप ₹4.92 करोड़ तक प्रत्येक के लिए चालू देयताओं और प्रावधानों एवं व्यय को कम बताया गया तथा ₹4.92 करोड़ तक कॉर्पस/पूंजीगत निधि को परिणामस्वरूप अधिक बताया गया।

(अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर)

13. संस्थान वित्तीय वर्ष 2021-22 से संबंधित विभिन्न राजस्व खर्चों के प्रति ₹92.50 लाख की जात देयताओं के लिए प्रावधान को शामिल नहीं करता है। इसके परिणामस्वरूप ₹92.50 लाख चालू देयताओं और प्रावधान को कम बताया गया तथा उसी सीमा तक व्यय के साथ-साथ कॉर्पस/पूँजीगत निधि से अधिक आय का संगत अधिकथन हुआ।

(राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला)

14. मई 2013 में, यूजीसी ने ₹67.97 करोड़ की अनुमानित लागत सहित ज़ाकिर हुसैन कॉलेज के लिए बहु मंजिला शैक्षणिक टावर के निर्माण को अनुमोदित किया। नवम्बर 2021 में कॉलेज ने ₹68.00 करोड़ से ₹95.50 करोड़ तक की परियोजना की संशोधित अनुमानित लागत के अनुमोदन के लिए यूजीसी से अनुरोध किया तथा बहु मंजिला शैक्षणिक टावर के निर्माण हेतु अनुदान के भाग के रूप में ₹18 करोड़ की राशि के सहायता अनुदान पर अर्जित ब्याज को भी संसाधित करे ।

जनवरी 2022 में यूजीसी ने ₹12.50 करोड़ (₹5.50 करोड़ संस्वीकृत सहायता अनुदान जो कॉलेज को जारी किया जाना था, के समायोजन के बाद) की ब्याज राशि को वापस करने के लिए कॉलेज को कहा। यूजीसी ने कॉलेज से ऋण, अग्रिम एवं जमा के तहत तथा चालू देयताओं के भी तहत प्राप्त ₹12.50 करोड़ की ब्याज की राशि को नहीं दर्शाया क्योंकि सहायता अनुदान पर ब्याज आय को भारत सरकार को वापस किया जाना है। इसके परिणामस्वरूप ₹12.50 करोड़ तक ऋण, अग्रिम एवं जमा के साथ-साथ चालू देयताओं को कम बताया गया।

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली)

15. ईएसआईसी ने 31.03.2022 तक विवाचन निर्णय के ₹553.15 करोड़ के 25 प्रतिशत की शेष राशि होने से ₹138.29 करोड़ का प्रावधान नहीं किया है। इसके परिणामस्वरूप ₹138.29 करोड़ की सीमा तक चालू देयताओं और प्रावधानों के साथ-साथ व्यय को कम बताया गया तथा परिणरस्वरूप उसी राशि तक वर्ष के लिए अधिशेष को अधिक बताया गया।

(कर्मचारी राज्य बीमा निगम)

16. तुलन पत्र की तिथि तक प्राप्त उपकरण के संबंध में साख पत्र के माध्यम से आयातित परिसम्पत्तियों के प्रति ₹11.34 करोड़ क बकाया भुगतान था जिसके लिए लेखाओं में कोई प्रावधान नहीं किए गए थे जिसके परिणामस्वरूप ₹11.34 करोड़ तक चालू देयताओं एवं प्रावधानों तथा अचल परिसम्पत्तियों को कम बताया गया।

(भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली)

17. ₹21.67 करोड़ की राशि के उप-अनुसूची 3(ए)-प्रायोजित परियोजनाओं के क्रेडिट अंतशेष को प्रायोजित परियोजनाओं के प्रति चालू देयताओं-प्राप्तियों के अधीन दर्शया जाना चाहिए था लेकिन इसे नामित/निर्धारित/अक्षय निधियों-विकास अनुदान लेखा (अनुसूची-2) में शामिल किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹21.67 करोड़ प्रत्येक तक विकास अनुदान लेखा (अनुसूची-2) को अधिक बताया गया तथा चालू देयताओं और प्रावधान (अनुसूची-3) को कम बताया गया।

(अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़)

18. लेखाओं के एकसमान प्रारूप के अनुसार, अधिग्रहित प्लाट, मशीनरी और उपकरण जो अधिष्ठापन एवं प्रयोग में लाने के लिए लंबित है, को अचल परिसम्पत्ति अनुसूची के अधीन प्रगति में पूंजीगत कार्य में भी शामिल किया जाना चाहिए। मै. एमडीडी मेडिकल सिस्टम इंडिया (पी.) लि. ने वर्ष 2021-22 के दौरान संस्थान को ₹2.27 करोड़ के चिकित्सा उपकरण की आपूर्ति की। लेकिन वर्ष 2021-22 में भुगतान नहीं किया गया था। संस्थान ने वर्ष 2021-22 के दौरान चिकित्सा उपकरण को संस्थापित नहीं किया था। परंतु इसे संस्थान के लेखाओं में दर्ज नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹2.27 करोड़ की राशि को चालू देयताओं एवं प्रावधानों तथा उसी राशि तक अचल परिसम्पत्तियों अधीन प्रगति में पूंजीगत कार्य को कम बताया गया।

(अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना)

19. एचईएफए के साथ संस्वीकृत आदेश एवं ऋण अनुबंध की निबंधन और शर्तों के अनुसार कैलेंडर तिमाही अर्थात् मार्च, जून, सितम्बर और दिसम्बर के अंत में उपार्जित ब्याज राशि को तिमाही के पूरा होने से 30 दिनों के पुनर्भुगतान किया जाना है। फिर भी, आईआईटी पटना ने मार्च 2022 की समाप्ति तक एचईएफए ऋण घटक पर ₹3.43 करोड़ के बकाया

ब्याज के लिए चालू देयताएं सृजित नहीं की थी। इसके परिणामस्वरूप ₹3.43 करोड़ तक चालू देयताओं एवं अचल परिसम्पत्तियों को कम बताया गया।

(भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना)

20. ₹3,150.40 लाख की पिछले वर्षों की अव्ययित अनुदानों की राशि के प्रति प्राप्त प्रतिदाय को अनुसूची-7 “चालू देयताओं” के तहत अव्ययित अनुदान के बजाए पूर्व अवधि आय के रूप में दर्शाया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹31.50 करोड़ की सीमा तक आय को अधिक बताने तथा चालू देयताओं को कम बताया गया।

(विज्ञान एवं अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड, नई दिल्ली)

21. (i) अनुसूची-24 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के पैराग्राफ 8 के अनुसार, सेवानिवृत्ति लाभों का श्री चित्रा तिरुनाल चिकित्सा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनंतपुरम (एससीटीआईएमएसटी) द्वारा वास्तविक भुगतान के आधार पर लेखांकन किया जा रहा है। फिर भी, संस्थान ने वर्ष 2021-22 के लिए बीमांकिक मूल्यांकन किया है तथा उपादन, पेंशन एवं संचित छुट्टी नकदीकरण के प्रति देनदारी क्रमशः ₹45.44 करोड़, ₹592.50 करोड़ तथा ₹40.57 करोड़ थी। 31 मार्च 2022 तक ₹678.51 करोड़ की देयता के प्रति, एससीटीआईएमएसटी ने केवल ₹34 करोड़ की राशि पेंशन निधि सृजित की है। इसके परिणामस्वरूप ₹644.51 करोड़ प्रत्येक के लिए चालू देनदारियों एवं प्रावधानों के साथ स्थापना खर्चों को कम बताया गया।

वर्ष की समाप्ति मार्च 2022 के लिए पूंजीगत लेखाओं पर अग्रिम ₹34.87 करोड़ था। राशि को अनुसूची-7-चालू देयताओं एवं प्रावधानों के बजाय ‘अनुसूची-1: ‘पूंजीगत निधि’ के तहत शामिल किया गया। इस प्रकार, संस्थान की चालू देयता को कम बताया गया तथा ₹34.87 करोड़ करोड़ तक पूंजीगत निधि को अधिक बताया गया।

(श्री चित्रा तिरुनाल चिकित्सा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनंतपुरम)

22. ₹18.24 करोड़ की भविष्य निधि पर ब्याज की राशि का प्रावधान ‘भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि विनियम’ के प्रासंगिक प्रावधान के अनुरूप नहीं है। इसके परिणामस्वरूप ₹18.24 करोड़ तक प्रावधानों एवं व्यय को अधिक बताया गया।

(भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड)

23. सेवानिवृत्त कर्मचारियों या उनके परिवारों को पेंशन भुगतानों को पूरा करने के लिए अलग पेंशन निधि का अनुरक्षण किया गया है। पेंशन भुगतान की प्रतिबद्धता का भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के माध्यम से 31 मार्च 2022 को ₹6,077.76 करोड़ की सीमा तक निर्धारण किया गया था तथापि, चेन्नई पत्तन प्राधिकरण योगदान की राशि ₹3,613.72 करोड़ थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹2,464.04 करोड़ की सीमा तक देयता का कम प्रावधान किया गया।

पेंशन निधि के प्रति इस देयता के लिए गैर-प्रावधान के परिणामस्वरूप ₹2464.04 करोड़ की सीमा तक चालू देयताओं एवं प्रावधानों को कम बताया गया एवं उस सीमा तक लाभ को अधिक बताया गया।

(चेन्नई पत्तन प्राधिकरण)

24. कोयला खान पेंशन योजना, 1998 के पैरा-22 के अनुसार, आयुक्त बोर्ड द्वारा नियुक्त किए गए बीमांकिक द्वारा प्रत्येक तीन वर्ष में पेंशन निधि के आंकलन हेतु उत्तरदायी होगा। बीमांकिक की सिफारिशों को आयुक्त द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

नवीनतम बीमांकिक रिपोर्ट के अनुसार (अक्टूबर 2022), पेंशन निधि की निवल देयता ₹42,391.63 करोड़ के रूप में आंकी गई थी। फिर भी, कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) ने उक्त के लिए देयता को प्रदान नहीं किया। पिछली बीमांकिक रिपोर्ट (जुलाई 2021) में ₹62,400.00 करोड़ की देयता का आंकलन किया जिसे नवीनतम रिपोर्ट (अक्टूबर 2022) द्वारा दबा दिया गया था।

इस संबंध में देयता को प्रदान न करने के परिणामस्वरूप ₹42,391.63 करोड़ तक चालू देयताओं एवं प्रावधानों के साथ-साथ व्यय को कम बताया गया तथा परिणामस्वरूप उसी राशि तक व्यय पर आय की अधिकता को अधिक बताया गया।

(कोयला खान भविष्य निधि संगठन)

25. डीडीए ने 'विभिन्न डीडीए आवास योजनाओं के आबंटियों से अग्रिम' के रूप ₹591.85 करोड़ तथा शीर्ष अन्य देयताओं (अनुसूची-सी) के तहत 'आबंटियों से अग्रिम पर्ववास भूमि मंत्रालय' के रूप में ₹0.62 करोड़ अनुमत किये हैं। इस संबंध में, आबंटियों से प्राप्त अग्रिमों को आबंटी-वार विवरण, उसकी प्रगति की तिथि तथा आबंटन की वर्तमान स्थिति डीडीए के पास

नरेला में एमआईजी घरों की बिक्री के कारण दिल्ली पुलिस से प्राप्त की जा रही ₹135.78 करोड़ की राशि के सिवाय उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त विवरणों के अभाव में, लेखापरीक्षा शीर्ष 'विभिन्न डीडीए आवास योजनाओं के आबंटियों से अग्रिम' एवं 'आबंटियों से अग्रिम-एमओआर भूमि' के तहत ₹456.69 करोड़ की शेष राशि की सटीकता के संबंध में एक आश्वासन लेने में असमर्थ था। वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा मुद्दे पर टिप्पणी भी की गई थी, फिर भी, प्रबंधन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

(दिल्ली विकास प्राधिकरण)

डी. अचल परिसम्पत्तियां

26. संस्थान द्वारा 31.03.2022 से पूर्व उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत पूर्ण किए गए कुल ₹ 959.71 करोड़ के 52 निर्माण कार्य शामिल हैं। हालांकि वर्ष 2021-22 के लिए ₹19.19 करोड़ के मूल्यहास को अधिग्रहण प्रमाणपत्र की गैर-प्राप्ति के कारण प्रभारित नहीं किया गया था। यह आमतौर पर अपनाए गए लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के विपरीत था तथा मूल्यहास प्रभारित करने में चूक का परिणाम ₹19.19 करोड़ तक व्यय का कम बताए जाने के साथ परिसम्पत्तियों को उसी सीमा तक अधिक बताए जाने में हुआ गया।

(भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बाम्बे)

27. उपरोक्त शीर्ष को ₹1.56 करोड़ की राशि तक कम बताया गया था क्योंकि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान संस्थान ने संकाय विकास निधि (एफडीएफ) की परिसम्पत्तियों पर स्वामित्व अधिकार को यह बताते हुए छोड़ने का निर्णय किया कि उन परिसम्पत्तियों का स्वामित्व बीओजी से कोई स्पष्ट अनुमोदन प्राप्त किए बिना संकाय सदस्यों से संबंधित था, तदनुसार पहले के वर्षों से लेखांकन विचलन से, ₹1.56 करोड़ (एफडीएफ परिसम्पत्तियों का संचित आदि शेष ₹2.33 करोड़ संचित मूल्यहास ₹0.77 करोड़) की राशि का एसआरआईसी लेखे की अनुसूची-4 में अचल परिसम्पत्तियों के साथ-साथ 'पूर्व अवधि समायोजन (एफडीएफ की निवल अचल परिसम्पत्तियों)' अनुसूची 2 में चिन्हित निधि-एफडीएफ में समायोजन किया गया था। इस प्रकार, परिसम्पत्तियों के अनियमित समायोजन के परिणामस्वरूप

₹1.56 करोड़ प्रत्येक की राशि तक दोनों 'चिन्हित/अक्षय निधि' (अनुसूची -2) तथा 'अचल परिसम्पत्तियाँ' (अनुसूची -4) को कम बताया गया।

(भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़कपुर)

28. संस्थान की बिल्डिंग में नेटवर्किंग के कार्य को फरवरी 2017 में निष्पादन अभिकरण नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंक (एनआईसीएसआई) को प्रदान किया गया था तथा परियोजना समापन स्तर पर थी। एनआईसीएसआई ने इस कार्य के संबंध में संस्थान द्वारा जारी कुल ₹19.87 करोड़ के भुगतानों, वार्षिक लेखाओं में कम्प्यूटर/पेरिफेरल ₹8.71 करोड़ तथा प्रगति में पूंजीगत निर्माण कार्य ₹11.16 करोड़ के रूप में दर्ज किया गया था, के प्रति ₹21.23 करोड़ की मांग प्रस्तुत की थी। संस्थान ने एनआईसीएसआई को देय ₹1.36 करोड़ की शेष राशि की देयता को न तो दर्ज किया था और न ही तथ्य को लेखाओं को टिप्पणी में उजागर किया था।

(भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रोपड़)

29. अचल परिसम्पत्तियों (सीडब्ल्यूआईपी) में प्राप्त किए गए परंतु स्थापित न किए गए उपकरण की कीमत होने से ₹14.76 करोड़ की राशि को शामिल नहीं की थी। इसके परिणामस्वरूप ₹14.76 करोड़ तक चालू पूंजीगत निर्माण कार्य को कम बताया गया तथा ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसम्पत्तियों को अधिक बताया गया।

(अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, मंगलागिरी)

31. इसमें (i) 164 सीटों वाले छात्रावास तथा 14 टाईप-v क्वार्टर, (ii) बागवानी कार्यों का विकास तथा (iii) एम्स भुवनेश्वर में ओपीडी रोगियों तथा उनके परिचारकों हेतु रात्रि आश्रय के सृजन, जिसे निष्पादन अभिकरण (सीपीडब्ल्यूडी) द्वारा वर्ष के दौरान पूर्ण किया तथा उपयोग में लाया गया सूचित किया गया था परंतु पूंजीकृत नहीं किया था, के प्रति किए गए ₹36.39 करोड़ के व्यय को शामिल नहीं किया है। इसके परिणामस्वरूप ₹35.81 करोड़ तक अचल परिसम्पत्तियों को कम बताया गया तथा ₹36.38 करोड़ तक प्रगति में पूंजीगत निर्माणकार्य को अधिक बताया गया। ₹0.58 करोड़ तक मूल्यहास/घाटे को कम बताया जाना तथा उसी सीमा तक कॉर्पस/पूंजीगतनिधि का संगत अधिकथन।

(अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर)

32. तीन वैज्ञानिक उपकरण की 90 प्रतिशत क्रय लागत के प्रति कुल ₹2.00 करोड़ का अग्रिम संस्थान द्वारा विदेशी आपूर्तिकर्ता को अदा किया गया। ₹2.36 करोड़ की कीमत की इन परिसम्पत्तियों को 2021-22 के दौरान प्राप्त तथा संस्थापित किया गया था। तथापि, पूंजीकरण की अपेक्षा राशि को गलत प्रकार से पूंजीगत लेखे पर अग्रिम-अनुसूची-8(3) के अंतर्गत दर्शाया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹2.17 करोड़ तक मूर्त परिसम्पत्ति (निवल), ₹0.19 करोड़ तक मूल्यहास के कम बताया गया, ₹0.36 करोड़ तक वर्तमान देयताओं को कम बताया गया तथा ₹2.00 करोड़ तक पूंजीगत लेखे पर अग्रिम-अनुसूची-8(3) को अधिक बताया गया।

(भारतीय विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, बरहामपुर)

32. संस्थान ने ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) योजना के अंतर्गत संस्वीकृत विभिन्न परियोजनाओं के निष्पादप हेतु सीपीडब्ल्यूडी को अदा की गई, अग्रिम राशि के रूप में, ₹7.75 करोड़ को शामिल किया तथा इसमें से केवल 5 प्रतिशत कार्य को पूरा किया गया है। इसके परिणामस्वरूप ₹7.36 करोड़ (₹7.75 करोड़ घटा 5 प्रतिशत अर्थात् ₹0.39 करोड़) तक अचल परिसम्पत्तियों (प्रगति में पूंजीगत कार्य) को अधिक बताया गया तथा उसी राशि तक ऋण, अग्रिम तथा जमा (पूंजीगत लेखे पर अग्रिम) को कम बताया गया।

(राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रायपुर)

33. संस्थान ने भवन (₹108.58 करोड़), साईट विकास (₹51.84 करोड़), सड़के एवं पुल (₹9.37 करोड़), मलनिकासी एवं जल निकासी (₹4.56 करोड़), ट्यूबवेल एवं जल आपूर्ति (₹1.27 करोड़) तथा विद्युतीय संस्थापन (₹1.12 करोड़), जिन्हें 2014 से 2022 की अवधि के दौरान पूरा किया गया था, की कीमत ₹176.74 करोड़ को शामिल नहीं किया है। परिसम्पत्तियों का उपयोग किए जाने के बावजूद भी विभिन्न मूर्त परिसम्पत्तियों के अंतर्गत इनको पंजीकृत नहीं किया गया है तथा इन्हें कार्य प्रगति के रूप में दर्शाया गया है। परिणामस्वरूप, कार्य प्रगति को अधिक तथा मूर्त अचल परिसम्पत्तियों को कम बताया गया था।

(राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अरुणाचल प्रदेश)

34. उपरोक्त में पूर्ण की गई बिल्डिंगों पर व्यय किए गए ₹9.48 करोड़ शामिल हैं। संस्थान ने वर्ष 2021-22 के दौरान चार बिल्डिंगों के निर्माण कार्यों को पूरा कर लिया है, हालांकि, इन्हें मूर्त परिसम्पत्तियों के अधीन दर्ज नहीं किया गया था। पूर्ण बिल्डिंगों के गलत लेखाकरण के कारण ₹9.48 करोड़ तक प्रगति में निर्माणकार्य को अधिक बताए जाने तथा ₹9.29 करोड़ तक मूर्त परिसम्पत्तियों, ₹0.19 करोड़ तक मूल्यहास के साथ-साथ घाटे को कम बताए जाने तथा 0.19 करोड़ तक कॉर्पस/पूँजीगत निधि को इसके विपरित अधिक बताए जाने में हुआ।

(पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, अरुणाचल प्रदेश)

35. उपरोक्त में बहु-मंजिला टाईप-IV क्वार्टरों के पांचवें ब्लॉक, जिसको जून 2020 से आवासीय उद्देश्य हेतु उपयोग लाया गया था, के निर्माण की लागत के प्रति ₹29.17 करोड़ शामिल नहीं है। इसके परिणामस्वरूप ₹30.39 करोड़ तक प्रगति में पूँजीगत निर्माणकार्य को अधिक बताया गया, ₹29.17 करोड़ (₹30.39 करोड़ घटा दो वर्षों के लिए दो प्रतिशत की दर पर मूल्यहास) तक भवन (अचल परिसम्पत्तियों) की कम बताया गया, वर्ष के लिए ₹0.61 करोड़ तक मूल्यहास को कम बताया गया तथा ₹0.61 करोड़ तक पूर्व अवधि के व्यय को कम बताया गया। परिणामस्वरूप, वर्ष के लिए घाटे को ₹1.22 करोड़ तक कम बताया गया।

(मालविय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर)

36. संस्थान ने सीपीडब्ल्यूडी को ₹136.52 करोड़ की अग्रिम प्रदान की है तथा समग्र राशि को 'प्रगति में पूँजीगत-निर्माणकार्य' के अंतर्गत दर्शाया है जबकि केवल ₹128.73 करोड़ का उपयोग विभिन्न परियोजनाओं/निर्माण कार्यों के निर्माण के लिए किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹7.79 करोड़ तक और 'प्रगति में पूँजीगत-निर्माणकार्य' को अधिक बताया गया तथा उक्त राशि तक 'वर्तमान परिसम्पत्तियों, ऋण एवं अग्रिमों' को कम बताया गया।

(अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश)

37. संस्थान ने साईट विकास एवं अन्य निर्माण गतिविधि से संबंधित निर्माणकार्यों के लिए प्रगति में पूँजीगत-निर्माणकार्य के अंतर्गत ₹3.46 करोड़ को दर्शाया है जबकि इसे पूरा कर लिया गया है तथा संस्थान को सौंप दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप ₹3.46 करोड़ तक

‘प्रगति में पूंजीगत निर्माणकार्य’ को अधिक बताया गया तथा ‘अचल परिसम्पत्तियों’ (अनुसूची-4) के अधीन ‘साईट विकास’ को कम बताया गया।

(राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, उत्तराखण्ड)

38. उपरोक्त में विभिन्न निर्माणकार्यों के निष्पादन तथा विभिन्न मदों (पुस्तकें एवं पत्रिकाएं, आईसीटी, प्रयोगशाला उपकरण, अन्य अवसंरचना) की अधिप्राप्ति के लिए विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए क्रय आदेश में ₹2,96 करोड़ की राशि शामिल है। 31 मार्च 2022 तक आपूर्तिकर्ता को केवल क्रय आदेश प्रस्तुत किया गया है तथा अवधि के दौरान न तो भौतिक न ही वित्तीय प्रगति को प्राप्त किया गया था। इस प्रकार, अवधि के लिए कोई प्रतिबद्ध देयता नहीं थी। तथापि, विश्वविद्यालय ने क्रय आदेश के आधार पर प्रगति में पूंजीगत-निर्माणकार्य के अंतर्गत ₹2.96 करोड़ को डेबिट तथा प्रतिबद्ध देयताओं को क्रेडिट किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹2.96 करोड़ तक प्रगति में पूंजीगत-निर्माणकार्य तथा वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान-प्रतिबद्ध व्यय (पूंजीगत व्यय) दोनों को अधिक बताया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹2.96 करोड़ तक कॉर्पस/पूंजीगत निधि को अधिक तथा अप्रयुक्त अनुदान को कम बताया गया है।

(सिक्किम विश्वविद्यालय)

ई. निवेश

39. (ए) असमायोजित निवेश/प्रतिभूतियाँ

पिछले प्रतिवेदन में शीर्ष ‘समायोजन अधीन राशि’ (निवेश अनुसूची सं. 18) के अंतर्गत ₹1916.12 करोड़ की राशि से संबंधित अभ्युक्ति सं. ए.2.1 ईपीएफओ को जारी की गई थी तथा ईपीएफओ ने उत्तर दिया कि अंतरों के ब्यौरे समायोजन प्रक्रिया के समापन के पश्चात् उपलब्ध कराए जाएंगे। निवेश में शीर्ष समायोजन के अंतर्गत कुल दस्तावेजों सहित अनुकूल प्रविष्टियों के साथ विस्तृत रूप से वर्गीकृत आंकड़ों के विवरण/श्रेणियों को भी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था जिससे लेखापरीक्षा समायोजन के अंतर्गत दर्शाई गई राशियों की यथार्थता तथा पारदर्शिता के संबंध में आश्वासन प्राप्त नहीं कर सकी थी।

इसके अतिरिक्त, इस अभ्युक्ति के संबंध में, वर्ष 2021-22 के लेखाओं की लेखापरीक्षा के दौरान ईपीएफओ ने उत्तर दिया कि समायोजन के अधीन राशि की पहचान कर ली गई है तथा वार्षिक लेखे 2021-22 में उसका सुधार कर लिया गया है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2021-22 के लेखाओं में ईपीएफओ ने शीर्ष 'समायोजन अधीन राशि' के अंतर्गत ₹(-)151.47 करोड़ की राशि को दर्शाया है जिसे शीर्ष 'छूट रद्द करने पर प्राप्त प्रतिभूतियाँ (स्वीकृत कीमत)' के अधीन दर्शाया गए ₹(-)2067.60 करोड़ की एक प्रविष्टि द्वारा प्राप्त किया है। तथापि, निवेश में समायोजन शीर्ष के अंतर्गत समर्थन दस्तावेजों सहित अनुकूल प्रविष्टियों के साथ दर्ज किये गए विवरणों सहित आंकड़ों के विवरण/श्रेणियाँ अभी भी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये थे।

इसके अभाव में, लेखापरीक्षा समायोजन के अधीन दर्शाई गई राशियों की सटीकता एवं पारदर्शिता के संबंध में आश्वासन प्राप्त नहीं कर सका।

(बी) लोक लेखाओं में निवेश (अनुसूची सं. 20 तथा 22)

पिछले वर्ष के प्रतिवेदन में, लोक लेखे में निवेश (अनुसूची 20 तथा 22) से संबंधित अभ्युक्ति सं. ए.2.2 ईपीएफओ को जारी की गई थी तथा ईपीएफओ ने वर्ष के दौरान निवेशित राशि या परिशोधन की लागत को सत्यापित करने हेतु समर्थन दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए थे। चूंकि सभी समर्थन दस्तावेजों सहित विस्तृत अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे, कथित राशि को लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। इसे वर्ष 2019-20 में भी इंगित किया गया था।

इसके अतिरिक्त, इस अभ्युक्ति के संबंध में, वर्ष 2021-22 के लेखाओं की लेखापरीक्षा के दौरान ईपीएफओ ने केवल अनुसूची सं. 20 के संबंध में उत्तर दिया जबकि उत्तर के साथ अनिवार्य समर्थन दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। इस संबंध में, उपयुक्त दस्तावेजों के अभाव में लेखापरीक्षा राशि को सत्यापित नहीं कर सकी थीं।

इसके मद्देनजर से, लेखापरीक्षा वार्षिक लेखाओं की अनुसूचियों 20 तथा 22 में लोक लेखे में शीर्ष निवेश के अधीन प्रकट हो रही राशियों की सटीकता को सत्यापित करने में असमर्थ है।

(कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली)

40. सीएमपीएफओ ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) में ₹1,390.25 करोड़ का निवेश किया। शासन संबंधी मुद्दों तथा विभिन्न भुगतान बाध्यताओं को पूरा करने में कमियों के कारण डीएचएचएल आर्थिक अक्षमता और दिवालियापन संहिता के तहत माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत हुआ (नवम्बर 2019)। एनसीएलटी ने डीएचएचएल के विरुद्ध कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारम्भ की तथा

जून 2021 में समाधान योजना को अनुमोदित किया। समाधान योजना के कार्यान्वयन के पश्चात् सीएमपीएफओ ने किए गए निवेश के प्रति ₹662.58 करोड़ प्राप्त किए (सितम्बर 2021) जिसके परिणामस्वरूप ₹727.67 करोड़ के निवेश की हानि हुई। इसलिए इस हानि को लेखा बाहियों से बट्टे खाते में डालने की आवश्यकता है। तथापि, उपरोक्त निवेशों की हानि का हिसाब नहीं दिया गया था तथा सीएलपीएफओ ने अभी भी ₹727.67 करोड़ की निवेश को डीएफएचएल में दर्शाया।

इसके परिणामस्वरूप निवेश तथा पेंशन निधि के कोर्पस को ₹727.67 करोड़ तक अधिक बताया गया।

(कोयला खान भविष्य निधि संगठन)

41. यह पत्तन प्राधिकरण द्वारा सृजित विभिन्न निधियों के प्रति किए गए निवेशों को दर्शाता है। तथापि, ₹29.43 करोड़ का निवेश नया मँगलौर पत्तन प्राधिकरण एनएमपीए नाम पर था तथा ₹2551.31 करोड़ को शेष निवेश एनएमपीटी कर्मचारी सेवानिवृत्त निधि (सेवानिवृत्ति निधि के प्रबंधन हेतु सृजित एक न्यास) के नाम पर था जिसने अपने लेखाओं का अलग से अनुरक्षण किया है। इसके अतिरिक्त, ₹2,551.31 करोड़ के निवेश पर प्राप्त तथा अर्जित ब्याज के प्रति ₹177.01 करोड़ की राशि को पूंजीगत तथा सामान्य रिजर्व (निधि) में जोड़ा गया था जबकि अर्जित ब्याज न्यास द्वारा किए गए निवेश पर था।

इसके परिणामस्वरूप परिसम्पत्तियों निवेश तथा पूंजीगत एवं सामान्य रिजर्व (निधि) ₹2,551.31 करोड़ तथा ₹177.01 करोड़ क्रमशः तक अधिक बताया गया तथा ₹2,374.30 करोड़ तक अंतर कंपनी शेषों (देय) को कम बताया गया।

(नया मँगलौर पत्तन प्राधिकरण)

एफ. वर्तमान परिसम्पत्तियाँ, ऋण और अग्रिम

42. लेखे के एकसमान प्रारूप की सार्थक लेखांकन नीतियों (अनुसूची-24) के पैरा 9.3 के अनुसार, सरकारी अनुदानों/आर्थिक सहायता को प्राप्ति आधार पर दर्ज किया गया है। तथापि, केवल उन प्राप्य दावों को, जिन्हें अच्छा एवं विश्वसनीय माना जाता है, को शामिल किया जाना चाहिए।

चार राज्य सरकारों अर्थात् मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र तथा राजस्थान से बकाया अंशदान से संबंधित अभिलेखों/सूचना की संवीक्षा पर लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्तमान परिसम्पत्तियों में वित्तीय वर्ष 2021-22 तक इन अंशदाता राज्यों से प्रगतिशील बकाया अंशदान के प्रति प्राप्य राशि होने से ₹2,283.55 लाख (एमसीए स्थापना का ₹1737.74 लाख तथा हाईड्रोमेट नेटवर्क का ₹545.80 लाख) की राशि शामिल है। एनसीए इंदौर के पास बकाया अनुदानों के भुगतान के संबंध में, सदस्य राज्यों से कोई आश्वासन नहीं है तथा इस प्रकार अंशदान का लेखांकन प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई सार्थक लेखापरीक्षा नीति के अनुरूप नहीं था। इसके परिणामस्वरूप ₹22.84 करोड़ तक वर्तमान परिसम्पत्तियों तथा पूंजीगत निधि को अधिक बताया गया।

(नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर)

43. वर्तमान परिसम्पत्तियों, ऋण, अग्रिम (अनुसूची 11) के अनुसार, संस्थान ने ₹31.97 करोड़ को सीपीडब्ल्यूडी को अग्रिमों के रूप में दर्शाया था। संबंधित सीपीडब्ल्यूडी प्रभागों से 31/03/2022 को प्राप्त फार्म 65 के अनुसार, इन अग्रिमों में से वर्ष के दौरान ₹17.47 करोड़ का व्यय किया था तथा इसे वर्ष के लिए सीपीडब्ल्यूआईपी में वृद्धि के रूप में दर्शाया नहीं गया था। ऐसा करने में चूक के परिणामस्वरूप ₹17.47 करोड़ तक अचल परिसम्पत्तियों के कार्य में पूंजीगत निर्माणकार्य को कम बताया गया तथा उसी सीमा तक वर्तमान परिसम्पत्तियों-अग्रिम को अधिक बताया गया।

(अली यावजंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसएबिलिटीज, मुंबई)

44. उपरोक्त शीर्ष में, 'सीपीडब्ल्यूडी को अग्रिम (XIIवीं योजना)' के रूप में ₹38.79 करोड़ की राशि शामिल है जिसमें से सीपीडब्ल्यूडी (उपयोगिता प्रमाणपत्र के अनुसार) द्वारा निर्माणकार्य हेतु ₹13.73 करोड़ उपयोग किया था। तथापि, विश्वविद्यालय ने उपयोग की लागत का 'प्रगति में पूंजीगत निर्माण कार्य' को हस्तांतरण नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹13.73 करोड़ राशि तक 'ऋण अग्रिम एवं जमा' (अनुसूची-8) को अधिक बताया गया तथा 'प्रगति में पूंजीगत निर्माण कार्य' (अनुसूची-4) की कम बताया गया।

(विश्व भारती, शांति निकेतन)

45. विश्वविद्यालय ने सीपीडब्ल्यूडी को निर्माणकार्यों हेतु अग्रिम के रूप में ₹148.04 करोड़ प्रदान किए हैं तथा इसे आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम (अनुसूची-8) के स्थान पर अचल परिसम्पत्तियों (अनुसूची-4) में शामिल किया। इसके परिणामस्वरूप ₹148.04 करोड़ तक ऋण, अग्रिम एवं जमाओं को कम बताए जाने तथा उसी राशि तक अचल परिसम्पत्तियों को अधिक बताया गया।

(बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी)

46. संस्थान ने, अनुबंध के अनुसार, सावधी जमा के सृजन हेतु कैनरा बैंक प्रमुख खाते में नवम्बर 2021 में ₹24.96 करोड़ का अंतरण किया। परंतु वार्षिक लेखाओं में लेन-देन को ऋण के पुनर्भुगतान के रूप में माना गया था जबकि 31 मार्च 2022 तक संस्थान द्वारा अनुरक्षित केनरा बैंक प्रधान खाते में लघु अवधि जमा में राशि का निवेश किया गया था। गलत प्रयोग के परिणामस्वरूप ₹24.96 करोड़ तक वर्तमान परिसम्पत्तियों के साथ एचइएफए (सुरक्षित) ऋण को कम बताया गया।

(राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना)

जी. आय एवं व्यय लेखा

47. अनुदान/आर्थिक सहायताएं (अनुसूची-10) - राजस्व व्यय हेतु उपयोग किया गया- ₹13.92 करोड़

इसमें 13.92 करोड़ के मूल्यहास के कारण काल्पनिक व्यय शामिल है। इसके परिणामस्वरूप ₹13.92 करोड़ तक आय तथा व्यय पर आय की अधिकतता को अधिक बताया गया था।

(इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय, अमरकंटक)

48. (ए) पूर्व अवधि व्यय (अनुसूची-22)- शून्य

उपरोक्त में माह मार्च 2021 के लिए स्टाफ भुगतानों तथा लाभ जैसे कि वेतन एवं पारश्रमिक, सीपीएफ, एनपीएस आदि के प्रति ₹5.23 करोड़ के पूर्व अवधि व्यय शामिल नहीं हैं। संस्थान ने दोनों शिक्षण तथा गैर-शिक्षण कर्मचारियों के स्टाफ भुगतान तथा लाभों को पूर्व अवधि व्ययों के स्थान पर चालू वर्ष 2021-22 के लिए व्ययों के रूप में दर्ज किया है जो कि लेखांकन की संचय प्रणाली के अनुसार असंगत था। परिणामस्वरूप, पूर्व अवधि व्ययों

को ₹5.23 करोड़ तक कम बताया गया था तथा स्टाफ भुगतान एवं लाभ को उसी राशि तक अधिक बताया गया था।

(बी) मरम्मत एवं रखरखाव (अनुसूची-19) - ₹44.11 करोड़

उपरोक्त में विभिन्न परिसम्पत्तियों के प्रापण तथा वर्ष 2021-22 के दौरान पूर्ण किये गये भवन के अतिरिक्त निर्माण के प्रति ₹1.48 करोड़ शामिल हैं। संस्थान ने उपरोक्त निर्माण कार्यों पर पूंजीगत व्यय किया जिन्हें अचल सम्पत्तियों के संबंधित शीर्ष के अंतर्गत पूंजीकृत करने के बजाए मरम्मत एवं रखरखाव के रूप में माना गया था। परिणामस्वरूप, मरम्मत एवं रखरखाव को ₹1.48 करोड़ तक अधिक बताया गया था तथा अचल परिसम्पत्तियों को ₹1.27 करोड़ तथा मूल्यहास को ₹0.22 करोड़ तक इसके विपरीत कम बताया गया था।

(पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, अरुणाचल प्रदेश)

49. प्रकाशन गतिविधियों पर व्यय (अनुसूची-30) ₹80.43 करोड़

रॉयल्टी: ₹5.93 करोड़

लेखांकन नीति 1 का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है जो बताता है कि लेखाओं को लेखांकन की उपचय पद्धति के आधार पर तैयार किया जाता है। विभिन्न चित्रकारों द्वारा राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के साथ किए गए अनुबंध के अनुसार, चित्रकारों को वर्ष की बिक्री के सहमत प्रतिशत (15 प्रतिशत तक) के आधार पर रॉयल्टी अदा की जानी अपेक्षित है। वर्ष 2021-22 के दौरान, एनबीटी ने पुस्तकों की बिक्री से ₹190.11 करोड़ की आय दर्ज की। तथापि, एनबीटी द्वारा इन बिक्रियों के संबंध में रॉयल्टी व्यय हेतु किसी उपार्जन को वर्ष 2021-22 की लेखा बहियों में दर्ज नहीं किया था। वर्ष 2021-22 के लिए रॉयल्टी व्यय, तीन वर्षों के एतिहासिक डाटा के आधार पर ₹13.31 करोड़ बनता है।

वर्ष 2021-22 के दौरान की गई बिक्री के संबंध में रॉयल्टी व्यय के गैर-लेखांकन के परिणामस्वरूप ₹13.31 करोड़ तक रॉयल्टी व्यय हेतु प्रावधानों को कम बताया गया तथा अधिशेष को अधिक बताया गया को अधिक रॉयल्टी व्यय के गैर-लेखांकन का परिणाम लेखांकन के सिद्धांतों जिसमें अपेक्षित है कि राजस्व तथा अन्य संबंधित व्यय की उसी रिपोर्टिंग अवधि में एक साथ पहचान की जाए, को पूरा करने के उल्लंघन में हुआ।

(राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली)

50. अन्य प्रशासनिक व्यय (अनुसूची-11) ₹8.62 करोड़

वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभिन्न प्रभागों के लिए कुल ₹1.03 करोड़ के विभिन्न पूंजीगत व्यय जैसे कि कार्यालय परिसर एवं अथिति गृह का नवीकरण, सार्वजनिक शौचालय, चारदीवरी, सीसी ड्रेन, गैरेज आदि का निर्माण तथा फर्नीचर तथा कम्प्यूटर एवं पेरिफेरल की खरीद पर किया गया था। परंतु इसे अचल परिसम्पत्तियों के अंतर्गत दर्ज करने की अपेक्षा इसे राजस्व व्यय-अन्य प्रशासनिक व्यय पर प्रभारित किया गया था। इसका परिणाम ₹1.03 करोड़ तक राजस्व व्यय अन्य प्रशासनिक व्यय को अधिक बताने के साथ उसी सीमा तक अचल परिसम्पत्तियों को संगत रूप से कम बताने में हुआ।

(ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी)

51. व्यय

नगर निगम अलीगढ़ द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए मांगे गए कुल ₹0.80 करोड़ के सम्पत्ति कर को न तो अदा किया गया था और न ही संचित व्यय के रूप में शामिल किया गया था। इसके परिणामस्वरूप प्रत्येक व्यय तथा वर्तमान देयताओं को ₹0.80 करोड़ तक कम बताया गया।

(अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़)

52. व्यय

₹18.25 करोड़ (एनआईपीईआर द्वारा मै. आईडीपीएल को देय बिलों पर बकाया जीएसटी मै.आईडीपीएल को देय किराया) के ज्ञात एवं बकाया देयताओं के गैर-प्रावधान के कारण कॉर्पस/पूंजीगत निधि को ₹18.25 करोड़ तक अधिक बताया गया तथा उसी सीमा तक चालू देयताओं को कम बताया गया। आगे, सांविधिक बकाया जीएसटी का न तो भुगतान किया गया और न ही प्रस्तुत किया गया।

(राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद)

53. प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय (अनुसूची-17) - ₹99.70 करोड़

एक पूंजीगत परिसम्पत्ति के निर्माण के चरण के दौरान किए गए सभी ब्याज भुगतानों को पूंजीगत व्यय के रूप में माना जाता है। तथापि, 'एचईएफए ब्याज भुगतान' के प्रति व्यय किए गए ₹14.16 करोड़ की पूंजीगत किए जाने की अपेक्षा राजस्व व्यय के रूप में दर्ज

किया गया है। इसके परिणामस्वरूप ₹14.16 करोड़ तक प्रत्येक प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय को अधिक बताया गया तथा अचल परिसम्पत्तियाँ (प्रगति में पूंजीगत-निर्माण कार्य) को कम बताया गया।

(भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास)

54. स्थापना व्यय-₹155.18 करोड़

एमएचआरडी के लेखा सिद्धांतों के अनुसार, श्रम प्रभार, दैनिक मजदूरी एवं ठेका श्रमिकों पर किए गए व्यय को प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा। लेखापरीक्षा द्वारा अभिलेखों की संवीक्षा से यह पाया गया है कि वर्ष 2021-22 में संस्थान ने आउटसोर्स अभिकरणों (कवच सेक्यूरिटीज सर्विसेज प्रा. लि. को ₹1.67 करोड़ एवं सीआईईएल एचआर सर्विसेज प्रा. लि. को ₹2.09 करोड़) को संस्थान को श्रमशक्ति उपलब्ध कराने के लिए ₹3.76 करोड़ अदा किया था। तथापि, संस्थान ने इन व्ययों को प्रशासनिक एवं सामान्य व्ययों की अपेक्षा स्थापना व्ययों के अंतर्गत दर्ज किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹3.76 करोड़ तक स्थापना व्ययों को अधिक बताने के साथ-साथ प्रशासनिक एवं सामान्य व्ययों को कम बताया गया।

(भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद)

55. निवेश से आय - ₹0.43 करोड़

अर्जित ब्याज - ₹0.04 करोड़

उपरोक्त को ₹0.45 करोड़ तक अधिक बताया गया है क्योंकि ब्याज अप्रयुक्त सहायता-अनुदान के निवेश से अर्जित किया गया तथा निधि को अनुसूचित बैंक के बचत खाते में रखा गया। वर्ष 2021-22 के लिए, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान,सिक्किम ने अप्रयुक्त सहायता अनुदान (आईआरजी निधि से अर्जित व्यय सहित) से ₹0.47 करोड़ की ब्याज आय अर्जित की जिसके प्रति एनआईटी ने मंत्रालय को केवल ₹0.02 करोड़ की देय ब्याज देयता सृजित की है। इसका परिणाम मंत्रालय को ₹0.45 करोड़ प्रत्येक तक निवेशों से आय को अधिक तथा चालू देयताओं एवं देय ब्याज को कम बताया गया।

(राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिक्किम)

एच. सामान्य

56. संस्थान ने अचल परिसम्पत्तियों पर आयकर अधिनियम, 1961 की अपेक्षा कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुसार मूल्यहास की विभिन्न दरों पर मूल्यहास को अपनाया। यह केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लिए वित्तीय विवरणी के समान प्रारूप का उल्लंघन है।

(अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, गोरखपुर)

57. राष्ट्रीय सीएएमपीए ने 31 मार्च 2022 को इसके 41 बैंक खातों में पड़ी ₹5,59,322.78 लाख की सीएएमपीए निधियों को अपनी देयताओं के अंतर्गत नहीं दर्शाया था जो आगे राज्यों/यूटी को संवितरण हेतु भारत के लोक लेखा शीर्ष '8336.00.102-राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनरोपण जमा' को अंतरणीय थी। इसका परिणाम ₹5,59,322.78 लाख तक अपनी चालू देयताओं को कम बताने में हुआ।

(सीएएमपीए, नई दिल्ली)

आई. लेखाओं के लिए टिप्पण

58. टिप्पण सं. बी-8 दर्शाती है कि संस्थान ने छुट्टी वेतन के प्रति ₹1,15,19,53,909/-, ग्रेच्यूटी के प्रति ₹82,77,41,488/- तथा पेंशन के प्रति ₹1,13,73,72,369/- का प्रावधान नहीं किया है क्योंकि शिक्षा मंत्रालय वार्षिक रूप से सेवानिवृत्त लाभों के लिए पूर्णतः वित्तपोषित कर रहा है। सेवानिवृत्ति लाभों का गैर-प्रावधान आईसीएआई द्वारा जारी लेखाकन मानक 15 का उल्लंघन में होने के साथ-साथ एमएचआरडी प्रारूपों में वर्तमान देयताएं एवं प्रावधानों पर अनुदेशों तथा लेखांकन सिद्धांतों के गैर-अनुपालन के समान है।

(भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलूरु)

59. सीआरसी कोजिकोड (के) के लेन-देनों को राष्ट्रीय बहु-दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, चेन्नई के मुख्य लेखाओं में आंशिक/गैर-समेकन के परिणामस्वरूप ₹0.53 करोड़ तक, पूंजीगत निधि ₹0.83 करोड़ तक, वर्तमान देयताओं ₹0.53 करोड़ तक वर्तमान परिसम्पत्तियां - बैंक शेष ₹2.62 करोड़ तक आय तथा ₹2.17 करोड़ तक व्यय को कम बताया गया।

(राष्ट्रीय बहु-दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, चेन्नई)

60. 2014 से 2022 की अवधि से संबंधित ₹57.15 करोड़ की राशि बैंक मिलान के अनुरूप नहीं थी। संस्थान को आंकड़े के मिलान हेतु उपयुक्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

(भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, (बीएचयू), वाराणसी)

61. संस्थान ने बीमांकिक आधार पर सेवानिवृत्ति लाभ का प्रावधान नहीं किया है जैसा कि लेखांकन मानक 15 में अपेक्षित है।

(राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, रायबरेली)

अनुलग्नक

अनुलग्नक-3.1

(पैराग्राफ सं. 3.1.2.1 का संदर्भ लें)

संग्रहालय की मूल गतिविधियों सहित वेतन एवं प्रशासनिक खर्चों पर व्यय की तुलना

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वि.व.	वेतन	कुल निधि में वेतन का प्रतिशतता	सीसीए	एसएपी	सामान्य निधि (प्रशासनिक एवं पेंशन खर्चों सहित)			टीएसपी	एनई	गतिविधियों के निष्पादन के लिए आबंटित किया गया कुल बजट (5+6+7)	कुल निधि में प्रतिशतता	आबंटित की गई कुल निधि
		(1)		पूजीगत परिसम्पत्ति का सृजन (2)	स्वच्छता कार्य योजना (3)	प्रशासनिक खर्च एवं पेंशन (4)	कुल निधि में प्रतिशतता	गतिविधियों के निष्पादन के लिए सामान्य निधि ¹ (5)	जनजातीय उप योजना (6)	उत्तर-पूर्वी (7)			
1.	2017-18	7.51	43.14	0.60	-	3.72+0.5=4.22	24.24	0.48 (4.70-4.22)	1.50	3.10	5.08	29.18	17.41
2.	2018-19	8.63	45.76	0.60	0.03	3.86+0.70=4.56	24.18	0.44 (5.00-4.56)	1.50	3.10	5.04	26.72	18.86
3.	2019-20	8.13	44.28	0.60	0.03	3.86+0.70=4.56	24.84	0.44 (5.00-4.56)	1.50	3.10	5.04	27.45	18.36
4.	2020-21	8.62	44.21	0.70	0.02	8.03+0.70=8.73	44.77	1.43 (10.16-8.73)	-	-	1.43	7.33	19.50
5.	2021-22	9.20	51.92	0.50	0.02	6.82+0.70=7.52	42.44	0.48 (8.00-7.52)	-	-	0.48	2.71	17.72

¹ 2017-18- 4.70, 2018-19- 5.00, 2019-20- 5.00, 2020-21- 10.16, 2021-22- 8.00

अनुलग्नक-3.2

(पैराग्राफ सं. 3.1.2.2 का संदर्भ लें)

किए गए व्यय की तुलना में मांगे गए सहायता अनुदान का संशोधित अनुमान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2017-18			2018-19			2019-20			2020-21			2021-22		
शीर्ष	संशोधित अनुमान	अनुदान	व्यय	संशोधित अनुमान	अनुदान	व्यय	संशोधित अनुमान	अनुदान	व्यय	संशोधित अनुमान	अनुदान	व्यय	संशोधित अनुमान	अनुदान	व्यय
वेतन एवं अन्य भत्ते	8.26	8.26	7.64	8.00	7.69	6.70	8.13	8.13	7.14	8.00	8.00	7.77	9.00	8.00	7.41
सामान्य व्यय	7.50	5.70	5.70	8.00	5.00	5.00	9.00	5.00	5.00	13	8.60	8.60	10.68	9.00	9.00
गतिविधियां (एनई+टीएस पी+एसएपी)	5.10	4.93	4.57	5.13	4.93	4.90	7.15	3.75	3.75	0.02	0.01	0.01	0.04	0.02	0.00
पूँजीगत परिस्फूर्तियों का सृजन	0.80	0.60	0.60	1.00	0.60	0.60	1.50	0.40	0.40	1	0.25	0.25	1.10	0.50	0.21
कुल	21.66	19.49	18.51	22.13	18.22	17.2	25.78	17.28	16.29	22.02	16.86	16.63	20.82	17.52	16.62

अनुलग्नक-3.3

(पैराग्राफ सं. 3.1.2.6 का संदर्भ लें)

उप-योजना अवसंरचनात्मक विकास (सांस्कृतिक गतिविधियां) के अधीन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कम/अधिक व्यय

क्र.सं.	गतिविधियों की संख्या एवं नाम	वित्तीय लक्ष्य ₹ लाख में	किया गया वास्तविक व्यय ₹ लाख में	व्यय प्रतिशतता	भौतिक लक्ष्य	प्राप्ति	कमी	कमी की प्रतिशतता
2017-18 (एमओयू के परिशिष्ट-IV के अनुसार)								
1.	गतिविधि 4(ए, बी एवं सी): ऑपन एअर प्रदर्शनी में पुर्नअधिष्ठापन कार्य	36	36	100	12	6	6	50
2.	गतिविधि-13 (ए, बी एवं सी): भारतीय मिट्टी के बर्तनों की परम्पराओं (फेस II) पर नई ऑपन एअर प्रदर्शनी का विकास	15	15	100	10	6	4	40
3.	गतिविधि 6: व्याख्या केन्द्र	8	8	100	2	1	1	50
4.	गतिविधि 18: विरासत के कोने	2	2	100	4	3	1	25
2018-19 (एमओयू के परिशिष्ट-IV के अनुसार)								
1.	गतिविधि 4(बी) : ऑपन एअर प्रदर्शनी (टीएसपी) में पुर्नअधिष्ठापन कार्य	10	30	300	5	3	2	40
2.	गतिविधि 10: पारंपरिक प्रौद्योगिकी पार्क में नई प्रदर्शनी का समावेश	4	4	100	1	-	1	100
3.	गतिविधि 14: गैलरी में नई प्रदर्शनी का विकास	18	18	100	2	1	1	50
4.	गतिविधि 15(सी): भारतीय मिट्टी के बर्तनों की परम्पराएं (एनई) पर नई ऑपन एअर प्रदर्शनी का विकास	10	10	100	4	3	1	25
5.	गतिविधि 18: व्याख्या केन्द्र	8	8	100	2	1	1	50

2024 की प्रतिवेदन सं. 3

क्र.सं.	गतिविधियों की संख्या एवं नाम	वित्तीय लक्ष्य ₹ लाख में	किया गया वास्तविक व्यय ₹ लाख में	व्यय प्रतिशतता	भौतिक लक्ष्य	प्राप्ति	कमी	कमी की प्रतिशतता
6.	गतिविधि 19 (बी): यात्रा/आवधिक प्रदर्शिनियां (एनई)	8	8	100	8	1	7	88
7.	गतिविधि 20: विरासत के कोने	2	2	100	4	1	3	75
8.	गतिविधि 53 (ए और बी): माह का प्रदर्शन	1.50	1.50	100	12	11	1	8
2019-20 (एमओयू के परिशिष्ट-I के अनुसार)								
1.	गतिविधि (ए): ऑपन एअर प्रदर्शनी (टीएसपी) में नए पारम्परिक प्रदर्शनों का पुर्नअधिष्ठापन/अधिष्ठापन	20	20	100	4	2	2	50
2.	गतिविधि 10 (सी): भारतीय मिट्टी के बर्तनों की परम्पराएं (एनई) पर नई ऑपन प्रदर्शनी का विकास	10	15	150	4	1	3	75
3.	गतिविधि 13: पूर्वोत्तर-मणिपुर एवं असम में व्याख्या केन्द्र	7	7	100	2	1	1	50
4.	गतिविधि 14 (बी): यात्रा/आवधिक प्रदर्शिनियां (एनई)	8	8	100	8	1	7	88
5.	गतिविधि 10 (ए): भारतीय मिट्टी के बर्तनों की परम्पराएं (सामान्य) पर नई ऑपन एअर प्रदर्शनी का विकास	1.50	शून्य	0	2	0	2	100
6.	गतिविधि 10 (बी): भारतीय मिट्टी के बर्तनों की परम्पराएं (टीएसपी) पर नई ऑपन एअर प्रदर्शनी का विकास	5	शून्य	0	2	0	2	100

अनुलग्नक-3.4

(पैराग्राफ सं. 3.1.2.6 का संदर्भ लें)

उप-योजना शिक्षा एवं आउटरीच के अधीन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कम/अधिक व्यय

क्र. सं.	गतिविधियों की संख्या एवं नाम	वित्तीय लक्ष्य ₹ लाख में	किया गया वास्तविक व्यय ₹ लाख में	व्यय प्रतिशतता	भौतिक लक्ष्य	प्राप्ति	कमी	कमी की प्रतिशतता
2017-18 (एमओयू के परिशिष्ट -IV के अनुसार)								
1.	गतिविधि 20 (ए एवं बी): सेमिनार (प्रमुख)	27	27	100	6	4	2	33
2.	गतिविधि-21 (ए एवं बी): संग्रहालय लोकप्रिय व्याख्यान/विशेष व्याख्यान	2.4	2.4	100	12	6	6	50
3.	गतिविधि-27 (ए, बी एवं सी): कलाकार कार्यशाला (प्रमुख)	36	36	100	6	2	4	66
4.	गतिविधि 44 (ए एवं बी): इंटरनशिप/फेलोशिप	12	12	100	6	2	4	66
5.	गतिविधि 24: वार्षिक आजीआरएमएस पुरस्कार	7.75	-	0	1	-	1	100
2018-19 (एमओयू के परिशिष्ट-IV के अनुसार)								
1.	गतिविधि 28 (ए एवं बी): संग्रहालय एवं विरासत अध्ययन पर अंतः विषय क्षमता निर्माण कार्यक्रम/प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम	16	16	100	4	3	1	25
2.	गतिविधि 29(ए एवं बी): कलाकार कार्यशाला	42	42	100	7	6	1	14
3.	गतिविधि 33 (ए): संग्रहालय शिक्षा कार्यक्रम (टीएसपी) को करना एवं सीखना	2	2	100	6	3	3	50
4.	गतिविधि 33 (बी): संग्रहालय शिक्षा कार्यक्रम (एनई) को करना एवं सीखना	6	6	100	6	5	1	17

2024 की प्रतिवेदन सं. 3

क्र. सं.	गतिविधियों की संख्या एवं नाम	वित्तीय लक्ष्य ₹ लाख में	किया गया वास्तविक व्यय ₹ लाख में	व्यय प्रतिशतता	भौतिक लक्ष्य	प्राप्ति	कमी	कमी की प्रतिशतता
5.	गतिविधि 35 (ए एवं बी): प्रकाशन/ संवाद-पत्र/वार्षिक रिपोर्ट आदि	8	8	100	20	13	7	35
6.	गतिविधि 42 (ए एवं बी): शिक्षा एवं आउटरीच गतिविधियां के लिए सहायक इकाइयों का दैनिक कार्य	13.50	21	156	24	शून्य	24	100
7.	गतिविधि 45 (ए एवं बी): मानव विज्ञान परियोजनाएं (प्रगतिशील विचार)	13.50	13.50	100	5	4	1	20
8.	गतिविधि 46 (ए एवं बी): इंटरनशिप/फेलोशिप (टीएसपी)	10	10	100	4	शून्य	4	100
9.	गतिविधि-47 (ए एवं बी): पीवीटीजी (अभिनव कार्यक्रम) (टीएसपी) के लिए संवर्धन/जागरुकता हेतु बहु-आयामी कार्यक्रम	4	4	100	4	2	2	50
10.	गतिविधि 27: वार्षिक आईजीआरएमएस	7.75	0	0	1	0	1	100
11.	गतिविधि 31: पूनम	6	0	0	1	0	1	100
2019-20 (एमओयू के परिशिष्ट-I के अनुसार)								
1.	गतिविधि 16 (बी): सेमिनार/शैक्षणिक कार्यशालाएं (लघु) (एनई)	8	10	125	4	3	1	25
2.	गतिविधि 17 (बी): सेमिनार/शैक्षणिक कार्यशालाएं/सम्मेलन/फिल्म समारोह (एनई)	40.5	42	104	9	4	5	56
3.	गतिविधि 19 (ए, बी एवं सी): संग्रहालय लोकप्रिय व्याख्यान/विशेष व्याख्यान	8.4	8.9	106	14	10	4	29
4.	गतिविधि 23(बी): कलाकार कार्यशाला (एनई)	24	24	100	4	2	2	50

क्र. सं.	गतिविधियों की संख्या एवं नाम	वित्तीय लक्ष्य ₹ लाख में	किया गया वास्तविक व्यय ₹ लाख में	व्यय प्रतिशतता	भौतिक लक्ष्य	प्राप्ति	कमी	कमी की प्रतिशतता
5.	गतिविधि 27 (बी): संग्रहालय शिक्षा कार्यक्रम (एनई) को करना एवं सीखना	6	6	100	6	4	2	33
6.	गतिविधि 39 (बी): इंटरर्नशिप/फेलोशिप (एनई)	3	3	100	2	0	2	100
7.	गतिविधि 18: आईएनसीए के साथ सहयोगात्मक गतिविधि	2	शून्य	0	1	0	1	100
8.	गतिविधि 24(बी): प्रदर्शन कला प्रस्तुति (एनई) का कार्यक्रम	30	शून्य	0	3	0	3	100

अनुलग्नक-4.1

(पैराग्राफ सं. 4.1.6.3 एवं 4.1.6.4 का संदर्भ लेते)

12 जेएनवी में कक्षाओं की कमी का ब्योरा

राज्य का नाम	जेएनवी की सं.	कक्षाओं की अपेक्षित सं.	कक्षाओं की कमी
उत्तर प्रदेश	6	108	12
उत्तराखंड	2	36	06
बिहार	3	54	14
झारखण्ड	1	18	02
कुल	12	216	34

स्टाफ क्वार्टरों की कमी का ब्योरा

राज्य का नाम	जेएनवी की सं. जिसमें कमी पाई गई	उपलब्ध होने वाले क्वार्टरों की सं.	स्टाफ क्वार्टरों की कमी
उत्तर प्रदेश	2	90	12
उत्तराखंड	1	45	06
बिहार	3	135	19
झारखण्ड	3	135	18
कुल	9	405	55

अनुलग्नक-4.2

(पैराग्राफ सं. 4.2.3.3 (बी) का संदर्भ लें)

वीबीयू द्वारा ईपीएफओ वेबसाइट से ईपीएफ चालान के गैर-सत्यापन के कारण अभिकरण वेबसाइट को किया गया अधिक भुगतान

क्र.सं.	टीआरआरएन	चालान की तिथि	पारिश्रमिक माह	अभिकरण की चालान की कापी में अदा के रूप में दर्शाई गई राशि	लेखापरीक्षा द्वारा उत्पन्न चालान के अनुसार ईपीएफओ वेबसाइट में अदा के रूप में दर्शाई गई वास्तविक राशि	अभिकरण को जारी अधिक भुगतान
1.	4701901005427	8-जनवरी-19	18-दिसम्बर	908659	9,07,584	1,075
2.	4701902003691	6-फरवरी-19	19-जनवरी	897212	8,95,568	1,644
3.	4701903006678	8-मार्च-19	19-फरवरी	894022	7,59,076	1,34,946
4.	4701904003363	4-अप्रैल-19	19-मार्च	914907	6,46,942	2,67,965
5.	4701905002633	6-मई-19	19-अप्रैल	958146	6,77,519	2,80,627
6.	4701906003002	4-जून-19	19-मई	978257	6,92,553	2,85,704
7.	4701907004538	5-जुलाई-19	19-जून	943964	6,70,070	2,73,894
8.	4701908007200	8-अगस्त-19	19-जुलाई	968345	9,48,246	20,099
9.	4701909014763	13-सितम्बर-19	19-अगस्त	966077	9,45,978	20,099
10.	4701910005773	10-अक्टूबर-19	19-सितम्बर	951620	9,31,520	20,100
11.	4701911009154	11-नवम्बर-19	19-अक्टूबर	934126	9,14,259	19,867
12.	4701912005088	6-दिसम्बर-19	19-नवम्बर	983234	9,60,568	22,666
13.	4702001009873	10-जनवरी-20	19-दिसम्बर	978934	9,57,155	21,779
14.	4702002007317	10-फरवरी-20	20-जनवरी	935763	9,13,232	22,531
15.	4702003008043	10-मार्च-20	20-फरवरी	897118	8,75,883	21,235
16.	4702004007229	14-अप्रैल-20	20-मार्च	897634	8,78,039	19,595
17.	4702006005499	8-जून-20	20-मई	9,68,831	9,61,786	7045
18.	4702007004277	7-जुलाई-20	20-जून	9,75,124	9,68,221	6903
19.	4702008009534	12-अगस्त-20	20-जुलाई	10,07,135	10,03,790	3345
20.	4702009006188	8-सितम्बर-20	20-अगस्त	9,92,465	9,83,783	8682
21.	4702010003941	6-अक्टूबर-20	20-सितम्बर	9,85,425	9,75,320	10105
22.	4702011004709	6-नवम्बर-20	20-अक्टूबर	10,13,863	10,12,146	1717
23.	4702012008377	10-दिसम्बर-20	20-नवम्बर	10,03,148	9,92,595	10,553
24.	4702101006359	9-जनवरी-21	20-दिसम्बर	10,16,658	10,15,747	911
कुल						14,83,097
जनवरी 2021 से अक्टूबर 2021 की अवधि से संबंधित राशि जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत है						56,513
कुल राशि						15,39,610

अनुलग्नक-4.3

(पैराग्राफ सं. 4.2.3.4 (ए-1 एवं iv) का संदर्भ लें)

₹30 लाख से अधिक के निर्माण कार्यों की सूची

क्र.सं.	कार्य आदेश सं.	कार्य आदेश की तिथि	कार्य का नाम	राशि (₹)
1.	ईएनजीजी/डब्ल्यूओ/029/19-20	16-08-2019	अंतर्राष्ट्रीय अतिथि गृह, शांतिनिकेतन का नवीनीकरण एवं विस्तार	5930310
2.	ईएनजीजी/डब्ल्यूओ/039/19-20	20-09-2019	चीना भवन, शांतिनिकेतन के दो स्कंधों का नवीकरण	4438806
3.	ईएनजीजी/डब्ल्यूओ/057/19-20	30-01-2020	रत्तनपल्ली, शांतिनिकेतन में चाहरदीवारी/बाड़ का निर्माण	5763631
4.	ईएनजीजी/डब्ल्यूओ/006/20-21	16-09-2020	पूजीगत अनुदान 2018-19 के अंतर्गत विश्व भारती में सड़को का सुधार	6628562
5.	ईएनजीजी/डब्ल्यूओ/007/19-20	21-09-2020	शांतिनिकेतन में छात्रावास की मुख्य मरम्मत/ नवीनीकरण-सिविल कार्य	3722072
6.	ईएनजीजी/डब्ल्यूओ/024/20-21	15-10-2020	पूजीगत अनुदान 2018-19 के अंतर्गत विश्व-भारती की जल आपूर्ति प्रणाली का संवर्धन	6534979
7.	ईएनजीजी/डब्ल्यूओ/025/20-21	15-10-2020	शांतिनिकेतन के विभिन्न स्थानों पर रोशनी लाइटों का सुधार	6195633
कुल				39213993

अनुलग्नक-4.4

(पैराग्राफ सं. 4.2.3.4 (ए-व) का संदर्भ लें)

निविदाओं को संसाधित करने में लिए गए समय की स्थिति

कार्य का नाम	अनुमानित राशि (₹) (II)	बोली अपलोड करने की तिथि (III)	बोली खोलना		तकनीकी मूल्यांकन		वित्तीय बोली		कार्य प्रदान करना		निविदा को संसाधित करने में लिया गया कुल समय (XII) = (VII+IX+XI)
			खोलने की तिथि (IV)	लिया गया समय (दिनों में) (V) = (IV-III)	मूल्यांकन की तिथि (VI)	लिया गया समय (दिनों में) (VII)= (VI-IV)	खोलने की तिथि (VIII)	लिया गया समय (दिनों में) (IX) = (VIII-VI)	जारी करने की तिथि (X)	लिया गया समय (दिनों में) (XI) = (X-VIII)	
अंतर्राष्ट्रीय अतिथि गृह, शांतिनिकेतन का नवीनीकरण एवं विस्तार	5930310	2/23/2019	3/8/2019	13	3/17/2019	9	4/22/2019	36	8/16/2019	116	161
चीना भवन, शांतिनिकेतन के दो स्कंधों का नवीनीकरण	4438806	6/1/2019	6/10/2019	9	7/26/2019	46	7/30/2019	4	9/20/2019	52	102
रत्तनपल्ली, शांतिनिकेतन में चाहरदीवारी/बाड़ का निर्माण	5763631	3/25/2019	4/6/2019	12	4/7/2019	1	11/18/2019	225	1/30/2020	73	299
पूँजीगत अनुदान 2018-19 के अंतर्गत विश्व भारती में सड़को का सुधार	6628562	2/6/2020	2/20/2020	14	2/26/2020	6	8/6/2020	162	9/16/2020	41	209
शांतिनिकेतन में छात्रावास की मुख्य मरम्मत/ नवीनीकरण -सिविल कार्य	3722072	1/16/2020	2/4/2020	19	2/5/2020	1	8/6/2020	183	9/21/2020	46	230
पूँजीगत अनुदान 2018-19 के अंतर्गत विश्व-भारती की जल आपूर्ति प्रणाली का संवर्धन	6534979	3/4/2020	3/20/2020	16	7/23/2020	125	9/23/2020	62	10/15/2020	22	209
शांतिनिकेतन के विभिन्न स्थानों पर रोशनी लाइटों का सुधार	6195633	3/4/2020	3/19/2020	15	7/23/2020	126	9/23/2020	62	10/15/2020	22	210

अनुलग्नक-4.5
(पैराग्राफ सं. 4.4.3.1(ए) का संदर्भ लें)
पूँजीगत लागत अनुमानों का संघटक वार-ब्योरा

संघटक का नाम	₹ करोड़ में
i. शैक्षणिक एवं प्रशासन	64.35
ii. कर्मचारी आवास (96नं.)	39.78
iii. छात्र आवास (1260 छात्र)	66.69
iv. सुख-सुविधाएं एवं उपयोगिताएं	17.55
v. 4000 मीटर के लिए परिसर की दीवार की लागत	4.68
vi. स्थल का विकास	28.08
vii. एचबीएसी एवं निगरानी	3
viii. उपकरण एवं साज-सज्जा की लागत	8
ix. परामर्श प्रभार (3%)	6
x. आकस्मिक व्यय	6
xi. कर	12
कुल पूँजीगत लागत अनुमान	256.13

अनुलग्नक-4.6

(पैराग्राफ सं. 4.4.3.4 का संदर्भ लें)

डीपीआर की तुलना में निर्मित क्षेत्र में संशोधन के कारण विपथन

क्र.सं.	विवरण	डीपीआर के अनुसार क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	डिजाइन के अनुसार क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	अंतर (वर्ग मी.)	अंतर की प्रतिशतता
1.	शैक्षणिक एवं प्रशासनिक ब्लॉक	15214	22504	7290	48
2.	कर्मचारी आवास जोन	12370	2843	(-) 9527	-77
3.	छात्र आवास जोन	18475	16747	(-) 1728	-9
4.	सुख सुविधाएं तथा उपयोगिताएं	4399	3185	(-) 1214	-28
	कुल	50458	45279	5179	

अनुलग्नक-4.7
(पैराग्राफ सं. 4.4.3.5 का संदर्भ लें)
प्रशासनिक संस्वीकृति से अधिक व्यय

(₹ लाख में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुबंध की तिथि	प्रशासनिक अनुमोदन	व्यय (12/2022 तक)	प्रशासनिक संस्वीकृति से अधिक व्यय	प्रशासनिक संस्वीकृति का 10%
1.	थोक सेवाएं	05 अगस्त 2016	424.48	552.35	127.87	42.45
2.	अतिरिक्त थोक सेवाएं	10 मई 2021	71.18	89.00	17.82	7.12
3.	13 यात्री लिफ्टें प्रदान करना तथा लगाना	06 जुलाई 2021	41.83	51.71	9.88	4.18
4.	डाईनिंग शैड का निर्माण	17 अगस्त 2020	35.96	42.65	6.69	3.60
कुल			573.45	735.71	162.26	

अनुलग्नक-4.8

(पैराग्राफ सं. 4.4.3.6 (ए) का संदर्भ लें)

अवसंरचना निर्माण कार्यों के समापन में विलम्ब

(₹ लाख में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	संस्वीकृति का वर्ष	अनुमानित कीमत	अनुबंध की कीमत	अनुबंध की तिथि	समापन की निर्धारित तिथि	समापन की वास्तविक तिथि	कार्य की स्थिति	समापन की वास्तविक तिथि	महीनों में विलम्ब
1.	शैक्षणिक बिल्डिंग का निर्माण	2015	1094	1042	13-02-2016	27-07-2016	07-07-2017	पूर्ण किया गया	07-07-2017	11
2.	डाईनिंग शैड का निर्माण	2020	29	25	17-08-2020	30-10-2020	15-03-2021	पूर्ण किया गया	15-03-2021	4
3.	शैक्षणिक बिल्डिंग-जल आपूर्ति	2015	199	195	20-01-2019	20-05-2019	02-10-2019	पूर्ण किया गया	02-10-2019	4
4.	13 यात्री वाली लिफ्ट	2021	53	51	06-07-2021	04-09-2021	14-12-2021	पूर्ण किया गया	14-12-2021	3
5.	थोक सेवाएं	2015	453	429	30-04-2019	27-10-2019	24-02-2020	पूर्ण किया गया	24-02-2020	3
6.	छात्रावास ब्लॉक II का निर्माण	2016	787	723	10.01.2019	09-07-2019	26-10-2019	पूर्ण किया गया	26-10-2019	3
7.	शैक्षणिक बिल्डिंग की निगरानी एवं संरक्षक	2017	4	4	01-02-2018	31-07-2018	31-10-2018	पूर्ण किया गया	31-10-2018	3
8.	अतिरिक्त थोक सेवाएं	2021	66	46	10-05-2021	07-09-2021	20-11-2021	पूर्ण किया गया	20-11-2021	2
9.	छात्रावास - I	2015	318	315	10-01-2019	10-05-2019	23-07-2019	पूर्ण किया गया	23-07-2019	2
10.	कल्पना चावला छात्रावास में बाहरी अग्नि निकास का निर्माण	2021	37	31	03-06-2021	01-10-2021	20-11-2021	पूर्ण किया गया	20-11-2021	1
11.	छात्रावास ब्लॉक 7 बी का निर्माण	2021	1253	1108	14-04-2021	13-07-2022	प्रगति में	प्रगति में		6
12.	डाईनिंग ब्लॉक में माल लिफ्ट	2021	21	21	07-12-2021	06-02-2022	प्रगति में	प्रगति में		11

2024 की प्रतिवेदन सं. 3

क्र.सं.	कार्य का नाम	संस्वीकृति का वर्ष	अनुमानित कीमत	अनुबंध की कीमत	अनुबंध की तिथि	समापन की निर्धारित तिथि	समापन की वास्तविक तिथि	कार्य की स्थिति	समापन की वास्तविक तिथि	महीनों में विलम्ब
13.	पहुंच सड़क का निर्माण	2021	226	170	10-12-2021	08-06-2022	प्रगति में	प्रगति में		7
14.	स्पोर्ट्स एरेना	2022	590	456	28-03-2022	24-09-2022	प्रगति में	प्रगति में		4
15.	इन्द्रोर बैडमिंटन ब्लॉक	2022	306	278	28-03-2022	24-09-2022	प्रगति में	प्रगति में		4
16.	चरण-II के अधीन विभिन्न बिल्डिंग	2020	11266	9211	20-04-2021	16-12-2022	प्रगति में	प्रगति में		1

अनुलग्नक-4.9

(पैराग्राफ सं. 4.4.5.4 का संदर्भ लें)

उपकरण की उपलब्धता में कमी

I	मैकेनिकल विभाग	उपकरण की कमी (संख्या में)
1.	सेंट्रल वर्कशॉप	64
2.	डिजाईन एण्ड कम्प्यूटेशनल प्रयोगशाला	75
3.	विनिर्माण प्रयोगशाला	138
4.	थर्मल एवं तरल पदार्थ प्रयोगशाला	10
	कुल	287
II	ईसीई विभाग	उपकरण की कमी (संख्या में)
1.	इलेक्ट्रिक ड्राईवर प्रयोगशाला	20 कम्प्यूटर
2.	एनालॉग सर्किट प्रयोगशाला	20 कम्प्यूटर
3.	वीएलएसआई डिजाईन प्रयोगशाला	20 कम्प्यूटर
4.	प्रोटोटाइपिंग प्रयोगशाला	लेजर आधारित प्रोटोटाइपिंग मशीन (1)

अनुलग्नक-4.10

(पैराग्राफ सं. 4.4.5.4 का संदर्भ लें)

उन महत्वपूर्ण उपकरणों को दर्शाना जो मैकेनिकल विभाग की प्रयोगशालाओं में उपलब्ध नहीं है

I.	सेंट्रल वर्कशाप	III.	विनिर्माण प्रयोगशाला
1.	सीएमएम मशीन	25.	एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग
2.	सीएनसी खराद मशीन	26.	सही डिजिटल गहराई नापने का यंत्र
3.	सीएनसी वर्टिकल मिलिंग केन्द्र	27.	कम पिघलने वाली धातुओं हेतु बहुउद्देशीय कास्टिंग मशीन
4.	कम्प्रेसर	28.	डैप्थ माइक्रोमीटर्स
5.	ईडीएम	29.	डिजीमैटिक डैप्थ माइक्रोमीटर्स
6.	हाई एंड सीएनसी खराद	30.	डिजीमैटिक ऊंचाई गैज
7.	खराद मशीन	31.	डीजीटल यूनिवर्सल प्रोटेक्टर
8.	मिलिंग मशीन	32.	फ्रिक्शन स्टीर बेल्डिंग
9.	पावर हैक आरा	33.	ग्रेनाईट सर्फेस प्लेट
10.	शेपर मशीन	34.	एलओएम 3 डी प्रिंटर
11.	सतह घिसाई मशीन	35.	मैटेलिक 3 डी प्रिंटर
12.	टीआईजी वेल्डिंग मशीन	36.	माइक्रो विकर हार्डनेस टेस्टर
13.	तार ईडीएम	37.	ऑप्टिकल फ्लैट्स
II.	डिजाइन एवं कम्प्यूटेशनल प्रयोगशाला	38.	ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप
14.	डीएक्यू + सेंसर(एक्सेलेरोमीटर, एक्सटेन्सोमीटर, लोड सेंसर)	39.	पॉलीमर 3 डी प्रिंटर
15.	डीसी मोटर कंट्रोल किट	40.	शॉट पीनिंग
16.	फटींग टेस्टिंग मशीन	41.	माइक्रोमीटर के अंदर टबूलर
17.	हार्डनेस टेस्टर	42.	यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर
18.	लेजर डोप्लर वीब्रोमीटर	43.	वर्नियर डैप्थ गेज
19.	मशीनरी फाल्ट सिम्यूलेटर	44.	बेल्डिंग सिमूलेटर
20.	रिहोमीटर	IV	थर्मल एवं फ्लुइड्स प्रयोगशाला
21.	शैकर्स	45.	एयर कम्प्रेसर
22.	स्ट्रोबोस्कोप	46.	बाम्ब कैलोरीमीटर
23.	टोर्सन टेस्टिंग मशीन	47.	कम्प्यूटराइज्ड वीसीआर इंजन परीक्षण सेटअप
24.	यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन	48.	उत्सर्जन माप सेटअप
		49.	एग्जास्ट गैस एनालाइजर
		50.	फ्यूल सेल टेस्ट सेट अप
		51.	पेलटॉन व्हील
		52.	स्मोक मीटर

अनुलग्नक-4.11

(पैराग्राफ सं. 4.5.3.1 का संदर्भ लें)

वे परियोजनाएं जो वर्ष 2007 से 2021 (31.12.2022 तक) के बीच बंद की गई थी, पर विभिन्न प्रायोजक अभिकरणों को लौटाई जाने वाली राशि के कारण अव्ययित शेष

31 दिसंबर 2022 तक प्रायोजक अभिकरण को बकाया

(राशि ₹ में)

वर्ष	परियोजना की सं.	संस्वीकृत लागत की राशि	कुल प्राप्तियों की राशि	कुल व्यय की राशि	31.12.2022 तक अंतशेष की राशि
2007	1	133949	133949	118979	14969
2008	1	12993151	13061700	12269512	792188
2010	1	1592282718	1592282718	1584856368	7426350
2011	12	63451332	52707552	52368628	338924
2012	19	40459809	36561017	35312761	1248256
2013	18	113197370	94732043	93910091	821952
2014	17	72449663	67633399	66612433	1020966
2015	13	36323316	34009698	33595701	413997
2016	17	73808539	38282905	37015956	1266949
2017	7	191619775	189974430	187124568	2849862
2018	9	34798721	26435091	23915291	2519800
2019	24	422168440	405783256	402643570	3139686
2020	35	270514259	229050876	214963662	14087214
2021	21	247545028	209992855	203822174	6170681
कुल	195	3171746070	2990641489	2948529694	42111794

अनुलग्नक-4.12

(पैराग्राफ सं. 4.5.3.2 (सी) का संदर्भ लें)

i) 31 दिसंबर 2022 तक बंद प्रायोजित परियोजनाओं पर प्राप्तियों से अधिक व्यय

वर्ष	परियोजना की सं.	संस्वीकृत लागत की राशि	प्राप्तियों की कुल राशि	व्यय की कुल राशि	31.12.2022 तक अंतशेष की राशि
2009	5	54,77,000	45,41,011	48,82,089	-3,41,078
2010	5	12,96,32,147	10,94,41,453	11,02,10,785	-7,69,332
2011	8	2,03,71,980	1,79,23,630	1,88,91,418	-9,67,788
2012	1	17,14,065	10,32,000	15,29,551	-4,97,551
2013	2	57,35,500	38,93,300	45,61,085	-6,67,785
2014	4	1,96,34,000	1,27,55,439	1,42,77,464	-15,22,025
2015	9	12,77,42,790	11,94,19,881	12,10,82,196	-16,62,315
2016	11	10,09,55,956	7,10,88,787	7,49,13,279	-38,24,492
2017	9	4,65,27,646	3,63,35,340	3,78,45,475	-15,10,135
2018	17	10,09,48,380	8,63,78,686	9,27,50,340	-63,71,654
2019	34	25,54,19,606	22,49,87,769	23,64,17,428	-1,14,29,659
2020	28	28,49,50,895	19,15,73,652	21,14,36,689	-1,98,63,037
2021	8	4,36,41,291	3,56,56,739	3,89,07,187	-32,50,448
कुल	141	1,14,27,51,256	91,50,27,687	96,77,04,986	-5,26,77,299

ii) 31 दिसंबर 2022 तक चल रही परियोजनाओं की बढ़ी हुई लागत (पैरा-1.3)

वर्ष	परियोजना की सं.	संस्वीकृत लागत की राशि	प्राप्तियों की कुल राशि	व्यय की कुल राशि	31.12.2022 तक अंतशेष की राशि
2021	11	1,25,52,69,716	1,12,87,14,444	1,14,13,69,319	-1,26,54,875
2022	13	11,12,52,478	6,45,19,813	7,43,83,010	-98,63,197
2023	4	2,69,82,496	65,28,745	1,15,79,962	-50,51,217
2024	2	51,10,000	13,87,250	44,49,710	-30,62,460
2026	2	4,29,00,000	2,53,63,271	3,51,35,779	-97,72,508
कुल	32	1,44,15,14,690	1,22,65,13,523	1,26,69,17,780	-4,04,04,258

©

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in